संचार माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान की अर्द्धवार्षिक यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका

खंड–36, अंक–1 आईएसएसएन : 2321–2608 जनवरी-जून 2024

भारतीय संचार सिद्धांत

भारतीय जन संचार संस्थान
नई दिल्ली

संचार माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान की अर्द्धवार्षिक यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका
खंड-36, अंक-1 जनवरी-जून 2024 आईएसएसएन: 2321-2608

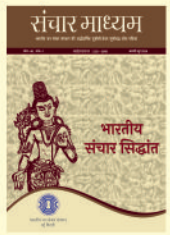

संचार माध्यम के बारे में:

'संचार माध्यम' (ISSN : 2321-2608) भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) की संचार, मीडिया, पत्रकारिता और उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हिंदी में प्रकाशित सामग्री चयन में उच्च मानदंडों का पालन करने वाली अग्रणी और यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 में आरंभ हुआ और आज यह हिंदी भाषा में संचार, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के विचारों, टिप्पणियों, पुस्तक समीक्षा और मौलिक शोध-पत्रों के प्रकाशन का प्रतिष्ठित मंच है। इसमें मीडिया से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर मौलिक अकादमिक शोध और विश्लेषण प्रकाशित किए जाते हैं। अकादमिक शोध के उच्चतर मूल्यों का पालन करते हुए 'संचार माध्यम' में प्रकाशन से पूर्व सभी शोध पत्रों/आलेखों के लिए निष्पक्ष समीक्षा की एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारतीय जन संचार संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है।

प्रधान संपादक

डॉ. अनुपमा भटनागर

महानिदेशक,
भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

संपादक

प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

प्रोफेसर, अँग्रेजी पत्रकारिता
भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

संपादक मंडल

श्री अच्युतानंद मिश्र

वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

डॉ. सच्चिदानंद जोशी

पूर्व कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, रायपुर एवं सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली

प्रो. ओम प्रकाश सिंह

पूर्व प्रोफेसर एवं निदेशक, महामना मदनमोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

प्रो. पवित्र श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष, विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रो. गोविंद सिंह

डीन अकादमिक और पाठ्यक्रम निदेशक, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

प्रो. आनंद प्रधान

प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

प्रो. अनिल कुमार सौमित्र

प्रोफेसर एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू परिसर

प्रो. प्रमोद कुमार

प्रोफेसर, अँग्रेजी पत्रकारिता एवं संपादक, 'संचार माध्यम', भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. शुचि यादव

अध्यक्ष, मीडिया अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. राजेश कुशवाहा

सह आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, अमरावती परिसर

डॉ. राकेश उपाध्याय

सह आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. विनीत उत्पल

सहायक आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू परिसर

श्री संत समीर

एसोसिएट प्रकाशन, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय जन संचार संस्थान की ओर से वीरेंद्र कुमार भारती द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित

*सभी तरह के संपादकीय पत्राचार और लेख भेजने के लिए **संपादक, संचार माध्यम,** भारतीय जन संचार संस्थान, जेएनयू न्यू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110 067 (भारत) को संबोधित किया जाना चाहिए (दूरभाष : 91-11-26742920, 26741357)*

ईमेल : *sancharmadhyamiimc@gmail.com, drpk.iimc@gmail.com*

जर्नल का वेब लिंक : *http://iimc.gov.in/content/426_1_AboutTheJournal.aspx*

वेबसाईट : *www.iimc.gov.in*

'संचार माध्यम' में प्रकाशित विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्ति हैं। भारतीय जन संचार संस्थान का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

महानिदेशक की कलम से

डॉ. अनुपमा भटनागर
महानिदेशक
भारतीय जन संचार संस्थान

भारतीय संचार परंपरा विविधता और समृद्धि से भरी हुई है। यह विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिवर्तनों की परिचायक है। संचार की भारतीय परंपरा का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, अर्थ की आंतरिक खोज। एक प्रक्रिया, जो आत्म जागरूकता, फिर स्वतंत्रता और अंततः सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रकार यह भाषा और अर्थ से परे है, लेकिन फिर भी भाषा संचार का अहम हिस्सा है। अपने उद्भव काल से ही भाषा का उपयोग एक ऐसे साधन के रूप में किया जा रहा है, जो हमारे विचारों, अनुभवों और अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देने का काम करती है। मनुष्य अपनी बातें एक-दूसरे तक पहुँचाने के लिए बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते और लिखते हैं। असल में जो हम बोलते, लिखते, सुनते या पढ़ते हैं, वही भाषा है। भाषा वह भी है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों को लिखित या कहे गए रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें।

भाषा का सही प्रयोग हमारे भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रेषित करने में समर्थ होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य में कहा गया है...

एकः शब्दः सम्यक्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति।

यानी यदि एक शब्द भली प्रकार जानकर उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए, तो वह स्वर्गलोक में कामधेनु की तरह प्रभावशाली होता है।

भारतीय संचार परंपरा में, भाषा को चार स्तरों—परा, पश्यंती, मध्यमिका और वैखरी—में विभाजित किया गया है। ये स्तर विभिन्न मानसिक क्षमताओं और स्वभावों के लिए उपयुक्त हैं और संवाद को विभिन्न रूपों में व्यक्त करने में मदद करते हैं। भारतीय संचार सिद्धांतों की पहचान जनसंचार के माध्यम से भी की जाती है। यह सरलीकरण एवं चित्रण का पर्याय है। संतों और सूफियों ने सरलीकरण और चित्रण के माध्यम से शांति और सद्भाव के अपने संदेश का प्रचार किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, संचारकों ने जनसंचार के लिए समान संचार विधियों का उपयोग किया। ऐसे संदेशों की अत्यंत सरलता ने जनमानस को प्रभावित किया और संचार की प्रभावशीलता के कारण लोगों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। ऐसी प्रक्रिया आज भी जारी है और इसे जनसंचार माध्यमों के माध्यम से किए जा रहे संचार के आधुनिक विमर्श में देखा जा सकता है।

भारतीय संचार सिद्धांत एक विशेष दृष्टिकोण से संचार की अवधारणा और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में उत्पन्न हुआ है। इनमें 'नाट्यशास्त्र' भारतीय संचार सिद्धांत का महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो विभिन्न रूपों में संवाद की अवधारणा प्रदान करता है। इसमें भाषा के विभिन्न स्तरों का वर्णन और उनका उपयोग संवाद में होने वाले सुधार के लिए किया गया है। भारतीय संचार सिद्धांत में वाक् शक्ति और ध्वनि के भी महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो ध्वनि की अद्भुतता और वाक्यार्थ के साथ जुड़े हैं। वेदांत के सिद्धांत में संचार को आत्म-साक्षात्कार और ब्रह्म-ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। यह आत्मा की अंतर्दृष्टि को महत्त्वपूर्ण मानता है, जो संचार की अद्वितीयता को बढ़ावा देता है। भारतीय संचार सिद्धांत में संवाद को सहयोग, समर्पण और सामंजस्य के माध्यम से समझा जाता है। यह संवाद को सहयोगी और साहित्यिक दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा योगदान का भी महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है, जो संवाद के माध्यम से समृद्धि, शांति और सामर्थ्य को बढ़ावा देता है।

भारतीय संचार परंपरा अपने अद्वितीय और समृद्धिशील दृष्टिकोण से निर्मित है, जिसमें भाषा, धर्म और साहित्य के तत्त्वों का अद्वितीय संगम है; व्यक्ति, समुदाय और समृद्धि के लिए सार्थक और उपयुक्त संवाद की अवधारणा है और योगदान एवं सहयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

संपादकीय

भारतीय संचार सिद्धांत और अनुसंधान संदर्भ शैली

भारत के जन संचार शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को देखने से दो बातें साफ दिखाई देती हैं। एक, उनमें जन संचार के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बजाय सिद्धांतों के शिक्षण पर अधिक जोर है। दो, जो सिद्धांत विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, वे गत पाँच-दस दशकों के दौरान विदेशी विद्वानों द्वारा विकसित हैं। इन सिद्धांतों को पढ़ते-पढ़ाते समय विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के मन में यह भाव आता है कि क्या संचार सिद्धांतों के मामले में हम भारतीय वाकई बहुत 'दरिद्र' हैं? परंतु क्या वस्तुस्थिति सच में यही है? क्या भारत में संचार की कोई परंपरा नहीं है? क्या संचार पर प्राचीन भारत में कोई चिंतन-मंथन और अध्ययन नहीं हुआ है? जिस देश में विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिस देश में नारद जैसे श्रेष्ठ संचारक हुए हैं, जिस देश में साहित्य और ज्ञान की अत्यंत समृद्ध परंपरा है, जिस देश में संतों, आचार्यों और विचारकों की अत्यंत उज्ज्वल श्रृंखला है, उस देश में संचार की कोई परंपरा नहीं हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सभी और इन जैसे अनेक प्रश्न आज भारतीय संचार विशेषज्ञों के एक बड़े वर्ग को उद्वेलित कर रहे हैं। हालाँकि गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ भारतीय संचार विशेषज्ञों ने इन प्रश्नों पर चिंतन-मंथन आरंभ किया है और उनके प्रयासों से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि भारत में संचार की अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है। यदि ऐसा है तो फिर अहम सवाल यह है कि वह परंपरा वर्तमान जन संचार पाठ्यक्रमों का हिस्सा क्यों नहीं है? जब संपूर्ण विश्व भारत से उम्मीदें लगाए बैठा है और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तब हम अपनी समृद्ध संचार परंपराओं को नजरंदाज कर क्यों विदेशों के अधकचरे ज्ञान को ढो रहे हैं?

भारतीय जन संचार सिद्धांत एक विषय है। ऐसा ही दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय है अनुसंधान संदर्भ शैली का। शोधगंगा और इनफ्लिबनेट के आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 50 हजार से अधिक पीएचडी शोध उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2017-2018 में यह आँकड़ा 34,400 और 2011-2012 में 21,544 था। इससे सिद्ध होता है कि भारत में शोध करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें और अधिक वृद्धि होगी। भारत में 1114 विश्वविद्यालय (14 नवंबर, 2023 तक) हैं, जहाँ शोध कार्य होता है। इनमें बड़ी संख्या निजी शिक्षा संस्थानों की है। वैसे भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या 55,000 से अधिक है। भारत के इन उच्च शिक्षा संस्थानों और विज्ञान प्रयोगशालाओं में जो शोध हो रहे हैं, उनके परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए जिन संदर्भ शैलियों यानी 'रेफेरेंसिंग स्टाइल्स' का प्रयोग शोधार्थी करते हैं, वे सब रेफ्रेंसिंग स्टाइल्स विदेशी हैं।

भारत में मुख्य रूप से छह संदर्भ शैलियाँ शोधार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित है 'अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन' द्वारा विकसित एपीए स्टाइल। इस शैली का प्रयोग मुख्य रूप से समाज विज्ञानों, शिक्षा, नर्सिंग, आपराधिक न्याय, एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान सहित सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में संदर्भ स्रोतों की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एपीए स्टाइल का प्रथम संस्करण 1952 में जारी किया गया था। वर्तमान में इसका सातवाँ मैन्युअल प्रचलन में है, जिसे अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। दूसरी प्रमुख संदर्भ शैली है, 'मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन' द्वारा निर्मित एमएलए स्टाइल। इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में अमेरिका में हुई और बाद में इसमें 1977, 1984, 1988, 1995, 1999, 2003, 2009, 2016 और 2021 में संशोधन किए गए। इसका मानविकी, खासतौर से भाषा और साहित्य पर शोध में अधिक प्रयोग किया जाता है। एमएलए हैंडबुक का नवीनतम 9वाँ संस्करण मई 2021 में जारी किया गया था। तीसरी संदर्भ शैली है 'शिकागो मैन्युअल स्टाइल'। इसका विकास शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस ने शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल के रूप में वर्ष 1906 में किया था। इसका नवीनतम 17वाँ संस्करण वर्ष 2017 में जारी हुआ। इसका प्रयोग भी सामाजिक विज्ञान के प्रकाशनों में किया जाता है। चौथी शैली है 'मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन' यानी एमएचआरए। इसका प्रयोग भी आधुनिक मानविकी के प्रकाशन में किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में विकसित इस शैली का नवीनतम तीसरा संस्करण वर्ष 2015 में जारी हुआ। इनके अलावा 'हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफेरेंसिंग' भी है, जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड लॉ स्कूल में कार्यरत एक लाइब्रेरियन चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने विकसित किया था। यह अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली संदर्भ शैली है। शुरुआत में इसका प्रयोग बायोलॉजी में किया गया, परंतु अब मानविकी, इतिहास और सामाजिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इनके अलावा बैंकूवर जैसी कुछ और भी संदर्भ शैलियाँ हैं, जिनका प्रयोग अनुसंधान में संदर्भ हेतु किया जाता है। ये सभी शैलियाँ आपस में बहुत अधिक मिलती-जुलती हैं। कुछ में तो सिर्फ कोमा, फुलस्टॉप और कोष्ठक आदि का ही अंतर है। सवाल यह है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला, विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सच में बौद्धिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से इतना कमजोर है कि वह वर्तमान विदेशी संदर्भ शैलियों से अधिक परिष्कृत संदर्भ शैली विकसित नहीं कर सकता? भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत शोधार्थी यदि भारत में विकसित संदर्भ शैली का प्रयोग करना आरंभ करेंगे तो विश्व के अन्य शोधार्थी और विद्वान् भी उसका प्रयोग आरंभ करेंगे। अकेले अमेरिका में एपीए, एमएलए, शिकागो और हार्वर्ड चार रेफेरेंसिंग स्टाइल प्रयोग होते हैं। पाँचवाँ भारत में निर्मित स्टाइल भी प्रयोग में आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? यह काम भारत के विश्वविद्यालयों और लाइब्रेरी साइंस के विद्वानों को यथाशीघ्र करना चाहिए।

भारत में अनुसंधान एवं संदर्भ शैलियों का प्रयोग पश्चिम की संदर्भ शैलियों के विकास से बहुत पहले से होता रहा है। इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। वेदों में विषय का वर्गीकरण मंडल में, रामायण का कांडों में, महाभारत का पर्वों में, श्रीमद्भागवत का स्कंधों में एवं

गीता का अध्यायों में किया गया है। यह आवृत्ति एवं परिवर्तन अनुसंधान पद्धति एवं संदर्भ शैली को स्पष्ट करती है। समय के विकास एवं बाह्य हमलों तथा परतंत्रता की मध्यकालीन अवधि में अनुसंधान पद्धतियों और संदर्भ शैलियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इनमें नवीन प्रवृत्तियों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सका। यह सच है कि सभी प्राचीन अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग वर्तमान परिवेश में उपयोगी नहीं हो सकता। मात्र कुछ अनुसंधान पद्धतियाँ ही उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन ज्ञान के वर्तमान अध्येता प्राचीन अनुसंधान पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर वर्तमान संदर्भ में उनमें कुछ परिष्कार कर उनके व्यावहारिक प्रयोग पर काम करें। साथ ही प्राचीन भारतीय तथा आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों में समन्वय बैठाया जाए।

प्राचीन भारतीय संचार सिद्धांत और अनुसंधान की समृद्ध भारतीय परंपरा का परिचय देने वाली एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। अँग्रेजी में प्रकाशित 544 पृष्ठ की इस पुस्तक का शीर्षक है 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस'। पुस्तक नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संचार सिद्धांत और व्यवहार की निरंतरता और प्रगति से परिचित कराती है। इसे जन संचार के तीन अध्येताओं—डॉ. कपिल कुमार भट्टाचार्य, प्रो. विप्लव लोहोचौधरी और प्रो. रमेश एन. राव ने मिलकर लिखा है। प्रो. लोहोचौधरी शांतिनिकेतन स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में आचार्य हैं, जबकि कपिल कुमार भट्टाचार्य उनके पीएचडी शोधार्थी रहे हैं। प्रो. रमेश एन. राव जॉर्जिया की कोलंबस स्टेट यूनिवर्सिटी में आचार्य हैं। इस पुस्तक के अनुसार काव्य शास्त्र के छह संप्रदाय—रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य—संचार के छह सिद्धांत हैं। इन छह सिद्धांतों को समझकर ही प्राचीन भारतीय संचार की सैद्धांतिकी और व्यवहार को समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में वाक् को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में भी वाक् की महिमा प्रतिपादित है। वाक् से अक्षर क्षरित होता है। वाक् वाणी की शक्ति है। संचार के श्रव्य माध्यम में वाक् का महत्त्व सर्वाधिक है। ऋग्-वैदिक ऋषि इस पेचीदगी की जाँच कर रहे थे कि ऋचाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुँचाकर कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। उन्होंने संचार के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऋचाओं को यादगार बनाया। साम वैदिक ऋषि मधुर प्रदर्शन के लिए ध्वनि के सभी गुणों को उसकी परिवर्तनशील तरंगों में उपयोग करने में लगे हुए थे। उन्होंने आवाज की गति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया कि कैसे यह स्मृति पथ में मददगार हो।

भरत मुनि कृत 'नाट्यशास्त्र' संसार की तीन प्राचीनतम संचार अवधारणाओं में एक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान से अनुप्राणित होकर संचार सिद्धांतों का निर्माण आज कैसे संभव है, इसकी उम्मीद इन तीन विद्वानों ने जगाई है। उन्होंने ऋग्वेद, आदि शंकराचार्य के चिंतन और अन्य भारतीय लेखन से अनुप्राणित होकर समब्रह्म वृत्ति प्रक्रिया और चार चरणीय संचार सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। भारत में अनुसंधान/गवेषणा/खोज/अन्वेषण/मीमांसा/अनुशीलन/शोध की प्राचीन परंपरा रही है। 'गवेषणा' शब्द का सबसे पहला प्रयोग 'ऋग्वेद' में मिलता है। 'ऋग्वेद' में पाँच अलग-अलग स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक भाषा में गवेषणा का अभिप्राय प्रकाश या किसी भी क्षेत्र में नए ज्ञान की खोज से है। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' तथ्यों के साथ बताती है कि अनुसंधान की भारतीय परंपरा कितनी प्राचीन और समृद्ध है और इसका कैसे व्यावहारिक प्रयोग हो सकता है। इस पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता हुआ एक विस्तृत शोध आलेख 'संचार माध्यम' के इस अंक में प्रस्तुत किया गया है। यह आलेख महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में जन संचार विभाग के अध्यक्ष प्रो. कृपाशंकर चौबे ने लिखा है।

जन संचार की भारतीय परंपरा का परिचय कराने वाले कुछ और भी आलेख प्रस्तुत अंक में शामिल किए गए हैं। विदेशी संचार सिद्धांतों का अध्ययन-अध्यापन करते-करते जन संचार के जो शिक्षक और अध्येता यह मान बैठे हैं कि संचार सिद्धांतों के मामले में भारत अत्यंत दरिद्र है, उन्हें 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी ऐंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक और इस अंक में शामिल अन्य आलेखों का एक बार अवश्य पारायण करना चाहिए। यह पुस्तक और इस अंक में शामिल शोध आलेख भारत की समृद्ध संचार परंपरा की ओर महज संकेत भर करते हैं। इन्हें संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह पुस्तक और ये शोध आलेख संचार की भारतीय परंपरा पर शोध के नए द्वार अवश्य खोलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि संचार अध्येता और शोधार्थी इनसे प्रेरणा ग्रहण कर इस दिशा में अध्ययन और शोध के ठोस प्रयास आरंभ कर संपूर्ण विश्व को भारत की समृद्ध संचार परंपरा से परिचित कराएँ।

भारत ने दृढ़ संकल्प के साथ वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जिस प्रकार ठोस कदम बढ़ाए हैं, उन्हें देखते हुए प्रतीत होता है कि अगले एक-दो दशक में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। इसलिए नेतृत्व की भूमिका में आने से पहले भारत के संचार विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वे संचार के क्षेत्र में अपने देश की समृद्ध संचार परंपरा का अध्ययन कर वर्तमान संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कर लें और उसमें से विश्व को जो कुछ देना है, उसका भारत में व्यावहारिक प्रयोग करके देख लें। विश्व की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें जो भी युगानुकूल परिष्कार की आवश्यकता है, वह परिष्कार कर ऐसे विशेषज्ञ तैयार करें जो संपूर्ण विश्व के समक्ष विश्व की विविध भाषाओं में उसकी प्रभावशाली प्रस्तुति कर सकें। साथ ही भारत के अनुसंधान विशेषज्ञों और पुस्तकालय विज्ञान के अध्येताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे मिलकर ऐसी परिष्कृत भारतीय संदर्भ शैली का विकास करें, जिसका विश्वभर के शोधार्थी और विद्वान् आसानी से प्रयोग कर सकें और दुनियाभर के विद्वान् उसे बेझिझक स्वीकार कर सकें। यह कार्य भारत के वर्तमान विद्वानों को करना होगा। इसे भावी पीढ़ियों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

प्रो. प्रमोद कुमार
संपादक

प्रकाशन विभाग
भारतीय जन संचार संस्थान
अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू न्यू कैंपस, नई दिल्ली-110 067

संचार माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान की यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका

खंड 36 (1) | आईएसएसएन: 2321-2608 | जनवरी-जून 2024

विषय सूची

1. प्राचीन भारतीय संचार सिद्धांत : परंपरा और प्रयोग 1
   प्रो. कृपाशंकर चौबे

2. संचार-व्याकरण का आधार एकात्म मानव दर्शन 11
   प्रो. ओमप्रकाश सिंह

3. श्रीहरिवंशपुराण में संचार के विविध आयाम 15
   नेहा कुमारी

4. मार्कंडेय पुराण में संचार : एक अध्ययन 21
   पूजा शुक्ला

5. पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में भाषा और संचार कला की अवधारणा 27
   डॉ. उमेश कुमार और डॉ. श्वेता पांडेय

6. वाल्मीकि रामायण में संचार के विविध संदर्भ 31
   डॉ. लोकनाथ

7. भारतीय संचार परंपरा में आचार्य अभिनवगुप्त के योगदान का अध्ययन 41
   डॉ. जयप्रकाश सिंह

8. संस्कृत नाटकों में राम के स्वरूप का अध्ययन 46
   डॉ. श्रुति रंजना मिश्रा

9. गुरु गोबिंद सिंह जी के विद्या दरबार का अध्ययन 51
   डॉ. नरेश कुमार और डॉ. प्रीति सिंह

10. गोंडी चित्रकला में जनजातीय जीवन का अध्ययन 60
    मोनिका शर्मा

11. भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रकारिता में राष्ट्रचेतना का अध्ययन 66
    पूनम कुमारी और डॉ. अनिल कुमार निगम

12. आधुनिक संचार विशेषज्ञों की दृष्टि में दीनदयाल उपाध्याय का संचार कौशल 71
    आकाश दीप जरयाल और प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

13. भारतीय टेलीविजन : निजीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और संचार के विकास में कॉमेडी कला का योगदान 80
    अरुण पटेल

14. पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल फोन का प्रभाव 87
    (उत्तराखंड से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)
    सुमित जोशी, डॉ. चेतन भट्ट और डॉ. राकेश चंद्र रयाल

15. डिजिटल संचार माध्यमों के दौर में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा : राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन 95
    प्रो. सुबोध कुमार और डॉ. आलोक चौहान

16. भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तैयार करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन 99
डॉ. मयंक गौड़

17. भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता और 'आजकल' 105
प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

18. आईआईएमसी गतिविधियाँ 117

संचार माध्यम | खंड 36(1) :1-10 , जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

प्राचीन भारतीय संचार सिद्धांत : परंपरा और प्रयोग

प्रो. कृपाशंकर चौबे[1]

सारांश

भारतीय संचार सिद्धांत प्राचीन काल से ही विद्यमान है। संचार सिद्धांत और अनुसंधान की प्राचीन परंपरा का सम्यक् परिचय अँग्रेजी में सद्यः प्रकाशित 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक से मिलता है। पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संचार सिद्धांत और व्यवहार की निरंतरता और प्रगति का अध्ययन है। इसे जनसंचार के तीन अध्येताओं—डॉ. कपिल कुमार भट्टाचार्य, प्रो. विप्लव लोहो चौधरी और प्रो. रमेश एन. राव—ने लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार काव्य शास्त्र के छह संप्रदायों—रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य—को संचार के छह सिद्धांत मानना चाहिए। आज के युग में भी पुराने ज्ञान से अनुप्राणित होकर संचार सिद्धांत का निर्माण कैसे संभव है, इसे विप्लव लोहो चौधरी ने संभव कर दिखाया है। उन्होंने ऋग्वेद, आदि शंकराचार्य के चिंतन और अन्य भारतीय लेखन से अनुप्राणित होकर समब्रह्म वृत्ति प्रक्रिया और चार चरणीय संचार सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक यह भी बताती है कि अनुसंधान की भारतीय परंपरा कितनी प्राचीन और समृद्ध है।

संकेत शब्द : भारतीय संचार सिद्धांत, संचार की भारतीय अवधारणा, अनुसंधान की भारतीय परंपरा, नाट्यशास्त्र, भरतमुनि, अभिनवगुप्त, अभिनव भारती, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन, सांख्यतत्त्वकौमुदी, वाचस्पति मिश्र, उपनिषदीय संचार

प्रस्तावना

विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के जनसंचार विभाग के प्रोफेसर विप्लव लोहो चौधरी पिछले कई वर्षों से भारतीय संचार शास्त्र पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने शोधार्थी कपिल कुमार भट्टाचार्य को पीएच. डी. का विषय दिया था—'नाट्यशास्त्र ऐज ए कम्युनिकेशन ट्रिटीज : ऐन एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबिलिटी फार द प्रेजेंट' (एक संचार ग्रंथ के रूप में नाट्यशास्त्र : वर्तमान के लिए संभावना की खोज)। उस शोध प्रबंध पर कपिल कुमार भट्टाचार्य को विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन से 2018 में डाक्टरेट की उपाधि मिली थी। उस शोध प्रबंध को इन पंक्तियों के लेखक ने बाह्य परीक्षक के रूप में जाँचा था और शोधार्थी की खुली मौखिकी भी ली थी। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक मूलतः कपिल कुमार भट्टाचार्य के पीएच.डी. शोध प्रबंध पर आधारित है।

कपिल कुमार भट्टाचार्य के शोध निर्देशक प्रो. विप्लव लोहो चौधरी ने इस शोध प्रबंध में दो अध्याय लिखकर जोड़े। कोलंबस स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रमेश एन. राव ने भी दो अध्याय लिखकर जोड़े और इस तरह 544 पृष्ठों की यह पुस्तक बनी। 11 अध्यायों में विभक्त पुस्तक में सर्वाधिक पाँच अध्याय डॉ. कपिल कुमार भट्टाचार्य द्वारा लिखित हैं। वे अध्याय हैं—'एप्रोचिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम ऐन इंडियन पर्सपेक्टिव' (भारतीय परिप्रेक्ष्य की संचार दृष्टि), 'फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नाट्यशास्त्र' (नाट्यशास्त्र में संचार के मूल सिद्धांत), 'स्पीच यूटिलिटी इन द नाट्यशास्त्र' (नाट्यशास्त्र में वाक् उपयोगिता), 'ह्यूमन इंटेलीजेंस एंड इमोशन इन कम्युनिकेशन' (संचार में मानव मेधा और भावना) और 'नान वर्बल कम्युनिकेशन'—यूटिलाइजिंग द ह्यूमन बॉडी इन द नाट्यशास्त्र' (अमौखिक संचार—नाट्यशास्त्र में मानव शरीर का उपयोग)।

कपिल कुमार भट्टाचार्य ने अपने शोध निर्देशक प्रो. विप्लव लोहो चौधरी के साथ मिलकर दो अध्याय लिखे हैं। वे अध्याय हैं—'कम्युनिकेशन विज्डम : विफोर, इन एंड बियांड द नाट्यशास्त्र' (संचार विवेक : नाट्यशास्त्र के पहले, नाट्यशास्त्र में और नाट्यशास्त्र के उपरांत) और 'इंडियन रिसर्च मेथड एंड ट्रेडिशंस' (भारतीय अनुसंधान विधि और परंपराएँ)। प्रो. विप्लव लोहो चौधरी द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखित अध्याय हैं—'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स' (वेदों और उपनिषदों में संचार परिप्रेक्ष्य) और 'एक्जिअम्स आफ कम्युनिकेशन : सेल्फ इविडेंस' (संचार के सिद्धांत : आत्म-साक्ष्य)। रमेश राव द्वारा लिखित अध्याय हैं—'ट्रुथफुलनेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स फॉर स्पीच इन एंशिएंट इंडिया' (प्राचीन भारत में वक्तृता के लिए सत्यता और नैतिकता के मानक) और 'डिबेट्स, डायलाग एंड डिस्कसन : वाद' (वाद : बहस, संवाद और चर्चा)।

संसार की तीन प्राचीनतम संचार अवधारणाएँ

'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक के पहले अध्याय 'कम्युनिकेशन विज्डम : विफोर, इन एंड बियांड द नाट्यशास्त्र' में बताया गया है कि भरत मुनि कृत 'नाट्यशास्त्र' संसार की तीन प्राचीनतम संचार अवधारणाओं में एक है (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-1, पृष्ठ-1)। दो अन्य अवधारणाएँ हैं—प्राचीन मिस्र के ताहोतेप के उपदेश और प्राचीन ग्रीस के अरस्तू का वक्तृता सिद्धांत। ताहोतेप की अवधारणा मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संचार की व्यावहारिक व भावनात्मक उपयोगिता को समझने की सामान्य दृष्टि देती है। अरस्तू का वक्तृता सिद्धांत शासन, राजनीति और सामाजिक संगठनों में संचार की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। दूसरी ओर, नाट्यशास्त्र, दूसरे के साथ एकाकार महसूस करके

[1]प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र. ईमेल : drkschaubey2@gmail.com

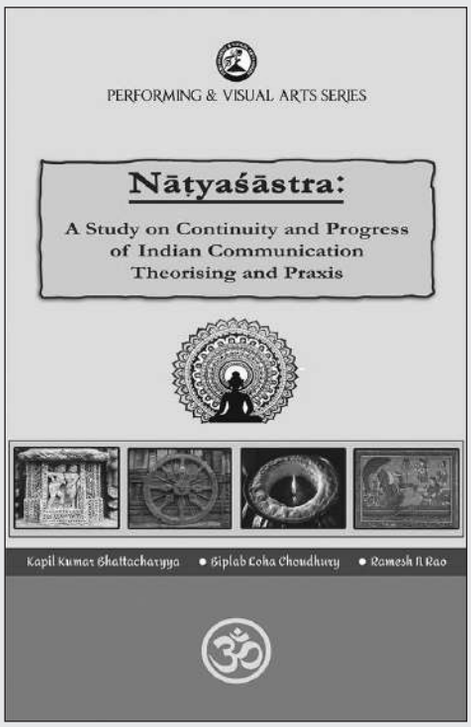

'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस'

प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली

प्रथम संस्करण : 10 सितंबर, 2023

पृष्ठ : 544, पेपरबैक

कीमत : रु. 695

जीवन का जश्न मनाने पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में संचार के शास्त्रीय और लोक रूपों को जन्म दिया, जिनका विस्तार संसार के कई क्षेत्रों तक हुआ (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, पृष्ठ-2)। यह पुस्तक बताती है कि पश्चिमी अवधारणा में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार एक लेन-देन संबंधी कार्य है, जो हमेशा कुछ इरादे द्वारा निर्देशित होता है। संचार का भारतीय दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वहाँ संचार एक प्राकृतिक मानवीय घटना होने के नाते अपने आप में एक निष्काम कर्म है।

'एप्रोचिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम ऐन इंडियन पर्सपेक्टिव' शीर्षक अध्याय में कपिल कुमार भट्टाचार्य ने आर.टी. ओलिवर की पुस्तक 'कम्युनिकेशन एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया एंड चाइना' के हवाले से लिखा है कि प्राचीन भारत में संचार सिद्धांतों की खोज करने वाले किसी भी विद्वान् को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे (भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-2, पृष्ठ-56) :

1. प्राचीन भारतीयों के मन में मानव संचार की समस्याओं का विचार कैसे उत्पन्न हुआ?
2. प्राचीन भारतीयों ने उन बाधाओं का सामना कैसे किया, जो संचार के लेनदेन में अवरोध पैदा करती हैं?
3. समझ के आदान-प्रदान के प्रयासों में सफलता और विफलता के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव उनके विचार में क्या थे?
4. किस माध्यम से और किन संदर्भों में उन्होंने ऐसी वक्तृता की समस्याओं पर विचार किया?
5. उन्होंने मौखिक और अमौखिक संचार प्रणालियों के किन रूपों की कल्पना की?
6. उन्होंने संचार के किन प्रेरक नमूनों की पहचान की?
7. उन्होंने संचार के किन सिद्धांतों और व्यवहारों का पोषण किया?
8. उन्होंने बातचीत की सीमाओं से परे संचार को संस्थागत कैसे बनाया?
9. प्रमुख वाक् सिद्धांतकार कौन थे और उनके क्या विचार थे?
10. पश्चिम के वक्तृता सिद्धांतों के मजबूत गढ़ों से भिन्न संस्कृतियों की पड़ताल करके वक्तृता को देखने के कौन-से नए तरीके सामने आ सकते हैं?

ओलिवर ने उक्त दस प्रश्न प्रस्तुत करने के साथ ही यह भी लिखा है—अंतिम महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक शोधकर्ता को यह भी पता होना चाहिए कि प्राचीन चिंतकों के विचारों को उनके उचित सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में पाठकों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। ओलिवर द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब खोजने का ठोस प्रयास 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी आन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक में लेखक त्रय ने किया है।

गवेषणा शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में

भारत में अनुसंधान या गवेषणा या खोज या अन्वेषण या मीमांसा या अनुशीलन या शोध की प्राचीन परंपरा और पद्धति रही है। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक के 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड द ट्रेडिशंस' शीर्षक अध्याय में बताया गया है कि 'गवेषणा' शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-65)। ऋग्वेद में पाँच अलग-अलग स्थानों में इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक भाषा में गवेषणा का अभिप्राय प्रकाश/ज्ञान की खोज है। गवेषणा किसी भी क्षेत्र में नए ज्ञान की खोज है। नए ज्ञान की खोज करना यानी उपलब्ध ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। ज्ञान का विस्तार करना। शोध नए ज्ञान का उत्पादन है। नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए सुव्यवस्थित प्रयत्न को अनुसंधान कहते हैं। पहले से प्राप्त ज्ञान के परीक्षण के लिए किए गए सुव्यवस्थित प्रयत्न को भी अनुसंधान कहते हैं। यह पुस्तक सुव्यवस्थित प्रयत्न प्राचीन भारतीय पद्धति अपनाकर किए जाने की आकांक्षा प्रकट करती है। इसमें यह कामना भी अंतर्निहित है कि अनुसंधान के उपरांत ज्ञान का जो उत्पादन हो रहा है, वह समाजोपयोगी होना चाहिए। यह कामना तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों और विद्या केंद्रों में हर वर्ष बहुत सारे शोध हो रहे हैं, किंतु क्या वे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान में योगदान कर पा रहे हैं? उन शोधों से क्या उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिल रही है, जिनसे देश जूझ रहा है जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ऋण समस्या से जूझते किसानों की आत्महत्या आदि? यदि नहीं, तो वह शोध कितना प्रासंगिक है? प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न, समस्या, घटना, व्यवहार या प्रवृत्ति को लेकर प्रारंभ

होता है और शोधार्थी यह जानने की चेष्टा करता है कि संबंधित प्रश्न, समस्या, घटना, व्यवहार या प्रवृत्ति कब, क्यों, किसके द्वारा और कैसे उत्पन्न हुई। कहना न होगा कि शोधार्थी को इन सवालों के जवाब भारतीय अनुसंधान पद्धति को अपनाकर खोजने चाहिए।

आलोच्य पुस्तक बताती है कि प्राचीन भारत में सभी प्रकार के अनुसंधान संपन्न किए गए (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-70)। अनुसंधान के मुख्यतः तीन प्रकार हैं—मौलिक अनुसंधान, व्यावहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। इन तीनों प्रकार के अनुसंधान प्राचीन भारत में हो चुके हैं। डॉ. कपिल कुमार भट्टाचार्य, प्रो. विप्लव लोहो चौधरी और प्रो. रमेश एन. राव ने 'नाट्यशास्त्रः ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक में वेदों और उपनिषदों को मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में, धर्मशास्त्र और नाट्यशास्त्र को अनुप्रयुक्त अनुसंधान की श्रेणी में और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा है (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-70)।

अनुसंधान की प्राचीन भारतीय दृष्टि

'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक बताती है कि अनुसंधान की प्राचीन दृष्टि भारतीय दर्शन में विद्यमान है। 'इंडियन रिसर्च मेथड एंड ट्रेडिशंस' और 'एक्जिअम्स आफ कम्युनिकेशन : सेल्फ इविडेंस' शीर्षक अध्यायों में भारतीय दर्शन के मुख्यतः नौ आधारपीठों का उल्लेख किया गया है। उन आधारपीठों में तीन नास्तिक हैं—चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन। बाकी छह आस्तिक हैं, जो वेदों को आधार-ग्रंथ मानते हैं। वे हैं—मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ध्यातव्य है कि भारतीय दर्शन वेदों के पक्ष और विपक्ष में विभाजित है, जबकि पश्चिम का दर्शन ईश्वर के विरोध और समर्थन में विभक्त है। 'एक्जिअम्स आफ कम्युनिकेशन : सेल्फ इविडेंस' शीर्षक अध्याय का निष्कर्ष है कि वेदों व उपनिषदों से शुरू हुई भारतीय दर्शन की परंपरा का विस्तार उसके नौ आधारपीठों में हुआ। उन आधार पीठों में ही किसी समस्या के समाधान को खोजा जा सकता है (चौधरी, 2023, अध्याय-11, पृष्ठ-474)। आलोच्य पुस्तक के अनुसार भारतीय दर्शन के आधार पीठों का अनुसंधान दृष्टिकोण भिन्न है (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-73)।

मीमांसा दर्शन : मीमांसा शब्द का अर्थ है गहन विचार, परीक्षण अथवा अनुसंधान। यह दर्शन दो भागों में विभक्त है—पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा या ब्रह्म-मीमांसा। पूर्व-मीमांसा का पहला सूत्र है—अथातो धर्मजिज्ञासा, अर्थात् अब इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी तरह उत्तर-मीमांसा का पहला सूत्र है—अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात् अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए।

न्याय दर्शन : न्याय का कोशगत अर्थ है उचित-अनुचित का विवेक, किंतु दर्शन में इसका आशय है किसी प्रतिपाद्य विषय की अर्थसिद्धि करना। न्याय दर्शन आन्वीक्षिकी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देखी या जानी बातों को पुनः देखना या उनका पुनःपरीक्षण करना। कहना न होगा कि आन्वीक्षिकी का पत्रकारिता अध्ययन में सर्वाधिक महत्त्व है। न्याय सही ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति निरूपित करने वाला दर्शन है। गौतम ने सही ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणों के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

वेदांत : वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का अंत, अथवा वे सिद्धांत जिनका प्रतिपादन वेदों के अंतिम अध्यायों में हुआ। वे ही उपनिषद् हैं। वेदांत के कई प्रस्थान हैं, जैसे अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत और शुद्धाद्वैत वेदांत। भारतीय दर्शन में जीव, ईश्वर और माया के संबंध में अलग-अलग मान्यताएँ रही हैं, किंतु लगभग सभी दर्शनों ने जगत् की रचना की दो वजहें मानी हैं, जड़ और चेतन। पहली वजह जड़ को किसी ने परमाणु, प्रकृति या पुद्गल के रूप में स्वीकार किया है, तो दूसरी वजह चेतन को ईश्वर, जीव या पुरुष आदि रूपों में। जड़ को जगत् का उपादान कारण तथा चेतन को निमित्त कारण माना गया है। वेदांत दर्शन एक ही तत्त्व को उपादान और निमित्त दोनों मानता है।

योग : अन्य दर्शनों की तरह योग में शरीर केवल देह न होकर आत्मरूप है। इस दर्शन की मान्यता है कि शरीर स्वस्थ होगा तो चित्त निर्मल रहेगा और इसी निर्मलता से आत्मलाभ होगा। पतंजलि का योगसूत्र इस दर्शन का सर्व प्रमुख ग्रंथ है।

वैशेषिक दर्शन : यह सर्वाधिक प्राचीन और क्रमबद्ध दर्शन है। विशिष्टताओं पर बल देने की वजह से उसका नाम वैशेषिक पड़ा। यह दर्शन मानता है कि इस संसार का अस्तित्व वस्तुगत रूप से है। उसका विश्लेषण मनुष्य अपने यत्नों से कर सकता है। यह दर्शन कहता है कि प्रत्यक्ष, लैंगिग, स्मृति और आर्ष—इन चार विधियों से वैध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

सांख्य दर्शन का अनुसंधान दृष्टिकोण

ईसा से 600 वर्ष पूर्व कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का बल तर्कपूर्ण युक्तियुक्त चिंतन पर है। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक मूल रूप से सांख्य दर्शन के अनुसंधान दृष्टिकोण पर ही विस्तार से प्रकाश डालती है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका पर अपनी प्रसिद्ध टीका 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' लिखी है और उसकी भूमिका में उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में सभी अनुसंधानों का उद्देश्य मानव जाति की किसी भी अनसुलझी समस्या का समाधान करना है। 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' की भूमिका में वाचस्पति मिश्र शोध का विशिष्ट प्रयोजन प्रकट करने की दृष्टि से कहते हैं : 'इह खलु प्रतिपित्सितमर्थे प्रतिपादयिताऽवधेयवचनो भवति प्रेक्षावताम्। अप्रतिपित्सितमर्थे तु प्रतिपादयन् 'नाय लौकिको नापि परीक्षकः' इति प्रेक्षा- वद्भिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत। स चैषां प्रतिपित्सितोऽर्थो, यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते, इति प्रारिप्सितशास्त्रविषयज्ञानस्य परमपुरुषार्थसाधनहेतुत्वात् तद्-विषयजिज्ञासामवतारयति'। यानी जगत् में उसी वक्ता या उपदेष्टा के वचन में बुद्धिमानों को आस्था होती है, जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन एवं बोध कराता है। इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक पुरुष को बुद्धिमान जन—'यह व्यक्ति न व्यवहारज्ञ ही है और न शास्त्रज्ञ ही'—ऐसा कहकर उन्मत्त की भाँति उसकी उपेक्षा करते हैं।

सांख्य की पहली कारिका की टीका में वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि दुख तीन प्रकार के हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि-दैविक। इन्हें दूर करने के उपाय के लिए ही अनुसंधान होता है। इस टीका का हवाला देते हुए आलोच्य पुस्तक कहती है कि दुख दूर करने या किसी

समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि से खोजना किसी शोधकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-75)। सांख्य की पहली कारिका है :

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तद्पघातके हेतौ।
दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ॥1॥

यानी आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक—इस त्रिविध दुख के प्रहार से उसको दूर करने वाले शास्त्रीय साधन या उपाय के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि कोई यह कहे कि दुख-विनाश का लौकिक उपाय विद्यमान होने के कारण वह शास्त्र-जिज्ञासा व्यर्थ है, तो यह गलत है, क्योंकि उससे दुख-त्रय की अनिवार्य रूप से सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती।

वाचस्पति मिश्र इसकी टीका इस प्रकार करते हैं—'एवं हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्येत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्, सद्वा न जिहासितम्, जिहासितं वा अशक्यसमुच्छेदम्। अशक्यसमुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वात्, तदुच्छेदोपायापरिज्ञानाद् वा। शक्यसमुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाद्वा, सुकरस्योपायान्तरस्य सद्भावाद्वा॥ तत्र न तावद् दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितमित्युक्तम् 'दुःखत्रयामिघातात्" इति।' यानी यदि जगत् में दुख न हो, अथवा होने पर भी उसको छोड़ने की इच्छा न हो, अथवा छोड़ने की इच्छा होने पर भी उसके नित्य होने के कारण या विनाश के उपाय के अज्ञान के कारण उसकी निवृत्ति संभव न हो, अथवा निवृत्ति संभव होने पर भी प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय—प्रकृति तथा पुरुष का विवेक-ज्ञान—उस दुख की निवृत्ति का उपाय न हो, अथवा वैसा होने पर भी इस विवेक ज्ञान की अपेक्षा कोई सुलभ तथा सरलतर उपाय हो तो इसके विषय में जिज्ञासा कदापि नहीं होगी। किंतु, जगत् में दुख है ही नहीं अथवा होने पर भी उसकी निवृत्ति किसी को अभीष्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा—'दुःखत्रयाभिघातात्' (मिश्र, 1956, पृष्ठ-4)।

वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रतिपादित पाँच चरणीय अनुसंधान दृष्टिकोण

वाचस्पति मिश्र की उपर्युक्त टिप्पणी के आलोक में 'इंडियन रिसर्च मेथड एंड ट्रेडिशंस' अध्याय में यह सटीक अभिप्राय निकाला गया है कि किसी भी शोध को तभी सार्थक मानना चाहिए जब वह निम्नलिखित पाँच शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करता हो (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-75-76) :

1. कोई स्पष्ट समस्या होनी चाहिए, जिसके लिए वैज्ञानिक जाँच की आवश्यकता हो।
2. वैज्ञानिक जाँच के माध्यम से इस समस्या का समाधान वांछनीय होना चाहिए।
3. वैज्ञानिक जाँच के माध्यम से संभावित समाधान प्राप्य प्रतीत होना चाहिए।
4. समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक जाँच को आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध होने चाहिए।
5. समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक जाँच के आसान साधन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

सांख्य की 51वीं कारिका की टीका में वाचस्पति मिश्र अनुसंधान की सफलता के लिए आठ सिद्धियों का उल्लेख करते हैं। 51वीं कारिका है :

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः।
दानञ्च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ॥ 51 ॥

यानी तर्क (मनन), शब्द (अर्थात् तज्जनित अर्थ-ज्ञान), अध्ययन, त्रिविध दुख-विनाश, सुहृत्प्राप्ति (अर्थात् गुरु, शिष्य तथा सतीर्थों के साथ वाद-विवाद) तथा 'दान' अर्थात् विवेक-शुद्धि ये आठ सिद्धियाँ हैं। दुख के त्रिविध होने के कारण उसके विनाश भी तीन हुए। यही तीन मुख्य सिद्धियाँ हैं—प्रमोद, मुदित और मोदमना (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-76)। अन्य पाँचों सिद्धियाँ इनके उपाय होने के कारण गौण हैं। ये पाँचों भी व्यवस्थित हैं। आलोच्य पुस्तक के अनुसार वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रतिपादित पाँच चरणीय अनुसंधान दृष्टिकोण हैं—तार, सुतार, तारतार, रम्यक और सदामुदित (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-77)। प्रथम 'अध्ययन' नामक सिद्धि केवल कारण है, तीनों मुख्य सिद्धियाँ कार्य हैं और बीच वाली कारण और कार्य दोनों हैं। शास्त्रविधिपूर्वक गुरु मुख से विद्या के पारायण का श्रवण 'अध्ययन' नामक प्रथम सिद्धि है, जो संसार-तरण का प्रथम हेतु होने के कारण 'तार' कहलाती है (मिश्र, 1956, पृष्ठ-191)।

तत्कार्यम् 'शब्दः'; 'शब्दः' इति पदं शब्दजनितमर्थज्ञानमुपलक्षयति, कार्ये कारणोपचारात्। सा द्वितीया सिद्धिः 'सुतारम्' उच्यते। पाठार्थाभ्यां तदिदं द्विधा श्रवणम्। यानी उसका कार्य 'शब्द' है। कार्य में कारण के आरोप द्वारा 'शब्द' पद से शब्दोत्पन्न अर्थ-ज्ञान सूचित होता है। वह दूसरी सिद्धि है, जो सरलतया संसार-तारक होने से कारण 'सुतार' कहलाती है (मिश्र, 1956, पृष्ठ-191)। इस प्रकार पारायण तथा अर्थ रूप से दो प्रकार का श्रवण हुआ।

'ऊहः'- तर्कः - आगमाविरोधिन्यायेनाऽऽगमार्थपरीक्षणम्। परीक्षणञ्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम्। तदिदं मननमाचक्षते आगमिनः। सा तृतीया सिद्धिः 'तारतारम्' उच्यते। यानी तर्क अर्थात् शास्त्रानुकूल युक्तियों से शास्त्रोक्त विषय की परीक्षा 'ऊह' है और संदिग्ध पूर्व-पक्ष के परित्याग द्वारा उत्तर-पक्ष अथवा सिद्धांत की स्थापना परीक्षा है। इसे ही शास्त्रज्ञ 'मनन' कहते हैं। यह तीसरी सिद्धि 'अध्ययन' और 'शब्द' की अपेक्षा अधिक तारक होने से 'तारतार' कहलाती है (मिश्र, 1956, पृष्ठ-192)।

स्वोत्प्रेक्षितं मननममननमेवासुहृत्सम्मतमिति द्वितीयं मननमाह- 'सुहृत्प्राप्तिः'। न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यर्थं न श्रद्धत्ते, न यावद् गुरुशिष्यसब्रह्म- चारिभिः सह संवाद्यते। अतः सुहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः सुहृत्प्राप्तिः। सा सिद्धिश्चतुर्भी रम्यकम् उच्यते। यानी स्वयं किया गया और सुहृदों के द्वारा असम्मत मनन सम्यक् मनन है ही नहीं, इसलिए द्वितीय मनन कहते हैं—'सुहृत्प्राप्ति'। साधक युक्तियों द्वारा स्वयं परीक्षा किए हुए शास्त्रार्थ या सिद्धांत में तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक कि गुरु, शिष्य और सहाध्यायियों के साथ संवाद नहीं कर लेता। इसलिए सुहृदों अर्थात् गुरु, शिष्य तथा सहाध्यायियों का संवाद प्राप्त होना सुहृत्प्राप्ति है। यही चौथी सिद्धि शास्त्रार्थ-संवाद के रमणीय होने के कारण 'रम्यक' कहलाती है (मिश्र, 1956, पृष्ठ-192)।

'दानं च' शुद्धिर्विवेकज्ञानस्य, 'दैप् शोधने' इत्यस्माद्धा। तोर्दानपदव्युत्पत्तेः। यथाह भगवान् पतञ्जलिः - "विवेकख्यातिर- विप्लवा हानोपायः' इति। 'अविप्लवः' शुद्धिः, सा च सवासनसंशयविपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्था- पनम्। सा च न विनाऽऽदरनैरन्तर्यदीर्घकाल सेत्रिताभ्यासपरिपाकाद्भवतीति 'दानेन' विवेकख्यात्या कार्येण सोऽपि सङ्गृहीतः। सेयम्पञ्चमी सिद्धिः 'सदामुदितम्' उच्यते ॥ यानी और 'दान' पद की निष्पत्ति 'शोधन' अर्थ

वाली दैप् धातु से होने के कारण उसका अर्थ विवेक-ज्ञान की शुद्धि है, जैसा कि भगवान् पतंजलि ने कहा है: शुद्ध विवेक ज्ञान दुख-त्रय के विनाश का उपाय है। 'अविप्लव' का अर्थ है 'शुद्धि', और यह 'शुद्धि' है संदिग्ध और विपरीत ज्ञान तथा उनके संस्कारों का परिहार होने पर विमल (अर्थात् संशय, विपर्यय इत्यादि से रहित) हुए चित्तवृत्ति-प्रवाह में विवेक-ज्ञान की अवस्थापना। ऐसी 'शुद्धि' निष्ठापूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक अनुष्ठान किए गए ज्ञानाभ्यास के परिपाक के बिना नहीं होती। इसलिए 'दान'—अर्थात् ज्ञानाभ्यास से उत्पन्न शुद्ध विवेक ख्याति में वह (अभ्यास) भी अंतर्भूत है। यह पाँचवीं सिद्धि सार्वकालिक आनंद का हेतु होने के कारण 'सदामुदित' कहलाती है (मिश्र, 1956, पृष्ठ-192)।

वाचस्पति मिश्र की दृष्टि में मौलिक अनुसंधान की प्रविधि

64वीं कारिका की टीका में वाचस्पति मिश्र मौलिक अनुसंधान की प्रविधि बताते हैं। सांख्य की 64वीं कारिका है—

एवं तत्त्वाभ्यासान्नाऽस्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्।
अविपर्याद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्॥

यानी तत्त्व-विषयक ज्ञान के सतत अनुशीलन (अभ्यास) से संपूर्ण, संशय एवं विपर्यय से रहित विशुद्ध एवं अमिश्रित विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान विशुद्ध क्यों होता है? इस प्रश्न के उत्तर में वाचस्पति मिश्र कहते हैं—भ्रम-विहीन होने के कारण। संदेह और भ्रम ही ज्ञान-विषयक अशुद्धियाँ हैं, उनसे रहित होने के कारण उपयुक्त ज्ञान विशुद्ध होता है। उपयुक्त या वैध ज्ञान वह है, जो प्रमाणित या सिद्ध किया जा सके। प्रमाण के तीन प्रकार हैं—'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' तथा 'शब्द' या 'आगम'। सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र टीका करते हुए कहते हैं कि इन्हीं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणों में अन्य सभी प्रमाणों के अंतर्भूत हो जाने के कारण लौकिक प्रमाण तीन ही हैं। सांख्य शास्त्र मुख्यतः प्रमेय-शास्त्र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं। परंतु प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से ही होने के कारण इनकी आवश्यकता सांख्य-शास्त्र को भी है ही।

'सांख्यतत्त्वकौमुदी' में वाचस्पति मिश्र यह सीख भी देते हैं कि शोधार्थी को पूर्वग्रह से मुक्त होना चाहिए। सांख्य-कारिका में अनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र का भिन्न मत रहा, किंतु उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। अठारहवीं कारिका में पुरुष का बहुत्व सिद्ध करने के लिए दिए गए तर्क इतने कमजोर हैं कि वाचस्पति मिश्र सहजता से उनकी तीखी आलोचना कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अपितु गंभीरतापूर्वक उसका विवेचन प्रस्तुत किया है। आलोच्य पुस्तक में लेखक त्रय ने भी पूर्वग्रह से अपने को भरसक बचाया है।

अभिनवगुप्त की अनुसंधान पद्धति

वाचस्पति मिश्र की भाँति अभिनवगुप्त ने भी भारत की अनुसंधान पद्धति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी कृति 'अभिनव भारती' को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली शोध की दस विधियों का वर्णन इस प्रकार किया है (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ -85) :

1. स्वीकार्य/प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना।
2. दूसरों को पहचानना/चिह्नित करना (अनिवार्य सामग्री)।
3. आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ सामग्री को सार्थकता प्रदान करना।
4. प्रासंगिक सामग्री के भीतर विरोधाभासों को संबोधित करना।
5. मूल कार्य की भावना को अक्षुण्ण रखना।
6. वर्तमान कार्य के उद्देश्य/लक्ष्य के अनुरूप होना।
7. बहुअर्थी शब्दों/वाक्यों पर विचार-विमर्श।
8. जहाँ भी लागू हो, दोहराव के संबंध/एकता की व्याख्या करना।
9. वैध समाधान/निष्कर्ष पर पहुँचना।
10. कार्य को अत्यंत संक्षिप्तता से पूरा करना।

इसमें हर विधि का विशेष महत्त्व है। आलोच्य पुस्तक हर बिंदु का वृत्तांत प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए आखिरी बिंदु की बात करते हुए पुस्तक कहती है कि संक्षिप्तता अच्छे शोध लेखन की पहचान है। यद्यपि एक शोधकर्ता के लिए यह आकर्षण हो सकता है कि वह अपने शोध प्रबंध में वह सब शामिल करे जो संभव है, किंतु यह हमेशा वांछनीय है कि वह केवल मुख्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करे। अत्यधिकता एक शोध कार्य को लक्षित समूह के लिए भ्रमित होने के खतरे में डालती है। शोध प्रबंध का केंद्रीय विचार दब जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा, अत्यधिकता के कारण शुरुआत में ही लक्षित समूह की पढ़ने की रुचि कम हो सकती है। इसलिए अनुसंधान कार्य को शोध उद्देश्य के अनुरूप अत्यंत संक्षिप्तता के साथ पूरा करना चाहिए (चौधरी और भट्टाचार्य, 2023, अध्याय-3, पृष्ठ-93)।

अभिनवगुप्त कृत 'अभिनव भारती' भरतमुनि कृत 'नाट्यशास्त्र' की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। 'नाट्यशास्त्र' भारतीय काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएँ काव्य के अंतर्गत आती हैं। भरत मुनि ने 'नाट्यशास्त्र' के पहले अध्याय के 116वें श्लोक में कहा है :

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥

यानी न कोई ऐसा ज्ञान है, न शिल्प, न ऐसी कोई विद्या, न कला, न योग और न ही कोई कर्म है जो नाट्य में न पाया जाता हो।

डॉ. कपिल कुमार भट्टाचार्य ने इसे ध्यान में रखते हुए 'स्पीच यूटिलिटी इन द नाट्यशास्त्र' शीर्षक अध्याय में 'नाट्यशास्त्र' में मौखिक तथा अमौखिक संचार, वाक् उपयोगिता और अन्य भाषिक पहलुओं का वर्णन किया है। डॉ. भट्टाचार्य ने 'फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नाट्यशास्त्र' शीर्षक अध्याय में संदेश सामग्री संबंधी भरत मुनि की दृष्टि और उनकी संचार रणनीति का गंभीर विवेचन किया है। डॉ. भट्टाचार्य ने 'ह्यूमन इंटेलीजेंस एंड ईमोशन इन कम्युनिकेशन' शीर्षक अध्याय में मानव संचार में बुद्धिमत्ता और भावना की परस्पर क्रिया का उत्तम भाष्य किया है। उन्होंने रस और भाव की विशद व्याख्या की है। 'नान वर्बल कम्युनिकेशन' : यूटिलाइजिंग द ह्यूमन बॉडी इन द नाट्यशास्त्र' शीर्षक अध्याय में अशाब्दिक संचार-नाट्यशास्त्र में मानव शरीर के उपयोग का विवरण है।

संचार के छह सिद्धांत

भारतीय काव्य शास्त्र ने रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य को छह संप्रदायों के रूप में स्वीकृति दी है। इन छह संप्रदायों को ही संचार के छह सिद्धांत मानना चाहिए। आलोच्य पुस्तक के अनुसार इन छह सिद्धांतों को समझकर ही प्राचीन भारतीय संचार की सैद्धांतिकी और

व्यवहार को समझा जा सकता है। भरत मुनि न केवल भारतीय नाट्यशास्त्र के आदि आचार्य हैं, बल्कि उनका ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' काव्यशास्त्र का भी आदि ग्रंथ है। भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएँ काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस लिहाज से नाटक भी काव्य का एक रूप है। भरत मुनि नाटक को सभी काव्यों में उत्कृष्ट मानते हैं। नाटक को पाँचवाँ वेद मानने के पीछे भी यही धारणा रही है। कहते हैं कि त्रेतायुग में दुख और आपदा से पीड़ित लोगों को ध्यान में रखकर इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों के मनोरंजन व आनंद के लिए पाँचवें वेद का सृजन किया। ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर ब्रह्मा ने पाँचवें वेद नाट्यवेद की रचना की। भारतीय नाट्य-मीमांसा के आधारभूत ग्रंथ के रूप में भरतमुनि का ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' नाटक, संगीत, छंद, अलंकार, रस आदि नाटक के सभी पक्षों के विशद सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। 'नाट्यशास्त्र' पर सबसे प्रामाणिक टीका अभिनव गुप्त ने 'अभिनवभारती' के रूप में लिखी है। अभिनव गुप्त ने 'नाट्यशास्त्र' के 36 अध्याय माने हैं। 'नाट्यशास्त्र' में विषय-वस्तु पात्र, प्रेक्षागृह, रस, अलंकार, वृत्ति, अभिनय, भाषा, नृत्य, गीत, बाह्य, पात्रों के परिधान, प्रयोग के अलग वर्ग, भाव, अभिनय, शैली, सूत्रधार विदूषक, गणिका, नायिका, नाट्य-पात्रों की अपेक्षित कुशलता आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। नाटक को दृश्य-काव्य भी कहा गया है, जिसमें अभिनय की प्रधानता होती है। भरत मुनि ने नाटक के चार प्रमुख अवयव बताए हैं : कथावस्तु, नायक और पात्र, रस तथा अभिनय। उनके अनुसार नाटक का प्रमुख उद्देश्य कथावस्तु का संगठन है। संवाद और अभिनय द्वारा कथानक का उद्घाटन होता है।

रस सिद्धांत : भरत मुनि का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूत्र है—'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद् रस निष्पत्ति:' अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह रस के चार अवयव हैं—स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। इसे और स्पष्ट करते हुए भरतमुनि ने कहा है कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों से युक्त होने पर भोजी अपने भोजन में एक विशेष स्वाद का अनुभव करता है, उसी प्रकार रसिक जन अनेक भावों से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं। यही रसानुभूति है। 'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक रस को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संचार सिद्धांत मानती है। 'नाट्यशास्त्र' के छठे अध्याय में आठ रसों का उल्लेख है, जबकि 24वें अध्याय में शांत रस का उल्लेख है। इस तरह नौ रसों का उल्लेख मिलता है। अभिनवगुप्त ने भी शांत की गणना रसों में की है।

अलंकार सिद्धांत : अलंकार का सामान्य अभिप्राय है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण को धारण करने से स्त्री के सहज सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी तरह अलंकार के प्रयोग से रचना के सौंदर्य में वृद्धि होती है। जैसे किसी समाचार पत्र की सुंदर साज-सज्जा से उसका सौंदर्य बढ़ जाता है।

रीति सिद्धांत : रीति का अभिप्राय मार्ग, पंथ, पद्धति, प्रणाली, शैली है। यानी संचारकर्ता जिस कथन या संदेश का संचार करना चाहता है, वह किस भंगिमा से करता है, यह महत्त्वपूर्ण है। वह भंगिमा रचनाकार की शैली बन जाती है। यह रीति सिद्धांत है।

ध्वनि सिद्धांत : इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय आनंद वर्धन को है। ध्वनि की प्रेरणा वैयाकरणों के स्फोटवाद से मिली। जिस प्रकार शब्द के अलग-अलग वर्णों के उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिधा या लक्षणा के द्वारा भी संपूर्ण अर्थ या अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अभिप्रेत अर्थ व्यंजना के द्वारा प्राप्त होता है। अभिधा और लक्षणा के उपरांत व्यंजना से ध्वनित होनेवाला यह इष्ट अर्थ ही ध्वनि है। इसमें वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि का बहुत महत्त्व है।

वक्रोक्ति सिद्धांत : कवि की रचनात्मक क्षमता से निकलनेवाली वक्रोक्ति पाठक को सौंदर्यपरक आनंद प्रदान करती है। इस प्राचीन सिद्धांत के प्रतिष्ठाता कुंतक हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से वक्रोक्ति शब्द के दो घटक हैं—'वक्र' और 'उक्ति'। वक्रता शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार की होती है। इसी से अर्थ चमत्कृत हो उठता है।

औचित्य सिद्धांत : इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय क्षेमेंद्र को दिया जाता है, किंतु भरत मुनि और दूसरे आचार्यों ने भी औचित्यपूर्ण प्रयोग के महत्त्व पर बल दिया है। भरत मुनि ने नाटकीय प्रसंग में भाषा, पात्र, वेश-भूषा के औचित्यपूर्ण प्रयोग पर प्रकाश डाला है। क्षेमेंद्र के अनुसार उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। रचना में प्रत्येक तत्त्व का उचित रूप से प्रयोग ही औचित्य कहलाता है। अलंकार और गुण का भी उचित प्रयोग किया जाएगा तभी वे अलंकार और गुण कहलाएँगे। आनंद वर्धन ने भी अलंकार, गुण, संघटना, प्रबंध, रीति और रस के औचित्य पर प्रकाश डाला है और कहा है कि अनौचित्य ही रस के नाश का सबसे बड़ा कारण है।

वैदिक संचार

संचार में श्रुति माध्यम का बहुत महत्त्व है। 'श्रुति' का अर्थ है 'सुना' हुआ। वेद को श्रुति भी कहते हैं। 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स फ्राम द वेदाज एंड उपनिषद्स' शीर्षक अध्याय में विप्लव लोहो चौधरी ने कहा है कि वेदों ने लोगों के बीच उद्देश्यपूर्ण संचार का विराट फलक रचा (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-99)। वेद का अर्थ है—ज्ञान। कहा जाता है कि भगवान से ऋषियों, ऋषियों से शिष्यों और इसी तरह से आमजनों तक वेदों का ज्ञान पहुँचा। वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋक को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र की रचना हुई।

ऋग्वेद : ऋक् अर्थात् स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का उल्लेख है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है।

यजुर्वेद : यजुर्वेद का अर्थ : यत् + जु = यजु। यत् का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म। श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्त्वज्ञान का वर्णन है। आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान करानेवाला यह वेद गद्य मय है। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया के

लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की दो शाखाएँ हैं शुक्ल और कृष्ण।

सामवेद : साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत। सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएँ हैं, 75 ऋचाएँ हैं।

अथर्ववेद : थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का उल्लेख है। इसके आठ खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद, ये दो नाम मिलते हैं।

विप्लव लोहो चौधरी ने 'कम्युकेशन पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द वेदाज एंड उपनिषद्स' शीर्षक अध्याय में वैदिक संचार, ऋग्वेद में संचार विवेक, सामवेद और यजुर्वेद में संचार व्यवहार तथा अथर्ववेद में वाक् नीतिशास्त्र पर सम्यक् प्रकाश डाला है। इस अध्याय में लेखक ने कहा है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में वाक् को सर्वोच्च स्थान दिया गया है (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-114)। ऋग्वेद में वाक् की महिमा प्रतिपादित है। वाक् को परमव्योम ब्रह्म कहा गया है। वाक् से अक्षर क्षरित होता है। वाक् वाणी की शक्ति है। संचार के श्रव्य माध्यम में वाक् का महत्त्व सर्वाधिक है। विप्लव लोहो चौधरी 'वाक्यपदीयम्' में भर्तृहरि की इस घोषणा को उद्धृत करते हैं—यह वाणी है जो सभी मानव जाति को गतिविधि में प्रेरित करती है। इस शक्ति के बिना मनुष्य एक लकड़ी के लट्ठे या पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं है (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-149)।

ऋग्-वैदिक ऋषि इस पेचीदगी की जाँच कर रहे थे कि ऋचाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुँचाकर कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। उन्होंने संचार के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऋचाओं को यादगार बनाया। साम वैदिक ऋषि मधुर प्रदर्शन के लिए ध्वनि के सभी गुणों को उसकी परिवर्तनशील तरंगों में उपयोग करने में लगे हुए थे। उन्होंने आवाज की गति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया कि कैसे यह स्मृति पथ में मददगार हो (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-149)।

शोध वैध ज्ञान या सत्य के संधान के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है—एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। यानी सत्य एक है जिसे प्राप्त करने के लिए विद्वान अलग-अलग मार्ग का अनुसरण करते हैं। सत्य का भाष्य अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग ढंग से किया जाता रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है—सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः (सत्य बोलना, धर्मसम्मत कर्म करना, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करना)। मुंडकोपनिषद् में कहा गया है—सत्यमेव जयते (सत्य की ही जीत होती है)। वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है—असतो मा सद् गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय (मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो)। महाभारत में विदुर कहते हैं—सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याऽभ्यासेन रक्ष्यते। मृज्यया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते।। (धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण आचरण करने से होता है)। चंडीदास कहते हैं—सबार ऊपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपरे नाई (सबसे ऊपर मानुष सत्य है, उसके ऊपर कोई नहीं)। आधुनिक काल में महात्मा गांधी सत्य को ईश्वर कहते हैं।

संवाद और शास्त्रार्थ की प्राचीन भारतीय परंपरा

संचार की सार्थकता सत्य को प्रकाशित करने में है। संचार में सत्य का जितना महत्त्व है, उतना ही संवाद का। हमें वेदों से पता चलता है कि बिलकुल आरंभिक काल में भी राष्ट्रीय जीवन के सब कार्य सार्वजनिक समूहों और संस्थाओं आदि के द्वारा हुआ करते थे और उस प्रकार की सबसे बड़ी संस्था हमारे वैदिक काल के पूर्वजों की 'समिति' थी। राज्य संबंधी विषयों अथवा मंत्रों पर समिति में विचार हुआ करता था। समिति में जो वाद-विवाद-संवाद होते थे, उनमें वक्ता इस बात के आकांक्षी होते थे कि समिति में जो लोग उपस्थित हों, उन्हें उनके भाषण सुंदर और प्रिय जान पड़ें। प्रत्येक वक्ता समिति में अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। समिति में समय-समय पर राजनीति के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी वाद-विवाद हुआ करते थे। वाद-विवाद की उन्नत अवस्था, वाद-विवाद करने का पूर्ण अधिकार, दूसरों की सम्मति पर विजय प्राप्त करने की वक्ता की चिंता आदि बातें उच्च कोटि की संचार व्यवस्था और सभ्यता की सूचक हैं। वैदिक युग में तथा उसके उपरांत इसी प्रकार की एक और संस्था थी जो सभा कहलाती थी। वह भी एक सार्वजनिक संस्था थी। सभा में सबके एक मत होने के संबंध में जो प्रार्थना की गई है, उससे जान पड़ता है कि सभा में होने वाला विरोध अथवा मतभेद भी उतना ही अधिक अप्रिय समझा जाता था, जितना कि समिति में विरोध या मतभेद।

'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक बताती है कि भारत में संवाद और शास्त्रार्थ की कितनी पुरानी परंपरा रही है और उसमें नैतिकता का कितना ऊँचा स्थान रहा है। ऋग्वेद में सरमा-पणि का संवाद याद किया जा सकता है। इसी तरह विश्वमित्र-नदी, यम-यमी, यमराज-नचिकेता संवाद, अगस्त्य-लोपामुद्रा, पुरुरवा-उर्वशी, गरुड़-काकभुशुंडि, शिव-पार्वती, कृष्ण-अर्जुन संवाद को हम देख सकते हैं। शंकराचार्य और मुंडन मिश्र का शास्त्रार्थ तो बहुत प्रसिद्ध है।

उपनिषदीय संचार

अनेक उपनिषद् कथाएँ संवाद शैली में हैं। 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स' शीर्षक अध्याय में विप्लव लोहो चौधरी ने उपनिषदों के संचार परिप्रेक्ष्य का विशद विवेचन किया है। संवाद और कथा के माध्यम से ज्ञान का सृजन कैसे होता है, इसके दृष्टांत हैं उपनिषद्। श्री चौधरी ने अध्ययन की सुविधा में यह भी बताया है कि किस वेद से किन प्रमुख उपनिषदों का अंग-संबंध है : ऋग्वेदीय-ऐतरेय, यजुर्वेदीय-कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, ईश और बृहदारण्यक, सामवेदीय-छांदोग्य और केन, अथर्ववेदीय-मुंडक, प्रश्न और मांडूक्य। ईश सबसे छोटा उपनिषद् है। इसमें केवल 18 श्लोक हैं, परंतु इसमें ब्रह्म-विद्या का पूरा सार-तत्त्व आ गया है। केन उपनिषद् में कहा गया है कि ब्रह्म-ज्ञान के रहस्य का मूल है—तप, इंद्रिय-दमन और कर्तव्यकर्म। कठ उपनिषद् का आरंभ प्रसिद्ध नचिकेता की कथा से होता है, जिसे यम ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया था। मुंडक उपनिषद् में अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। मांडूक्य उपनिषद् में वाच्य और वाचक की एकता दिखाई गई है। छांदोग्य उपनिषद् में जानश्रुति, सत्यकाम, उपकोशल, श्वेतकेतु, अश्वपति आदि की ज्ञानवर्द्धक कथाएँ हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में द्रप्त बालाकि-कथा, मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य संवाद और जनक-याज्ञवल्क्य संवाद है। प्रश्न उपनिषद् में छह प्रश्न आए हैं,

जिनको सुकेश, सत्यकाम, सौर्यायणी, कौशल्य, वैदर्भि और कबंधि जैसे जिज्ञासुओं ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा था। पिप्पलाद ऋषि ने तुरंत उत्तर नहीं दिए, अपितु अपने यहाँ एक वर्ष रहने को कहा, ताकि प्रश्नकर्ता की पात्रता (अनुशासन, संयम और आस्था जैसे गुणों का विकास) उनमें वे विकसित कर सकें (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-136)।

'ट्रुथफुलनेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स फॉर स्पीच इन एंशिएंट इंडिया' शीर्षक अध्याय में कहा गया है कि भारत में सत्यता वक्तृता का पहला मानदंड था (राव, 2023, अध्याय 5, पृष्ठ-155)। 'डिबेट्स, डायलॉग एंड डिस्कसन : वाद' शीर्षक अध्याय में प्राचीन भारत में वाद-विवाद-संवाद में संचार की शक्ति और उसके सिद्धांत का विवेचन करते हुए रमेश राव इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ पाँच सहस्राब्दियों से जारी वाद-विवाद में सत्य, लौकिक या पारलौकिक तरीकों की खोज में भारतीय संतों, शिक्षकों, विद्वानों और नेताओं के योगदान को कोई भी कम नहीं कर सकता या नकार नहीं सकता (राव, 2023, अध्याय-6, पृष्ठ-237)। यह अध्याय बताता है कि सार्वजनिक रूप से बहस करने के लिए बनाए गए नियम कितने सख्त थे और झगड़ा करने, झूठ बोलने, धोखा देने, उलझाने और ध्यान भटकाने की मानवीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर वे नियम बनाए गए थे। 'ट्रुथफुलनेस एंड स्टैंडर्ड आफ इथिक्स फॉर स्पीच इन एंशिएंट इंडिया' शीर्षक अध्याय में रमेश राव ने प्राचीन भारत में वक्तृता के लिए सत्यता और नैतिकता के मानकों का संधान किया है। उन्होंने सनातन धर्म में नैतिकता, भारतीय आचार के सूत्र, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य : पुरुषार्थ, धर्म : अवैयक्तिक कानून, सामाजिक मानदंड, कर्तव्य और सदाचार, वाणी के गुण और दोष, धर्मसूत्रों में वाणी और सत्य, महाकाव्य महाभारत और रामायण में वाणी और सत्य की विशद विवेचना की है।

भारतीय चिंतन वाक् केंद्रित रहा है और वाक् की शुद्धता पर यहाँ सर्वाधिक बल दिया जाता है। पतंजलि ने कहा है—'एक: शब्द: सम्यक् ज्ञात: सप्रयुक्त: स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति' (पातंजल महाभाष्य, प्रथम आह्निक)। प्रत्येक शब्द का सटीक अभिप्राय समझनेवाला और उसका शुद्ध उच्चारण करनेवाला धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी मन की इच्छा पूरी कर लेता है। शब्द का सटीक प्रयोग कैसे हो, इसे समझने की दृष्टि पाणिनि देते हैं। पाणिनि ने शब्द का प्रयोग पारिभाषिक तथा अपारिभाषिक दोनों अर्थों में किया है—'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा' (अष्टाध्यायी, 1-1-68) और वचोऽशब्दसञ्ज्ञानाम् (अष्टाध्यायी, 7-3-67)। भर्तृहरि ने कहा कि शब्द प्रत्येक प्रत्यय के पूर्व है। प्रत्येक ज्ञान शब्दबद्ध होकर ही ग्राह्य बनता है—'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धं इव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते' (वाक्यपदीयम् 1.131)॥ 'भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका' शीर्षक निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने सटीक लिखा है कि भारतीय चिंतन की भाषा व्याकरणमूलक है। पश्चिमी चिंतन की तरह गणितमूलक नहीं। गणित स्वयं यहाँ व्याकरणमूलक है (मिश्र, 2015, पृष्ठ-680)। इसीलिए व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। यदि भारत की विवर्तमान ज्ञान राशि में पैठना है तो यह केवल व्याकरण के द्वार से ही संभव है (मिश्र, 2015, पृष्ठ-680)।

'नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक वेदों के समय से लेकर नाट्यशास्त्र और शब्दतत्त्व काल से लेकर आज तक संचार के चार सिद्धांतों, चार चरणीय संचार सिद्धांत और समब्रह्म-वृत्ति ज्ञापन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए पुराने और समकालीन प्रमाण (अनुभव-साक्ष्य) आधारित सिद्धांत प्रस्तुत करती है। आलोच्य पुस्तक दुनिया भर में संचार में विकास और सिद्धांत के लिए भारतीय विद्या की मौलिकता को सिद्ध करती है और भारतीय संचार शास्त्र को स्थापित करने के लिए दर्शन, विज्ञान (तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान), कला (प्रदर्शन और दृश्य), विकास अध्ययन, भाषा विज्ञान (शब्दार्थ विज्ञान आदि) का आश्रय लेती है। हालाँकि यह पुस्तक मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र पर केंद्रित है, किंतु वेदों, उपनिषदों, धर्मसूत्रों, रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाली संचार अवधारणाओं की भी खोज और व्याख्या करती है। इस क्रम में पुस्तक विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों से उपलब्ध प्राचीन भारतीय संचार ज्ञान से रूबरू कराती है।

विप्लव लोहो चौधरी का चार चरणीय संचार सिद्धांत

इस पुस्तक से यह सिद्ध होता है कि भारत अपने पुराने ज्ञान से अनुप्राणित होकर संचार अध्ययन के सार्वभौमिक सिद्धांत, प्रतिरूप और ढाँचे का निर्माण कर सकता है। इस पुस्तक ने इसे करके दिखाया भी है। विप्लव लोहो चौधरी ने ऋग्वेद, आदि शंकराचार्य के चिंतन और अन्य भारतीय लेखन से अनुप्राणित होकर समब्रह्म वृत्ति प्रक्रिया (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-148) और चार चरणीय संचार सिद्धांत (चौधरी, 2023, अध्याय-4, पृष्ठ-147) विकसित किया है। इस तरह उन्होंने पश्चिमी संचार सिद्धांत की रैखिकता की सीमा का हल ढूँढ़ा है। चार चरणीय संचार सिद्धांत में विप्लव लोहो चौधरी बताते हैं कि एक संचारक परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार चरणों से गुजरकर संचार की क्रिया को पूरा करता है और संप्रेषणार्थी (जिससे संचार किया जाता है) श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्फोट के चरणों से गुजरकर संदेश को ग्रहण कर इतना समृद्ध हो जाता है कि स्वयं संचारक बन जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। वाणी के चार स्तर होते हैं—परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मनुष्य केवल चौथे स्तर वैखरी में बोलते हैं। वैखरी से सूक्ष्म मध्यमा है। कुछ कहने से पहले उसके बारे में हमारा मन सोच लेता है। पश्यंती संज्ञानात्मक है। जहाँ शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं, वह परा, अनकहा ज्ञान है जो इन सबके परे है। इसे उलट क्रम में कहें तो वाणी का उद्भव परा से होता है। पश्यंती में उसकी शाखाएँ फूटती हैं। मध्यमा में वह पुष्पों से लद जाती है और वैखरी में वह फलित होती है। लोहो चौधरी के जनसंचार सिद्धांत को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि उनके द्वारा विकसित समब्रह्म वृत्ति प्रक्रिया का उपयोग पत्रकारिता में गुणवत्तापूर्ण संचार के लिए किया जा सकता है।

कपिल कुमार भट्टाचार्य का नाट्यशास्त्रीय आलोचनात्मक ढाँचा

इसी तरह आलोच्य पुस्तक में भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से अनुप्राणित होकर कपिल कुमार भट्टाचार्य ने गुण और दोष के आधार पर अच्छे व बुरे संचार व्यवहार का नाट्यशास्त्रीय आलोचनात्मक ढाँचा प्रस्तुत किया है (भट्टाचार्य, 2023, अध्याय सात, पृष्ठ-250-253)। इसमें श्री भट्टाचार्य कहते हैं कि भरतमुनि के अनुसार कोई भी संदेश दोषरहित नहीं हो सकता, परंतु गुणों के संयोग से दोषों के प्रभाव को कम करना संभव है। इसलिए एक वक्ता को किसी अवसर के लिए उपयुक्त गुणों के प्रयोग से दोषों का प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए। भरतमुनि यह भी कहते हैं कि अच्छे

वक्तृता की पहचान छह विशेषताओं की मौजूदगी में निहित है—अनुकूल शब्दों एवं अर्थों की विपुलता, अस्पष्ट और कठिन शब्दों की अनुपस्थिति, श्रोताओं के लिए आसानी से समझने योग्य वक्तव्य, वक्तृता के अनुकूल गैर मौखिक हाव-भाव, विभिन्न आवश्यक भावनाओं का विधिवत समायोजन और उपयुक्त परिच्छेद का यथोचित स्थान पर संयोजन।

वाचन के गुण-दोष की सटीक पहचान भारतीय मनीषा ने भी की है। पाणिनीय शिक्षा के सातवें खंड के 32 वें श्वोक में वाचन करनेवाले के छह दोषों को इस तरह गिनाया गया है :

गीती शीघ्री शिर:कम्पी यथालिखित पाठक:।
अनर्थज्ञऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाथमा:।।

यानी गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमी आवाज में पढ़ना ये वाचक के छह दोष हैं। पाणिनीय शिक्षा के सातवें खंड के 33 वें श्वोक में शास्त्रकार ने वाचन के छह गुण भी बताए हैं :

माधुर्यअक्षरंव्यक्ति: पदच्छेदस्तुसुस्वर:।
धैर्यं लयसमत्वं च षडेते पाठके गुणा:।।

यानी मधुरता के भरपूर, परिस्फुट अक्षरों से युक्त, पदच्छेद पर विचार करते हुए, अच्छे स्वर में, धैर्यपूर्वक, समान लय से पढ़ना ये वाचक के छह गुण हैं।

भारत की अनुसंधान संदर्भ शैली विकसित करने की जरूरत

'नाट्यशास्त्रः ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस' पुस्तक के लेखकों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि अब वे भारत की अनुसंधान संदर्भ शैली विकसित करने का यत्न करेंगे, क्योंकि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों तथा शोध केंद्रों में अनुसंधान में संदर्भ की विदेशी शैलियाँ अपनाई जा रही हैं, जो संख्या में मुख्यतः पाँच हैं—एम.एल.ए. (माडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका), ए.पी.ए. (अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएशन), शिकागो, बैंकुवर और हार्वर्ड। इन शैलियों में बताया गया है कि संदर्भ में पुस्तक या पत्रिका के नाम, शीर्षक, लेखक या संपादक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष को किस तरह लिखना चाहिए।

भारत में अनुसंधान में साधारणतया दो प्रकार की संदर्भ व्यवस्थाएँ अपनाई जाती रही हैं। एक, नोट व्यवस्था तथा दूसरी, कोष्ठकबद्ध व्यवस्था। नोट व्यवस्था में टिप्पणी क्रमानुसार दी जाती है। फुट नोट्स किसी विचार-अभिमत की पुष्टि अथवा खंडन में, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण में सहायक होते हैं। नोट व्यवस्था में शिकागो एवं एम.एल.ए. शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कोष्ठकबद्ध व्यवस्था में आंशिक संदर्भ रहता है, जो पाठ के अंतर्गत कोष्ठक में दिया जाता है। पूरा संदर्भ अंत में दिया जाता है। इस व्यवस्था को हार्वर्ड व्यवस्था/लेखक-दिनांक व्यवस्था भी कहा जाता है। कोष्ठकबद्ध व्यवस्था में ए.पी.ए., हार्वर्ड और बैंकुवर संदर्भ शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कहने की जरूरत नहीं कि भारत की अपनी अनुसंधान संदर्भ शैली विकसित करने की भी बहुत जरूरत है।

अंत में एक जरूरी सलाह—देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों या नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्था या पुस्तक के मूल प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस को तत्काल इस पुस्तक के हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने की पहल करनी चाहिए, ताकि भारतीय भाषाओं में भारतीय संचार सिद्धांत और अनुसंधान पद्धति की पढ़ाई प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

संदर्भ

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-1 'कम्युनिकेशन विजडम : बिफोर, इन एंड बियॉण्ड द नाट्यशास्त्र'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-1.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-1 'कम्युनिकेशन विजडम : बिफोर, इन एंड बियॉण्ड द नाट्यशास्त्र'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-2.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-65.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-70.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-73.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-75.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-76.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-77.

चौधरी, बी.एल. और भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-3 'इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-93.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-99.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-114.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-149.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-136.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4, 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-147.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-4 'कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम द वेदाज एंड द उपनिषद्स'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-148.

चौधरी, बी.एल. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-11 'एक्सिम्स ऑफ : सेल्फ एविडेंसस'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-474.

भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-2 'अप्रोचिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम ऐन इंडियन पर्सपेक्टिव'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-56.

भट्टाचार्य, के.के. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-7 'फंडामेंटल्स ऑफ इन द नाट्यशास्त्र'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-250 से 253.

मिश्र, ए.पी. (1956). सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व कौमुदी की हिंदी व्याख्या. प्रयागराज : सत्यप्रकाशन मंदिर, पृष्ठ-4.

मिश्र, ए.पी. (1956). सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व कौमुदी की हिंदी व्याख्या. प्रयागराज : सत्यप्रकाशन मंदिर, पृष्ठ-191.

मिश्र, ए.पी. (1956). सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व कौमुदी की हिंदी व्याख्या. प्रयागराज : सत्यप्रकाशन मंदिर, पृष्ठ-191.

मिश्र, ए.पी. (1956). सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व कौमुदी की हिंदी व्याख्या. प्रयागराज : सत्यप्रकाशन मंदिर, पृष्ठ-192.

मिश्र, ए.पी. (1956). सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व कौमुदी की हिंदी व्याख्या. प्रयागराज : सत्यप्रकाशन मंदिर, पृष्ठ-192.

मिश्र, जी. (सं.). (2015). विद्यानिवास मिश्र रचना संचयन. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी. पृष्ठ-680.

मिश्र, जी. (सं.). (2015). विद्यानिवास मिश्र रचना संचयन. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी. पृष्ठ-680.

राव, आर. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-5 'ट्रुथफुलनेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स फॉर स्पीच इन एँसियंट इंडिया'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-155.

राव, आर. (2023). नाट्यशास्त्र : ए स्टडी ऑन कांटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्सिस में अध्याय-6 'डिबेट्स, डायलॉग्स एंड डिस्क्सेंस : वाद'. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-237.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 11-14, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

संचार-व्याकरण का आधार एकात्म मानव दर्शन

प्रो. ओमप्रकाश सिंह[1]

सारांश

संचार वास्तव में संप्रेषण प्रक्रिया है। इसी तरह व्याकरण संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है। दोनों के मध्य संबंध है, जिस पर विचार नहीं किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो संचार के जो चार प्रकार हैं, अर्थात् आभ्यंतर संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जन संचार, इनके विभाजन का स्रोत व्याकरण में वर्णित पुरुष अथवा 'परसन' है। इसी के आधार पर इन चार स्वरूपों पर विचार किया गया है। संचार दुनिया के समस्त जीव-जंतुओं में होता है और दुनिया के समस्त जीव-जंतु एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसका केंद्र आत्मा एवं परमात्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में व्यक्ति, सृष्टि, समष्टि तथा परमात्मा के मध्य एकात्मक संबंध को मुख्य माना है। इसी का विवेचन प्रस्तुत शोध आलेख में है।

संकेत शब्द : संचार-व्याकरण, एकात्म मानव दर्शन, आभ्यंतर संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि संचार का आशय संप्रेषण प्रक्रिया से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रणीत एकात्म मानव दर्शन कहता है कि व्यक्ति, सृष्टि, समष्टि एवं परमात्मा परस्पर एक हैं। आभ्यंतर संचार मनुष्य के अंदर होने वाला संचार है, जबकि अंतर व्यक्ति संचार कम-से-कम दो तथा पाँच सात व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार है। इसी प्रकार समूह संचार समूह के मध्य होने वाला संचार है और जन संचार खुला एवं समाज के अगणित श्रोताओं के मध्य संचार है। संचार मानव ही नहीं, समस्त प्राणियों की विशेषता है। संचार के बिना किसी भी प्राणी का समाज नहीं बन सकता। पशु-पक्षी सहित दुनिया के सभी जीव-जंतुओं का अपना समाज है। इसी कारण समाज सिर्फ मानव समाज की ही विशेषता नहीं है। पशु समाज में मानवीय समाज जैसी सभ्यता और संस्कृति की विशेषता भले नहीं हो, परंतु उनके गुण अवश्य ही परस्पर एक से होते हैं। मानव में शाकाहारी और मांसाहारी जैसे गुण मिलते हैं। लेकिन पशु समाज में कुछ पशु शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी होते हैं जैसे गाय, बैल, हाथी, भैंस, हिरण, घोड़े आदि शाकाहारी पशु हैं। इसके विपरीत, मोर, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया आदि मांसाहारी हैं। इतना ही नहीं पक्षियों, मछलियों आदि में भी इसी प्रकार के विभाजन मिलते हैं। भारतीय दर्शन की मान्यता के अनुसार सामान्य गुण की स्थिति में परस्पर आकर्षण होता है। यह पशु तथा मानव समाज दोनों की ही विशेषता है।

पशु को सिर्फ पशु मानकर समाज व्यवहार से भिन्न मानना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम एक स्थान पर बँधे घोड़े, हाथी, बैल आदि को बंधन मुक्त कर दें तो घोड़े-घोड़े के साथ, हाथी-हाथी के साथ, बैल-बैल के साथ खड़े होंगे। यह पशुता के बीच गुणों की समानता के आधार पर बने समाज की विशेषता है। इतना ही नहीं, घोड़े का हाथी से, हाथी का घोड़े से, बैल का भैंस से और भैंसे का गाय से यौन संसर्ग नहीं होता यह पशुता के बीच भी गुण एवं प्रवृत्ति की सीमा है। इन गुणों और प्रवृत्तियों के बीच पशुओं में परस्पर समता है। पशु समाज की समता जंगल में तो रहती है, परंतु ज्यों ही पशु मानव समाज की व्यवस्था से जुड़ता है, त्यों ही वह समता से विषमता का शिकार बन जाता है। पशुओं में समाज का कारण संचार है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने 'श्रीरामचरितमानस' में लिखा है कि '...समुझइ खग खगही कै भाषा' (तुलसीदास, संवत 2050)। अर्थात् पक्षी को पक्षी की ही भाषा समझ में आती है। समाज बनाने में भाषा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। पक्षी की भाषा पक्षी ही समझते हैं। पशु की भाषा पशु समझता है। इतना ही नहीं, जल में रहने वाली मछली, जल में रहने वाले अन्य जल-जंतुओं की भाषा समझती है। हम देखें तो पशु-पक्षी सहित समस्त जीव-जंतुओं में परस्पर संवाद होता है। इस प्रकार प्राणियों में होने वाले संवाद के मूल में क्या है? अर्थात् कौन सा तत्त्व है, जिसके कारण प्राणियों में संवाद होता है? इसी संचार/संवाद द्वारा फिर समाज बनता है। इस प्रश्न का उत्तर भारतीय दर्शन में है। जिसे हम एकात्म रूप में जान सकते हैं। भारतीय मनीषा ने पशु एवं मनुष्य के मध्य विद्यमान एकता के संदर्भों को भी खोजा है, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं :

आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेष: धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

अर्थात् भूख, निद्रा, भय और मैथुन (Sex) की प्रवृत्ति पशु और मनुष्य में समान है। यही संचार की आवश्यकता के आधार हैं। लेकिन पशु में मनुष्य की भाँति धर्म की प्रवृत्ति नहीं मिलती। यदि मनुष्य धर्म विहीन है तो वह मनुष्य नहीं पशु है, क्योंकि उसमें भी पशु की भाँति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ही रह जाता है। इस कारण मानव समाज में संचार का आधार भूख, निद्रा, भय एवं मैथुन से बढ़कर धर्म है। अब हमें पशु एवं मनुष्य को परस्पर अलग करने वाले धर्म पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में धर्म को लेकर काफी मतभेद है। धर्म की मूल प्रकृति छोड़ पूजा-पद्धतियों यानी रिलीजन (ऑक्सफोर्ड, 2003) को धर्म के रूप में मान्यता/व्यवहार करने से समस्या बड़ी हुई है। इसलिए धर्म के मूल अर्थ को समझना आवश्यक है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में धृ धातु से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है, धारण करना (आप्टे, 1996)। इस धारण करने का अर्थ गुण से है। इस सृष्टि में जो भी है, सब कुछ-न-कुछ मूल गुण धारण करता है। जैसे प्रकृति पंचतत्त्व धारण करती है- रूप (तेज), रस (जल), शब्द (आकाश), गंध (पृथ्वी), स्पर्श (वायु)। ये पाँच तत्त्व समस्त चर-अचर के आधार हैं। इनसे समस्त सृष्टि में एकत्व आता है। इनका परस्पर संतुलन प्रकृति है, लेकिन

[1]पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर, महामना मालवीय पत्रकारिता संस्थान, काशी विद्यापीठ, वाराणसी. ईमेल : opmgkvp@gmail.com

इनका असंतुलन विकृति है। उक्त पंचमहाभूत परस्पर अलग-अलग रहकर सृजन नहीं कर सकते, लेकिन इन पंचमहाभूतों के मिलने से सृष्टि अस्तित्व में आती है। इस प्रकार प्रकृति का धर्म है पंचमहाभूतों का समन्वय। इन पंचमहाभूतों का अपना अलग धर्म है। इस धर्म को हम गुण का पर्याय कह सकते हैं। जैसे आग का मूल गुण प्रकाश, जल का गुण द्रव स्वरूपा, हवा का प्रवाह, पृथ्वी का स्थिरता एवं आकाश का विराटता अथवा निरंतरता है। इसी गुण के अनुसार परस्पर पहचाने जाते हैं। ये पंचमहाभूत रूप (तेज), रस (जल), शब्द (आकाश), गंध (पृथ्वी) एवं स्पर्श (वायु) मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के आधार हैं।

ज्ञानेंद्रिय और एकात्म

ज्ञानेंद्रिय ही मानव समाज एवं संचार का आधार है। प्रत्येक इंद्रिय का एक धर्म अथवा आहार या आधार है। आँख का धर्म/आधार दृश्य है (देखना), कान का आधार/आहार या धर्म है ध्वनि/शब्द या सुनना, नासिका का धर्म/आहार या आधार है गंध, जिह्वा का धर्म या आहार/आधार है स्वाद एवं त्वचा का आहार/धर्म या आधार है स्पर्श (सिंह, 2012)। इस प्रकार मनुष्य की इंद्रियों का गुणधर्म ही मनुष्य की मनुष्यता का आधार है। उक्त पाँच इंद्रियों को गतिशील करने वाला मन है, जिसे उभयेंद्रिय कहा जाता है। मन ही ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करता है। पाँच ज्ञानेंद्रिय हैं अथवा पाँच कर्मेंद्रिय का संबंध अंतःकरण से है। इस अंतःकरण में मन, बुद्धि एवं अहंकार है। मन का गुणधर्म संयोजन है। मन संकल्प का आधार है। बिना संकल्प के मन गतिहीन ही रहता है। मन के नियोजन से ही व्यक्ति परम् श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अभ्यास से चंचल मन का निग्रह संभव है '…अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते' (गीता, संवत 2055)। इस प्रकार मन की चंचलता रोकने से इंद्रियों की चंचलता रुकती है तथा मनुष्य धर्मयुक्त आचरण करता है। यहाँ धर्मयुक्त आचरण का अभिप्राय मन एवं इंद्रियों की मूल गति से है। जैसे देखना आँख का धर्म है, किंतु ईश्वर अथवा श्रेष्ठता को देखने में उसका मूल धर्म प्रवृत्त होता है, परंतु अश्लीलता, नग्नता देखना अधर्म है। इसी प्रकार बुद्धि एवं अहंकार को ईश्वर एवं लोक से जोड़ना स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा धर्म है।

ईश्वर और लोक की श्रेष्ठता में अपने को समाहित करना धर्म पथ है। लोकोद्धार के लिए जिसने तथा जब और जिस समाज में कार्य किया, वही श्रेष्ठ हो गया। श्रीराम ने रावण, श्री कृष्ण ने कंस जैसी आसुरी शक्तियों का नाश कर लोक रक्षा का कार्य किया। इस प्रकार अहंकार के निज भाव को स्वार्थ से परमार्थ की ओर मोड़ना धर्म पथ है। इस पथ का सर्वोच्च भाव ईश्वरीय सत्ता से जोड़ना है। सभी धर्मों के लोग ईश्वर के लिए सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति से जिस परमानंद की प्राप्ति होती है, उसके विषय में अभी तक सुना है। उस मनुभूति की सत्यता के बाद सब छूट जाता है। उसी को कबीर कहते हैं कि जैसे गूँगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का वर्णन सुना नहीं सकता, ठीक वही स्थिति मनुष्य की, ईश्वर प्राप्ति के परमानंद में होती है। ऐसी स्थिति में सभी भेद और स्वार्थ मिट जाते हैं। यह भी एकात्म भाव है। इसे अध्यात्म भी कहते हैं। इसमें मनुष्य को एकात्मता का ही बोध होता है। इस स्थिति की प्राप्ति कबीर, नानक, रविदास, चैतन्य, मीरा, तुलसीदास ध्रुव, प्रह्लाद आदि को हुई। यह तो रही संतों की धारा। संत एकात्म होता है। इसी कारण स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर भी कोड़े के चिह्न उभरे, जिसे एक कसाई ने गाय की पीठ पर पीटकर उभारा था। ऐसा एकात्म सहज में नहीं मिलता, वरन् काफी परिश्रम और त्याग के पश्चात् ही मिलता है। इस दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का धर्म है ईश्वर सहज व्यवहार। मनुष्य का जीवन धर्म है, ईश्वरीय पथ का अनुसरण। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, संचालक एवं सहारक तथा नियंत्रक होने के साथ-साथ सृष्टि से परे तथा निर्लिप्त है। यही ईश्वरीय पथ का धर्म है। मनुष्य मायावश 50 या 100 वर्ष के लघु जीवन में अनंत काल तक के ऐश्वर्य को एकत्र करना चाहता है। यही एकात्म के विपरीत अनात्म भाव है। यह अनात्मभाव कुत्ते, बिल्ली और पशुओं में बोध नहीं होने के कारण विद्यमान है। इसके विपरीत स्वार्थी मनुष्यों में स्वार्थ के कारण एकात्म की जगह विकारात्म और स्वार्थी भाव है। यही एकात्म का विपरीत भाव है। इसी विपरीत भाव में इस समय की मानवता जी रही है। इसी से मुक्ति के लिए एकात्म भाव जरूरी है। इस एकात्म की प्राप्ति के लिए याज्ञवल्क्य प्रणीत धर्म के अर्थ को समझना होगा।

याज्ञवल्क्य ने कहा है—'यतोलोकानुदयो निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः' अर्थात् जिससे विश्व का कल्याण, निःश्रेयस (निःस्वार्थ) की प्राप्ति हो, वही धर्म है। धर्म की यह परिभाषा मनुष्य समाज के लिए है न कि अन्य या पशु समाज के लिए। इसी परमार्थवाद दृष्टि को धर्म माना गया है। अँग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म एक शब्द है, जिसका अर्थ है—Eternal Law of the Universe (सार्वभौम सत्य) (ऑक्सफोर्ड, 2003, पृष्ठ-240)। इसका स्रोत हिंदुत्व है। यह आक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2003 से लिखा है। इसी आक्सफोर्ड डिक्शनरी में Religion का अर्थ Way of Worship (उपासना पद्धति) है। इस प्रकार परमार्थवादी दृष्टि ही एकात्मा का आधार तथा मानव मात्र का धर्म अथवा गुणधर्म है। यही दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का आधार है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंतःकरण (मन, बुद्धि, अहंकार) + 5 ज्ञानेंद्रियाँ + 5 कर्मेंद्रिय युक्त मनुष्य + चित् (चैतन्य आत्म) = व्यष्टि माना है।

संचार की यात्रा अंतःकरण से बाह्य की ओर होती है। व्याकरण इस यात्रा का काल एवं अर्थवाची नियम है। इसका मूल आत्मा है। इस आत्मतत्त्व की अभिव्यक्ति का अनुभव लेने के लिए जो सर्वप्रथम रूप धारण करता है, वही चिति है। इसे ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। चिति और प्रकृति के मिलन से सृष्टि का प्रारंभ होता है और प्रकृति की मूल अवस्था समाप्त हो जाती है। तब प्रथम ही जो व्यक्त होता है वही है चित्त। इस कारण एकात्मता और संचार तथा व्याकरण का संबंध है। आत्मतत्त्व के अनुभव के पश्चात् सर्वप्रथम 'मैं' का बोध आता है तथा 'मैं' के साथ ही 'तुम' की भी अभिव्यक्ति होती है। इससे ही समूह एवं संचार के लिए 'वे', 'वह' एवं 'हम' आता है। इसे ही श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है—

मैं अरू मोर तोर तैं माया। जेहिवस कीन्हें जीव निकाया।।
गो गोचर जहंलगि मन जाई। सोसब माया जानेहु माई।।

(श्रीरामचरितमानस, अरण्यकांड)

इस प्रकार मैं और तैं का विस्तार ही संसार है। मैं, तू, वह, वे, हम इसी से लोक संचार तथा व्याकरण है, किंतु सबका आधार सब में विद्यमान आत्मा है और आत्मा का मूल एक है, परमात्मा। इस प्रकार परमात्मा का विस्तार जीव एवं जगत् है, किंतु जीव और जगत् का मूल और एकत्व ईश्वर है। यही बोध ही एकात्म है।

संचार और व्याकरण का एकात्म

संचार और व्याकरण में एकात्मता अथवा संबंध का विचार आवश्यक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने का कार्य भाषा करती है। भाषा के बिना संचार और व्याकरण का अस्तित्व नहीं। लेकिन भाषा के भी कुछ रूप हैं जहाँ संचार और व्याकरण भिन्न रूप में नजर आते हैं। भाषा जहाँ शब्द आधारित होती है, वहाँ संचार एवं व्याकरणपूरक रूप में रहते हैं। अशाब्दिक भाषा/शारीरिक भाषा (Body language) में संचार तो होता है और प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ व्याकरण गूढ़ तथा रहस्यवादी हो जाता है। हम पशुओं, पक्षियों की भाषा का अर्थ समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा उनके संचार को व्यक्त करती है। इस शारीरिक भाषा में व्याकरण नृत्य में प्रकट होता है। इसका उदाहरण है भगवान शिव के नृत्य से पाणिनि को मिले चौदह सूत्र, जिनसे दुनिया में व्याकरण का शुभारंभ है। इसका विवरण इस प्रकार है :

'नृत्यवसाने नटराजराजः ननाद ढक्का नवपञ्चवारम्'

या

'जब महेश डमरू बजा रहे कर रहे नृत्य अवसान,
सोई चतुर्दश ध्वनि बनी पाणिनि कह वरदान।'

(सिंह, 2012, पृष्ठ-246)

इस प्रकार भाषा और व्याकरण का संबंध तो लोक में सभी जानते हैं। लेकिन संचार और व्याकरण की भी निकटता पर विचार आवश्यक है। संचार और व्याकरण का प्रयोगकर्ता मनुष्य ही है। यही मुख्य एकात्मता है। दुनिया में संचार का अध्ययन-अध्यापन होता है। लेकिन संचार के वर्गीकरण का सूत्र मिलता नहीं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अर्थात् दुनिया के मानव समाजों में संचार के जो स्वरूप नजर आते हैं, उनके वर्गीकरण का सैद्धांतिक आधार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर मूल आधार व्याकरण निकला। संचार और व्याकरण में लिंग (Gender) एवं कर्ता/पुरुष (Person) का महत्त्व है। सबसे पहले पुरुष पर विचार करेंगे। दुनिया की सभी भाषाओं में तीन पुरुष मिलते हैं। अँग्रेजी में - First Person, Second Person एवं Third Person है। संस्कृत एवं हिंदी आदि भाषाओं में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं प्रथम पुरुष का वर्णन है। संस्कृत में 'मैं' और 'हम' (I/we) उत्तम पुरुष व 'तुम' (you) मध्यम पुरुष तथा 'वे' 'वह' (They/He/She) आदि प्रथम पुरुष हैं (पाठक, 1964)। यही चार शब्द दुनिया में मानव संचार के आधार हैं। व्याकरण भी इन्हीं पर आधारित है।

'मैं' और आभ्यंतर संचार

'मैं' उत्तम पुरुष है, क्योंकि 'मैं' ही संपूर्ण चिंतन का आधार है। भारतीय ज्ञान व दर्शन परंपरा में प्रारंभ कर्ता को उत्तम अथवा श्रेष्ठ कहा जाता है। यह उत्तम पुरुष (कर्ता) लोक व्यवहार तथा भाषा में 'मैं' (I) के रूप में व्यक्त होता है। इस 'मैं' की व्यापक प्रकृति है। 'मैं' में आभ्यंतर/अंतःकरण (मन+बुद्धि+अहंकार) के साथ-साथ 5 ज्ञानेंद्रिय, पाँच कर्मेंद्रिय एवं चिति (आत्म अभिव्यक्ति) सम्मिलित है। इसके साथ इसकी स्थूल अभिव्यक्ति शरीर है। यही इकाई 'मैं' है। इसी से 'मैं' आधारित संवाद प्रारंभ होता है। जब 'मैं' अकेला ही लोक एवं परलोक की अभिव्यक्ति/चिंतन आदि करता है तो उस एकाकी अवस्था में उत्पन्न संचार को हम आभ्यंतर (Intrapersonal) संचार की संज्ञा देते हैं। यह पहला संचार है। यही आभ्यंतर संचार सभी संचारों का मूल है। इस प्रकार व्याकरण का उत्तम पुरुष अर्थात् 'मैं और आभ्यंतर संचार एक ही हैं (सिंह, 2012, पृष्ठ 91-107)।

'तू' और अंतर्वैयक्तिक संचार

व्याकरण और संचार में 'तू' या 'तुम' का भी महत्त्व है। तुम/तू को व्याकरण में मध्यम पुरुष कहा गया है। 'तू', मध्यम पुरुष क्यों? यह एक प्रश्न है। इस पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि तू/you उत्तम पुरुष के समीप उपस्थित तो रहता है, लेकिन वह घटना अथवा संदर्भ के बीच मध्यस्थ जैसा होता है। 'तू', की विशेषता भी है। 'तुम' शब्द के प्रयोग में कम-से-कम 'मैं' के अतिरिक्त एक और एक से अधिक कुछ लोगों का होना जरूरी है। 'तू' की संख्या एक से अधिक होने पर 'तुम सब' का प्रयोग होता है। 'तुम' व्याकरण और संचार दोनों में श्रोता की भूमिका में होता है। इसी कारण इसे अंतर्वैयक्तिक संचार (Interpersonal Communication) की संज्ञा दी जाती है। इस अंतर्वैयक्तिक संचार का आधार मध्यम पुरुष/तुम/तू या you है। इस कारण संचार एवं व्याकरण परस्पर नजदीकी हुए (सिंह, 2012, पृष्ठ 109-120)।

'वे/वह' और समूह संचार

हिंदी के 'ये', 'यह' को क्रमशः They/He/She कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में वे/वह को प्रथम पुरुष कहा जाता है। इस प्रथम पुरुष की सीमा में ईश्वर-राम, कृष्ण आदि भी आते हैं। 'मैं' और 'तुम' में ईश्वर का स्थान नहीं है। 'यह' और 'वे' की सीमा व्यापक है। ईश्वर भी इसी संबोधन में है। इसी कारण इसे प्रथम पुरुष कहा गया। राम, कृष्ण, शिव आदि 'वह' अथवा 'वे' की सीमा में सम्मिलित हैं। ईश्वर सृष्टि का आधार है। इसी के साथ इतिहास और पुराण भी 'वह' तथा 'वे' की सीमा में हैं। इस कारण पूर्ववर्ती अथवा पहले का होने तथा सृष्टि का आदि व केंद्र होने के कारण प्रथम तथा प्रथम पुरुष की संज्ञा देना स्वाभाविक है। व्याकरण में वे/वह/वह सब आदि की कुछ विशेषताएँ भी हैं। वे/वह/वह सब के लिए समय एवं स्थान की दूरी किंतु कुछ सीमा तक ज्ञात भी रहते हैं। इस कारण वह/वे/वह सब संबोधन 'समूह' के लिए होता है। 'समूह संचार' इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार 'समूह संचार' और वे/वह सब/वह आदि परस्पर एक हैं। यही प्रथम पुरुष आधारित समूह संचार तथा व्याकरण की एकता का आधार भी है (सिंह, 2012, पृष्ठ 121-132)।

'हम' और जनसंचार

व्याकरण और संचार में 'हम'/we का महत्व है। हम व्याकरण में उत्तम पुरुष होते हुए बहुवचन है, लेकिन इसके मूल रहस्य पर विचार करें तो स्थिति स्पष्ट होगी। 'मैं' एक व्यक्तित्व/इकाई/आभ्यंतर की अभिव्यक्ति है। इस रहस्य को इस प्रकार समझ सकते हैं। व्यक्ति जब अपना परिचय देता है तो बोलता है—मैं, अमुक बोल रहा हूँ...अथवा मेरा नाम अमुक है। इसका अर्थ यह हुआ कि बोलने वाला और बोलने वाले का नाम एक ही इकाई के सूचक होते हुए भी परस्पर भिन्न हैं। 'मैं' उत्तम पुरुष है। 'मैं वास्तव में अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। यह चेतन की भी अभिव्यक्ति है, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही 'मैं' बोल सकता है। मृत होने पर 'मैं' और 'तू' नहीं होकर वह/वे की संज्ञा में आ जाता है। क्योंकि इसी संज्ञा में ईश्वर भी है। इसीलिए 'राम नाम सत्य चलता' है। सृष्टि के संबंध में कहा

जाता है कि ईश्वर ने एक से अनेक होने के लिए सृष्टि का सृजन किया। इस 'हम' में मैं, तू, वे सहित सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार हम तो 'मैं' भी है और अन्य सब भी हैं। यही समाज की सही परिभाषा हुई। जन अथवा Mass की भी अभिव्यक्ति है। 'मैं' या व्यक्तिगत पहचान का अंत ही जन की परिभाषा है। इसी कारण Mass या जन का अर्थ है Lack of Individuality अर्थात् व्यक्तिपरकता या निजी पहचान का समापन। यह व्याकरण के उत्तम पुरुष बहुवचन अर्थात् we/हम में है। इसी हम/we या इसके समानार्थी जन (Mass) में होने वाले संचार को हम जनसंचार (Mass Communication) की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार व्याकरण का हम/we तथा जनसंचार परस्पर एक ही संज्ञा के हुए। इस कारण व्याकरण तथा संचार के विविध रूप परस्पर एक हुए (सिंह, 2012, पृष्ठ 133-164)।

संचार, व्याकरण और एकात्म मानव दर्शन

ऊपर की विवेचना से स्पष्ट है कि व्याकरण, संचार और एकात्म मानववाद परस्पर एक ही हैं। सबमें एक ही मनुष्य, एक ही भाव तथा एकात्म तत्त्व का आधार विद्यमान है। उक्त सभी में से मनुष्य एवं मानव समाज को हटाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। व्याकरण में 'मैं', 'तुम', 'वे', 'वह' और 'हम' परस्पर भिन्न होते हुए भी एक ही हैं। 'मैं' कभी 'तू' में बदलता है तो 'तू' कभी 'मैं' में। इसी प्रकार 'वे/ वह' कभी 'मैं' में बदलता है तो कभी 'तू' में; या कि 'मैं', 'तू' 'वे', 'वह' कभी 'हम' में बदल जाता है। 'हम' का भाग कभी व्यापकता से अलग होकर 'मैं', 'तू' 'वे' या 'हम' में बदल जाता है, लेकिन इन सभी संबोधनों में मनुष्य एक ही है। वह चेतन तथा ईश्वर का अंश है। इसी सत्य को दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति/व्यष्टि समष्टि, सृष्टि एवं परमेष्ठी के रूप में व्यक्त किया। इस व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि एवं परमेष्ठी में व्यक्ति, परिवार, समाज, समूह एवं राष्ट्र में विद्यमान मुख्य आधार मनुष्य है। इस मनुष्य के अंतःकरण का नियंता तथा जगत् का केंद्र परमेष्ठी या ईश्वर है। इसी परमेष्ठी का विस्तार मनुष्य और विश्व है। सब परमात्मा का और सब में आत्मा के साथ ही परमात्मा एक है। यही व्याकरण, संचार और एकात्म मानववाद का आधार है। एकात्म मानव भाव से ही समस्त समस्याओं का समाधान है। इसी एकात्मकता की अभिव्यक्ति चिंतन सहित सभी कार्यों में होने से एकात्मता की प्राप्ति हो सकेगी तथा पूर्णता की भी प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए हमें खंड से अखंड दृष्टि युक्त होना पड़ेगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत आलेख में संचार और व्याकरण के संबंध को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह पहला प्रयास है कि जब संचार को व्याकरण से जोड़ करके देखा गया है। इस अध्ययन से पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थियों को संचार को समझने तथा संचार को वैज्ञानिक आधार पर चार भागों में विभक्त करने की दृष्टि प्राप्त होगी। इसमें एकात्मक दर्शन के साथ संचार के संबंध को भी स्पष्ट किया गया है। मनुष्य, जड़, चेतन, जीव, जंतु एवं परमात्मा सभी एक दूसरे से संचार के द्वारा संबंध हैं। सब में एक ही आत्मतत्त्व विराम विराजमान है। इनमें अंतर केवल आत्मतत्त्व के प्रकृति कारण का है। इस संदर्भ को इस लेख में प्रस्तुत किया गया है। यह लेख संचार, एकात्म मानव दर्शन एवं व्याकरण के परस्पर संबंधों को रेखांकित करता है।

संदर्भ

आप्टे, वी.एस. (1996). *संस्कृत-हिंदी कोष*. दिल्ली : नाग प्रकाशन, पृष्ठ-498.

ऑक्सफोर्ड (2003). *ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थिसॉरस*, यूके : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ-755.

ऑक्सफोर्ड. (2003). *ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थिसॉरस*, यूके : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ-240.

गीता. (संवत् 2055). *श्रीमदभगवद गीता*. गोरखपुर : गीता प्रेस, पृष्ठ-106 (6/35).

तुलसीदास. (संवत् 2050). *श्रीरामचरित मानस, उत्तरकाण्ड*, गोरखपुर : गीताप्रेस, पृष्ठ-622.

पाठक, जे.एस. (1964). *संस्कृत आलोक*. वाराणसी : संसदन प्रकाशन, पृष्ठ-16.

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*, नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-246.

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-246.

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-91-107.

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-109-120

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-121-132.

सिंह, ओ.पी. (2012). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ-133-164.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 15-20, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

श्रीहरिवंशपुराण में संचार के विविध आयाम

नेहा कुमारी[1]

सारांश

प्राचीन से वर्तमान काल तक समाज में संचार की भूमिका का महत्त्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। संचार मानव की मुख्य आवश्यकता एवं आधार है। संचार के दृष्टिकोण से अनेक अध्ययन दिन-प्रतिदिन किए जा रहे हैं, किंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस दिशा में अभाव दिखाई पड़ता है। 'श्रीहरिवंशपुराण' की कथाओं के अध्ययन से इस काल में भी संचार की उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है, यद्यपि इसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य था। आज विभिन्न प्रकार की तकनीकी सुविधाओं से नवीन संचार माध्यमों का आविष्कार होता जा रहा है, जबकि परंपरागत संचार माध्यमों ने अपने महत्त्व को समाज में बनाए रखा है। 'श्रीहरिवंशपुराण' की कथाएँ सरल और सहज रूप में अपने नैतिक मूल्यों और आदर्शों के साथ संचार के अध्ययन में उपयोगी हैं। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से संचार के विविध आयाम का अध्ययन प्रस्तुत शोध आलेख में प्रस्तुत किया गया है।

संकेत शब्द : श्रीहरिवंशपुराण, परंपरागत संचार माध्यम, संचार की भारतीय अवधारणा, संचार का भारतीय दृष्टिकोण

प्रस्तावना

संचार और मनुष्य की परस्परता से ही समाज का विकास होता गया। प्राचीन भारतीय साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानव समाज और संचार के विकास की मूल प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका अध्ययन नितांत आवश्यक है। 'श्रीहरिवंशपुराण' में वर्णित कथाओं के माध्यम से उस काल में संचार के विविध आयामों को सरलता से समझा जा सकता है। पाश्चात्य जगत् में जब संचार की सुविधा नहीं थी, उस समय 'श्रीहरिवंशपुराण' में आए प्रसंगों में संचार के प्रकार और माध्यम विद्यमान थे। वैदिक साहित्य के अध्ययन में वेद को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। 'श्रीहरिवंशपुराण' में वेदों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि वेद सबसे महान आश्चर्य हैं, वे ही धन्य भी हैं, क्योंकि वे तत्त्वार्थदर्शी वेद संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं—आश्चर्यं परमं वेदा धन्या वेदाश्च नारद। ये लोकान् धारयन्ति स्म वेदास्तत्त्वार्थदर्शिनः।। (श्रीहरिवंशपुराण, वि.सं. 2073, पृष्ठ-818)। प्राचीन समय में ऋषियों में मंत्र श्रुति परंपरा के द्वारा ही चले आ रहे थे। बाद में इन्हें संकलित और संगृहीत करने का कार्य किया गया। वेदों के मंत्र वाले खंड संहिता और गद्य में व्याख्या वाले खंड को ब्राह्मण कहते हैं (विद्यालंकार, 2017, पृष्ठ-30-31)। आरण्यक ग्रंथों के विषय में मान्यता है कि ये अरण्य या जंगल में पढ़े जाते थे। इनका पूर्ण विकास उपनिषदों में दिखाई देता है। उपनिषद् का अर्थ 'गुरु के निकट विनम्रतापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया रहस्य ज्ञान है' (लाल, 2009, पृष्ठ-361)। वेदांगों की संख्या छह है। ये शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष हैं। महाकाव्यों के रूप में रामायण और महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में श्रीराम की जीवन गाथा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा में कौरव-पांडव संघर्ष का वर्णन किया है। दोनों ही महाकाव्यों में धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि विविध पक्षों को भी दर्शाया गया है। इन सबके अतिरिक्त समाज में लोगों को सत्य और सद्भाव का मार्ग दिखाने में पुराणों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

पुराण

'पुराण' शब्द 'पुरा' और 'अण' इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 'पुरा' से तात्पर्य है अतीत तथा 'अण' का अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार पुराण का शाब्दिक अर्थ 'प्राचीन आख्यान या प्राचीन कथा' है। कथाओं के माध्यम से सरल-सहज भाषा के साथ पुराण आम जनजीवन में रच-बस गए हैं। इनके विषय में 'श्री हरिवंशपुराण' में बताया गया है—पुराणे कथ्यते यत्र वेदः श्रुतिसमाहितः।। (श्रीहरिवंशपुराण, वि.सं. 2073, पृष्ठ-191) अर्थात् 'पुराण वह विद्या है, जिसमें मंत्र एवं ब्राह्मण-भाग की श्रुतियों से संपन्न संपूर्ण वेद ही प्रतिष्ठित है। 'छान्दोग्यउपनिषद्' में इतिहास पुराण को 'पंचम वेद' कहा गया है—इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम् (मिश्र, 1991, पृष्ठ-3)। 'अथर्ववेद' में 'पुराण' शब्द विशिष्ट विद्या के रूप में वर्णित है। ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणम् यजुषा सह। उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि दिवादिविश्रिताः (उपाध्याय, 1978, पृष्ठ-8)।। पद्मपुराण के अंतर्गत स्पष्ट है कि चतुर मनुष्यों ने विभिन्न स्थानों और प्राचीन कथाओं से मूल तत्त्वों को एकत्र करके अनेक पुराणों में उनका विवेचन किया है। 'मत्स्यपुराण' में बताया गया है कि सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने पुराणों का ही स्मरण किया था—पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनन्तरञ्चवक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः (चौहान, 2016, पृष्ठ-12)।।

पुराणों की संख्या अठ्ठारह है। इसमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मण पुराण के नाम मिलते हैं। इन सभी पुराणों के अतिरिक्त भारतीय समाज एवं संस्कृति पर 'श्रीहरिवंशपुराण' का अपना विशेष प्रभाव है—अष्टादशपुराणानां श्रवणाद् यत् लभेत्। तत् फलं समवाप्रोति वैष्णवो नात्र संशयः।। (श्रीहरिवंशपुराण, वि.सं. 2073, पृष्ठ-1387) अर्थात् अठ्ठारह पुराणों का श्रवण करने से जो फल मिलता है, उसी को विष्णुभक्त पुरुष केवल हरिवंश सुनकर प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

[1]शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.
ईमेल : nehawithfalak@gmail.com

श्रीहरिवंशपुराण का परिचय

श्रीमन्महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीहरिवंशपुराण में वर्णित कथाओं में श्रीकृष्ण के जीवन की लीलाओं और प्रेरणादायक प्रसंगों को दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि जन्मकुंडली में संतानभाव, सूर्य के द्वारा दृष्ट, आविष्ट या बाधित हो तो हरिवंश श्रवण से ही उसका प्रतिकार होता है। इस प्रकार श्री हरिवंशपुराण संतान प्राप्ति की कामना से सुना जाने वाला लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है। इसमें वृष्णि और अंधक वंश के विषय में जानकारी मिलती है—सौतिरूवाच, जनमेजयेन यत् पृष्टः शिष्यो व्यासस्य धर्मवित्। तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि वृष्णीनां वंशमादितः॥ (श्रीहरिवंशपुराण, वि.सं. 2073, पृष्ठ-19) अर्थात् सूतजी बोले कि व्यास जी के शिष्य जनमेजय जी ने जो प्रश्न वृष्णि वंश के बारे में वैशंपायन जी से कहे थे, उन्हीं के अनुसार मैं इस वंश की कथा सुनाता हूँ। श्रीहरिवंशपुराण में वर्णित श्रीहरि का वंश-वृष्णि एक वैदिक भारतीय कुल था। राजा वृष्णी यदुकुल के राजा यदु के बेटे थे। उन्हीं के नाम पर यादवों की शाखा वृष्णी वंश कहलाई। इसमें श्रीकृष्ण, अक्रूर, वासुदेव, कुंती, सात्यकि, उद्धव, आदि का वर्णन वृष्णि वंश के अंतर्गत किया गया है। अंधक वंश के वीरों में उग्रसेन और कंस का उल्लेख मिलता है। श्रीहरिवंशपुराण महाभारत ग्रंथ के अंतिम पर्व के रूप में जाना जाता है। महाभारत का परिशिष्ट होने के कारण इसे महाभारत का 'खिल' भी कहते हैं। इसमें तीन पर्वों हरिवंशपर्व (55 अध्याय), विष्णुपर्व (128 अध्याय) और भविष्यपर्व (135 अध्याय) को सम्मिलित करते हुए कुल 318 अध्याय हैं। इस पुराण की कथाओं में सृष्टि का वर्णन, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, पृथु का उपाख्यान, वैवस्वत मनु के साथ ही उनके वंशजों का वर्णन, धुंधुमार की कथा, त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन, विभिन्न राजवंशों का वर्णन, श्राद्ध के विषय में विस्तारपूर्वक विवरण, इसके महत्त्व को रेखांकित किया जाना, शिव और पार्वती का निवास, वाराणसी को जनशून्य किया जाना, वृष्णि वंश के वीरों का वर्णन, श्रीकृष्ण का अवतार लेना, भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की कथाएँ, देवासुर-संग्राम, कालनेमि और भगवान विष्णु का संवाद, ब्रह्माजी की आज्ञा से देवताओं का अंशावतरण, श्रीकृष्ण का मइया यशोदा के प्रति अप्रतिम स्नेह, बाल रूप में कन्हैया का विभिन्न लीलाएँ करना, विभिन्न प्रकार के व्रत-उपासना की विधियाँ, तीर्थ स्थानों का माहात्म्य, यज्ञों के विषय में जानकारी, ज्ञान और योग का विचार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, द्वारका नगरी की शोभा, पुष्कर तीर्थ की विशेषता आदि बताया गया है।

श्रीहरिवंशपुराण अपने रचनाकाल से लेकर वर्तमान समय तक आम जनमानस के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, इसके साथ ही संचार के दृष्टिकोण से भी यह पुराण समृद्ध है। श्रीहरिवंशपुराण में संचार के विविध आयामों को समझने से पूर्व संचार को जानना आवश्यक है।

संचार

स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया को ही संचार कहते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'चर' धातु से हुई है। इसका अर्थ है 'चलना'। प्रो. ओम प्रकाश सिंह के अनुसार संचार ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, जो परस्पर संबद्ध और उद्देश्यपूर्ण हैं (सिंह, 2018, पृष्ठ- 19)। फ्रेड जी. मेयर का कहना है कि मानवीय विचारों एवं सम्मतियों का शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान-प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है (सिंह, 2021, पृष्ठ-05)। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संचार एक गतिशील प्रक्रिया है। संचार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संचार की प्रक्रिया ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, समूह, समाज से जुड़ने में सहायता करती है। किसी सामाजिक व्यवस्था में सूचना व जानकारी के आदान-प्रदान, वाद-विवाद और परिचर्चा, शिक्षा व संस्कृति के उत्थान, मनोरंजन संबंधी क्रियाकलाप, राजनीतिक व विकास संबंधी कार्यो के लिए संचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है (सिंह, 2018, पृष्ठ 20)।

जिस प्रकार मनुष्य को भूख, प्यास, काम की इच्छा होती है, उसी प्रकार संचार भी मानव की मौलिक आवश्यक्ताओं के रूप में विद्यमान है। हाव-भाव, भाषा मनुष्य के संप्रेषण के प्रमुख आधार होते हैं। इसमें मनुष्य के अनुभवों का भी आदान-प्रदान होता है। यह प्रत्यक्ष, परोक्ष, शाब्दिक तथा अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकता है। संचार के विभिन्न प्रकार समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। संचार के चार प्रकार-आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार हैं।

आभ्यंतर संचार : आभ्यंतर शब्द अभि और अंतर से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है—अंदर होने वाला। इस प्रकार आभ्यंतर संचार की प्रक्रिया मानव मस्तिष्क में संपन्न होती है। मनुष्य का स्वंय से संचार अर्थात् चिंतन प्रक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आभ्यंतर संचार अन्य सभी संचारों को आधार प्रदान करता है (सिंह, 2018, पृष्ठ23)।

अंतर्वैयक्तिक संचार : दो व्यक्तियों अथवा कुछ लोगों के बीच जब कोई सूचना या संदेश सीधे भेजा और ग्रहण किया जाता है, तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें स्रोत एवं श्रोता की संख्या कम-से-कम दो होनी चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि 9-10 व्यक्तियों के मध्य संचार भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें प्रतिपुष्टि आसानी से मिल जाती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता आपस में अपनी भूमिकाएँ बदलते रहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति इसमें स्थायी इकाई नहीं है (हींगड एवं अन्य, 2015, पृष्ठ-41)। इसमें ध्वनि, शब्दों के साथ-साथ हाव-भाव, स्पर्श, नेत्र संपर्क का भी महत्त्व है। इस संचार में यंत्रों का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे, टेलीफोन, टेली-क्रांफेसिंग, पत्र-व्यवहार आदि (पीटर, 1999, पृष्ठ-19)।

समूह संचार : समूह संचार में व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य के कारण एक स्थान पर एकत्र होता है। इस प्रकार किसी समूह के बीच संदेश संप्रेषित करना ही समूह संचार कहलाता है (सरदाना & मेहता, 2004, पृष्ठ-49-50)। इसके उदाहरण के रूप में सामूहिक वाद-विवाद, सभा, संगोष्ठी आदि को देखा जा सकता है। विद्वानों द्वारा समूह संचार के दो प्रकार बताए गए हैं। एक, प्राथमिक समूह—यहाँ व्यक्ति का एक-दूसरे से संचार प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा होता है। परिवार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दो, द्वितीयक समूह—यह एक औपचारिक समूह होता है। कार्यशाला, संगोष्ठी आदि समूहों को इसके अंतर्गत देखा जा सकता है।

जनसंचार : जनसंचार के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इधर-उधर बिखरे हुए लोगों के बीच विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टी.वी., फिल्म, इंटरनेट, लोकमाध्यमों आदि के द्वारा संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है। डैनियल लर्नर ने जनमाध्यमों को 'मोबिलिटी मल्टीप्लायर' और विल्बर श्रैम ने 'मैजिक मल्टीप्लायर' के नाम से संबोधित किया है (कुमार, 2022, पृष्ठ-17)। इंटरनेट के विकास और ग्लोबल विलेज की

अवधारणा के बाद जनसंचार का महत्त्व दिनोंदिन बढ़ता ही चला गया। संचार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपादित करने के लिए विभिन्न माध्यम उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक माध्यम की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

संचार माध्यम : संचार माध्यम उन्हें कहते हैं, जो संदेश के प्रवाह में स्रोत एवं श्रोता को आपस में जोड़ते हैं। अँग्रेजी शब्द मीडिया का ही हिंदी प्रतिरूप संचार माध्यम है। माध्यम ही वह सहारा है, जिससे संप्रेषक संदेश को प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाता है (कुंदरा, 2021, पृष्ठ-23)। कोई संदेश कितने श्रोताओं के पास कितने समय में पहुँचेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि संचार प्रक्रिया में किस माध्यम का उपयोग किया गया है। जनसंचार माध्यम ही है, जो पूरे विश्व का घटनाक्रम परोसकर सामने रख देते हैं। जिस भी माध्यम से संप्रेषक अपना संदेश प्रसारित या प्रकाशित करना चाहता है, उसे अपने उस माध्यम की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। इससे संदेश को प्रभावी ढंग से इच्छित जनसमूह तक पहुँचाया जा सकता है। अतीत से वर्तमान तक संचार हर समाज में विभिन्न रूपों में मौजूद रहा है। संचार माध्यमों को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. परंपरागत संचार माध्यम
2. आधुनिक संचार माध्यम

परंपरागत संचार माध्यम : परंपरागत संचार माध्यम वे हैं, जो ग्रामीण समाज की परंपरा से प्राप्त होकर सूचना, संदेश और मनोरंजन के साधन बने हुए हैं (भानावत, 2010, पृष्ठ-209)। परंपरागत संचार माध्यम परंपरागत दृश्य, परंपरागत श्रव्य और परंपरागत श्रव्य-दृश्य इन तीन रूपों में विद्यमान हैं। परंपरागत दृश्य माध्यम के अंतर्गत किसी सूचना, संदेश या अन्य कार्यक्रमों को संप्रेषित करने के लिए दृश्य तत्त्वों का उपयोग होता है। इसमें आँख का प्रमुख महत्त्व होता है। शिलालेख, चित्र, पट चित्र, लोक नृत्य, मूर्ति आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में जिन चित्रों का निर्माण प्राचीन काल में हुआ, वह भित्तिचित्र, चित्रफलक और पट-चित्र के रूप में मिलते हैं (अग्रवाल, 2002, पृष्ठ-72)। परंपरागत श्रव्य माध्यम में किसी सूचना, संदेश या अन्य कार्यक्रमों को ध्वनि के रूप में ही प्रसारित किया जाता है (राजगढ़िया, 2008, पृष्ठ-28)। इसमें कान का प्रमुख महत्त्व होता है। उदाहरण के रूप में गीत, वादन, लोक कथा, लोकगाथा को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परंपरागत श्रव्य-दृश्य माध्यम में किसी सूचना, संदेश या अन्य कार्यक्रमों को श्रव्य-दृश्य दोनों ही रूप में प्रसारित किया जाता है। इसमें आँख और कान दोनों का उपयोग होता है (रत्तू, 2002, पृष्ठ-45)। इसके उदाहरण नाटक, रामलीला, कृष्णलीला, कठपुतली, नौटंकी आदि हैं।

आधुनिक संचार माध्यम : आधुनिक संचार माध्यम वह समग्र तंत्र है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सभी प्रकार के माध्यमों का समावेश होता है। इसमें समाचार पत्र से लेकर इंटरनेट तक को सम्मिलित किया जाता है। इसे भी तीन भागों में बाँटा जा सकता है—श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम और श्रव्य-दृश्य माध्यम। श्रव्य माध्यम केवल कान से सुन सकते हैं। रेडियो, कैसेट, सीडी इसके उदाहरण हैं। दृश्य माध्यम को आँख द्वारा देखा जाता है। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, फोटोग्राफ, पोस्टर आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। श्रव्य-दृश्य माध्यम में कान और आँख दोनों ही अंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया-फेसबुक, ट्विटर आदि को शामिल किया जाता है।

इस प्रकार संचार की प्रक्रिया में विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हमें किसी-न-किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। 'श्रीहरिवंशपुराण' में परंपरागत संचार माध्यम का वर्णन मिलता है, यह इसकी कथाओं में उल्लिखित है। श्रीहरिवंशपुराण में संचार के विविध आयाम को समझने के लिए इसके तीनों पर्वों—हरिवंशपर्व, विष्णुपर्व और भविष्यपर्व के श्लोकों में आए संचार के प्रकार और माध्यमों को देखना आवश्यक है। यहाँ इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

श्रीहरिवंशपुराण में आभ्यंतर संचार

श्रीहरिवंशपुराण में आभ्यंतर संचार के उदाहरण विद्यमान हैं। व्यक्ति के सम्मुख किसी समस्या के आने पर उसके प्रति चिंतन, मनन आरंभ हो जाता है। वह इसका समाधान ढूँढ़ने में कब तक समर्थ होगा, यह पूर्ण रूप से समस्या की प्रकृति और उसकी बौद्धिक क्षमता पर आश्रित है (भानावत, 2010, पृष्ठ-194)। परंपरागत आभ्यंतर संचार में संदेश भी परंपरागत होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपने कुछ नीति-नियम और आदर्श होते हैं, जो उसके चिंतन और विचार में सदैव परिलक्षित होते रहते हैं। इस प्रकार परंपरागत आभ्यंतर संचार के अंतर्गत व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय (त्वचा, आँख , कान, नाक, जिह्वा), कर्मेंद्रिय (मुख, हाथ, लिंग, गुदा, पैर), मनोस्थिति, व्यवहार, विचार के फलस्वरूप अपने कार्यों का संपादन करता है (सिंह, 2018, पृष्ठ 169)।

श्रीहरिवंशपुराण में आभ्यंतर संचार का विवरण है—पुत्रानुत्पादयामास सोमवंशविवर्धनान्। अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः। स दृष्टा मनसा दक्षः पश्चादप्यसृजत् स्त्रियः।। (1/2/47/27) तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर, जंगम, दो पैर वाले, चार पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। उक्त श्लोक में मन में विचार करना आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। अन्धकोऽनुद्विग्नमना धैर्यादविकृतं वचः। प्रोवाच वदतां श्रेष्ठः समाजे कंसमोजसा।। (2/23/2/370) उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे, जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को विकार रहित रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा। उक्त श्लोक में भय और धैर्य आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। ऐश्वर्येणाश्वमाविश्य देवेन्द्रेणासि रोषितः। आनुकूल्येन देवस्य वर्तितव्यं सुखार्थिना।। (3/5/36/952) देवेंद्र ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अश्व में प्रवेश करके तुम्हारे हृदय में रोष उत्पन्न कर दिया था, अतः सुखार्थी मनुष्य को सदा देवता के अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। उक्त श्लोक में रोष उत्पन्न करना आभ्यंतर संचार का उदाहरण है।

श्रीहरिवंशपुराण में अंतर्वैयक्तिक संचार

श्रीहरिवंशपुराण में आए श्लोकों में अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण मिलते हैं। स्रोत, संदेश, श्रोता, प्रभाव और फीडबैक या प्रतिपुष्टि मुख्य रूप से इसके संघटक हैं। इसमें स्रोत, श्रोता को तथा श्रोता, स्रोत को सीधे प्रभावित करता है और फीडबैक या प्रतिपुष्टि भी तुरंत मिलती है। परंपरागत अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत व्यक्ति परंपरागत संदेशों का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करता है। यह संचार मौखिक और भावों के आधार पर किया जाता है। वार्ता, शास्त्रार्थ, नमस्कार करना, गले मिलना, लोरी, कथा, कहानी आदि परंपरागत अंतर्वैयक्तिक संचार में सम्मिलित किए जाते हैं

(सिंह, 2018, पृष्ठ 170)। संज्ञोवाच, अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेव भवनं पितुः। त्वयेह भवने मह्यं वस्तव्यं निर्विकारया ॥ (1/9/12/61) संज्ञा ने कहा—तुम्हारा कल्याण हो! मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर रहो। उक्त श्लोक में संज्ञा छाया संवाद अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। श्रीकृष्ण उवाच, जीवतां देव बाणोऽयमेतच्चक्रं निवर्तितम्। मान्यस्त्वं देवदेवानामसुराणां च सर्वशः॥ (2/126/139/917) श्रीकृष्ण बोले—देव! यह चक्र मैंने लौटा लिया, अब यह बाणासुर चिरंजीवी हो, आप देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण असुरों के लिए माननीय हैं। उक्त श्लोक में केशव का महादेव को उत्तर देना अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। ततः स पुरुषो देवं किं करोमीत्युपस्थितः। प्रत्युवाच स्मितं कृत्वा देवदेवो जगत्पतिः॥ (3/36/2/1061) उस पुरुष ने भगवान् के निकट खड़े होकर पूछा—प्रभो! मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब देवाधिदेव जगदीश्वर ने मुस्कुराकर उसे उत्तर दिया। उक्त श्लोक में पूछने पर मुस्कुराकर उत्तर देना अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है।

श्रीहरिवंशपुराण में समूह संचार

व्यक्ति जब किसी समूह का हिस्सा होता है तो इसके अंतर्गत सभी सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। समूह के सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार समूह संचार की प्रक्रिया संचालित होती है। परंपरागत समूहों में एक जैसी मान्यताएँ प्रचलित होती हैं। एक ही जाति और धर्म के लोगों अथवा समान उद्देश्य रखने वालों के बीच विचारों का आदान-प्रदान इसके अंतर्गत आता है। इनके रीति-रिवाज, परंपराएँ, त्योहार आदि समान होते हैं। विवाह, जन्म आदि के अवसर पर होने वाला आयोजन इसका उदाहरण है (सिंह, 2018, पृष्ठ 171)। विवर्धयिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजास्तदा। पूर्वोक्तं वचनं तात नारदेनैव नोदिताः॥ (1/3/21/30) तात! वे दक्ष के पुत्र शबलाश्व जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। उक्त श्लोक में नारद जी द्वारा शबलाश्वों (शबलाश्वों का समूह) को अपने वचन से प्रेरित करना समूह संचार का उदाहरण है। यजते पुष्करे ब्रह्मा मेधया सह संगतः। इन्द्रप्रोक्तानि सामानि गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ (3/23/9/1010) वहाँ पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी मेधा के साथ बैठकर यज्ञ करने लगे और बहुत-से ब्रह्मवादी मुनि इंद्रकथित साममंत्रों का गान करने लगे। उक्त श्लोक में यज्ञ करना, साममंत्रों का गान करना समूह संचार का उदाहरण है। स च गोपजनः सर्वो व्रजमेव जगाम ह। स च तेनैव नाम्ना तु कृष्णो वै दामबन्धनात्। गोष्ठे दामोदर इति गोपिभिः परिगीयते ॥ (2/7/36/302) तदनंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी व्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात् रस्सी में उदर में बाँधे जाने के कारण श्रीकृष्ण का नाम दामोदर हो गया। बृज में गोपियाँ उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगीं। उक्त श्लोक में गोपियों का बृज में श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करना समूह संचार का उदाहरण है।

श्रीहरिवंशपुराण में जनसंचार

जनसंचार में जनमाध्यमों की सहायता से ही सूचना संप्रेषण का कार्य विशाल जनसंख्या के बीच संभव हो पाता है। परंपरागत जनसंचार में परंपरागत संप्रेषक, सूचना, माध्यम एवं प्रतिपुष्टि को सम्मिलित किया जाता है। इसके उदाहरण नाटक, कठपुतली, ग्रामीण सभा, मेला, यज्ञों का आयोजन, राज्य अभिषेक, शंख-ध्वनि, उत्सव-त्योहार आदि के रूप में उपलब्ध हैं। तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महान् भूत । एष श्रीमानवध्योऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ (1/11/46/72) तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि 'ये श्रीमान् राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा'। उक्त श्लोक में आकाश से गंभीर वाणी सुनाई देना जनसंचार का उदाहरण है। नन्दितूर्याण्यवाद्यन्त तुष्टुवुश्च जनार्दनम्।रथ्याः पताकामालिन्यो भ्राजन्ते स्म समन्ततः॥ (2/33/31/430) आनंदसूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियाँ और सड़कें ध्वज पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगीं। उक्त श्लोक में बाजे बजना और ध्वज पताकाओं का फहरना जनसंचार का उदाहरण है। शतघ्निचक्राशनिशक्तिपाणयः। प्रजग्मुरग्रेऽनिलतुल्यवेगिनः। घण्टाः सुशब्दास्तपनीयबद्धा। आडम्बरा गर्गरडिण्डिमाश्च॥ (3/51/84/1115) शतघ्नी, चक्र, अशनि और शक्ति हाथ में लेकर वायु के समान वेग से आगे-आगे चल रहे थे। दैत्यराज बलि का रथ जब प्रस्थित हुआ, उस समय सुवर्णजटित घंटे, तुरही, गर्गर, नगाड़े सुंदर शब्द करते हुए बजने लगे। उक्त श्लोक में सुवर्णजटित घंटे, तुरही, गर्गर, नगाड़े का शब्द जनसंचार का उदाहरण है।

श्रीहरिवंशपुराण में वर्णित संचार माध्यम

श्रीहरिवंशपुराण के तीनों पर्वों में परंपरागत संचार माध्यम विद्यमान हैं। यह परंपरागत श्रव्य माध्यम, परंपरागत दृश्य माध्यम और परंपरागत श्रव्य-दृश्य माध्यम के रूप में प्राप्त होते हैं। संचार माध्यम संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सेतु बनकर कार्य करते हैं। श्रीहरिवंशपुराण में परंपरागत श्रव्य माध्यम—ज्येष्ठः पुत्रशतस्यासीद् राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्। स कन्यासहितः श्रुत्वा गान्धर्वं ब्रह्मणोऽन्तिके॥ (1/10/34/68) सौ पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ गए। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। उक्त श्लोक में गंधर्वों का गीत सुनना श्रव्य माध्यम का उदाहरण है।

वासुदेवो महाबाहुः पूर्वमानकदुन्दुभिः। जज्ञे यस्य प्रसूतस्य दुन्दुभ्यः प्राणदन् दिवि॥ (1/34/18/164) पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनकदुंदुभि उत्पन्न हुए, इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में, आकाश में दुंदुभियाँ बजी थीं। उक्त श्लोक में आकाश में दुंदुभियाँ बजना श्रव्य माध्यम का उदाहरण है।

महर्षयो वीतशोका वेदानुच्चैरधीयते। यज्ञेषु च हविः स्वादु शिवमश्नाति पावकः॥ (1/42/38/207) महर्षि शोकरहित होकर उच्चस्वर से वेदध्वनि करने लगे, अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वादु हविका भक्षण करने लगे। उक्त श्लोक में उच्चस्वर से वेदध्वनि श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। श्रीहरिवंशपुराण में परंपरागत दृश्य माध्यम है—सञ्ज्ञायां जनयामास वडवायां स भारत। तां तु रूपेण कान्तेन दर्शयामास भास्करः॥ (1/9/56/64) भारत! ये दोनों आठवें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्यभगवान् ने अश्वारूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदनंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। उक्त श्लोक में सूर्य का दर्शन दृश्य माध्यम का उदाहरण है।

वसुदेवश्च तं रात्रौ जातं पुत्रमधोक्षजम्। श्रीवत्सलक्षणं दृष्ट्वा युतं

दिव्यैश्च लक्षणैः। उवाच वसुदेवस्तु रूपं संहर वै प्रभो ॥ (2/4/22/288) वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्ररूप भगवान् अधोक्षज का स्तवन किया। उन्हें श्रीवत्स के चिह्न और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा—प्रभो! आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। उक्त श्लोक में श्रीवत्स के चिह्न और दिव्य लक्षण दृश्य माध्यम का उदाहरण हैं।

दृष्ट्वा भूतानि भगवांल्लोकसृष्टियर्थतत्त्ववित्। ब्रह्मणो जन्म स हितं बहुरूपो विचिन्वति।। (3/11/11/968) लोकसृष्टि के प्रयोजन और तत्त्व को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान् प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्राकट्य देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं। उक्त श्लोक में भूतों का प्राकट्य दृश्य संचार माध्यम का उदाहरण है।

श्रीहरिवंशपुराण में परंपरागत दृश्य-श्रव्य माध्यम है—अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा मुदितमानसाः। गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायन्ति स्म रतिप्रियाः।। (2/11/26/315) दूसरे ग्वाल-बाल प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोपबालक जिन्हें श्रीकृष्ण की वह मधुर क्रीडा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्रीकृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्रीकृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उक्त श्लोक में ग्वाल बाल का प्रसन्न हो गीत गाना, श्रीकृष्ण का यशोगान करना दृश्य-श्रव्य संचार माध्यम का उदाहरण हैं।

क्ष्वेडयन्तौ प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपान्। नामभिर्व्याहरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपौ।। (2/14/3/325) शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोंकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल-फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाली गौओं को उनके नाम ले-लेकर पुकारते थे। उक्त श्लोक में ताल ठोंकना, कभी गीत गाना दृश्य-श्रव्य संचार माध्यम का उदाहरण है।

तास्तु पङ्क्तीकृताः सर्वा रमयन्ति मनोरमम्। गायन्त्यः कृष्णचरितं द्वन्द्वशो गोपकन्यकाः।। (2/20/25/357) वे सारी गोप-किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जातीं और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्रीकृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी-कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियाँ श्रीकृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थीं। उक्त श्लोक में गोप-किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जातीं और श्रीकृष्ण के चरित्र का गान करतीं दृश्य-श्रव्य संचार माध्यम का उदाहरण है।

निष्कर्ष

श्रीहरिवंशपुराण में संचार के विविध आयाम के अंतर्गत संचार के सभी प्रकारों—आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार, परंपरागत संचार एवं परंपरागत श्रव्य माध्यम, परंपरागत दृश्य माध्यम तथा परंपरागत श्रव्य-दृश्य माध्यम का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीहरिवंशपुराण की कथाओं में संचार के प्रकार और संचार माध्यमों के संदर्भों का होना यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य संचार के दृष्टिकोण से इतना समृद्ध होते हुए भी अब तक संचार का भारतीय प्राचीन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त अध्ययन नहीं हो सका है। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीहरिवंशपुराण में धर्म के प्रशस्त रूप का दिग्दर्शन होता है। भारतवर्ष में युगों-युगों से यह जन-जन में लोकप्रिय रहा है। श्रीहरिवंशपुराण में लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। इस प्रकार के अध्ययन से अतीत के संचार संदर्भों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त होता है। आधुनिक संचार प्रक्रिया को समझने के लिए इसके मूल तत्त्वों को जानना अति आवश्यक है। ये सभी तत्त्व भारतीय प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं।

संदर्भ

अग्रवाल, बी. (2002). *भारतीय चित्रकला के मूल स्रोत*. वाराणसी : अलगॉरिद्म पब्लिकेशन, पृष्ठ-72.

उपाध्याय, ए.बी. (1978). *पुराण-विमर्श*. वाराणसी : चौखंबा, पृष्ठ-8.

कुमार, के. जे. (2022). *भारत में जनसंचार*. मुंबई : जयको पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-17.

कुंदरा, बी. (2021). *संचार से जनसंचार और जनसंपर्क तक*. नई दिल्ली : के.के. पब्लिकेशन, पृष्ठ-23.

चौहान, डी. एस. (2016). *ब्रह्माण्डपुराणम् 'निर्मला' हिंदी व्याख्या, वैज्ञानिक विमर्श एवं एवं श्लोक अनुक्रमणिका सहित*, भूमिका. वाराणसी : चौखंबा. पृष्ठ-12.

पीटर. (1999). *इंटरनेशनल कम्युनिकेशन*. न्यूयार्क : रॉटलेज.पृष्ठ-19.

भानावत, एस. (2010). *भारत में संचार माध्यम*. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ-209.

भानावत, एस. (2010). *भारत में संचार माध्यम*. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ-194.

मिश्र, जे.पी. (1991). *अष्टादश पुराण दर्पण*. वाराणसी : चौखंबा, पृष्ठ-3.

रत्तू, के.के. (2002). *दृश्य-श्रव्य एवं जनसंचार माध्यम*. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ-45.

राजगढ़िया, वी. (2008). *जनसंचार सिद्धांत और अनुप्रयोग*. नई दिल्ली : राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ-28.

लाल, के. (2009). *वैदिक वाङ्मय विवेचन*. दिल्ली : जे.पी. पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-361.

विद्यालंकार, एस. (2017). *प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग*. नई दिल्ली : श्री सरस्वती सदन, पृष्ठ-30-31.

श्रीहरिवंशपुराण. (वि.सं. 2073). *श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत महा-भारत-खिलभाग हरिवंश श्रीहरिवंशपुराण*, 2/110/66, इकतीसवाँ पुनर्मुद्रण. गोरखपुर : गीताप्रेस. पृष्ठ-818.

श्रीहरिवंशपुराण. (वि.सं. 2073). *श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत महा-भारत-खिलभाग हरिवंश श्रीहरिवंशपुराण*, 1/41/27, पृष्ठ-191.

श्रीहरिवंशपुराण. (वि.सं. 2073). *श्रीहरिवंशमाहात्म्यम्*. गोरखपुर : गीताप्रेस. 1/9, पृष्ठ: 1387

श्रीहरिवंशपुराण. (वि.सं. 2073). *श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत महा-भारत-खिलभाग हरिवंश श्रीहरिवंशपुराण*, 1/1/18, पृष्ठ-19.

सरदाना, सी. & मेहता, के.एस. (2004). *कृषि जनसंचार कल, आज और कल*. दिल्ली: ज्ञान गंगा, पृष्ठ 49-50.

सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ-19.

सिंह, एस. (2021). *संप्रेषण प्रतिरूप एवं सिद्धांत*. फैजाबाद : भारत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ-05.

सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती

प्रकाशन, पृष्ठ-20.
सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ-23.
सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ-169.
सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ-170.
सिंह, ओ. पी. (2018). *संचार के मूल सिद्धांत*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ-171.
हींगड, ए., जैन, एम. पारीक, एस. (2015). *संचार के सिद्धांत*. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.पृष्ठ-41.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 21-26, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

मार्कंडेय पुराण में संचार : एक अध्ययन

पूजा शुक्ला[1]

सारांश

वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का आधार है। सभी प्रकार का ज्ञान-विज्ञान इसमें समाहित है। यह साहित्य संचार के पुरातन रूप को व्यक्त करता है। संचार प्रक्रिया, भाषा और व्याकरण का ज्ञान भारतीय संस्कृति में समुन्नत अवस्था में था। प्राचीन काल में गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसका स्वरूप मौखिक था। मौखिक संचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'श्रीमद्भागवत गीता' है। इसमें वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। पुराणों के वर्ण्य-विषय साधारण जन की समझ के अनुकूल हैं, जबकि वेदों व उपनिषदों की भाषा क्लिष्ट है। पुराणों, विशेषतः 'मार्कंडेय पुराण' संचार के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।

संकेत शब्द : मार्कंडेय पुराण, वैदिक साहित्य, संचार, मौखिक संचार, उपनिषद्

प्रस्तावना

पुराणों का भारतीय समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक माध्यमों के होते हुए भी आज भी जनमानस में पुराणों का श्रवण व वाचन हो रहा है। वर्तमान युग में सभी व्यक्ति एक द्वंद्व की स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे में यदि सकारात्मक संचार होता है, तो शांतचित्तता का अनुभव होता है। 'मार्कंडेय पुराण' में संचार के सभी प्रकार व माध्यम दृष्टिगत होते हैं। इसमें वर्णित सूचनाएँ आज भी जनमाध्यम में लोकप्रिय हैं। पुराण के मदालसोपाख्यान नामक अध्याय में वर्णित श्राद्धकल्प की सूचनाएँ आज भी भारतीय समाज में परंपराओं के रूप में सन्निहित हैं। इसमें उल्लिखित देवी स्तवन जनमानस में उपासना के रूप में विद्यमान है। इस पुराण में बताई गई सूर्य पूजा भी वर्तमान में लोगों द्वारा की जा रही है।

साहित्य सर्वेक्षण

गरिमा (2014) ने 'अ क्रिटिकल स्टडी ऑन द नाइन फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस दुर्गा एंड दियर मिथोलोजिकल नेरेटिव्स इन द मार्कंडेय पुराण' शीर्षक से तैयार अपने शोध पत्र में देवी दुर्गा के नौ रूप और उनकी उत्पत्ति से जुड़े कथानक का अध्ययन किया है (गरिमा, 2014)। इस शोध पत्र का अध्ययन, पौराणिक ग्रंथों का वर्तमान समाज में जनसंचारी प्रभाव जानने के उद्देश्य से किया गया है। इसी प्रकार उपाध्याय (2016) अपने शोध पत्र में बताते हैं कि संचार का ज्ञान वैदिक काल से ही था, यह आधुनिक काल की देन नहीं है। इसमें संचार के भारतीय संचार सिद्धांत की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। इस शोध पत्र का अध्ययन पौराणिक ग्रंथ में वर्णित संचार की प्रकिया को समझने के उद्देश्य से किया गया है। पूर्णिमा (अप्रैल 2019) ने 'इंडियन वीमन स्टेटस : अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव' शीर्षक से तैयार अपने अध्ययन में बताया है कि वैदिक काल में नारियों की स्थिति उच्च थी, परंतु आधुनिक काल में नारियों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। इस शोध पत्र का अध्ययन पौराणिक ग्रंथ में उल्लिखित सामाजिक व्यवस्था में नारियों की स्थिति व उनके संचार की शैली को जानने के उद्देश्य से किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

प्रत्येक अध्ययन की अपनी विशेषता एवं उपयोगिता होती है। इस अध्ययन की भी अपनी महत्ता है। भारतवर्ष में पुराकाल से लेकर वर्तमान तक रामायण, महाभारत, पुराणों आदि का श्रवण होता रहा है। इन कथाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, सिनेमा आदि बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा इन पुराणों में वर्णित कथाओं व नियामकों का प्रसारण तेजी से हो रहा है। साधारण जन पुराणों की कथाओं का न सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, अपितु इनमें उल्लिखित नीति-नियमों के अनुरूप अपनी जीवनशैली को परिवर्तित भी कर रहे हैं।

शोध उद्देश्य

- मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित आभ्यंतर संचार का स्पष्टीकरण।
- मार्कंडेय पुराण में वर्णित अंतर्वैयक्तिक संचार का अध्ययन करना।
- मार्कंडेय पुराण में देवी-देवताओं द्वारा किए गए समूह व जनसंचार का विवेचन करना।
- मार्कंडेय पुराण में वर्णित परंपरागत संचार माध्यमों का वर्णन करना।

शोध उपकल्पना

- मार्कंडेय पुराण में आभ्यंतर संचार का विवेचन है।
- मार्कंडेय पुराण में अंतर्वैयक्तिक एवं समूह संचार के संदर्भ प्राप्त होते हैं।
- मार्कंडेय पुराण में जनसंचार के संदर्भ प्राप्त होते हैं।
- मार्कंडेय पुराण में संचार के परंपरागत दृश्य, दृश्य-श्रव्य माध्यमों के संदर्भों का वर्णन है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत इस शोध में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया

[1]शोधार्थी, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी. ईमेल : pooja.shukla0624@gmail.com

है। शोध हेतु अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध पद्धति व तुलनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में समय का ध्यान रखते हुए मार्कंडेय पुराण के हरिश्चंद्रोपाख्यान, मदालसोपाख्यान, देवी शप्तशती, सूर्य स्तवन और अनसूयोपाख्यान नामक अध्यायों को ही लिया गया है।

विश्लेषण

संप्रेषण की कला के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न है। मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में संचार महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को शारीरिक भाषा एवं शाब्दिक भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुँचाना चाहता है। मानव की इसी उत्सुकता ने संचार को जन्म दिया है। संचार प्रक्रिया में शरीर के अंग सूचना प्रेषक, सूचना ग्राहक, संचार माध्यम व संचार संपादन एवं संचार नियंत्रक का कार्य करते हैं।

आभ्यंतर संचार

आभ्यंतर संचार एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसका केंद्र मनुष्य स्वयं होता है। आभ्यंतर संचार में व्यक्ति स्वयं के अनुभव, विचार, चिंतन आदि के अनुरूप घटनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है। आभ्यंतर संचार अन्य संचारों (जैसे-अंतर्वैयक्तिक, समूह एवं जनसंचार) का केंद्र होता है (सिंह, 2002)। इसी संचार के आधार पर व्यक्ति अन्य संचारों को संपादित करता है। भारतीय वैदिक साहित्य में आभ्यंतर संचार के बहुतायत उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें आभ्यंतर के विषय में सारवान विवरण प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है :

तत्त युक्तस्तु यो योगी स तल्लयमवाप्नुयात।
अकारस्त्वथ भुर्लोक उकार भूवर्लोक।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-142/9)

अर्थात् इस ओंकार में संयुक्त होने से ही योगी उसमें विलीन होते हैं।

अकार भूर्लोक उकार भुवर्लोक।

उक्त श्लोक में योगी का विलीन होना आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। आभ्यंतर संचार मनुष्य के अंतर्मन से संबंधित है। इसलिए आभ्यंतर संचार की प्रवृत्ति अंतर्मुखी व अभौतिक है।

त्यक्तङ्गों जितक्रोधो लहवाहारी जितेन्द्रियः।
विधाय बुद्धया द्धाराणि मनो ध्याने निवेशयेत।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-141/19)

अर्थात्, संगपरित्यागपूर्वक जितक्रोध, लघुभोजी और जितेंद्रिय होकर बुद्धियोग द्वारा विधान करके चित्त को ध्यान में निमग्न करे। इस श्लोक में चित्त को ध्यान में निमग्न करना आभ्यंतर का उदाहरण है। ध्यान अंतर्मुखी क्रिया है। ध्यान आभ्यंतर संचार में ही संभव है। आभ्यंतर संचार ही वह ऊर्जा है, जिससे संबद्ध अन्य संचार संचालित होते हैं। आभ्यंतर संचार के माध्यम से ही व्यक्ति हर्ष, उन्माद, क्रोध, चिंतन, शोक प्रकट करता है।

तां तथा ताडितां दृष्ट्वा हरिश्चन्द्रो महीपतिः।
गच्छामीत्याह दुःखार्तो नान्यति नान्यत्किञ्चिदुदाहरत।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-22/60)

अर्थात् महीपति हरिश्चंद्र ने देवी को इस प्रकार ताड़ित होता देखकर अत्यंत दुःखी हो अन्य कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मात्र यही कहा कि भगवन्! जाता हूँ। इस श्लोक में हरिश्चंद्र का दुःखी होना आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आभ्यंतर संचार स्वस्थ एवं सामान्य मनुष्य के अंतःकरण में होने वाली प्रक्रिया है। आभ्यंतर संचार ही अन्य संचारों का मूल है।

एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता।
तुष्टाव तेजसां राशिं गगनस्थं दिवाकरम्।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-299/16)

अर्थात् वह एकाग्रचित्त नियतहार और श्रेष्ठ नियमपरायण हो गगन में स्थित तेजोराशिस्वरूप दिवाकर की स्तुति करने लगी। इस श्लोक में अदिति का उपासना करना परंपरागत आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। इस श्लोक में दानवों व दैत्यों द्वारा अपने पुत्रों को पराजित और यज्ञभाग से वंचित हुआ देख अदिति सूर्य की उपासना करने लगी और यही सूर्य उपासना वर्तमान में भी की जा रही है।

अंतर्वैयक्तिक संचार

अंतर्वैयक्तिक संचार वह संचार प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर संचार करता है। यह संचार दो व्यक्तियों के मध्य या छोटे समूह में संपादित होता है। इस संचार में सहभागिता का गुण प्रधान होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में एक ही व्यक्ति कभी संप्रेषक की भूमिका निभाता है, तो कभी वही व्यक्ति श्रोता बन जाता है। इस संचार में प्रतिपुष्टि तत्काल होती है। प्राचीन काल से परंपराओं का हस्तांतरण होता आ रहा है।

अवरुहय रथात्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च।
यथावृतं समाचख्यौ राक्षसेन समागमन्।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-222/4)

अर्थात्, फिर उन्होंने रथ से उतरकर उनके समीप उपस्थित हो उनको प्रणामपूर्वक, राक्षस का समागम, ब्राह्मणी का दर्शन उसके दुष्टस्वभाव का नाश, उसको पति के घर भेजना और अपने पुनर्वार आने का उद्देश्य वर्णन किया। इस श्लोक में राजा उत्तम का ऋषि को प्रणाम करना अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। इस कथानक से स्पष्ट है कि प्रणाम करना या सम्मान देना परंपराओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रहा है। अंतर्वैयक्तिक संचार प्रक्रिया में संप्रेषक एवं श्रोता परस्पर जुड़े रहते हैं। इस संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि तत्काल हो जाती है। पुराणों में वर्णित यह विवरण कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है :

राजोवाच।। आनीतापि हि सा विप्र प्रतिकूला सदैव मे।।
दुःखाय न सुखायालं तस्था मैत्री न वै मयि।।
यथा ते ब्राह्मणी विप्र वशगा तव सुन्दरी।।
तथा त्वं कुरु यत्नं में यथा सा वशगामिनी।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-124/6)

अर्थात्, राजा बोले—हे विप्र! अपनी पत्नी के लाने पर भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहेगी, वह सुख का कारण नहीं है, केवल दुःख का ही कारण है; क्योंकि मुझमें उसका स्नेह नहीं है। हे विप्रोतम! जिससे वह मेरी पत्नी मेरे वशीभूत हो, आप उसी में यत्न कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए मित्रविंदा यज्ञ करूँगा। इस श्लोक में राजा का ब्राह्मण से कहना और ब्राह्मण का तत्काल ही उत्तर देना प्रतिपुष्टि का उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक संचार में जिज्ञासा एवं अनुभूति का अधिक महत्त्व है। पुराणों की कथाओं का अध्ययन करने से यह वक्तव्य स्पष्ट होता है :

कस्य शापदियं प्राप्ता भवद्रिर्न्विक्रिया परा।।
रूपस्य वचसश्चैव तन्मे वक्तुमिहार्हथ।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-8/13)

अर्थात्, सत्य कहो, तुमने ऐसे स्पष्ट वचन किस प्रकार उच्चारण किए और किस शाप से तुम्हारे वाक्य और रूप की ऐसी विक्रिया उत्पन्न हुई है? इस श्लोक में ऋषि शमीक का पक्षियों से वार्तालाप करना अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। मार्कंडेय पुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अंतर्वैयक्तिक संचार का प्रारूप प्राचीनकाल से ही प्रचलन में है। दत्तात्रेय जी के कथानक में यह वर्णन प्राप्त होता है कि दत्तात्रेय जी ने अंतर्वैयक्तिक संचार के द्वारा ही अलर्क को योगचर्या की शिक्षा दी थी।

अलर्क उवाच, भगवन्योगिनश्चवर्थ्यो श्रोतुमिच्छामि तत्तवतः।।
ब्रह्मवर्त्मन्यनुसरन्यथा योगी न सीदति।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-140/42)

अर्थात्, अलर्क ने कहा—हे भगवन! योगी अपने आचार और ब्रह्मपथ के अनुगामी होने से जिस प्रकार नाश को प्राप्त नहीं होते, वह विषय यथार्थ सुनने की इच्छा करता हूँ। इस श्लोक में अलर्क का दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त करना अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। इस विवरण से स्पष्ट है कि अंतर्वैयक्तिक संचार व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होकर होता है। इस संचार में भावों की अभिव्यक्ति सरलतम ढंग से हो जाती है। अंतर्वैयक्तिक संचार में वार्तालाप के साथ-साथ विचारों की भिन्नता भी निहित है।

समूह संचार

समूह संचार की प्रक्रिया समूह में संपन्न होती है। जब कोई समूह एक समान लक्ष्य या उद्देश्य के निमित्त एकत्रित हो और उसके मध्य संदेश संप्रेषित हो तो उसे समूह संचार की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक संपर्क के अनुसार समूह दो प्रकार के होते हैं—प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह उस समूह को कहते हैं, जिनके सदस्यों के मध्य घनिष्ठता व सहभागिता की भावना विद्यमान हो। इसकी सदस्यता जीवनपर्यंत रहती है। परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। द्वितीयक समूह लक्ष्य आधारित होते हैं। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समूह बनाए जाते हैं। इनके सदस्यों के संबंध औपचारिक होते हैं, जैसे सामाजिक संगठन, स्कूल आदि।

समूह संचार की घनिष्ठता और सहभागिता समूह के सदस्यों की संख्या पर निर्भर है। इसमें श्रोता स्थिर होते हैं और उनकी भागीदारी निश्चित होती है। इसमें सदस्यों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान प्रभावी रूप में होता है। समूह संचार में प्रतिपुष्टि अंतर्वैयक्तिक संचार के विपरीत स्थिति की होती है। समूह संचार समान उद्देश्य को पूर्ति के लिए होता है, इसलिए इस संचार में सामान्य हित के प्रति सर्तकता होती है।

तस्मिञ्जाते महावीर्ये गन्धर्वाणां महोत्सवः।।
वभूव मनुजण्याध्रे तेन कार्यमवेक्षताम्।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-348/22)

अर्थात्, महावीर्यशाली इस पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके द्वारा भविष्यत प्रयोजन सिद्ध होने की आशा से गंधर्वों में महा-उत्सव उपस्थित हुआ था। इस श्लोक में भामिनी को पुत्र होने पर गंधर्वों का महा-उत्सव करना परंपरागत समूह संचार का उदाहरण है। उपर्युक्त कथा के श्लोक से यह ज्ञात होता है कि जन्म के समय उत्सव का होना, गान होना विभिन्न समाज की परंपरा में विद्यमान रहता है। परंतु अवसर आने पर यह परंपरागत समूह संचार के रूप में उपस्थित हो जाता है।

ऋषिरूवाच।। देव्या हते तत्र महासुरेंद्र सेंद्राः सुरा बहिपुरोगमास्ताम्।।
कात्यायनी तुष्टुवुरिष्टलाभाद्विका शिवऋाञ्जविकाशिताशाः।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-272/28)

ऋषि बोले, जब देवी ने उस महा असुरेंद्र का संहार कर डाला, तब इंद्र और अग्नि को आगे करके समस्त देवता अपने इष्टफल की प्राप्ति हो जाने के कारण अपने प्रसन्न मुखकमलों से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उन कात्यायनी देवी का स्तवन करने लगे। इस श्लोक में देवताओं का देवी के लिए स्तवन करना परंपरागत समूह संचार का उदाहरण है। परंपरागत समूह संचार में वंदन, स्तवन, आदि प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवताओं का देवी के लिए स्तुति करना परंपरागत समूह संचार की प्रकृति है। पुराकाल से लेकर आज के आधुनिक युग में भी लोग धार्मिक कृत्यों का पालन उसी प्रकार से करते हैं, जैसे उनके परंपराओं व रीति-रिवाजों में विद्यमान है। समूह संचार चूँकि एक उद्देश्य के निमित्त होता है, इसलिए इस संचार में सामान्य हित के प्रति सतर्कता होती है।

भारतीय वैदिक साहित्य विशेषतः मार्कंडेय पुराण की कथाओं का अध्ययन करने से यह वक्तव्य दृष्टिगत होता है :

पुष्पानुलेपनाधैश्च धूपगन्धादिकेस्तथा।।
जपहोमान्नदानाद्यैः पूजनं ते समाहिताः।।
कुर्वन्तस्तुष्टुवुर्वह्मन्विवस्वन्तं द्विजातयः।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-311/60)

हे ब्राह्मण! अनुलेपन, गंध, पुष्प, धूप दीप जल, होम और नैवेद्य इत्यादि के द्वारा सावधान चित्त से पूजा करते ब्राह्मणगण सूर्यदेव की स्तुति करने लगे। सभी ब्राह्मण गणों का अपने राजा राज्यवर्धन के लिए समूह में पूजा करना समूह संचार का उदाहरण है। जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट है। सभी ब्राह्मण सामान्य हित की पूर्ति हेतु समूह में पूजा कर रहे थे। समूह संचार प्रत्यक्ष संचार होता है, इसलिए प्रतिपुष्टि मध्यम भाव की होती है।

जनसंचार

जनसंचार का प्रवाह बहुत व्यापक है। एक साथ एक समय में बहुतायत लोगों तक संदेश को प्रेषित करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार का श्रोता वर्ग अति विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। इस प्रकार जनसंचार को ऐसे संचार की संज्ञा दी जा सकती है, जो अति विशाल जनसमुदाय में एक साथ संदेश प्रेषित करता हो। जनसंचार का वर्तमान समाज पर बहुत प्रभाव है। इसी के अनुरूप समाज की मनोदशा एवं जीवनचर्या निर्देशित हो रही है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा लोगों के व्यवहार निर्देशित हो रहे हैं। इसलिए समय-समय पर वक्ताओं द्वारा रामायण और पुराणों का वाचन लोगों को प्रभावित कर रहा है। इन्हीं वक्ताओं के माध्यम से समाज में वैदिक साहित्यों विशेषतः मार्कंडेय पुराण में वर्णित सकारात्मक सूचनाएँ लोगों तक पहुँच रही है। वैदिक काल, विशेष रूप से यदि पुराणों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि जनसंचार द्वारा सूचनाओं का संग्रह एवं प्रसार किया जाता था। मार्कंडेय पुराण में भी ऐसे उद्धरण दृष्टिगत होते हैं।

बृहस्पतिरुवाच।। दत्तात्रेयं महाभागमत्रेः पुत्रं तपोधनम्।।
विकृताचरणं भक्तया सन्तोषयितुमर्हथ।।
(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-70/139)

बृहस्पतिजी बोले, हे देवताओं! तुम भक्तिसहित तपोधन महात्मा विकृताचारी अर्थात् जिनका आचरण अच्छा नहीं है, अत्रिपुत्र दत्तात्रेयं को संतुष्ट करने की चेष्टा करो। इस श्लोक में बृहस्पति जी का सभी देवताओं को सूचना देना जनसंचार का उदाहरण है। सूचना प्रसारित करने के अतिरिक्त जनसंचार की सामाजिक उपादेयता भी है। जनसंचार जनसमुदाय व शासक के मध्य पुल का कार्य करता है। पुराकाल में भी जनसंचार की यही भूमिका थी, परंतु स्वरूप परिवर्तित था।

कस्यचित्वथ कालस्य कार्तवीर्योऽर्जुनो बली।।
कृतवीर्ये दिवं याते मन्त्रिभिः सपुरोहितैः।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-64/177)

बलवान कार्तवीर्य के स्वर्ग जाने के पीछे कुछ काल बीतने पर पुरवासी, मंत्री और पुरोहितों ने एकत्र होकर उनके पुत्र अर्जुन को स्वीय राज्य में अभिषिक्त करने के लिए बुलाया। इस श्लोक में सारे मंत्रियों, पुरोहितों का राजा को बुलाना जनसंचार का उदाहरण है। जनसंचार जनमत निर्माण का भी कार्य करता है।

एतन्निशम्य ते भूपा, विस्पष्टामर्षपूरिताः।।
ऊचुः परस्परं सर्वे समुतस्थुश्रव सायुधाः।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-337/28)

अर्थात्, यह सब वचन सुनकर भूपालगण अत्यंत कुपित हो परस्पर उत्साहपूर्वक बातचीत करने लगे और फिर शस्त्रग्रहण करके उठ खड़े हुए। इस श्लोक में बहुत से राज्यों के राजाओं का परस्पर वार्तालाप करना जनसंचार का उदाहरण है। इस श्लोक में कथा के अध्ययन से स्पष्ट है कि पुरा-काल में भी जनसंचार द्धारा जनमत निर्माण होता था। राजा अविक्षित के विरुद्ध सभी राजाओं ने जनमत निर्माण किया और युद्ध करने को तत्पर हुए। इस प्रकार जनसंचार एक व्यापक संचार है, जिसके माध्यम से बहुत ही विस्तृत रूप में श्रोता समूह तक संदेश प्रेषित होते हैं। जनसंचार के द्वारा ही समाज की संस्कृति, मनोवृत्ति एवं विचार निर्देशित हो रहे हैं। जनसंचार, जनव्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। जनसंचार सामाजिक मूल्यों के निर्माण में भी कार्य करता है। जनसंचार बाह्य संचार की श्रेणी में आता है। जनसंचार ने विश्व की परिधि को समेट दिया है।

संचार माध्यम

संचार माध्यम का संचार प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संचार माध्यमों द्वारा ही सूचनाओं का प्रवाह अथाह जनसमुदाय तक संभव होता है। संचार माध्यम की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। आधुनिक संचार माध्यमों की नींव प्राचीन काल के माध्यमों पर आधारित है। भारतीय वैदिक साहित्यों में इसके अनेकानेक वर्णन प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि पुराकाल में आकाशवाणी के माध्यम से भी सूचना वितरित की जाती थी। इसके अतिरिक्त संचार के अनेकानेक माध्यम प्रचलित थे। आधुनिक काल में भी वह प्रचलित है। जैसे यज्ञ, कथा, धर्मोपदेश आदि।

अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्।।
सतो यमेघगम्भीर वगुवाचाशरोरिणी।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-301/17)

अर्थात्, अनंतर सजल जलद के समान गंभीर अशरीरिणी वाणी अंतरिक्ष से कश्यप को संबोधन देकर कहने लगी। इस श्लोक में सूचना का माध्यम आकाशवाणी को दर्शाया गया है। अतः यह ज्ञात होता है कि माध्यम पुराकाल से ही सूचना वितरण के साधन थे। प्राचीन भारत में आधुनिक संचार माध्यमों की तरह सूचना संचार व्यवस्था उपस्थित थी। भाषा भी संचार माध्यम का प्रथम चरण है। भाषा के ही माध्यम से संचार प्रभावी होता है। संचार माध्यम सूचना के संग्रहण और वितरण के द्वारा समाज के लोगों तक सूचना पहुँचाने का कार्य करता है। संचार माध्यम स्त्रोत एवं श्रोता के बीच में मार्ग का कार्य करता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में परंपरागत संचार माध्यमों द्वारा ही संप्रेषण प्रक्रिया होती थी।

दृश्य माध्यम

दृश्य माध्यम के अंतर्गत आँखों द्वारा प्राप्त सूचनाएँ सम्मिलित की जाती हैं, यदि हम वैदिक साहित्य विशेषतः मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करें तो कथानक के श्लोक में परंपरागत दृश्य माध्यम के अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते हैं।

लिख्यमानं सहस्त्राशुं प्रणेमुः सर्वदेवताः।।
ततः कोलाहले तरिन्मन्सर्वदेवसमागमे।।
तेजसः शान्तनं चक्रे विश्वकर्मा शनैः शनैः।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-305/63)

अर्थात्, लिख्यमान ने सहस्त्रांशु को प्रणाम किया। देवता इत्यादि के समागम का उस समय कोलाहल होने पर विश्वकर्मा ने धीरे-धीरे तेज क्षीण किया। इस श्लोक में सूर्य देव को प्रणाम करना परंपरागत दृश्य माध्यम का उदाहरण है।

श्री देव्युवाच।। यत्प्रार्थ्यते त्वया भूय त्वया च कुलनन्दन।।
मतस्तन्प्राप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि तत्।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-218/9)

देवी बोली, हे राजन! तुम जो प्रार्थना करते हो, और हे कुलनंदन वैश्य! तुम भी जो प्रार्थना करते हो, तुम मेरे निकट से उन सबको प्राप्त होंगे। मैं संतुष्ट होकर वह प्रदान करती हूँ। इस श्लोक में देवी का दर्शन करना परंपरागत दृश्य माध्यम का उदाहरण है। पुरा काल से लेकर आधुनिक काल तक धार्मिक उपासना के समय सूर्य देव को प्रणाम करने की परंपरा चली आ रही है। अतः उक्त श्लोक में सूर्य देव को प्रणाम करना परंपरागत दृश्य माध्यम का उदाहरण है।

श्रव्य माध्यम

श्रव्य माध्यम में उच्चारित किए प्रतीक जटिल सूचना और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु ध्वनि, संगीत आदि के माध्यम से इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि ये मूर्तिमान प्रतीत होने लगते हैं और इसकी जटिलता सरलता में परिवर्तित हो जाती है।

देवदुन्दुभयः शङ्खा शतशोऽथ सहस्त्राश।।
गायद्रिश्रेवव गान्धर्वे नृत्यादिश्राप्सरो गणैः।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-305/61)

अर्थात्, देवदुंदुभी और शंख इत्यादि सैकड़ों हजारों बाजों और वाद्यों की ध्वनि होना परंपरागत श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। उक्त श्लोक में सूर्य के जन्म का वर्णन है। जन्म के समय वाद्यों का बजना हमारी परंपराओं में निहित है। आज आधुनिक युग में जब किसी बालक का जन्म होता है तब वाद्यों को बजाया जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल

तक चली आ रही है।

दृश्य-श्रव्य माध्यम

दृश्य-श्रव्थ माध्यम के अंतर्गत नौटंकी, रामलीला, कृष्णलीला, कठपुतली नृत्य आदि आते हैं। इस माध्यम के अंतर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान आँख के साथ कान द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे दृश्य-श्रव्य माध्यम कहा जाता है। संचार के इस माध्यम का उपयोग अनेकानेक होता है। प्राचीन भारत में संप्रेषण के माध्यम में नृत्य को भी दर्शाया गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पाणिनि ऋषि को ध्वनियों का बोध शिव ने नृत्य और डमरू के माध्यम से कराया था। शिव और सरस्वती को संचार के देवता की मान्यता दी जाती है। परंपरागत दृश्य-श्रव्य माध्यम में नृत्य, नाटक आदि के द्वारा वैदिक काल से ही सूचना का संप्रेषण किया जाता रहा है।

प्रजगु र्देवगन्धर्वा ननृतुथात्सरोगणाः।।
पुष्पाणि ससृजुर्मेधा देववाद्यानि सस्वनुः।।

(मार्कंडेय पुराण, 2016, पृष्ठ-348/13)

अर्थात्, जिस काल में विवाह संपन्न हुआ, उसी समय गंधर्वों ने संगीत और अप्सराओं ने नाचना आरंभ किया। मेघों ने पुष्पों की वर्षा की, देवताओं के बाजे बजने लगे। इस श्लोक में नृत्य करना व वाद्यों का बजना व पुष्प वर्षा परंपरागत दृश्य-श्रव्य माध्यम का उदाहरण हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि विवाह के समय नृत्य व गीत होना हमारी परंपराओं में सन्निहित है। पुराकाल से लेकर आधुनिक युग तक ये परंपराएँ निभाई जाती हैं। परंपरागत दृश्य-श्रव्य माध्यम के द्वारा दी गई सूचनाएँ व ज्ञान आज भी प्रभावी हैं।

निष्कर्ष

मानव जीवन संचार आधारित है। संचार के द्वारा ही व्यक्ति का सामाजिक जीवन संभव होता है। भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मूल में उसकी परंपराएँ व संस्कृति निहित है। व्यक्ति आधुनिक परिवेश में जीवनयापन करते हुए भी स्वयं को इन परंपराओं व संस्कृति से भिन्न नहीं कर पाता है। आधुनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त भी जनमानस पुराणों का श्रवण कर रहा है। पुराणों की भाषा सरल व बोधगम्य है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथाओं के माध्यम से भारतीय जीवन आदर्श, योग, वर्ज्यावर्ज्य कथन, श्राद्ध कल्प आदि की शिक्षा प्राप्त और प्रसारित भी की जा रही है। विश्व में अनेक वक्ताओं द्वारा कथाओं का वाचन व श्रवण हो रहा है। आधुनिक तकनीकी और पुराणों की कथाओं के मेल के संगम से सकारात्मक संचार संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। आधुनिक तकनीकी इसे समाप्त करने के स्थान पर और अधिक जनमानस तक सुगमता से उपलब्ध करा रही है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित योग एक प्रकार से वैदिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। यह साधारण जनमानस में पुराणवेत्ताओं द्वारा प्रचारित हुआ और आज लोगों की जीवनशैली का अभिन्न अंग है। इसी प्रकार वर्ज्यावर्ज्य की शिक्षा और श्राद्ध कल्प का ज्ञान भी लोगों द्वारा परंपराओं के रूप में अपनाया जा रहा है।

संदर्भ

उपाध्याय, जी. (मार्च 2016). संचार : ज्ञान का साधारणीकरण, मीडिया नवचिंतन. https://www.mcu.ac.in/media-nav-chintan/2016/Jan-Mar/mn_47_53.pdf से पुनःप्राप्त.

गरिमा, के. (2014). अ क्रिटिकल स्टडी ऑन द नाइन फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस दुर्गा एंड दियर मिथोलोजिकल नेरेटिव्स इन द मार्कंडेय पुराण. द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्युमनिटीज & सोशल स्टडीज. https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/140787#:~:text=The%20nine%20forms%20of%20the%20Durga%20are%20Shailputri%2C%20Brahmacharini%2C%20Chandraghanta,in%20the%20above%20given%20sequence. से पुनःप्राप्त.

पूर्णिमा, टी. जी. (अप्रैल 2019). इंडियन वीमन स्टेटस : अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. मुअल्लिम जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्युमनिटीज. https://mjsshonline.com/index.php/journal/article/view/48 से पुनःप्राप्त.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 142/9.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 141/19.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 22/60.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 299/16.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 222/4.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 124/6.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 8/13.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 140/42.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 348/22.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 272/28.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 311/60.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 70/139.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 64/117.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 337/28.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 301/17.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई :

खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 305/63.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 218/9.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 305/61.

मार्कंडेय पुराण. (2016). *मार्कंडेय पुराण हिंदी टीका सहित*. मुंबई : खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, पृष्ठ 348/13.

सिंह, ओ. पी. (2002). *संचार के मूल सिद्धांत*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 27-30, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में भाषा और संचार कला की अवधारणा

डॉ. उमेश कुमार[1] और डॉ. श्वेता पांडेय[2]

सारांश

वर्तमान संचार एवं जन माध्यम परिदृश्य में भारतीय सिद्धांतकारों एवं दर्शनशास्त्रियों की चर्चा नहीं के बराबर होती है, जबकि संचार के बहुत से सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मनीषा में असंगठित रूप से विद्यमान हैं। इनमें भरतमुनि का नाट्यशास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता का विश्वरूप, कठोपनिषद का यम-नचिकेता संवाद, संपूर्ण प्रश्नोपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, नारद भक्ति सूत्र समेत बहुत से ग्रंथों एवं रचनाओं को समाहित किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक काल से ही वेदों के अध्ययन की सुगमता एवं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रंथों की रचना हुई। शब्द व्युत्पत्ति एवं उनके अर्थ के लिए निरुक्त एवं निघंटु ग्रंथों की रचना हुई। इसी प्रकार व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि विषयों में भी भाषा की संरचना एवं शब्द-अर्थ संबंध पर विस्तृत विमर्श हुए। छंदशास्त्र या साहित्य या अलंकारशास्त्र में भी भाषा चिंतन का निदर्शन प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में संचार एवं कला के विषय में वर्णित सूत्रों का विश्लेषण किया गया है। इसमें संचार में भाषा और व्याकरण का महत्त्व, अच्छे संचारक के गुण, संचार की स्थिति का अवलोकन किया गया है।

संकेत शब्द : संचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, अष्टाध्यायी, शब्द और भाषा, संस्कृत ग्रंथ

प्रस्तावना

पाणिनि द्वारा रचित 'अष्टाध्यायी' को व्याकरण की सर्वोत्तम कृति स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ में आठ अध्याय हैं एवं प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं (कुमार, 1996)। इस ग्रंथ में भाषा की शुद्धता और लेखन के विषय में विस्तार में चर्चा की गई है। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है और सूत्र तथा वार्तिकों पर भगवान् पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य है। संक्षेप में सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों का सम्मिलित रूप 'पाणिनीय व्याकरण' कहलाता है और सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं भाष्यकार पतंजलि—तीनों व्याकरण के 'त्रिमुनि' कहलाते हैं।

अष्टाध्यायी छह वेदांगों में मुख्य माना जाता है। अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र और आरंभ में वर्णसमाम्नाय के 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का परिमाण एक सहस्र अनुष्टुप श्लोक के बराबर है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को 'सर्ववेद-परिषद्-शास्त्र' कहा गया है। अर्थात् अष्टाध्यायी का संबंध किसी वेदविशेष तक सीमित न होकर सभी वैदिक संहिताओं से था और सभी के प्रातिशरूय अभिमतों का पाणिनि ने समादर किया था (अष्टाध्यायी अथवा सुत्रपाठ पाणिनीकृत,1998)। अष्टाध्यायी में अनेक पूर्वाचार्यों के मतों और सूत्रों का संनिवेश किया गया। उनमें से शाकटायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन और चाक्रवर्मण का उल्लेख पाणिनि ने किया है।

पाणिनि को भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। पाणिनि के विषय में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जानकारी मिलती है। यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना का समय माना जाता है। इसके साथ ही पाणिनि को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व (यह काल बुद्ध और महावीर का रहा) का भी माना जाता है। पाणिनि का निवास स्थल सलातुरा (गांधार) माना जाता है, जो वर्तमान समय में उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। महर्षि पाणिनि के बारे में यह संभावना है कि वे तक्षशिला के महान् विश्वविद्यालय से भी जुड़े थे। यहीं से कौटिल्य और चरक को शासन कला और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण पहचान बनाने में मदद मिली। पाणिनि के महान् व्याकरण 'अष्टाध्यायी' की रचना के समय तक संस्कृत वस्तुतः अपने शास्त्रीय रूप में पहुँच चुकी थी और उसके बाद बहुत कम विकसित हुई (अष्टाध्यायी और व्याकरण, 2023)। पाणिनि का व्याकरण, जिसका आधार पहले के कई व्याकरणविदों द्वारा किया गया कार्य था, ने संस्कृत भाषा को प्रभावी रूप से स्थिरता प्रदान की। पहले के कार्यों ने आधार को एक शब्द के मूल तत्त्व के रूप में मान्यता दी थी तथा कुछ 2,000 एकाक्षरिक आधारों को वर्गीकृत किया था, जिसे उपसर्ग, प्रत्यय एवं विभक्ति के साथ भाषा के सभी शब्दों को प्रदान करने का विचार था (मुखर्जी, 2022)।

भाषा और अष्टाध्यायी

भारतीय ज्ञान परंपरा मूल रूप से भाषा केंद्रित मानी है। शब्द की सत्ता महत्त्वपूर्ण है और इसी की व्याख्या सभी ज्ञान के विषयों में सावधानीपूर्वक की गई है (कुमार, 1998)। पाणिनि ने सभी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए प्रकृति-प्रत्यय विभाग का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, जिन शब्दों की प्रकृति-प्रत्यय विभाग स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता वहाँ भी सार्थक मूल ढूँढ़कर काल्पनिक प्रत्यय के योग द्वारा शब्द सिद्धि (विश्लेषण) कर लेनी चाहिए। उनकी कृति 'उणादि सूत्र' में ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति की गई, जिनको व्याकरण के सामान्य नियमों से विश्लेषित नहीं कर सकते। शब्दों/पदों की व्याख्या करने के लिए, प्रकृति के आधार पर पाणिनि ने छह प्रकार के सूत्रों की रचना की है :

'सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रं मतम्।।' (अष्टाध्यायी-भाष्यं, 1984)

संज्ञा सूत्र : नामकरणं संज्ञा-तकनीकी शब्दों का नामकरण।

परिभाषा सूत्र : अनियमे नियमकारिणी परिभाषा।

विधि सूत्र : विषय का विधान।

[1]सह आचार्य, जन संचार एवं नव मीडिया विभाग, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू-कश्मीर, ईमेल : umesh.mcnm@gmail.com
[2]सहायक आचार्य, ललित कला संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश. ईमेल : shwetapandeygkb@gmail.com

नियम सूत्र : बहुत्र प्राप्तो सङ्कोचनं हेतु।

अतिदेश सूत्र : जो अपने गुणधर्म को दूसरे सूत्रों पर लागू करते हैं।

अधिकार सूत्र : एकत्र उपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः।

भाषा के लिए शब्द प्रथम होते हैं। शब्दों के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। पाणिनि ने शब्द की व्याख्या करने के लिए छह प्रकार के सूत्रों की रचना की और भाषा के शुद्धीकरण का प्रयास किया है।

वाक्य रचना और अष्टाध्यायी

भर्तृहरि ने वाक् उत्पादन की भी दार्शनिक विवेचना की। उन्होंने वाक् के चार स्तर बताए (परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी)। इनमें परा एवं पश्यंती वाक् का अनुभव योगियों को होता है। यह वाक् की सर्वोच्च अवस्था होती है, जहाँ भाषा या विचार प्रकाश रूप में होते हैं। मध्यमा स्तर पर वाक् या भाषा का मानसिक मूर्त रूप होता है। इस स्तर पर ही विचार भाषा का रूप या आकार लेते हैं। वैखरी वाक् के स्तर पर वाक् या भाषा, वाक्यों एवं शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होने की स्थिति में आती है। भर्तृहरि ने वाक्य को एक अर्थपूर्ण अविभाजित पूर्ण इकाई माना है। वाक्य को भाषा-अध्ययन की सुगमता के लिए शब्दों एवं पदों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन वास्तविक नहीं होता। वाक्य ही वास्तविक भाषिक सत्ता है, शब्द एवं पद वाक्य से निकाले गए अवास्तविक अमूर्तन हैं (वर्मा एवं कृष्णास्वामी,1989)।

वाक्य रचना के संबंध में पाणिनि ने प्रथम और द्वितीय अध्याय में चर्चा की है। पाणिनीय व्याकरण में वाक्य एवं वाक्यांश का निष्पादन करने के लिए 'अष्टाध्यायी' सूत्रपाठ में कुल दो स्थानों पर दो सूत्रसमूह रखे गए हैं। प्रथम 'कारकपाद' में क्रिया-निर्वर्तक विभिन्न कारकों का निरूपण किया गया है। भाषा में 'वाक्य' क्रिया के बिना तो संभव ही नहीं है। इसका आशय यह है कि किसी भी वाक्य में यदि कोई क्रिया नहीं है, तो वह 'वाक्य' नहीं कहा जाता है। अतः किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रवेश सबसे पहले ही होता है, परंतु साथ में ही उस क्रिया, जो कि हमेशा साध्यकोटि में होने के कारण, के साधनों अर्थात् क्रियानिर्वर्तकों—'कारकों' का भी निरूपण आवश्यक बन जाता है। अतः पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' के प्रथम अध्याय में ही 'कारकपाद' में विभिन्न कारसंज्ञाओं का निरूपण किया है और उसके बाद द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में 'विभक्ति' रखा है। ये दोनों प्रकार के पाद परस्पर मिलकर 'वाक्य' की रचना करते हैं।

शब्द का रूप और उसका प्रयोग

शास्त्र में शब्द का रूप ही बोधगम्य और प्रेरक होता है। शब्द का संज्ञा को छोड़कर कोई बाह्य अर्थ नहीं। चूँकि किसी शब्द के लिए अर्थ समझने के अर्थ में कार्य करना असंभव है, इसलिए सूत्र इस कथन से शुरू होता है कि उसे सूचित करने वाले शब्दों को संयुग्मित नहीं किया जाना चाहिए। 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा' (1.1.68) सामान्यतः व्यवहार में अर्थात् भाषा में शब्दों का प्रयोग 'अर्थ' के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के लिए, वाक्यांश 'आग जलाती है' का अर्थ 'आग जलाना' नहीं है, बल्कि 'आग नामक कोई भी पदार्थ जलता है'। अत: 'आग जलाती है' वाक्यांश पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

उच्चारण और अभिव्यक्ति

पाणिनि के अनुसार शब्द के उच्चारण में जो साधन है, वह मनुष्य को सबसे पहले जानने चाहिए। बच्चा जन्म के समय भाषा को नहीं जानता है, वह ध्वनि का उच्चारण करता है और उसके माता-पिता या परिवार जन उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद माता-पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं और तत्पश्चात् शुद्ध बोलना अर्थात् व्याकरण की जानकारी दी जाती है। पाणिनि कहते हैं कि व्याकरण भाषा का तीसरा अंग है। प्रथम अंग बोलना और द्वितीय अंग शब्दों को सही स्थान पर रखना है। आज के समय में भी यह सर्वथा प्रमाणित सिद्ध होता है कि भाषा के ज्ञान के लिए पहले उसके शब्दों को सीखना और उसके बाद व्याकरण के अनुसार उनको प्रतिस्थापित किया जाना होता है। पाणिनि के अनुसार उच्चारण के लिए तीन विधि बताई गई है—उदात्त, अनुदात्त व स्वरित। उदात्त के संबंध में कहा गया है कि 'उच्चैरादीयते इति उदात्तः' अर्थात् उदात्त स्वर के उच्चारण में इतनी बातें होनी चाहिए कि शरीर के सभी अंगों को कठोर कर लेना चाहिए, अर्थात् ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। शब्द के निकलने के समय सख्त रुखा स्वर निकले और गले को फैलाना नहीं चाहिए। ऐसे यत्नों से जो स्वर उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त कहलाता है। अनुदात्त के संबंध में पाणिनि का विचार है कि 'नीचैरनुदात्तः' कंठ, तालु आदि स्थानों के निचले भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे अनुदात्त कहते हैं। ऐसे शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया जाता है। इसके बाद स्वरित उच्चारण के संबंध में चर्चा की गई है। स्वरित उच्चारण के संबंध में कहा गया है : 'समाहारः स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा'। अर्थात् कंठ तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे स्वरित कहते हैं। अर्थात् उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण में मेल होता है, वह स्वरित कहलाता है। वह नव प्रकार का स्वर पुनः अनुनासिक व अननुनासिक (निरनुनासिक) भेद से दो प्रकार का होता है।

भारतीय ग्रंथों में ध्वनि उत्पादन की कुल पाँच विधियाँ हैं (चतुर्वेदी, 2023) :

कंठ्या (वेलार) : गले और जीभ के पिछले हिस्से का उपयोग करना

तालव्य (तालव्य) : जीभ और कठोर तालु का उपयोग करना

मूर्धन्य (सेलिब्रल) : तालु के ऊपरी अग्र भाग और जीभ के अग्र भाग का उपयोग करना

दंत्य (दंत) : दाँतों और जीभ के अगले भाग का उपयोग करना

ओष्ट्या (लेबियल) : होठों का उपयोग करना।

अष्टाध्यायी एक पूर्ण मशीन भाषा

वर्तमान समय में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर में मशीन भाषा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे में विद्वानों ने मशीन भाषा को विकसित करने के लिए अनुसंधान किया है और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत पाणिनि कृत अष्टाध्यायी का भी विश्लेषण इसके संबंध में किया गया है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान् डॉ. ऋषि राजपोपत ने संस्कृत की सबसे बड़ी पहेली - 'अष्टाध्यायी' में पाई जाने वाली व्याकरण की समस्या को हल करने का दावा किया है। अष्टाध्यायी भाषा के ध्वन्यात्मकता, वाक्य विन्यास और व्याकरण को गहराई से समझती है। इसमें एक 'भाषा मशीन' भी शामिल है, जो उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी संस्कृत शब्द के मूल और प्रत्यय में प्रवेश करने एवं बदले में व्याकरणिक रूप से सही शब्द तथा वाक्य प्राप्त करने में मदद करता है।

अष्टाध्यायी के बारे में यह भ्रम है कि दो या दो से अधिक व्याकरण

के नियम एक साथ लागू हो सकते थे, जिससे भ्रम पैदा होता था। पाणिनि ने इसका समाधान करने के लिए एक 'मेटा-नियम' (नियमों को नियंत्रित करने वाला नियम) प्रस्तुत किया था, जिसकी ऐतिहासिक रूप से व्याख्या की गई थी कि यदि समान प्रकार के दो नियमों में विवाद होता है, तो 'अष्टाध्यायी' के क्रम में बाद में आने वाला नियम मान्य होगा। विद्वानों ने यह तर्क देते हुए एक सरल दृष्टिकोण अपनाया कि इतिहास में मेटा-नियम की गलत व्याख्या की गई है। वास्तव में पाणिनि का मतलब यह था कि किसी शब्द के बायें और दायें पक्षों पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में पाठकों को दायें हाथ के नियम का उपयोग करना चाहिए। इस तर्क का उपयोग करते हुए डॉ. राजपोपत ने पाया कि 'अष्टाध्यायी' अंततः एक सटीक 'भाषा मशीन' बन सकती है, जो लगभग प्रत्येक बार व्याकरणिक रूप से ध्वनि शब्दों और वाक्यों का निर्माण करती है। इस खोज से अब पाणिनि प्रणाली का उपयोग करके लाखों संस्कृत शब्दों का निर्माण करना संभव हो सकता है और चूँकि उनके व्याकरण के नियम सटीक और सूत्रबद्ध थे, तो वे कंप्यूटर सिखाए जा सकने वाले संस्कृत भाषा के एल्गोरिद्म के रूप में कार्य कर सकते हैं (मुखर्जी, 2022)।

अच्छे संचारक के गुण

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शब्दों के उचित उच्चारण के साथ-ही-साथ एक अच्छे संचारक के गुणों की भी व्याख्या की है। उनके अनुसार एक अच्छा संचारक वह होता है, जो शब्दों का उपयोग उनकी महत्ता के अनुसार करता है और परिस्थिति के अनुसार उनका उच्चारण करता है (उपाध्याय, 2016)। शब्दों के उच्चारण के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं, अन्य स्थिति में उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कई बार लेखन में व और ब में अंतर नहीं किया जाता है, तो उसका अर्थ बहुत ही अलग हो जाता है। उदहारण के लिए 'राम बन गए' या 'राम वन गए'। इनके अर्थ बहुत ही अलग हो जाते हैं।

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अच्छे संचारक के बारे में लिखा है कि ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो दूसरों की समझ में आ जाए। उन्होंने लिखा है कि 'अन्येश्वपी दृश्यते' अर्थात् ऐसा दूसरों में भी देखा जाता है। जिस प्रकार से दूसरों में देखा जाता है उसे वैसे ही कहना उचित होता है जिससे कि संचार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अष्टाध्यायी के अनुसार एक अच्छे संचारक को 'सत्यां प्रेष्यताम्' के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। एक अच्छा संचारक वही है जो सत्य का निरूपण करता है और सफलतापूर्वक अपनी बात को कहता है (वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइक्लोपीडिया, 2015)।

निष्कर्ष

संस्कृत भाषा हिंदू जीवन दर्शन में संचार का पारंपरिक साधन रही है। संस्कृत साहित्य को प्राचीन काव्य, नाटक और विज्ञान के साथ-साथ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में भी प्रयोग किए जाने के विपुल उदाहरण उपलब्ध हैं। माना जाता है कि भाषा का निर्माण मानव मुख में उत्पन्न ध्वनियों की प्राकृतिक प्रगति को देखकर हुआ है। इस प्रकार ध्वनि को भाषा निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। यह प्रमुख कारणों में से एक है कि संस्कृत कविता में समृद्ध रही है और मानव कान के लिए सुखदायक सही ध्वनियों के माध्यम से सर्वोत्तम अर्थ निकालने की इसकी अभिव्यंजक गुणवत्ता है। वैदिक संस्कृत में अमूर्त संज्ञाएँ और दार्शनिक शब्द भी शामिल हैं, जो किसी अन्य भाषा में नहीं मिलते हैं। व्यंजन और स्वर इतने लचीले हैं कि उन्हें सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, भाषा अपनी पहुँच, जटिलता और एक ही अर्थ या वस्तु को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्दों के कारण बिना आधार के एक अंतहीन महासागर की तरह है। अष्टाध्यायी में 3959 व्यवस्थित नियम हैं, जो संक्षिप्तता में अपरिवर्तित हैं तथा अद्भुत विश्लेषण, स्पष्टीकरण और भाषा और शब्द निर्माण के अधिमान्य उपयोग से भरे हुए हैं। यह भाषा इतनी विशाल है कि इसमें वर्षा का वर्णन करने के लिए 250 से अधिक शब्द, पानी का वर्णन करने के लिए 67 शब्द और पृथ्वी का वर्णन करने के लिए 65 शब्द हैं। यह वर्तमान आधुनिक भाषाओं की तुलना में संस्कृत की उदारता को सिद्ध करता है। हालाँकि, हिंदू धर्म की उपजातियाँ अपनी बोली, नस्ल, पंथ और रैंक में भिन्न हो सकती हैं, पर संस्कृत को एकमात्र पवित्र भाषा माना और स्वीकार किया जाता है, जो सभी के लिए एकमात्र उपलब्ध पवित्र साहित्य को जन्म देती है, भले ही भारत में 5000 बोली जाने वाली भाषाओं का भंडार है। पाणिनि भाषा के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार थे, जो आज भी कई रूपों में उपयोग में है। बोली जाने वाली भाषा के रूप में संस्कृत दुर्लभ है और भारत के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ लोग इसे अपनी पहली भाषा के रूप में भी मानते हैं, लेकिन भारत के संविधान में इसका देश की 14 मूल भाषाओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर्नाटक संगीत में भजन, श्लोक, स्तोत्र और कीर्तन के रूप में किया जाता है, जो सभी देवताओं के विभिन्न भजनों और भगवान् की पूजा के गीतों और मंत्रों का संकेत देते हैं।

संदर्भ

अष्टाध्यायी अथवा सूत्रपाठ पाणिनिकृत (1998). अष्टाध्यायी अथवा सूत्रपाठ पाणिनिकृत, https://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/aShTAdhyAyI.pdf से दिनांक 6 नवंबर, 2023 को पुन:प्राप्त.

अष्टाध्यायी-भाष्यं. (1984). https://ia800606.us.archive.org/33/items/AshtadhyayiBhashyaCollection/019%20Ashtadhyayi%20Bhashyam-1-Dayananda_text.pdf से दिनांक 13 जनवरी, 2023 को पुन:प्राप्त.

अष्टाध्यायी और व्याकरण. (2023). पाणिनि की अष्टाध्यायी और व्याकरण की सबसे बड़ी पहेली, https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/panini-s-ashtadhyayi-grammar-s-greatest-puzzle से दिनांक 13 जनवरी. 2023 को पुन:प्राप्त.

उपाध्याय. जी. (2016). संचार : ज्ञान का साधारणीकरण. मीडिया नव चिंतन. शोध पत्रिका.

कुमार, ए. (1996). *अष्टाध्यायी पदानुक्रम कोश*. दिल्ली : परिमल पब्लिकेशन.

कुमार. के. (1998). *लिटरेरी थ्योरी : इंडियन कांसेप्चुअल फ्रेमवर्क*. नई दिल्ली : एफिलिएटेड ईस्ट वेस्ट प्रेस.

चतुर्वेदी. ओ. के. (2023). *संस्कृत : मोर दैन जस्ट अ मेथड ऑफ*

कम्युनिकेशन https://www.sanskritimagazine.com/sanskrit-more-than-just-a-method-of-communication/ से दिनांक 15 जुलाई 2023 को पुन:प्राप्त.

मुखर्जी, एन. (2022). ग्रामर्स ग्रेटेस्ट पजल : व्हाट वाज द संस्कृत प्रॉब्लम इन पाणिनि अष्टाध्यायी, नाउ साल्व्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट? https://indianexpress.com/article/explained/explained-culture/panini-grammar-puzzle-ashtadhyayi-rishi-rajpopat-explained-8329338/ से दिनांक 13 जनवरी, 2023 को पुन:प्राप्त.

वर्मा, एस.के. & कृष्णास्वामी, एन. (1989). *मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स : एन इंट्रोडक्शन*. नई दिल्ली : ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइक्लोपीडिया. (2015). https://www.worldhistory.org/Sanskrit/ से पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 31-40, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

वाल्मीकि रामायण में संचार के विविध संदर्भ

डॉ. लोकनाथ[1]

सारांश

भारत में अनादिकाल से संवाद एवं संचार की उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। श्रीराम, देवर्षि नारद, श्रीकृष्ण एवं महर्षि वेदव्यास, हनुमान आदि ने अपनी 'संवाद एवं संचार' की कला के बल पर ही समाज का नेतृत्व किया था और 'संचार एवं संवाद' को मानवहित की कसौटी पर कसा था। वाल्मीकि रामायण में वार्तालाप करने में चतुर, धैर्यवान्, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, धर्म के ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ, ज्ञानी, धर्म के रक्षक, स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद-वेदागों के तत्त्ववेत्ता, शास्त्रों के तत्त्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभासंपन्न, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले सबके प्रिय श्रीरामचंद्र जी एक कुशल संचारकर्ता हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से स्पष्ट है कि सदैव रामजप करने वाले, वेदों के विशेषज्ञ, एक महान मंत्री, अनेकानेक भाषा के जानकार, एक कुशल राजदूत, आज्ञाकारी भक्त, दूसरों के लिए आदर्श, धर्म पालक, राजनीति में निपुण, रामराज्य के पहरेदार, विवेकी द्वारपाल की भूमिका, मन, कर्म तथा वाणी की एकता, आत्मविश्वासी और निडर, कुशल नेतृत्वकर्ता, अहंकार रहित दृष्टिकोण, कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी लेना, लोकव्यवहार तथा सही वार्तालाप करना, निर्णय लेने की क्षमता आदि गुण हनुमान जी में विद्यमान थे। अतः स्पष्ट है कि श्रीराम एवं हनुमान जी कुशल संचारकर्ता थे, क्योंकि उक्त गुण एक कुशल संचारक में होता है। वाल्मीकिकृत रामायण आदिकाव्य है। इसकी कथा जन-मानस में संचारित होती रही है। इसमें कुल 7 कांड हैं—बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इन कांडों में सर्ग तथा श्लोक हैं। जिसमें संपूर्ण रामकथा का वर्णन है। रामायण की विषय वस्तु व्यापक एवं लोकहित की कामना से रचित है। रामायण में आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार एवं समूह संचार के विविध संदर्भ प्राप्त होते हैं। साथ ही अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वाल्मीकि रामायण में श्रीराम एवं हनुमान जी कुशल संचारकर्ता थे।

संकेत शब्द : महर्षि वाल्मीकि, रामायण, श्रीरामचंद्र, सीता, हनुमान, संचार, आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार

प्रस्तावना

रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। वर्तमान में संचार विश्वव्यापी हो गया है, परंतु संचार का केंद्र मनुष्य का अंतःस्थल है। सूचना मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य एकाकी हो अथवा समूह में उसके आभ्यंतर में चिंतन की क्रिया-प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है। वर्तमान में संचार का जो स्वरूप विद्यमान है, उसके मूल में विकास की लंबी प्रक्रिया छिपी है। मनुष्य ने चेतना के साथ प्रारंभ में शारीरिक भाषा का प्रयोग किया। भाषा और लिपि के विकास के साथ ही संचार की प्रक्रिया में विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हुईं। धीरे-धीरे लेखन की शैली आदि का विकास हुआ। मनुष्य अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को कविता, कथा आदि के माध्यम से संग्रहीत करने लगा।

वाल्मीकिकृत रामायण आदिकाव्य है। इसकी कथा जन-मानस में संचारित होती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ईश्वर के अवतार हैं, ऐसे राम का चरित्र निश्चय ही सर्वमंगलकारी है। रामायण का महत्त्व एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में अंगीकार किया जा सकता है। कथाओं के मध्य में धर्मशास्त्रीय, नीतिशास्त्रीय तथा राजनीति विषयक श्लोक आए हैं, जिनमें शास्त्रपरक दृष्टि परिलक्षित होती है :

'कामार्थगुण संयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरम्।
समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम्।।
स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना।
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 3/8-9, पृ. 36)।

अर्थात् 'देवर्षि नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान् वाल्मीकि मुनि ने रघुवंशविभूषण श्रीराम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सभी रत्नों का निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी गुणों से युक्त तथा इनका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन एवं शिक्षा प्रदान करने वाला महाकाव्य है।' संचार विशेषज्ञ प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने अपनी पुस्तक 'आदि पत्रकार नारद और उनकी पत्रकारिता' में लिखा है : 'महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर नारदजी ने सर्वप्रथम वाल्मीकि के समक्ष श्रीरामचरित का विशद वर्णन किया। नारदजी के द्वारा वर्णित श्रीरामचरित का वर्णन अपने महाकाव्य रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया। इस प्रकार रामायण कथा और श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के स्रोत तथा प्रेरक हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में उल्लिखित श्लोक संख्या 06 से 100 के अंतर्गत वर्णित है' (सिंह, 2013, पृ.28-29)। इसी पुस्तक में प्रो. सिंह आगे लिखते हैं : 'आज से हजारों वर्ष पहले यदि आज का समाज नहीं था तो आज के समाज की सभी विशेषताएँ भी ज्यों-की-त्यों नहीं मिल सकतीं। इससे भी आगे चलें तो लाखों वर्ष पूर्व का समाज आज के जीवन की तुलना में भी काफी भिन्न था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि विकास एक सामाजिक सत्य है तो उसी प्रकार परिवर्तन भी एक ही रूप में देखना सत्य नहीं है। इसी कारण पत्रकारिता को सिर्फ वर्तमान की सीमा में बाँधना भी सच्चाई नहीं है। पत्रकारिता का विकास संचार से जुड़ा है, क्योंकि पत्रकारिता संचार का ही एक भाग है। संचार की मुख्य

[1]सहायक आचार्य, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश). ईमेल : loknath.vns@gmail.com

प्रकृति सूचना अथवा संदेश का प्रेषण करना है' (सिंह, 2013, पृ.73-74)।

भारतीय कालगणना के अनुसार रामायण का रचनाकाल त्रेतायुग है। भारतीय कालगणना का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के जीवन चक्र से न होकर संपूर्ण सृष्टि के उद्भव से जुड़ा है। जो भी हो, इतना तो कह सकते हैं कि रामायण त्रेतायुग में विद्यमान सामाजिक संदर्भ को लिपिबद्ध करने वाला अथवा व्यक्त करने वाला जीवंत महाकाव्य है। इसके प्रमाण में रामायण में वर्णित भौगोलिक संदर्भ मुख्य हैं। इनमें जिन स्थलों, पर्वतों, नदियों आदि का उल्लेख है, वे सब वर्तमान में भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं।

अधिकतर विद्वान् इस मत से सहमत हैं कि मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। परंपरागत रूप में वाल्मीकि को 'आदिकवि' एवं उनकी रचना को 'आदिकाव्य' कहा जाता है :

'धर्म्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्।
आदिकाव्यमिदं चार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम्।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, युद्धकांड, 128/107, पृ.595)।

अर्थात्, 'यह ऋषिप्रोक्त आदिकाव्य रामायण है, जिसे पूर्वकाल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करनेवाला एवं राजाओं को विजय देनेवाला है।'

'श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण भारतवर्ष में गंगा के पुण्यप्रवाह की भाँति लोकमंगलकारी है। वाल्मीकि संस्कृत-भाषा के आदिकवि हैं। उनके द्वारा विरचित रामायण संस्कृत भाषा का पहला 'आर्ष महाकाव्य' माना जाता है' (प्रसाद, (1994), पृ.: 29)।

वाल्मीकि द्वारा प्रणीत वह मूल रामायण, जिसका गायन कुश और लव ने अपने पिता राजा श्रीराम के दरबार में किया था, उसके बारे में उत्तरकांड में यह कहा गया है कि वाल्मीकि द्वारा की गई रचना को केवल अपराह्न तक गाया गया था, जिसे सुनकर समस्त श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे।

'एवं प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च।
प्रवृत्तमादितः पूर्वसर्गं नारददर्शितम्।
ततः प्रभृति सर्गांश्च यावद् विंशत्यगायताम्।
ततोऽपराह्णसमये राघवः समभाषत।।
श्रुत्वा विंशतिसर्गांस्तान् भरतं भ्रातृवत्सलः।
अष्टादशसहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनोः।
ददस्व शीघ्रं काकुत्स्थ बालयोर्मा वृथा श्रमः।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, उत्तरकांड, 94/16-18, पृ. 805)।

अर्थात् 'नगर और जनपद में निवास करनेवाले मनुष्य जब लव और कुश के बारे में बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग—मूल रामायण का गान प्रारंभ हुआ। वहाँ से लेकर बीस सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात् अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में बीस सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्रीराम जी ने भाई भरत से कहा—'काकुत्स्थ! तुम इन दोनों महात्मा बालकों को अठारह हजार स्वर्ण-मुद्राएँ पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके अलावा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो।' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लव और कुश ने अपराह्न तक केवल 20 सर्ग ही गाए थे तथा शेष सर्गों का गायन आगे के दिनों में किया गया।'

'उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै स्तदास्य
रामस्य चकार कीर्तिमान्।
समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो
यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 2/42, पृ. 35)

बालकांड में एक स्थान पर कहा गया है : 'उदार दृष्टिवाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान् श्रीरामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ानेवाला है। इसमें श्रीराम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है।' सनातन मान्यता में राम एक आदर्श राजा हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, यथा—परिजनों, मित्रों, प्रजाजनों तथा अन्य सामाजिक-संबंधों में आदर्श मानदंड स्थापित किए। उनके परिवार की कथा एक औसत भारतीय परिवार की सामान्य कथा के अनुरूप लगती है। इनमें सबसे असाधारण तथा मन-बुद्धि को प्रभावित करनेवाला प्रसंग श्रीराम का वह व्यवहार है, जिसे उन्होंने अपने परिजनों, मित्रों और यहाँ तक कि शत्रुओं तक के साथ निभाया। 'भारतीय-परंपरा में दशरथ-पुत्र राम सोलह महान् भारतीय-राजाओं में गिने जाते हैं। अतः भारत के प्राचीन इतिहास में अयोध्या-नरेश दशरथ के पुत्र श्रीरामचंद्र एक वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष थे। लेकिन आगे चलकर, संभवतः श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण के लोकप्रिय होने के कारण धीरे-धीरे श्रीराम में देवत्व आरोपित किया जाने लगा और वे विष्णु के अवतार स्वीकार कर लिए गए। इसके साथ ही आनेवाली शताब्दियों में उनके व्यक्तित्व के साथ अनेक कथाएँ भी जुड़ गईं' (वर्मा, 1993, पृ.13-14)।

प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास था; उन्होंने उसे बनाया, लिखा और आगे आनेवाली संतति को हस्तांतरित करते रहे। अपने शताब्दियों लंबे अनुभव के बाद उन्होंने इस सत्य को पहचाना कि प्रत्येक राजा अथवा ऋषि के वृत्त को सुरक्षित रखना न तो सरल कार्य है और न उपयोगी ही। इस कारण उन्होंने केवल उन्हीं महापुरुषों के जीवन की ऐसी विशिष्ट घटनाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जो आनेवाली पीढ़ियों को जीवन के चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सहायता दें। इस प्रकार इतिहास की विधा को भी सामाजिक और वैयक्तिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ जोड़ दिया गया। रामायण को 'इतिहास पुरातन' कहा गया है। इसका उदाहरण इन श्लोकों में है।

'पूजयंश्च पठंश्चैनमितिहासं पुरातनम्।
सर्वपापैः प्रमुच्यते दीर्घमायुरवाप्नुयात्।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, युद्धकांड 128/117, पृ. 596)।

अर्थात् 'रामायण प्राचीन इतिहास है, जो इसका पूजन और पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और बड़ी आयु पाता है।'

रामायण पूर्वघटित आख्यान है :

'एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः।
प्रव्याहरत विस्रब्धं विष्णोः प्रवर्धताम्।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, युद्धकांड, 128/121, पृ. 596)।

अर्थात् वाल्मीकि रामायण को लव और कुश कहते हैं कि 'यह पूर्व घटित आख्यान है, पूर्णविश्वास के साथ इसका पाठ करना चाहिए।'

'भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम्।
ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, युद्धकांड, 128/123, पृ. 596)।

अर्थात् जो लोग श्रीरामचंद्र में भक्तिभाव रखकर महर्षि वाल्मीकिनिर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं, उनका स्वर्ग में निवास होता है।

अतः रामायण के श्रवण, पाठ तथा लिखने को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। राजा के दैनिक कार्यक्रम में इतिहास-पुराण को सुनना एक मुख्य कार्य माना गया है। जनसाधारण भी इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को रुचिपूर्वक सुनते थे और इस प्रकार भारत में ऐतिहासिक घटनाएँ आबाल-वृद्ध को स्मरण रहती थीं। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत में इतिहास-चेतना संसार के किसी भी भाग की अपेक्षा अधिक व्यापक थी। इस प्रकार यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि रामायण एक गाथाकाव्य होने के कारण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है।

रामायण से यह स्पष्ट होता है कि केवल मानवों में ही नहीं, वरन् समस्त उत्तर भारत में उस समय एक उन्नत सभ्यता थी। वनवास में भी राम एवं लक्ष्मण के पास अत्यंत उन्नत किस्म के शस्त्रास्त्र थे। सुग्रीव, जो अपने भाई बालि द्वारा निष्कासित जीवन बिता रहा था, राम और लक्ष्मण के उन्नत शस्त्रों को देखकर ही आशंकित होकर उनकी ओर आकर्षित हुआ था। हनुमान ने अपने परिचयात्मक वार्तालाप में राम और लक्ष्मण के शस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं।

'इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने।
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/16, पृ. 653)।

राम के पास ऐसा कौन-सा अस्त्र है, जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया? यहाँ पर लंकापति रावण की भी जिज्ञासा राम के शस्त्रों के विषय में जानने की हुई, जिन्होंने अकेले असंख्य राक्षसों का वध कर दिया था।

'आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसा हताः।
खरश्च निहतः सङ्ख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, अरण्यकांड, 34/3, पृ. 544)

यह सामान्य रूप उत्तर-भारतीयों और मुख्य रूप से मानवों की प्राविधिक कुशलता का संकेतक है। वाल्मीकि रामायण भारतवर्ष की संस्कृति, धर्म तथा अध्यात्म से जुड़ा है और भारतीय-चरित के उदात्त तथा आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करता है। अतः रामायण को काल की सीमा में बाँधना कदाचित उपयुक्त नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में राक्षसों द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण मानव अथवा मनुज के रूप में ही संबोधित किए गए हैं। बाद के युग में मानव का अर्थ मनुष्य हो गया। राम और हनुमान के बीच वार्तालाप, परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता से हनुमान जी का वार्तालाप आदि संचार के उदाहरण हैं।

शोध उद्देश्य

1. वाल्मीकि रामायण में संचार के विविध संदर्भ का अध्ययन करना।
2. वाल्मीकि रामायण में आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार एवं समूह संचार का पता लगाना।
3. वाल्मीकि रामायण में श्रीराम एवं हनुमान जी का एक संचारक के रूप में अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महर्षि वाल्मीकि प्रणीत 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण' (हिंदी अनुवाद सहित), वि.सं. 2064, बत्तीसवाँ पुनर्मुद्रण को लिया गया है, साथ ही इस अध्ययन में विशेष रूप से रामायण में वर्णित कांडों, सर्गों एवं श्लोकों को भी उद्धृत किया गया है। वाल्मीकिकृत रामायण में कुल 7 कांड हैं—बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तर कांड। इन कांडों में कुल 645 सर्ग/अध्याय तथा 22850 श्लोक हैं, जिनमें संपूर्ण रामकथा का वर्णन है। इसके साथ ही मीडिया शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों का भी उपयोग किया गया है।

वाल्मीकि रामायण में संचार के विविध संदर्भ को जानने से पहले संचार का अर्थ समझना आवश्यक है। 'संचार' शब्द संस्कृत के 'चर' धातु से बना है। 'चर' का अभिप्राय है—'चलना'। इसका तात्पर्य है आगे बढ़ना, फैलना, गमन या संदेशवाहक साधन आदि' (त्रिपाठी, 2002, पृ.237)।

संचार को अनेक संचार विशेषज्ञों ने परिभाषित किया है। उसी में एक प्रमुख विद्वान् जे. पॉल लीगंस के अनुसार, 'संचार एक प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की शृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है' (मिश्र, 2003, पृ.28)।

संचार को समझने के लिए जब हम मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि विश्व में अनेक ऐसे महापुरुष, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता हुए हैं, जिन्होंने संचार के माध्यम से मानवता को प्रभावित किया है। 'भारतीय संस्कृति में वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत एवं गीता आदि संचार के प्राचीनतम रूपों को अभिव्यक्त करते हैं। संचार शब्द संस्कृत की 'चर' धातु से निःसृत है, जिसका अभिप्राय चलना है। गंभीर अर्थों में निरंतर आगे बढ़ती रहने वाली प्रक्रिया संचरण कहलाती है' (मिश्र, 2003, पृ.27)।

भारतीय संचार विशेषज्ञ प्रो. ओम प्रकाश सिंह के अनुसार, 'संचार मानवीय समाज की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक-अनुभवों, व्यवहारों एवं आवश्यकताओं का परस्पर आदान-प्रदान किया जाता है। इसमें निश्चित लक्ष्य निहित होता है, यह व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित एवं प्रभावित करता है। इसमें समता, भागीदारी की सूचना एक संप्रेषक एवं श्रोता के मध्य स्वतः विद्यमान रहती है' (सिंह, 1993, पृ. 57)। संचार के चार प्रकार मानव समाज में विद्यमान रहे हैं, जो निम्नवत हैं—आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार। संचार के विविध प्रकार मानव समाज में प्रत्येक कालखंड में विद्यमान रहे हैं। हालाँकि युगानुरूप इनके स्वरूपों में परिवर्तन अवश्य हुए हैं। इन संचारों का आधार आभ्यंतर संचार है। 'रामायण एवं महाभारत में संचार दर्शन नामक शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में 'आभ्यंतर, अंतर्वैयक्तिक एवं समूह संचार के विविध संदर्भ प्राप्त होते हैं' (लोकनाथ, 2017, पृ.732)।

वाल्मीकि रामायण में मनुष्य के आत्मचिंतन का विस्तार से वर्णन है। आत्मचिंतन, व्यक्तिगत चिंतन-मनन स्वयं व्यक्ति के भीतर होता है, जो आभ्यंतर संचार का उदाहरण है। यह मनुष्य की भावना, स्मरण, चिंतन या उलझन के रूप में हो सकता है। मनोविज्ञान में इस प्रकार के संचार पर विशेष अध्ययन हुआ है। वस्तुतः संचार के प्रकारों में आभ्यंतर संचार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

रामायण कथा वर्तमान समय में जन-जन में व्याप्त है। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ही संचार संबंधी जिज्ञासा से होता है।

ऊँ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्।
नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्।। 1।।
को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः।। 2।।
चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः।
विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।। 3।।
आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः।
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे।। 4।।
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 1/1-4, पृ. 27)।

अर्थात् 'महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद से पूछा—मुने! इस समय इस संसार में गुणवान्, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और दृढ़प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हितसाधक, विद्वान्, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुंदर) पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखनेवाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं।'

वाल्मीकि और नारद के बीच अंतर्वैयक्तिक संवाद

इस प्रश्नों के उत्तर में देवर्षि नारद ने सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि को रामकथा सुनाई। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद के मध्य अंतर्वैयक्तिक संवाद से ही रामायण कथा का अवतरण हुआ। आदिकवि वाल्मीकि को रामायण कथा की अभिप्रेरणा क्रौंचवध की कथा से प्राप्त हुई है। रामायण के बालकांड में वर्णन आता है कि एक बार वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के किनारे मध्याह्नकालीन स्नान हेतु गए। मुनि के साथ उनके शिष्य भरद्वाज भी थे। तमसा तीर्थ में स्नान करने हेतु शिष्य ने वाल्मीकि मुनि से वल्कल वस्त्र ले लिया और क्षणभर के लिए वन की सुषमा का निरीक्षण करने लगे। उसी समय एक क्रौंच पक्षी का युगल वहाँ विचरण कर रहा था। मुनि के देखते ही एक बहेलिये ने क्रौंचयुगल में से नर पक्षी को बाण से आहत कर दिया। वह रुधिर से लथपथ होकर तड़पता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अपने पति की हत्या देखकर उसकी भार्या क्रौंची करुण क्रंदन करने लगी। ऐसे करुणाद्रि दृश्य को देखकर मुनि के हृदय में शापस्वरूप यह वाणी निकल पड़ी—

मा निषाद! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत् क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।15।।
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 2/15, पृ. 33)।

अर्थात् 'निषाद! तुझे नित्य-निरंतर-कभी भी शांति न मिले; क्योंकि तुने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली।' इसके पश्चात् क्रौंच पक्षी के जोड़े में निषाद द्वारा नर क्रौंच की हत्या के उपरांत मादा क्रौंच की दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में जो विषाद/शोक उत्पन्न हुआ, उससे सहसा श्लोक छंद प्रकट हुआ।

'पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः।
शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा।। 18 ।।'
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 2/18, पृ. 33)।

वाल्मीकि अपने शिष्य से इस प्रकार बोले—'तात! शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह चार चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर-बराबर (यानी आठ-आठ) अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है; अतः मेरा यह वचन श्लोकरूप (अर्थात् श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशःस्वरूप) होना चाहिए, अन्यथा नहीं।' इसी के पश्चात् व्यथित वाल्मीकि की अंतःप्रेरणा से निकला छंद रामायण की रचना का आधार बना।

'तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् पुनिपुङ्गवम्।।30।।
श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा।
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती।।31।।'
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, बालकांड, 2/30-31, पृ. 34)।

इसी क्रम में आगे वर्णन है कि 'ब्रह्माजी रामायण कथा के उद्देश्य से वाल्मीकि के पास आए और ब्रह्माजी उनकी मनःस्थिति को समझकर हँसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन्! तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोकरूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है।' उक्त कथन से स्पष्ट है कि नर क्रौंच पक्षी की मृत्यु से मादा क्रौंच में उपजे विषाद को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में जो सहज आभ्यंतर संचार हुआ, वही रामायण की रचना का आधार बना। इस प्रकार रामायण की रचना में आभ्यंतर संचार एवं अंतर्वैयक्तिक संचार की भूमिका प्रमुख है।

'मनुष्य निरंतर अपने आप से बातें करता है। हम निद्रा में लीन रहते हैं तब भी स्वप्न देखना हमारा नैसर्गिक गुण है। यह स्वप्न ही आभ्यंतर संचार है। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। 'शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी भौतिक शक्ति के कारण सदैव दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है। वहीं एक भूखे पेटवाला स्वयं से अपनी भूख मिटाने की जरूरत के संबंध में संचार करता है। यह एक शरीर तांत्रिक कार्य है। मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास, प्रमे, घृणा एवं प्रसन्नता आदि का जन्म आभ्यंतर संचार द्वारा होता है। संचार प्रक्रिया को गति पहुँचाने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपक होते हैं। मस्तिष्क को अपने आंतरिक उद्दीपकों और स्नायुतंत्र से अपने शरीर की स्थिति का पता चलता है। व्यक्ति स्वयं अपने उद्दीपकों के द्वारा डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग तथा कोडिंग का कार्य निरंतर करता रहता है। ये तीन क्रियाएँ मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं' (राजगढ़िया, 2008, पृ.28-29)।

रामायण में आभ्यंतर संचार के संदर्भ

वाल्मीकि रामायण में आभ्यंतर संचार के संदर्भ मिलते हैं, जैसे—चिंतामग्न, मन-ही-मन प्रसन्नता, अंतःकरण में विचार, पश्चात्ताप, स्मरण, अभिलाषा, स्वाध्याय, स्मृति, चिंतन, शोकमग्न, शोक संतप्त, विषाद, मन में शंका, ध्यानमग्न, अंतःकरण में विचार, अनुराग, आनंदमग्न, अभिलाषा, आर्तभाव, आदर, व्याकुल, उत्साह का अनुभव, एकाग्रचित्त, क्रोध से पीड़ित, करुणाजनक, कामना, क्रोध से तमतमाना, कुपित होना, चिंता, चिंतामग्न, चिंतन, चेहरा का उतरना, चिंतामग्न, दुःखी होना, ध्यानमग्न, ध्यान, ध्यानस्थ, धैर्य, नेत्र का रोष, निश्चय, प्रसन्नता, प्रसन्न होकर चिंतन करना, परमार्थ, प्रसन्नता का अनुभव, पश्चात्ताप, बेसुध, बुद्धि, भय, भयभीत, मन में विचार, मन में सुख की प्राप्ति, मन-ही-मन

सोचना, मनोवांछित सुख, मनोरंजन, मन-ही-मन प्रसन्नता, मन-ही-मन एकाग्रचित्त होकर ध्यान करना, मोह, मानसिक वेदनाएँ, मन में शंका, मंत्र, मन में कसक, मन लगाना, मन का व्याकुल होना, विस्मय, विषाद, विश्वास, विवेक, व्याकुल हृदय में जलन, व्यथित, संध्योपासना, सोच-विचार, स्वाध्याय, स्मृति, स्मरण, स्पर्श, स्वप्न, स्वरूप पर मन में विचार, स्मरणीय, हर्ष, हृदय में विचार, शोक से पराजित एवं पीड़ित, शोकमग्न, शोक से व्याकुल, शोक संतप्त, विषाद एवं हताशा आदि आभ्यंतर संचार के संदर्भ हैं।

अंतर्वैयक्तिक संचार

इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में अंतर्वैयक्तिक संचार के भी संदर्भ प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे से बातचीत करता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार प्रक्रिया में संदेशों का प्रेषण मौखिक तथा अमौखिक जैसे—शारीरिक हावभाव, संकेत, बोली, स्पर्श, नेत्र संपर्क, मुस्कुराहट आदि से भी हो सकता है। इसमें प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तत्काल हो सकती है। संप्रेषक और संग्राहक की निकटता अंतर्वैयक्तिक संचार की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।

'एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विचारों, मतों, भावनाओं के आदान-प्रदान को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। यह आमने-सामने होता है। चूँकि यह दो व्यक्तियों के संपर्क से होता है। यह कहीं भी स्वर, शाब्दिक, संगीत, चित्र, नाटक, लोककला आदि माध्यमों से हो सकता है' (जैन, 2007, पृ. 85)।

परिस्थिति के आधार पर अंतर्वैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों का परस्पर संचार है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से विचारों, मतों, भावनाओं आदि के आदान-प्रदान को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। यह आमने-सामने होता है। चूँकि यह दो व्यक्तियों के संपर्क से होता है, इसलिए यह कहीं भी तथा किसी स्वर, संकेत, शब्द, संगीत, चित्र, ड्रामा वगैरह के माध्यम से हो सकता है। यह दोतरफा प्रक्रिया है। इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है तथा संचारक कोई चर्चा प्रारंभ होते ही फीडबैक प्राप्त करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता है। यह सबसे ज्यादा प्रचलित एवं सार्विक संचार है। यह सर्वत्र मौजूद है। मानव समाज में प्रारंभ से यह संचार का मुख्य रूप रहा है।

अंतर्वैयक्तिक संचार अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि संचारक और प्राप्तकर्ता भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के काफी निकट होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार में संदेश भेजने के अनगिनत साधन हैं। जैसे—भाषा, शब्द, चेहरे की प्रतिक्रया, भाव-भंगिमा, हाथ पटकना, आगे हटना, सिर झटकना, विभिन्न अंगों की हरकतें आदि। इसकी अपील भावनात्मक होती है और प्रापक को प्रभावित करने का काफी अवसर होता है। दूसरा व्यक्ति से सीधा संबंध स्थापित होता है तथा इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त हस्तक्षेप कर सकता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में फीडबैक तुरंत और बेहतर मिलता है। बाधा की संभावना कम होती है। आम तौर पर अनौपचारिकता होती है, कोई नियम नहीं होते, कोई बना-बनाया ढाँचा नहीं होता, इसलिए यह स्वाभाविक और सहज संचार है। किसी आधिकारिक वार्तालाप के दौरान कुछ औपचारिक नियम अवश्य होते हैं, लेकिन उनमें सहजता की काफी गुंजाइश होती है।

इसमें संचार के तरह-तरह के साधन हैं। तरह-तरह के संदेश भेजे जा सकते हैं। चाहे वे शब्द-संकेत हों या शरीर, आँख-हाथ के हाव-भाव। सामने वाले के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, इसलिए उसकी स्थिति के अनुसार संचार करके उसे सहमत किया जा सकता है, जबकि बड़े समूह के साथ संचार में हरेक की स्थिति का ख्याल नहीं रखा जा सकता है।

आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच वार्ता को ही इस श्रेणी में रखा जाता है, परंतु कुछ विद्वान् 3-4 की संख्या को भी इसमें शामिल कर लेते हैं; बशर्ते कि संख्या के कारण अंतर्वैयक्तिक संचार के मौलिक गुण बरकरार रहें। जैसे-जैसे यह संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे अंतर्वैयक्तिकता के गुण कम होते जाएँगे और समूह संचार का रूप बनता जाएगा।

'अंतर्वैयक्तिक संचार के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। लेकिन दो लोग मौजूद हों, तो कोई जरूरी नहीं कि अंतर्वैयक्तिक संचार भी हो ही जाए। इसके लिए उनके बीच अंतःक्रिया का होना भी अनिवार्य है, भले ही वह मौखिक हो या महज सांकेतिक' (राजगढ़िया, 2008, पृ. 29-31)।

रामायण में अंतर्वैयक्तिक संचार के संदर्भ

रामायण कालीन संचार व्यवस्था में आधुनिक संचार की प्रक्रियाएँ निहित थीं। वार्ता, कथा आदि संचार के रूप प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। वार्ता से अभिप्राय उपदेश, वाद-विवाद इत्यादि से है, जो कि प्राचीन भारत में एक देवता अथवा ऋषि के द्वारा दूसरे को दिया जाता था। वर्तमान समय की विकसित संचार शब्दावली में इसे अंतर्वैयक्तिक संचार की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे—रामायण में राजा दशरथ-विश्वामित्र संवाद, श्रीराम-परशुराम संवाद, कैकेयी-दशरथ संवाद, श्रीराम-भरत संवाद, श्रीराम-शबरी संवाद, श्रीराम-सुग्रीव संवाद, अंगद-रावण संवाद, श्रीराम-भारद्वाज संवाद, अन्य ऋषियों के साथ संवाद इसके अतिरिक्त अनुरोध, आश्वासन, आज्ञा, चर्चा, आदेश, आशीर्वाद, फूट-फूटकर रोना, निवेदन, बोलना, अभिवादन, उत्तर देना, वचन कहना, उपदेश, उपाय बताना एवं कोपभवन (असंतोष प्रकट करने का स्थान) में वार्तालाप आदि अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार रामायण के श्लोकों में उल्लिखित अंतर्वैयक्तिक संचार के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं : अनुरोध, अप्रिय वचन, अप्रिय बात, आश्वासन, आज्ञा, अगवानी, आपस में चर्चा, आज्ञा का पालन, आदेश, आश्वासन, आशीर्वाद, आपस में धर्मचर्चा, आँसू, ओछी समझकर और बातें सुनकर, आचरण, फूट-फूटकर रोना, आलिंगन, अशुभ चर्चाएँ, अभिप्राय निवेदन, अनुपम प्रीति, आज्ञा, आदरपूर्वक बोलना, अहंकारपूर्ण वचन, अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप, अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव, अभिवादन, अभिनंदन, आश्वासन, कहना, सुनाना, इशारे से समझना, उत्तर देना, उच्च स्वर में बोलना, उत्तर देना, उत्तम वचन कहना, उपदेश, उच्चारण करते हुए बोलना, उत्तरोत्तर बातें बनाना, उपाय बताना, उपहास, उद्देश्य, उज्ज्वल कीर्ति, उच्छ्वास, कथनानुसार, कथा कहना, कठोर वचन, कोपभवन में वार्ता (कोपभवन नाराजगी प्रकट करने का स्थान), अमंगल की बात पूछना, करतल का शब्द, कथन, कथा, कठोर बातें कहना, कठोर वाणी में बोलना, कंठ से बैखरी, वचन, कथनानुसार, बात, पूछना, कठोर स्वर, गर्जना, कलरव, कथा का वृत्तांत, बताना, कहकर, कराह, करुण वचन, बोलना, करुणस्वर से विलाप, स्वागत, कर्तव्य का आदेश, कथावार्ता, कर्तल ध्वनि, कीर्ति, किलकिल शब्द, कीर्तन, कुशल समाचार पूछना, कोलाहल, क्रोध से तमतमाकर बोलना, कठोरवाणी, कुशल समाचार, करुण-पुकार, कहे हुए उत्तम वचनों को सुनकर स्वीकारना, कठोर वाणी में कहना, करुणाजनक बात कहना, कीर्ति का वर्णन, वार्तालाप, कहने के लिए संदेश, कथा गाकर सुनाना, कही हुई बात सुनाना, गर्जना, गुणों का वर्णन,

गोपनीय स्तोत्र सुनना, गुणगान और स्तवन, गुप्त मंत्रणा, गुरुजनों से बर्ताव, गाथा, गाथा का गान, घटना का यथावत् रूप से वर्णन, घोषणा, तर्क, चर्चा, चिल्लाकर, चरित्र, चरितामृत को सुनकर उत्कंठा, चर्चा सुनकर मधुर वाणी में बोलना, चिह्नों को लक्ष्य किया, चिह्न पहचानना, चिह्न धारण, चीख, चर्चा सुनने को मिला, चारणों के कहे हुए वचन, चर्चाएँ करना, चीखना, चिल्लाना, चुपचाप, क्षमा-याचना, छाती से लगाना, जटामंडल, जनक का वचन सुनकर ऋषियों की परिक्रमा, जानना, जय-जयकार, जोशीले शब्द सुनकर कहना, जोर-जोर से विलाप, जोर-जोर से हँसना, झंकार, झूठी, डींग हाँकना, तरह-तरह की बातें करना, तर्क, तिरस्कार, तुम्हें सुनता हूँ, थोड़े शब्दों में मधुरतापूर्वक कहना, दान देना, दान का रहस्य बताना, दीक्षा, दुर्घटना का समाचार कहना, दूत का वचन, दूत भेजना, दृष्टांत, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना, दयालुता, दूरदर्शी, दिव्य माला धारण करने के लिए कहना, दीनतासूचक वाणी में किलकिलाना, दूत, दास हूँ, दूत हूँ और बात सुनो, देवताओं से नमस्कारपूर्वक प्रार्थना, दुःखदायी समाचार, दारुण वचन बोलना, द्वारपाल से कहना, धर्मानुकूल तथा यशोवर्धन वचन, धिक्कार और आज्ञा पालन, धारणा, ध्यान देकर सुनना, निष्ठुरतापूर्ण बातें, निपटारा, निंदा, निवेदन, नमस्कार करके कहना, नाना प्रकार की कथाएँ सुनाना, निंदायुक्त वचन, निश्चय, नियम पालन, निर्बलता, न्यायोचित, न्यायुक्त बातें कहना, नेक सलाह, पदचिह्न, परस्पर सलाह, परस्पर परामर्श, परस्पर विरोध, परस्पर स्पर्धा, परमार्थ-चर्चा, परस्पर प्रेम करना, परस्पर वार्तालाप, पराजित, पराक्रम उपदेश, परिचर्या, परिचय पूछना, परिक्रमा, परिवार के साथ बर्ताव, परीक्षा, पश्चात्ताप, पुनः पूछना, पुकार, सुनकर, पुकारना, पुकार-पुकारकर कहना, पूछना और कहना, प्रतिपादन, प्रेरित करना, पूजन, प्रणाम, प्रिय संवाद, प्रतिवादी, संवाद, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, पहचान, प्रेमपूर्वक याचना, प्रणाम, परिचय देना, प्रिय संवाद, प्रसंग ज्यों-का-त्यों कह सुनाया, प्रिय संवाद सुनाया, प्रसंग को याद दिलाना, पुरातन वृत्तांत, प्रसंग सुनाना, प्रतिध्वनि, प्रयोजन, परस्पर वार्तालाप, परस्पर बातें, पूछने पर सम्मानित करना, वार्तालाप, परिचय, प्रेम से बोलना, प्रवचन कहना, प्रतिवाद, प्रश्न करना, प्रतिध्वनित, प्रतिज्ञा सुनकर, प्रदर्शन, प्रयास, प्रार्थना, प्रणाम, प्रणाम करके कहना, प्रिय वचन, प्रिय भाषण, प्रेरित करना, प्रेमभाव, प्रेमालाप, प्रेरणा, प्रस्ताव, फूट-फूटकर रोना, बातें बतलाना, बात सुनने का आग्रह, बात सुनकर बोलना, बुलाहट, बातचीत, बात सुनकर, बहुत-सी बातें बोलना, बोलचाल, बात सुनकर अश्रुगद्गद, बात बोलना, बिछुड़ना, बातों को ठीक-ठीक बताना, बात सुनकर प्रसन्न होना, बातचीत की कला, बात से क्रोधित होना, बात कहना, बताना और सुनना, बारंबार हृदय से लगाना, बल-पराक्रम का सूचक सिंहनाद, बातें बताना और बातों पर विचार करना, बात सुनकर वृत्तांत निवेदित करना, बात कहने के बाद इस प्रकार उत्तर देना, बातों का समर्थन, बोलना, भयभीत होकर बातें कहना, भय की सूचना, भाषणपूर्वक तप, भाषण युक्तिसंगत, भूरि-भूरि प्रशंसा, भरत की बात सुनकर खिलखिलाना, भाषण, भौहों की भंगिमा, मधुरवाणी में कहना, मंथरा का वचन सुनकर बोलना, मीठा वचन बोलना, मंथरा की बात सुनकर शय्या से उठना, मुसकराते हुए रोषसूचक बात कहना, मित्रता, मीठी वाणी में बातचीत, मैत्री की बात चलाना, मधुर वाणी में सुनना, मिलाप, मित्रता का समाचार सुनना, मित्रता का कही हुई बात का निवेदन करना, मधुर वाणी में सांत्वना, मधुर वाणी में कहना, मस्तक टेककर, मंगलमयी वाणी, प्रार्थना करना, मत प्रकट करना, मंत्रणा, महिमा का गान, मिथ्या, मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनना, मुस्कराना, मस्तक झुकाकर प्रणाम, मांगलिक कृत्य, यश, युक्ति, रोषपूर्वक बोलना, राजाजनक का विश्वामित्र से बोलना, लंबी कथा, लुभाकर, वचन सुनकर छाती से लगाना, वर माँगते समय कहना, वल्कल वस्त्र, वचन बोलना, वल्कल वस्त्र धारण, वंदना, वचन, वरदान, वर्णन, वर्ताव, वचन सुनकर कहना, वचन सुनकर सांत्वना, विनयुक्तवचन, वार्ता, वार्तालाप, विवाद, वृत्तांत, विकराल, वृत्तांत, वेदमंत्र का उच्चारण, विनीतभाव से प्रशंसा, विलाप और आश्वासन, प्रति कठोर बात, वार्ता और गले से लगाना, व्याकुलचित्त और दीनवाणी, वाणी का उच्चारण, वाद-विवाद, वाणी से बोलना, वाणी द्वारा अपमान, विलाप, विद्या का उपदेश, विलाप सुनकर अनुराग, विचार-विमर्श, विवेचन, विख्यात, विलाप करना, वचन सुनकर विश्वास, विनीत वचन, वेदपाठ की ध्वनि सुनना, वाद-विवाद, विस्तार के साथ बताना, वार्तालाप, वचन सुनकर सांत्वना देना, वृत्तांत सामने रखना, वृत्तांत पूछना, वृत्तांत सुनने का आग्रह, वृत्तांत कह सुनाया, वृत्तांत बताना, वचन को सुनने का आग्रह, विश्वास दिलाना, वृत्तांत और वास्तविक उत्तर, वचनों की प्रशंसा, वाद-विवाद, विचार व्यक्त कर सलाह, वाणी और घोषणा, वृत्तांत घटित हुआ, वाणी में कहना और कथन, विचार कर अपना कर्तव्य, वाणी और आह्लाद, वचनों को सुनकर सोच विचार, विनीत भाव और बात कहना, व्याकुलता, व्रत की दीक्षा, स्तुति, साक्षात्कार, सावधान, स्वागत, समाचार पूछना, संबोधित करना, समाचार सुनकर स्वागत-सत्कार, समाचार और संवाद सुनाना, सुनो और सुनकर, सूत को बुलाना और आज्ञा देना, संबोधित करके कहना, स्वस्तिवाचन, सांत्वना, सांत्वनापूर्ण सार्थक वचन को सुनकर मंत्रणा, सूचना पाकर सुमंतजी को अंतःपुर में बुलाना, सारी बातें सुनकर स्नेहपूर्वक बोलना, संवाद, संदेश, सत्यभाषण, सलाह, सत्यवादी, समाचार भाई से कह सुनाना, सुधि लेना, समाचार जानना, संभाषण, सद्विचार, शब्द सुनाना, स्नेह, समाचार बताना, सिंहनाद, सत्यवादी, समाचार निवेदन, सुहृद के मुख से कटुवचन, समझबूझकर, सादर प्रणाम, संदेश कहना, सूचना, शुभवचन, शीघ्रतापूर्वक कहना, शपथ खाकर प्रतिज्ञा, स्नेह प्रदर्शित करना, स्पष्ट वाणी, स्वस्तिवाचन, स्वर से पहचानना, सूचना देना, समाचार निवेदन करना, सम्मति, सलाह, संदेश वाक्य, सौहार्द, सौम्य भाषा, स्पर्धा, समाचार निवेदन, सुनो और समझो, सलाह, समयोचित बात कहना, सिर झुकारकर प्रणाम, संबोधित करके कहना, सौहार्द का बखान, शपथ, शुभ संवाद, शुभ समाचार, श्राप, हँसना, हाथ जोड़कर प्रणाम, हस्तरेखा देखकर भविष्य बताना, हँसकर और मुसकराकर, हाथ जोड़कर प्रणाम, हाथ जोड़कर जय-जयकार, हाथ जोड़कर निवेदन, हितकर वचन कहना, हृदय से लगाकर और कथाएँ कहना, हाथ जोड़कर प्रणाम, हर्ष से खिलखिलाना, हाहाकार, हँसना और बोलना, हँसते हुए कहना, हँसते-हँसते कूद पड़ना, हँसी आना, हाथ जोड़कर कहना, हितकर वचन, हुँकार, होम करना, युक्तियाँ, यथोचित प्रशंसा, रहस्य, रोषभरी कुब्जा का कठोर वचन कहना, रोना-गिड़गिड़ाना, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वचन, राजाओं के विनाश का लक्षण सुनना, राजकीय संदेश सुनाना एवं संवाद आदि अंतर्वैयक्तिक संचार के विविध संदर्भ हैं।

इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में समूह संचार के भी संदर्भ प्राप्त होते हैं। जब व्यक्तियों का समूह परस्पर आमने-सामने बैठकर विचार-विमर्श, सभा, मुद्दों पर परिचर्चा, संगोष्ठी आदि करता है तो उसे समूह संचार की

संज्ञा देते हैं। यह बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें वक्ता को अपने-अपने क्षेत्र में अभिव्यक्ति एवं दूसरे को सुनने का अवसर मिलता है।

'जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में वाद-विवाद, विचार-विमर्श, विचार-गोष्ठी, कार्य-शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान, साक्षात्कार तथा सभी तरह की सभाओं द्वारा विचारों का आदान-प्रदान होता है, तो उसे समूह संचार कहते हैं' (हींगड़, जैन, पारीक, 2015, पृ.45)।

'समूह संचार औपचारिक एवं संस्थाबद्ध संचार होता है, जिसमें अंतःसंबंधों की जटिलता होती है। समूह संचार तब होता है, जब व्यक्तियों का एक समूह आमने-सामने विचार-विमर्श, गोष्ठी, सभा, भाषण आदि में विचारों का आदान-प्रदान करता है। इसमें भी फीडबैक मिलता है, किंतु अंतर्वैयक्तिक की तरह नहीं। फिर भी यह बहुत प्रभावी संचार है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व खुलकर समाज के सामने आता है। इसमें सदस्यों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। समूह संचार कई सामाजिक परिवेशों में हो सकता है। जैसे—स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र, रंगमंच, चौपाल, कमेटी हाल आदि' (राजगढ़िया, 2008, पृ.31-32)।

प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप सें रामायण में 'कथा' का वर्णन प्राप्त होता है, इन कथाओं में कथावाचक एकत्रित समूह को संबोधित करते थे, जिसे हम समूह संचार की संज्ञा दे सकते हैं। कथा के दौरान श्रोता अपनी शंका का समाधान भी करते थे, जिसे प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है।

रामायण में समूह संचार

रामायण में समूह संचार के उदाहरण मिलते हैं। श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किया था। राजा दशरथ का सभा-जनों से विचार-विमर्श, राजा जनक का धनुष-यज्ञ के अवसर पर उपस्थित जनों से विचार-विमर्श, श्रीराम का अयोध्यावासियों से वन में संवाद, श्रीराम का अयोध्या वापसी पर प्रजाजनों से संवाद, महर्षियों का एकत्र होकर परामर्श, राजा दशरथ के प्रस्ताव पर चर्चा एवं समर्थन, मंत्रियों के साथ परामर्श, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन, मंत्रियों को उत्तर देना एवं गोष्ठी आदि समूह संचार के संदर्भ हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के अन्य श्लोकों में अपने मंत्रियों से कहना, आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की वाणी, लोगों से सलाह लेना, आश्रम समूह वेदमंत्रों के पाठकों की ध्वनि से गूँजता रहता था, उपस्थित नरेशों द्वारा महाराज का अभिनंदन, उपमंत्री और बहुत से शूरवीरों का संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करना, उत्सव, ऋषियों के बीच में कहना, ऋषिमंडली, ऋषियों के बीच स्तुति, ऋषियों की मंडली में जनक का उत्तर देना, ऋषियों और बंधु-बांधवों की बात सुनना, ऋषियों तथा राजसमूहों का सत्कार करना, ऋषियों द्वारा युवराज के पद पर श्रीराम के अभिषेक की सलाह, ऋत्विजनों का वेदोक्त मंत्रों का जप और साम-श्रुतियों का गायन करना, कथा-वार्ताओं द्वारा मनोरंजन, सभा में कुल परंपरा का परिचय देना, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्माओं का एकत्र होना, गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा, गुप्तचरों के मुँह से श्रीराम के पहुँचने का समाचार, चतुरंगणी सेना, 'जय हो' की घोषणा, झुंड-के-झुंड बालकों द्वारा राज्याभिषेक की बातें करना, तेजस्वी सायकों से वानरों का घायल होना और रावण कुमार का जोर-जोर से गर्जना, दूतों के मुख से सारा वृत्तांत सुनना, देवताओं और असुरों के संग्राम, देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृतभोजी देवगण, ऋषि और गंधर्व सभी श्रीराम की विजय चाहते हैं अतः संधि का सलाह देना, देवताओं और गंधर्वों के लोक में मनोरंजन करना, धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासदों का आँसू बहाना, नवयुवक भरत का उस भरी सभा में आँसू बहाते हुए विलाप करना, निवासियों का एकत्र होकर सिंहनाद करना, निशाचरों द्वारा सूचना देना और निशाचरों की सारी पत्नियों का क्रंदन, परस्पर सलाह, पुरवासियों में चर्चा, पुरवासियों और जनपद के लोगों में निंदा, प्रहस्त की बात सुनकर सेनाध्यक्षों का तैयार होना, बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानरों का करुण स्वर में बोलना, बात सुनकर सभासदों को विदा करना, बात कहकर मंत्रियों में श्रेष्ठ माल्यवान राक्षसराज रावण के मनोभाव की परीक्षा करना, भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित सेना का अयोध्या लौटना, भरी सभा में परित्याग, भूपालों से मधुर वाणी में बोलना, बातें सुनकर मंत्रियों सहित भरत और शय्या का निरीक्षण, महर्षिगण द्वारा रामायण का गान, मंत्रियों से बात कहना, महर्षियों का एकत्र होकर परामर्श करना, महाराज के प्रस्ताव का समर्थन, मंत्रियों के साथ सलाह, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन, मंत्रियों का एक साथ उपस्थित होना, मंत्रियों को उत्तर देना, मानसिक क्लेश को दूर करने की इच्छा से गोष्ठी करना, मंत्रियों द्वारा उत्तम मंत्रणा, महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह वेदध्वनि से निनादित, मुनियों का समुदाय, मुनियों बातें सुनना और कहना, मंत्रियों का सिंहनाद, मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण का पूछना, मंत्रियों से सलाह, महर्षियों और गंधर्वों से शोभा, मंत्रियों के बीच बोलना, महर्षिगण द्वारा प्रशंसा करना, मंत्रियों सहित सुग्रीव, महर्षियों, यक्षों, नागों आदि का एकत्र होकर दर्शन करना, मंत्रियों और कुटुंबीजनों सहित अन्य शुभचिंतकों को मौत के मुख में न झोंकने की सलाह देना, मंत्रियों के बीच वचन कहना, मंत्री और राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर विचार करना, मंत्रियों से अपने कृत्य का समर्थन, मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श, मंत्रियों के साथ बातचीत, मंत्रियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श, मंत्रियों के साथ सलाह, मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण का गंभीर घोष सुनना और बोलना, मंत्रियों की सलाह लेना, महर्षि तथा देवगण का हर्षनाद, मंत्रियों से प्रसंग बताना, महर्षि-मंडली, मंत्रियों के साथ विचार कर निश्चय करना, मुनियों और तपस्वीजनों से सुशोभित, मुनि को मंत्रियों सहित प्रणाम करना, मुनिकुमारों ने समाचार सुनाया तथा महर्षियों की कथाएँ, मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी राज्य को सुरक्षित रखना, मंगलकृत्य-स्वस्तिवाचन, यक्षों के समुदाय का हर्ष, युद्ध एवं रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि का एकत्र होना, राजसभा में अपने शुभचिंतकों के साथ बातचीत, रानियों सहित राजा दशरथ का विलाप, राक्षसराज रावण के सभा भवन में बैठक, राक्षसों का गंभीर घोष, रावण का गुप्तचरों की बात सुनकर अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहना, रावण की सभी मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा, रावण की आज्ञा को दूतों द्वारा 'तथास्तु' कहकर स्वीकार कराना, राक्षसों और वानरों का युद्धघोष, राक्षसियों का झुंड-की-झुंड एकत्र होकर विलाप करना, राक्षसों ने अपने लिए स्वस्तिवाचन करवाया, राजभवन के पास पहुँचकर सूचना देना, राजसभा में अफवाह बातें सुनकर हृदय का संतप्त होना, बर्ताव करने वाले श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्रीरामचंद्र जी का लौटाने के लिए चेष्टा करना, वध का समाचार पाकर मंत्रियों की ओर देखना, वानरराज की आज्ञा से निकलना, वानरों को आश्वासन देते हुए बोलना, वानरों का एकत्र होकर हनुमान जी का अभिनंदन करना, वानर शिरोमणियों के मुख से प्रशंसा, वानरों का गर्जना करते हुए रोमांचकारी पुल देखना,

वानरों और राक्षसों की सेना देखकर रोष, वानर-सेना का घोष और गर्जना, वानरों की सेना को देखकर भय, वानरों का हर्षनाद, वानर सैनिकों को आदेश देना, वानर वीरों द्वारा नारा लगाना, वाक्यवेत्ता भगवान् वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से बोलना, विश्वामित्र की आज्ञा से महर्षियों के बीच वशिष्ठ का परिचय देना, विभीषण का उच्च स्वर में वानरों की ओर देखते हुए कहना, वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवाचन, सभा में कुश और लव का गान करना, सभा में बैठकर रामायण पाठ का गान करना, सभा द्वारा प्रशंसा, सभा में मधुरगान, जनसभा में गान करना, सभा में विराजमान हो जाना, समस्त प्रकृतिमंडल (मंत्री , सेनापति और प्रजा आदि) से कहना, संबोधित करके बोलना, स्पर्धापूर्वक भाषण, सभा में बैठे हुए दल के प्रिय राक्षसों द्वारा प्रशंसा, सभासद्गणों सहित राजा, सभा में राक्षसों के सम्मुख अपराध की घोषणा करना, सभाभवन में शंखध्वनि, सभा में मंत्रियों को संबोधित करते हुए राक्षसराज रावण का कहना, समूह में पराक्रम की चर्चा, समूह में बैठकर एक साथ कथाएँ कहना, सलाह पूछने पर अपना मत प्रकट करना, सचिवों के साथ विचार-विमर्श, सिद्ध और चारण का एकत्र होकर कहना, सेनाओं की गर्जना, सेना में अपराध की घोषणा, सेनाध्यक्षों का कहना, सेना में सुनाई दे रहा था अनेक प्रकार का शब्द, सेना के पड़ाव में बैठकर विचार करना, सेनाओं के संचरण से गर्जना, सैन्य समूह की रक्षा के लिए सावधान रहना, सैनिकों को आश्वासन देना, सैनिकों को राजा का आदेश, हम लोगों ने एक उपाय सोचा, बंधु-बांधवों के साथ बैठकर विचार करना, हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर विजय प्राप्त करने की सलाह, हितकारियों के साथ सलाह, बात सुनकर सभा के सदस्यों और मंत्रियों का हर्ष से खिल उठना, श्रीराम की बात सुनकर राक्षसों का कुपित होना तथा श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति आदि समूह संचार के संदर्भ हैं।

इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाना चाहता है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा ने संचार के विविध संदर्भों को जन्म दिया। आभ्यंतर संचार के आधार पर ही अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचारों की अभिव्यक्ति होती है।

हनुमान जी का संचार कौशल

इसी प्रकार श्रीरामचंद्रजी के साथ-साथ हनुमान जी भी एक कुशल संचारकर्ता हैं। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से स्पष्ट है कि संचार शैली और बोलने की कला हनुमान जी में कूट-कूट कर भरी थी। भगवान् श्रीराम से पहली बार मिलते ही संवाद कला के कारण राम को प्रभावित करते हैं। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि हनुमान जी की बातचीत उत्कृष्ट थी। हनुमान जी ने प्रासंगिकता और महत्त्व के बिना एक भी शब्द नहीं कहा। हनुमान जी समय को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप करते थे। उन्होंने अधिक समय नहीं लिया। श्रोताओं की आवश्यकता के अनुसार अपनी बात रखते थे। उनका संदेश स्पष्ट होता था। हनुमान जी के किसी भी शब्द को भुलाया नहीं जा सकता। जितना आवश्यक था उतना उन्होंने जोरदार ढंग से कहा। ऐसी आवाज सामान्य कल्याण को बढ़ावा देती है। हनुमान जी का श्रीराम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्रीराम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना।

ततश्च हनुमान् वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया।
विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च।।3।।
आवभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशशंस च।
सम्पूज्य विधिवद् वीरौ हनुमान् वानरोत्तमः।।4।।
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्य पराक्रमौ।
राजर्षिदेवप्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ।।5।।

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/3-5, पृ. 650)।

'हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी (राम और लक्ष्मण) वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुरवाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। हनुमान जी ने पहले तो उन दोनों रघुवंशी वीरों की यथोचित प्रशंसा की। फिर विधिवत् उनका पूजन करके स्वछंद रूप से मधुरवाणी में कहा—'वीरो! आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं।'

राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करने के बाद हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों रघुवंशियों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। 'हनुमान जी की बात सुनकर श्रीराम जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा' (वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/25, पृ. 651)

'बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण से वार्तालाप करने के बाद चुप हो गए' (वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/27, पृ. 651)।

श्रीरामजी ने लक्ष्मण से कहा—'सुमित्रानंदन! ये महामनस्वी सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं की हित की इच्छा से यहाँ आए हैं। अतः हनुमान जी से मीठी वाणी में बातचीत करनी चाहिए'।

'नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः।
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्।।28।।
नूनं व्यायाकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्।।29।।'

(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/28-29, पृष्ठ: 651)।

'जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान् नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुँह से कोई अशुद्धि नहीं निकली।'

'भाषा का संबंध ज्ञान से है। भाषा का आविष्कार ही मानव ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हुआ है। यदि प्राचीन काल की भाषा आज की भाषाओं से समुन्नत थी, तो निःसंदेह तब का ज्ञान भी आज के ज्ञान की अपेक्षा समुन्नत रहा होगा' (गुरुदत्त, 1998, पृ.62)।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा संचार का सबसे सशक्त माध्यम है और हनुमान जी भाषा के अच्छे जानकार थे। इसी कारण वे संदेश को प्रभावी ढंग से रख पाए। अतः कहा जा सकता है कि हनुमान जी एक अच्छे लोक संचारक थे। 'मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है, वह भाषा है, यद्यपि संकेत आदि के द्वारा भी कुछ भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनन, चिंतन और विचार का साधन भी भाषा है' (द्विवेदी, 2010, पृ.3)।

'न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा।
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्कचित्।।30।।
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमव्यथम्।
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्।।31।।'
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, किष्किंधाकांड, 3/30, वि. सं. 2064, पृ. 651)।

संभाषण के समय हनुमान जी के मुख, नेत्र, ललाट, भौंहे तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है, जो सुनने में कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है, अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊँची। मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं।

अतः उक्त श्लोक से ज्ञात होता है कि हनुमान जी शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा को भी सरल ढंग से समझते थे। संचार संप्रेषित करते समय वाक्य स्पष्ट, शारीरिक भाषा उत्तम होनी चाहिए। मुख, नेत्र, ललाट, भौंहें आदि सभी शारीरिक भाषा प्रभावी संचार के संकेत हैं।

'संस्कृति : शोध-पत्रिका' में 'रामायण में कुशल संचारकर्ता हनुमान : एक अनुशीलन' नामक शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि 'संचार में स्पष्टता को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। संचार संप्रेषित करते समय दिल और दिमाग से अपील करनी चाहिए। श्रोताओं को शब्द याद होना चाहिए। हनुमान की तरह व्यवहार करने से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तो सभी साथी उनका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पर जो उन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया, इसको भी समझने की जरूरत है। संदेश के महत्त्व को समझते हुए हनुमान जी अपनी पूरी बात कहानी माध्यम से प्रभावी ढंग से कहते हैं' (पांडेय, 2011, पृ.66)।

अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता से हनुमान जी का वार्तालाप संचार का साधन है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अति प्रारंभिक काल से ही संस्कृत के साथ-साथ स्थानीय बोलियों का भी प्रचलन रहा है। शिष्टों की भाषा संस्कृत थी। द्विज (शिक्षित लोग) इसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके साथ-ही-साथ स्थानीय बोलियों का भी उपयोग होता था। शिष्टों द्वारा संस्कृत का प्रयोग सारे देश में समान रूप से किया जाता था, लेकिन स्थानीय बोलियों के साथ यह बात नहीं थी।

'वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्।।17।।
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति।।18।।
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्।।19।।'
(वाल्मीकि, वि. सं. 2064, सुंदरकांड, 30/17-19, पृष्ठ: 94)।

हनुमान जी मन-ही-मन अपने आप से बातचीत करते समय सोचते हैं कि यदि सीता जी से मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा तो सीता जी मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएँगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि के मस्तिष्क में दो अलग-अलग भाषाओं की बात थी और हनुमान दोनों में ही बोलने में समर्थ थे। 'द्विजों (अर्थात् शिक्षितों) की संस्कृत भाषा की पहचान में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मानुषी का अर्थ उस भाषा अथवा बोली से लेना चाहिए, जो मानवों अथवा मानव-क्षेत्र के रहने वाले सामान्य लोगों की भाषा थी। यह संभवतः वर्तमान अवधी बोली की पूर्वज भाषा रही होगी। हनुमान ने इसकी जानकारी राम और लक्ष्मण के सान्निध्य में प्राप्त की होगी, जिनके साथ उन्होंने वनवास के अंतिम कुछ वर्ष बिताए थे। यह अनुमान उपर्युक्त कारण से सटीक प्रतीत होता है, अन्यथा सुदूर दक्षिण का कोई व्यक्ति उत्तर भारत की मानुषी बोली किस प्रकार सीख सकता है। यह स्वाभाविक है कि राम और लक्ष्मण तथा सीता भी आपस में इसी बोली में बातचीत करते रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने क्षेत्र से बहुत दूर लंका जैसे स्थान में बैठी हुई सीता पर अपनी मातृ बोली 'मानुषी' का त्वरित और चामत्कारिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता, यह बुद्धिमान हनुमान ने तुरंत समझ लिया था। हनुमान वैदिक तथा लौकिक संस्कृत भाषाओं के पूर्ण जानकार थे' (वर्मा, 1993, पृ. 26)। इसी प्रकार 'राम ने अपनी पहचान के लिए अपनी नामांकित मुद्रिका हनुमान जी को दी थी। इससे स्पष्ट है कि उस काल में भी लेखनकला का अस्तित्व था। इसी कारण वैदिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत का आज भी अस्तित्व है' (वर्मा, 1993, पृ. 29)।

इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में अनादिकाल से संवाद एवं संचार की उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसी कड़ी में श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी ने अपनी 'संवाद एवं संचार' कला के बल पर ही समाज का नेतृत्व किया था और 'संचार एवं संवाद' को मानवहित की कसौटी पर कसा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा को देखते हुए श्रीराम एवं हनुमान को लोक-संचारक कहा जा सकता है। वार्तालाप करने में चतुर, धैर्यवान्, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, धर्म के ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ, ज्ञानी, स्मरण शक्ति से युक्त, अच्छे विचार रखने वाले श्रीरामचंद्र जी एक कुशल संचारक हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनेकानेक भाषा के जानकार, एक कुशल राजदूत, आज्ञाकारी भक्त, दूसरों के लिए आदर्श, धर्म पालक, राजनीति में निपुण, रामराज्य के पहरेदार, विवेकी द्वारपाल की भूमिका, वाणी की एकता, आत्मविश्वासी और निडर, कुशल नेतृत्वकर्ता, लोकव्यवहार तथा सही वार्तालाप करना, निर्णय लेने की क्षमता आदि गुण हनुमान जी में विद्यमान थे। अतः स्पष्ट है कि श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी कुशल संचारकर्ता थे, क्योंकि उक्त गुण एक कुशल संचारक में होता है।

निष्कर्ष

भारतवर्ष में युगों-युगों से रामायण जन-जन में लोकप्रिय रहा है। भारतीय समाज में रामायण की कथाओं के माध्यम से लोग अपनी जीवनशैली को बदलते हैं। वाल्मीकिकृत रामायण में कुल 7 कांड हैं—बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तर कांड। इन कांडों में कुल 645 सर्ग तथा 22850 श्लोक हैं, जिनमें संपूर्ण रामकथा का वर्णन है। अध्ययन से स्पष्ट है कि रामायण में आभ्यंतर संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार एवं समूह संचार के विविध संदर्भ प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम एवं हनुमान जी एक कुशल संचारक हैं। रामायण की विषयवस्तु व्यापक एवं लोकहित की कामना से रचित है। आज भी समाज में श्रीराम एवं हनुमान जी से लोग प्रेरणा लेते हैं। श्रीरामचंद्र

एवं हनुमान जी में एक कुशल संचारकर्ता के गुण विद्यमान हैं। यदि देखा जाए तो विश्व में किसी भी संस्कृति को जीवित रहने के लिए अथवा अस्तित्व एवं विकास के लिए प्रभावी संचार प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, क्योंकि बिना संचार के कोई भी धार्मिक ग्रंथ, संस्कृति और सभ्यता न अस्तित्व में रह सकती है और न विकास कर सकती है। संचार की अध्ययन की दृष्टि से साहित्यिक ग्रंथों को आधार बनाकर उतना अध्ययन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जबकि इस प्रकार के अध्ययन के लिए भरपूर सामग्री इन धर्मग्रंथों की विभिन्न कथाओं में उपलब्ध है। इस प्रकार के अध्ययन से अतीत के संचार संदर्भों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त होता है।

संदर्भ

गुरुदत्त. (1998). *इतिहास में भारतीय परंपराएँ*. नई दिल्ली : हिंदी साहित्य सदन प्रकाशन.

जैन, आर. (2007). *जनसंचार विश्वकोष. जयपुर* : नेशनल पब्लिशिंग हाउस.

त्रिपाठी, आर.सी. (2002). *पत्रकारिता के सिद्धान्त*. दिल्ली : अशोक प्रकाशन.

द्विवेदी, के. (2010). *भाषा विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र*. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन.

पांडेय, डी. (2011). *संस्कृति : शोध-पत्रिका*. वाराणसी : संस्कृति शोध प्रकाशन.

प्रसाद, जी. बी. (1994). *प्राचीन भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय अस्मिता*. दिल्ली : सत्साहित्य प्रकाशन.

मिश्र, सी. (2003). *मीडिया लेखन सिद्धान्त और व्यवहार*. दिल्ली : श्री सोमनाथ ढल संजय प्रकाशन.

राजगढ़िया, वी. (2008). *जनसंचार सिद्धान्त और अनुप्रयोग*. नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन.

लोकनाथ. (2017). *रामायण एवं महाभारत में संचार दर्शन*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी.

वर्मा, टी.पी. (1993). *श्रीराम और उनका युग*. उत्तर प्रदेश : भारतीय इतिहास संकलन समिति.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 3/8-9. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, युद्धकांड*, 128/107. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकांड*, 94/16-18. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 2/42. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, युद्धकांड*, 128/117. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, युद्धकांड*, 128/121. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, युद्धकांड*, 128/123. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड*, 3/16. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकांड*, 34/3. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, सुंदरकांड*, 30/17-19. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 1/1-4. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 2/15. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 2/18. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड*, 2/30-31. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड*, 3/3-5. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड*, 3/25. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड*, 3/27. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड,* 3/28-29. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्किंधाकांड*, 3/30. गोरखपुर : गीताप्रेस.

वाल्मीकि. (वि. सं. 2064). *श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, सुंदरकांड*, 30/17-19. गोरखपुर : गीताप्रेस.

सिंह, ओ.पी. (2013). *आदि पत्रकार नारद और उनकी पत्रकारिता*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी.

सिंह, ओ. पी. (1993). *संचार माध्यमों का प्रभाव*. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी.

हींगड़, जे.पी. (2015). *संचार के सिद्धांत*. जयपुर : राजस्थान ग्रंथ अकादमी.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 41-45, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतीय संचार परंपरा में आचार्य अभिनवगुप्त के योगदान का अध्ययन

डॉ. जयप्रकाश सिंह[1]

सारांश

भारतीय संचार चिंतन मुख्य रूप से आगम और नाट्य परंपराओं में अनुस्यूत है। आगम परंपरा में संचार चिंतन 'वाक्' की संकल्पना के रूप में अभिव्यक्त हुआ है और नाट्य परंपरा में इसकी अभिव्यक्ति 'रस' सिद्धांत के रूप में हुई है। 'वाक्' की संकल्पना भारतीय संचार चिंतन को दार्शनिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराती है, वहीं 'रस' सिद्धांत में संचार-प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्ष का व्यवस्थित चिंतन है। आगम और नाट्य परंपराओं से संबद्ध भारतीय मनीषियों ने प्रकारांतर से भारतीय संचार चिंतन के किसी-न-किसी आयाम पर भी चिंतन किया है। मनीषियों की इस परंपरा में आचार्य अभिनवगुप्त का स्थान अद्वितीय है। उनकी चिंतन-प्रक्रिया में आगम और नाट्य दोनों परंपराओं का संगम है। उन्होंने वाक् और रस दोनों संकल्पनाओं पर असाधारण अधिकार के साथ लिखा है। इसीलिए उन्हें भारतीय संचार परंपरा का 'संपूर्ण संचारविद्' कहा जा सकता है। 'तंत्रालोक' में आचार्य अभिनवगुप्त के आगम संबंधी चिंतन का शिखर देखने को मिलता है और इसमें उन्होंने वाक् की संकल्पना पर विस्तार और समग्रता के साथ प्रकाश डाला है। वहीं, उनके द्वारा लिखी गई 'अभिनवभारती' नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है, जिसमें उन्होंने रस सिद्धांत संबंधी चिंतन को अभिव्यक्तिवाद के नए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वाक् और रस के सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्यकार होने के कारण आचार्य अभिनवगुप्त संकल्पनात्मक रूप से सर्वाधिक समृद्ध संचार दार्शनिक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते ही हैं, साथ ही वे भारतीय संचार परंपरा के मर्म को समझने के लिए सर्वाधिक सक्षम संवादसेतु भी बन जाते हैं। प्रस्तुत शोध-आलेख भारतीय संचार परंपरा के प्रतिनिधि संचार चिंतक के रूप में आचार्य अभिनवगुप्त के मूल्यांकन करने का प्रयास है।

संकेत शब्द : भारतीय संचार चिंतन, भारतीय संचार परंपरा, आचार्य अभिनवगुप्त, वाक् की संकल्पना, रस सिद्धांत

प्रस्तावना

आचार्य अभिनवगुप्त को कश्मीर की 'शारदीय विद्वत परंपरा' का प्रतीक पुरुष कहा जाता है। उन्होंने उस समय प्रचलित लगभग सभी ज्ञान परंपराओं का परंपरागत ढंग से अध्ययन किया और फिर अपनी असाधारण प्रतिभा से उन्हें नव-आयाम प्रदान किए। तंत्रशास्त्र, नाट्यशास्त्र, साहित्य और अलंकार शास्त्र, त्रिक् और प्रत्यभिज्ञान दर्शन पर उन्होंने असाधारण अधिकार के साथ लिखा। इन ज्ञान परंपराओं में आ चुके ठहराव और अवरोध को दूर कर फिर से प्रवहमान बनाया। अपनी नवीन और मौलिक उद्भावनाओं के माध्यम से परंपराओं के बारे में नई अंतःदृष्टि प्रदान की। आचार्य अभिनवगुप्त की चिंतन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा सकती है कि वहाँ पर विभिन्न ज्ञान-परंपराओं में विरोध नहीं दिखता, बल्कि वे एक-दूसरे की पूरक बन जाती हैं। इसी कारण उनकी चिंतन परंपरा में संश्लेषण की भारतीय परंपरा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में अभिव्यक्त होती है।

भारत की विविधवर्णी संस्कृति को समय-समय पर कई आचार्यों-विद्वानों ने इंद्रधनुषी आयाम दिया है। भारत के बड़े आचार्य वे रहे हैं, जिन्होंने धर्म और ज्ञान की कई धाराओं का समन्वयन कर उसे और भी उर्जस्वित बनाया। ऐसे आचार्यों-ऋषियों की परंपरा में महात्मा बुद्ध, नागार्जुन, भर्तृहरि, आदि शंकराचार्य एंव अभिनवगुप्तपादाचार्य जैसे महापुरुषों के नाम हैं (मिश्र, 2016)। आचार्य अभिनवगुप्त ने 'तंत्रालोक' में स्वयं अपनी कुल परंपरा का परिचय दिया है। आचार्य के उल्लेख के अनुसार अपने दिग्विजय अभियान में सम्राट ललितादित्य ने आचार्य अभिनवगुप्त के पूर्वजों को कश्मीर लाकर आदरपूर्वक बसाया था। संभवतः सम्राट ललितादित्य ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित करने के बाद उनके दरबार में विद्वत् रत्न के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य अभिनवगुप्त के कुल को अपने कश्मीर में रहने के लिए आमंत्रित किया था।

कान्यकुब्ज से कश्मीर आने के बाद अत्रिगुप्त की चौथी पीढ़ी में अभिनवगुप्त का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नृसिंह गुप्त और माता का नाम विमलकला था। उनके पिता स्वयं व्याकरण के ख्यातिलब्ध विद्वान् थे, उन्होंने उस समय उपलब्ध श्रेष्ठतम् आचार्यों से अलग-अलग विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। इसी कारण वे सभी परंपराओं के सत्त्व को आत्मसात् कर उनमें निहित पूरकता को रेखांकित कर सके। उनकी इस संश्लेषक प्रतिभा ने उन्हें विद्वत्जगत् में अद्वितीय प्रामाणिकता और स्वीकृति प्रदान की। उनकी प्रामाणिकता के स्तर का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी विशिष्ट ज्ञान-परंपरा में चले आ रहे विवादों पर आचार्य अभिनवगुप्त के मत अंतिम मानकर स्वीकार कर लिए गए। उदाहरण के लिए, रस के साधारणीकरण की प्रक्रिया को अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग मत देकर व्याख्यायित करने का प्रयास किया, लेकिन आचार्य अभिनवगुप्त के सुहृदय होने के सिद्धांत के आने के बाद इस विषय पर विवाद समाप्त हो गए और सुहृदय सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। वाक् संकल्पना और रस सिद्धांत पर भी आचार्य अभिनवगुप्त के ग्रंथों और टीकाओं में आए मत को अंतिम मानकर स्वीकार कर लिया गया। वाक् और रस दोनों का संबंध संचार प्रक्रिया से होने के कारण इन दोनों संकल्पनाओं के संदर्भ में आचार्य अभिनवगुप्त के मत का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

शोध प्रविधि

आचार्य अभिनवगुप्त ने वाक्-संकल्पना का विस्तृत उल्लेख

[1]सहायक आचार्य, कश्मीर अध्ययन केंद्र, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ईमेल : jpsh.pol@gmail.com

'तंत्रालोक' में किया है। इस तरह रस सिद्धांत पर उनका मत नाट्यशास्त्र पर उनकी टीका 'अभिनवभारती' में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में उपलब्ध उनके विचारों को जानने के लिए प्रस्तुत शोध आलेख में मुख्यत विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis) पद्धति का उपयोग किया गया है।

तंत्रालोक और 'वाक्' की संकल्पना

'तंत्रालोक' अभिनवगुप्त का विश्वकोषीय ग्रंथ है। इसे तंत्र परंपरा का विश्वकोष कहा जा सकता है। उन्होंने तंत्र से संबंधित सभी परंपराओं और उससे संबंधित शब्दावली का इस ग्रंथ में विस्तृत विश्लेषण किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने वाक्-संकल्पना के बारे में भी पूर्व-आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए अपनी अंतःदृष्टि भी प्रदान की है। वाक् भारतीय संचार चिंतन और परंपरा के संदर्भ में अंतःदृष्टि प्रदान करने वाली केंद्रीय संकल्पना है। आगम में वाक् को इस सृष्टि का मूलद्रव्य माना गया है, लेकिन यह भारतीय संचार दर्शन की आधारभूमि है। शब्द को भारतीय संचार परंपरा में सर्वाधिक अधिमान देने का कारण ही वाक् की संकल्पना है। भारतीय संचार परंपराओं और मान्यताओं को वाक् की संकल्पना के बिना नहीं समझा जा सकता। भारतीय समाज संसाधनों से अधिक शब्दों की विश्वसनीयता से चलता रहा है तो इसके पीछे वाक् की संकल्पना और भारतीय समाज पर उसका प्रभाव ही कार्य करता रहा है।

भारतीय चिंतन पर वाक् चिंतन के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह ब्रह्मविद्या का पर्याय बन गई है और अधिकतर लौकिक विद्याओं का लक्ष्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाक्-रहस्य का संधान करना ही रहा है। व्याकरण, छंद, काव्य-साहित्य, संगीत और नाट्य इत्यादि का संबंध वाक् से ही रहा है। वेदों को ईश्वर का निःश्वास और अपौरुषेय माना जाता है, लेकिन यह वेद भी और कुछ नहीं, बल्कि वाक् का व्यक्त स्वरूप हैं। वाक् की चार अवस्थाओं में, जो उसका शब्दमय रूप है, जिसमें सनातन ज्ञानराशि की भौतिक शब्दों के जरिये निकटतम अभिव्यक्ति होती है, वही वेद है। वाक् की वेद में अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन इनमें उसका बोधात्मक रूप गुप्त ही रहता है।

साधक अपनी साधना के द्वारा वेदों में व्यक्त शब्दराशि को बोधात्मक स्तर तक ले जा सकता है। इस तथ्य की घोषणा स्वयं ऋग्वेद करता है—चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदंति।। (अर्थात् वाणी के चार रूप होने से उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के तीन रूप गुप्त हैं, चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान को परावाक् कहते हैं। महातपस्वी अपनी तपस्या द्वारा इसका साक्षात्कार करते हैं। वाणी के इस साक्षात् होने वाले रूप को पश्यंती कहते है। पश्यंती को भौतिक शब्द से जोड़ने वाले वाक् को मध्यमा कहते हैं और इसके स्थूलतर स्वरूप को वैखरी कहते हैं।) वेदांगों में अधिकांश का संबंध वाक् अथवा शब्द से ही है। वेदों के अर्थ ज्ञान में और उनके कर्मकांड प्रतिपादन में, सहायता प्रदान करने वाले सक्षम और सार्थक शास्त्रों को ही वेदांग कहा जाता है। वेदांग छह प्रकार के होते हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। सबसे रोचक बात यह है कि इन वेदांगों का संबंध भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाक् की संकल्पना और वाक् संधान से है।

वेद मंत्रों का समुचित रूप से उच्चारण आवश्यक है। उचित उच्चारण का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, उसे शिक्षा कहते हैं। इसी प्रकार व्याकरण का संबंध भी शब्दराशि से ही है। व्याकरण की महत्ता इसी कथन के संदर्भ में समझी जा सकती है जिसके अनुसार 'एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति'—अर्थात् एक शब्द का भी अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका प्रयोग किया जाए तो स्वर्गलोक और इहलोक में सफलता प्राप्त होती है। शब्दों में कहें तो यह वाक् के मर्म को रहस्योद्घाटित करने वाला शास्त्र है। जहाँ शिक्षा आदि वेदांग वेद के वाह्य तत्त्वों का निरूपण करते हैं, वहीं निरुक्त वेद विज्ञान के आंतरिक स्वरूप को उद्घाटित करता है। इसी तरह वैदिक सूक्तों की रचना विभिन्न छंदों में की गई है। वेद का कोई ऐसा मंत्र नहीं है, जो छंदों के माध्यम से न बना हो। वेदप्रयुक्त छंदों में कहीं लघु-गुरु मात्राओं का अनुगमन नहीं है। वहाँ केवल अक्षरों की गणना होती है, जिससे समस्त वैदिक छंद अक्षरों पर ही आश्रित हैं। अक्षर से यहाँ तात्पर्य स्वर से है। अतः छंद के परिचय के बिना भी वेदार्थ का ज्ञान संभव नहीं है। छंदों का ज्ञान होने पर मंत्रों के समुचित उच्चारण और सुस्पष्ट ज्ञान में सहायता मिलती है। इस तरह इसका संबंध भी वाक्-विद्या अथवा शब्दों के उच्चारण से संबंधित है।

वाक् पूरी सृष्टि का मूलद्रव्य होने के कारण सभी अस्तित्वों को अंतर्संबंधित करती है। यह प्रत्यक्ष वैखरी वाक् के जरिये व्यक्तियों को जोड़ती है तो मंत्रयोग और वाक्योग के जरिये परमसत्ता से संबंधित करती है। ऐसी मान्यता है कि मंत्र, मध्यमा वाक् में अवस्थित होते हैं। यह मध्यमा वाक्, वैखरी और पश्यंती वाक् को जोड़ती है, इसीलिए इसे मध्यमा कहा जाता है। पश्यंती ही आध्यात्मिक अनुभूतियों और इष्ट देवता का आश्रय होती है। इस तरह वाक् भी मूलतः योग ही कराती है। मंत्रयोग और जपयोग की जो साधनाएँ प्रचलित हैं, वे वस्तुतः स्वयं को उच्चतर सत्ता से जोड़ने, स्वयं को उच्चतर सत्ता में प्रतिष्ठित करने के उपाय ही हैं। शास्त्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्म एक, अखंड, अद्वैत होने पर भी परब्रह्म और शब्द-ब्रह्म इन दो विभागों में कल्पित होता है। शब्द ब्रह्म को भलीभाँति जान लेने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म का स्वरूप जानना और उसे जान कर उसका अतिक्रमण करना, यही मुमुक्षु का एकमात्र लक्ष्य है। उसका अतिक्रमण किए बिना विशुद्ध परमतत्त्व रूप चैतन्य का साक्षात्कार संभव नहीं है (कविराज, 2009)।

वाक् की संकल्पना और आचार्य अभिनवगुप्त

मूलरूप से वाक् की संकल्पना सृष्टि के सृजन से संबंधित है। यह सृष्टि के आद्य-स्पंदन से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में निष्कल, निर्विकल्प सत्ता में एक से अनेक होने की इच्छा जगती है। आदि इच्छा के फलस्वरूप उस सत्ता में स्पंदन होता है। यह स्पंदन ही वाक् है और यह विविध रूप धारण कर आदि इच्छा को मूर्त रूप देती है, अर्थात् विविधतापूर्ण सृष्टि की रचना करती है। वाक् को चार रूपों में विभाजित किया जाता है। वाक् सूक्ष्म परा रूप से क्रमशः स्थूलतर होते हुए पश्यंती, मध्यमा बनती है और बाद में अपने स्थूलतम रूप यानी वैखरी के रूप में उपस्थित होकर लौकिक-संचार का आधार बनती है। वाक् की संकल्पना, संचारीय परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वाक् का स्थूलतम रूप, वैखरी भाषिक संचार, शाब्दिक संचार से संबंधित है। वैखरी ही कंठ के जरिये व्यक्त होकर सांसारिक संचार का आधार बनती है। वाक् की पूर्ण संकल्पना को समझे बिना उसके व्यक्त वैखरी के स्वरूप को भी

ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता है। वैखरी, वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती है। भारतीय मनीषा, विशेषतः तंत्र विज्ञान में प्रत्येक वर्ण के स्वरूप को विशिष्ट प्रकार की शक्तियों की अभिव्यक्ति माना जाता है। वाक् की संकल्पना एक ऐसी ही चाबी है, जिससे भारतीय दर्शन की कई अनसुलझी और उलझी गुत्थियों को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि उसके आधार पर चिंतन के भारतीय विकल्प भी सृजित किए जा सकते हैं। वाक् के माध्यम से संचार की प्रक्रिया के वृहदतम स्वरूप से भी परिचित हुआ जा सकता है।

वाक् की अवधारणा मूलतः तांत्रिक अवधारणा है। आचार्य अभिनवगुप्त तांत्रिक परंपराओं से गहरे रूप से जुड़े रहे हैं। तांत्रिक चिंतन की एक परंपरा वाक् को त्रिविध मानती है और केवल पश्यंती मध्यमा और वैखरी के रूप में वाक् को स्वीकार करती है। वाक् चिंतन की दूसरी परंपरा वाक् को चतुर्विध मानती है। पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के साथ परा को भी वाक् का एक स्वरूप मानती है। आचार्य अभिनव ने भी वाक् के चार रूपों को स्वीकार किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि परा ही पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का रूप धारण करती है। परा की सभी अनुभूत वाक् कोटियों का आदिस्रोत है और वही वैखरी के भौतिक रूप में हमारे सामने प्रकट होती है—प्राक्पश्यन्त्यथ मध्यान्या वैखरी चेति ता इमाः। परा परापरा देवी चरमा त्वपरात्मिका।। (चतुर्वेदी, 2012, 1/271) अर्थात् जो पहले पश्यंती फिर मध्यमा और वैखरी हैं, वे परा, परापरा देवी हैं और अंतिम अभिव्यक्ति अर्थात् वैखरी तो अपरा है।

वाक् के तीन अथवा चार रूपों की अनुभूति-विभेद पर भी आचार्य अभिनवगुप्त प्रकाश डालते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वाक् उपस्थित तो चार रूपों में है, लेकिन उसके तीन रूपों की अनुभूति ही प्रायः हो पाती है। वैखरी की अनुभति तो नित्यप्रति होती रहती है। मध्यमा पश्यंती और वैखरी के बीच का सेतु है। वह मंत्रमयी पृष्ठभूमि है। साधना की उच्चतर अवस्था में मंत्र की नादात्मक सत्ता प्रत्यक्ष होती है और साधक उनकी अनुभूति करता है। पश्यंती प्रथम स्पंदन है, जिससे सृष्टि का विस्तार होता है। साधना की उच्चतर स्थितियों में इसके भी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन परा परम सत्ता की निष्कल स्थिति में समाहित होती है, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार वाक् को त्रिविध रूपों में स्वीकार करना उसकी अनुभूति से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, उपस्थिति के स्तर पर तो वाक् चार रूपों में ही होती है। परा का आभास नहीं हो पाता, इसलिए वाक् को त्रिविध माना जाता है—विभागाभासने चास्य त्रिधा वपुरुदाहतम्। पश्यन्ती मध्यमा स्थूला वैखरीत्यभिशब्दितम्।। (चतुर्वेदी, 2012, 3/236) अर्थात् विभाग के आभासन में उसका शरीर तीन प्रकार का कहा गया है। उनके नाम पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हैं।

इसके बाद आचार्य अभिनवगुप्त पश्यंती, मध्यमा और वैखरी को क्रमशः स्थूल मानते हुए उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। पश्यंती के स्वरूप का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं : तत्र या स्वरसन्दर्भसुभगा नादरूपिणी।। सा स्थूला खलु पश्यन्ती वर्णाद्यप्रविभागतः। (चतुर्वेदी, 2012, 3/237-238) अर्थात् उसमें जो स्वर संदर्भ से सुन्दर नादरूपिणी है, उसमें वर्ण आदि का विभाग न रहने से अपेक्षाकृत स्थूल पश्यंती है।

मध्यमा के स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं : यत्तु चर्मावनद्धादि किञ्चित्तत्रैष यो ध्वनिः।। स स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थूलरूपिणी। (चतुर्वेदी, 2012, 3/241-242)। अर्थात् जो चमड़े से ढके वाद्य आदि हैं उनमें जो किंचित ध्वनि है। स्फुट और अस्फुट रूप होने के कारण वह पश्यंती से स्थूल मध्यमा वाक् है।

इसी तरह वैखरी के स्वरूप को रेखांकित करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त लिखते हैं : या तु स्फुटानां वर्णनामुत्पत्तौ कारणं भवेत्।। सा स्थूला वैखरी यस्याः कार्यं वाक्यादि भूयसा। (चतुर्वेदी, 2012, 3/244 -245)। अर्थात् जो स्फुट वर्णों की उत्पत्ति में कारण है वह मध्यमा का स्थूल रूप वैखरी है। इसका कार्य अधिकाधिक वाक्य आदि है।

वाक् की संकल्पना इस बात को स्थापित करती है कि संचार की प्रक्रिया शक्ति का विस्तार है और शक्ति का यह विस्तार शब्द के रूप में होता है। इस अर्थ में शब्द और शक्ति का पर्याय बन जाते हैं। इस तरह वाक् की संकल्पना के कारण संचार की प्रक्रिया, शब्दों के व्यापार से बहुत आगे बढ़कर शक्ति अर्जन और शक्ति के उपयोग की प्रक्रियाओं को भी स्वयं में समावेशित कर लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक् की संकल्पना में राजनीति, संचार का अंग बन जाती है और इस मान्यता को स्थापित करती है कि राजनीति का समुचित नियमन संचार की सही समझ के बिना संभव नहीं है। संभवतः इसी कारण शब्द को ब्रह्म मानने की परंपरा तो अपने यहाँ रही है, शब्द को शक्ति मानने की परंपरा भी भारतीय जनमानस में बहुत गहरे तक समाई हुई है।

आचार्य अभिनवगुप्त भी शब्द और शक्ति के इस अद्वैत से भली प्रकार परिचित हैं और वे वाक् को परमेश्वर की शक्ति का मुख्य स्रोत बताते हैं और यह मानते हैं कि देवताओं की महिमा वाक् की शक्ति से ही प्राप्त होती है : एतावदेवदेवस्य मुख्यं तच्छक्तिचक्रकम्। एतावता देवदेवः पूर्णषक्तिः स भैरवः।। (चतुर्वेदी, 2012, 3/251)। अर्थात् परमेश्वर का यही मुख्य शक्तिचक्र है। इसी के कारण देवाधिदेव पूर्ण शक्तिवाले तथा भैरव कहलाते हैं।

विषय के गांभीर्य और स्थान की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अभिनवगुप्त के वाक् चिंतन को संक्षेप में ही रखा गया है। तंत्र चिंतन वैसे भी बहुत सांकेतिक और सूत्रात्मक होता है। अभिनवगुप्त का वाक् चिंतन वृहद् और विस्तृत है और एक स्वतंत्र शोध की माँग करता है। यहाँ तो उनके वाक् संबंधी अति महत्त्वपूर्ण अनुभवों को ही उद्धृत किया गया है।

आभ्यंतर संचार की पूरी प्रक्रिया को वाक् की संकल्पना के बिना नहीं समझा जा सकता। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी की अवधारणा आभ्यंतर संचार की अदृश्य प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। इस बात के बारे में भी एक अंतःदृष्टि प्रदान करती है कि आभ्यंतर संचार का रूपांतरण कर अंतर्वैयक्तिक समूह और जनसंचार को कैसे परिष्कृत किया जा सकता है। संचार-प्रक्रिया के परिष्कार की यह अद्वितीय क्षमता वाक् संकल्पना के संचारीय परिवेश में निवेश की आवश्यक बनाता है और वाक् संकल्पना की असंदिग्ध समझ के लिए आचार्य अभिनवगुप्त उनकी वाक्-व्याख्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। वाक् की गुह्य, गुरु-शिष्य परंपरा अथवा भाष्य परंपरा पर आधारित संकल्पना को समझने के लिए आचार्य अभिनवगुप्त नवीन और प्रामाणिक कड़ी हैं।

अभिनवभारती और 'रस' सिद्धांत

नाट्यशास्त्र को समस्त कलाओं और ज्ञान का संगम माना जाता है और रस को नाट्यशास्त्र की चरम उपलब्धि माना जाता है। इससे रस सिद्धांत के महत्त्व को समझा जा सकता है। रस सिद्धांत का अध्ययन काव्यशास्त्रीय अथवा नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ही होता रहा है। संचारीय

परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि यह सिद्धांत संचारीय प्रक्रिया का व्यवस्थित अध्ययन है। वस्तुतः रस सिद्धांत संचारीय-प्रक्रिया की सफलतम स्थिति का संकेतक है। किसी भी संचार-प्रक्रिया में निहित संदेश जब सरस और संपूर्णतम रूप में श्रोताओं तक पहुँचते हैं तो श्रोता को विषयवस्तु का बोध ही नहीं होता, बल्कि आनंद भी प्राप्त होता है। रस सिद्धांत संचार की प्रक्रिया को विषय के अवबोध से आगे बढ़कर उसे आनंदमय बनाने का अध्ययन है। काव्यशास्त्रीय अथवा नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संचार की सफलतम स्थिति को प्राप्त करने का अध्ययन रस सिद्धांत के माध्यम से किया जाता रहा है। यदि संचार रसमय हो जाए तो संदेशों की ग्राह्यता का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है।

रस सिद्धांत सफलतम संचार-पारिस्थितिकी को रचने का विज्ञान है। इस सिद्धांत में मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों, स्थायी भावों के रूप में चिह्नित किया गया है। यह स्थायी भाव जिन पात्रों अथवा परिस्थतियों पर आलंबित अथवा उद्दीप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। स्थायी भाव अपने आलंबन से उद्दीप्त होकर जिन शारीरिक दशाओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्षण-क्षण मनोभावों का जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। इस तरह रस सिद्धांत उन मूलभूत प्रवृत्तियों की पहचान का प्रयास करता है, जिससे संचार प्रक्रिया संचालित होती है। यह संचार प्रक्रिया के मनोशारीरिक प्रभावों के आकलन और मानवीय भाव जगत् के रेखांकन की भी कोशिश करता है।

रससूत्र का निरूपण

नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में भरत मुनि ने रससूत्र का उल्लेख किया है—विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगात् रसनिष्पतिः। रससूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव रस सिद्धांत की परिभाषिक शब्दावली है, इसलिए इनसे परिचय आवश्यक हो जाता है। प्रायः सभी व्यक्तियों में वासनारूप में अनेक प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इनकी उपस्थिति मानवीय अस्तित्व के साथ ही प्राप्त होती है और सतत अस्तित्व के साथ बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या नौ मानी जाती है : रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधेत्साहौ भयं तथा। जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोपि च।। (दहाल एवं द्विवेदी, 2013).

इस श्लोक के अनुसार रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और भय नौ स्थायी भाव हैं। किसी विषय विशेष के प्रति मन में अनुराग रति है। वाणी से चित्त में उत्फुल्लता आना हास है। अभीष्ट नाश से होने वाला दुःख शोक है। प्रतिकूलता के कारण मन में पैदा होने वाली तीक्ष्णता क्रोध है। कार्य संपादन के लिए पैदा होने वाला आवेश उत्साह है। प्राणघात अथवा अन्य अनिष्टों के प्रति मन में पैदा होने वाली दुर्बलता भय है। अनिष्ट दर्शन से पैदा होने वाली वितृष्णा जुगुप्सा है। नवीन विषय अथवा वस्तु के दर्शन से पैदा होने वाला आश्चर्य भाव विस्मय है। वाह्य जगत् की उपरति से प्राप्त सुख शम है। इन स्थायी भावों के साथ जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव संयोग होता है, तो रस की निष्पत्ति होती है।

रससूत्र और आचार्य अभिनवगुप्त

रससूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगात् रसनिष्पतिः' में आने वाले निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अलग-अलग आचार्यो ने अपनी परंपरा के अनुसार अलग-अलग ढंग से की है। निष्पत्ति शब्द की व्याख्या के लिए चार आचार्यों के वाद सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं :

रस उत्पद्यते इति भट्टलोल्लटः।
रस अनुमीयते इति श्रीशंकुकः।
रसो भुज्यते इति भट्टनायकः।
रसः अभिव्यज्जते इति अभिनवगुप्तः।

भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्तत्ति होता है। इसीलिए उनकी व्याख्या को उत्पत्ति वाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार रस पहले से ही किसी व्यक्ति में उपस्थित नहीं होता, यह अनुकार्य की दशा में अभिनेता इत्यादि में पैदा होता है। अभिनय द्वारा जिसे अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है, उसे अनुकार्य कहते हैं। श्रीशंकुक की मान्यता है कि रस अनुमान से लभ्य होता है। इसीलिए उनकी व्याख्या अनुमितिवाद के नाम से जानी जाती है। इनके अनुसार अभिनय और चेष्टाओं को देखकर अनुमान के आधार पर जब दर्शक स्वयं से जोड़कर देखता है तो रस की निष्पत्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार जब कोई भी अर्थ प्रसारित होकर अन्य लोगों तक पहुँचता है, तो अन्य लोग भी उन भाव-अर्थों को भोगने लगते हैं। इससे रस की निष्पत्ति होती है। भट्टनायक ने किसी भी विशिष्ट भाव अथवा अर्थ को अन्य तक पहुँचने की प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा है। भट्टनायक की यह साधारणीकरण की संकल्पना संचारीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भट्टनायक ने इसकी चर्चा सूत्रवत ही की है।

आचार्य अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति की सर्वांग और सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या दी है। आचार्य अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति से लिया है, इसीलिए उनके मत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार अन्यों से प्राप्त होने अर्थ अथवा भावों का जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीय भावों के कारण आंतरिक स्थायी भावों के साथ अनुनाद होता है, तो रस अभिव्यक्त होता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती नाट्यशास्त्र भाष्यकारों के रसवादों की नींव पर अपने रसवाद-'रसाभिव्यक्ति' वाद का जो मंदिर स्थापित किया है, अजरामरवत अब तक निस्तब्ध खड़ा है (सिंह, 2012, पृष्ठ 79)।

साधारणीकरण का परिमार्जन और आचार्य अभिनवगुप्त

यद्यपि साधारणीकरण की संकल्पना भट्टनायक ने दी थी, लेकिन वह यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि एक ही विषय अथवा दृश्य देख रहे सभी व्यक्तियों में साधारणीकरण की घटना क्यों नहीं घटती। कुछ व्यक्तियों को रसास्वादन होता है, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कुछ व्यक्तियों में साधारणीकरण कीलित क्यों हो जाता है, इसका उत्तर आचार्य अभिनवगुप्त ने दिया है। आचार्य अभिनवगुप्त को 'रसाभिव्यक्ति' वाद के प्रवर्तन की प्रेरणा आचार्य भट्टनायक के 'रसभुक्ति' वाद से मिली। वस्तुतः 'रसभुक्ति' वाद की ही प्रमुख मान्यताएँ, जिनका युक्तियुक्त स्वरूप निरूपण भट्टनायक के रसवाद में नहीं हो पाया था, आचार्य अभिनवगुप्त की सूक्ष्म रस चिंतन दृष्टि में आकर निखर उठीं, सबल हो उठीं और प्रामाणिक बन गईं। (सिंह, 2012, पृष्ठ 79)।

आचार्य अभिनवगुप्त ने सुहृदय की संकल्पना के माध्यम से साधारणीकरण की प्रक्रिया को व्याख्यायित किया। उन्होंने कहा कि साधारणीकरण उसी व्यक्ति में होता है, जो सहृदय होता है। वे कहते हैं :

येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुन वर्णनीयतन्मयी भवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदय यथोक्त

योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः ।
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्क काष्ठमिवाग्निना ।। इति ।

हृदय के साथ संवाद का अर्थ है वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मयता। ऐसा होने पर ही आनंद प्राप्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। विभावादि रूप काव्य से समर्पित वही अर्थ रसाभिव्यक्ति में कारण होता है, जिसके साथ हृदय की तन्मयता हो। वह सहृदय के शरीर को वैसे ही व्याप्त कर लेता है जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को व्याप्त करती है। सहृदय होने के लिए मन का विशदीकरण अपेक्षित है, जो संभव होता है सत्काव्यों के अनुशीलन का अभ्यास करते रहने से। ऐसे विशदीभूत चित्त में ही वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मयीभाव की स्थापना का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तभी उसको सहृदय कहा जाता है।

आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण की घटना में विशदीकरण आवश्यक है। अर्थ और भाव की पृष्ठभूमि परिचय से परिचय और उस परंपरा में न्यूनाधिक प्रशिक्षण ही विशदीकरण है। विशदीकरण की स्थिति में अर्थ और भाव की तीव्रता के कारण तन्मयीभाव और सहृदयता पैदा होती है। सहृदयों के बीच ही साधारणीकरण की घटना घटित होती है, जिससे अंततः रसरूप में आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि रस निष्पत्ति के लिए अभिव्यक्तिवादी व्याख्या और साधारणीकरण के लिए सहृदय की संकल्पना के माध्यम से आचार्य अभिवगुप्त ने संपूर्ण रस सिद्धांत को अधिक सुबोध और व्यवस्थित बनाया। उनकी सहृदय की संकल्पना से समर्थित साधारणीकरण की व्याख्या संपूर्ण संचारीय प्रक्रिया की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए अतीव सहायक है।

निष्कर्ष

भारतीय संचार परंपरा वाक् की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित है। मन-वचन-कर्म की एकरूपता, शब्दब्रह्म-नादब्रह्म की अवधारणा, संगीत-नाट्य इत्यादि की आध्यात्मिक साधना के रूप में स्वीकृति, शब्द शुचिता की अतिशय महत्ता, शब्दों का पूँजी मानकर सामाजिक-व्यवहार का संचालन, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी परंपराओं का अस्तित्व इत्यादि के केंद्र में वाक् की संकल्पना है। वाक् की संकल्पना को समझे बिना भारतीय संचार परंपरा के मर्म को नहीं समझा जा सकता। इसी तरह, रस-सिद्धांत का उद्भव और विकास भले ही नाट्यशास्त्रीय और काव्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ हो, लेकिन यह संचारीय-प्रक्रिया के रहस्यों और प्रभावों को भी उद्घाटित करती है। रस-सिद्धांत संचारीय-प्रक्रिया को व्यवस्थित मनोदैहिक अध्ययन (Psycho-somatic) अध्ययन है। वाक् की संकल्पना और रस सिद्धांत दोनों आचार्य अभिनवगुप्त के माध्यम से अपने शिखर रूप को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आचार्य अभिनवगुप्त और उनके साहित्य का संचारीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक हो जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त के वाक् और रस संबंधी विचारों का संचारीय-परिप्रेक्ष्य में अध्ययन भारतीय संचार परंपराओं के मर्म को समझने के लिए तो आवश्यक है ही, यह एक राष्ट्र और एक सभ्यता के रूप में वर्तमान भारत को प्रभावी संचार रूप के नए सूत्र भी प्रदान कर सकता है। इन अभिनव सूत्रों के माध्यम से भारतीयों को बेहतर तरीके से संबोधित तो किया ही जा सकेगा, निरंतर वैश्विक दुष्प्रचार अभियानों की चुनौती का सामना कर रहे भारत को दुष्प्रचार विरोधी अभिनव सुरक्षा कवच भी मिल सकेगा।

संदर्भ

ऋग्वेद (2017). *ऋग्वेद* (अनुवादक : राल्फ टी.एच.ग्रिफिथ). क्रिएटस्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन. 1/164/45.

कविराज, जी. (2009). *भारतीय संस्कृति और साधना*, पटना : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्. पृष्ठ 414.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक*: व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 1/271 वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 227.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक*: व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 3/236, वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 470.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक*: व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 3/237-238. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 471.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक*: व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 3/241-242. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 473.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक*: व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 3/244 -245, वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 474-475.

चतुर्वेदी, आर. (2012). *श्रीमदभिनवनवगुप्तपादाचार्यविरचितः श्रीतन्त्रालोक* : व्याख्याकार राधेश्याम चतुर्वेदी, 3/251. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 478.

दहाल, एल.एम. एवं द्विवेदी, टी.एन. (2013). *श्रीविश्नाथकविराजप्रणीतः साहित्य दर्पण* : व्याख्याकार आचार्य लोकमणि दहाल और डॉ. त्रिलोकीनाथ द्विवेदी. 1/175, वाराणसी : चौखंबा सुरभारती.

मिश्र, आर. (2016). आचार्य अभिनवगुप्त. धर्मशाला : दिव्य हिमाचल, 2 जनवरी, 2016.

सिंह, एस.वी. (2012). *श्रीमम्मटाचार्य विरचितः काव्यप्रकाश* : व्याख्याकार डॉ सत्यव्रत सिंह. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 79.

सिंह, एस.वी. (2012). *श्रीमम्मटाचार्य विरचितः काव्यप्रकाश* : व्याख्याकार डॉ सत्यव्रत सिंह. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन. पृष्ठ 79.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 46-50, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

संस्कृत नाटकों में राम के स्वरूप का अध्ययन

डॉ. श्रुति रंजना मिश्रा[1]

सारांश

संस्कृत नाटक अपनी प्राचीनता के साथ संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से भी अपनी अलग विशेषता रखते हैं। इनमें राम के चरित्र को आधार बनाकर लिखे गए नाटकों का अपना विशिष्ट स्थान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय नाटककारों ने अपने कथानक के लिए आदर्श चरित्रों को ग्रहण किया है। भारत में राम के चरित्र को आदर्श का श्रेष्ठ रूप माना गया है, इसलिए राम पुरातन काल से लेकर आज तक राष्ट्र के जीवंत रूप में विद्यमान हैं। राम भारतीय मानस में पूर्ण रूप से समाहित हैं। यही कारण है कि राम कथा पर आधारित नाटक सबसे ज्यादा लिखे गए। संस्कृत नाटकों में राम के जीवन के अलग-अलग प्रसंगों पर आधारित नाटक लिखे गए, जो वाल्मीकि कृत रामायण, राम के राज्याभिषेक, वनगमन, लंकादहन, आदि प्रसंगों पर आधारित हैं। राम कथा पर आधारित नाटकों की परंपरा ईसा पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। संस्कृत साहित्य में राम कथा पर आधारित नाटकों की एक विस्तृत परंपरा है, जिनमें महाकवि भास का 'प्रतिमा नाटकम्', 'अभिषेक नाटकम', भवभूति का 'महावीर चरितम्', 'उत्तररामचरितम्' नाटक, कवि मुरारी का 'अनर्घराघवम्', महाकवि जयदेव का 'प्रसन्नराघवम्', महाकवि राजशेखर का 'बालरामायण' नाटक, महाकवि शक्तिभद्र का 'आश्चर्य चूड़ामणि', महादेव कवि का 'अद्भुतदर्पण' नाटक, कवि हस्तिमल का 'मैथिली कल्याण', कवि दिननाग का 'कुंदमाला' आदि नाटक हैं। इन नाटकों में राम के मानवीय रूप का ही वर्णन किया गया है।

संकेत शब्द : संस्कृत नाटक, महाकवि भास, प्रतिमा नाटकम्, अभिषेक नाटकम्, भवभूति, महावीरचरितम्, उत्तररामचरितम्, अनर्घराघवम्, बाल रामायण नाटक, अद्भुतदर्पण नाटक, कुंदमाला, आश्चर्य चूड़ामणि, मैथिली कल्याण

प्रस्तावना

संस्कृत साहित्य में नाटकों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्रायः सभी आधुनिक समीक्षक इस बात को स्वीकार करते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य अपनी विचारधारा एवं विकास क्रम में मूलतः स्वतंत्र है। नाटकों के विकास की प्रथम अवस्था पर विचार करते हुए इनके बीज वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। वहाँ नाटकों के प्रमुख अंग–संवाद, संगीत, नृत्य और अभिनय का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में उपलब्ध है। ऋग्वेद के यम-यमी, उर्वशी-पुरुरवा आदि संवादात्मक संदर्भों में नाटकीय संवाद के तत्त्व विद्यमान हैं। सामवेद तो संगीत का उत्स ही माना जाता है। वैदिक साहित्य के पश्चात् रामायण एवं महाभारत काल में नाटक का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत के विराट् पर्व में 'रंगवाला' का नाम आया है। 'नट' शब्द भी यहाँ प्राप्त होता है, जिसका अर्थ सुधीजनों ने 'नवरसाभिनय चतुर' किया है। रामायण में नट, नर्तक, नाटक, रंगमंच आदि के प्रयोग प्राप्त होते हैं। वहाँ 'कुशीलव' शब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेता के रूप में हुआ है। महर्षि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में एक सूत्र–'पाराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षुनटसुत्रयोः' के द्वारा नटसूत्र (नाट्य शास्त्र) का स्मरण किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उससे पूर्व नाटकों की रचना अवश्य हो चुकी थी, जिसके आधार पर नटसूत्र रचे गए, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर ही लक्षणग्रंथों का निर्माण होता है।

संस्कृत नाटकों की प्राचीनता के उदाहरण स्वरूप छोटा नागपुर की पहाड़ियों में द्वितीय सदी पूर्व की प्राचीन नाट्यशाला प्राप्त हुई है, जिसका आकार और रूप नाट्यशास्त्र में वर्णित प्रेक्षागृहों की ही भाँति है। इससे भी संस्कृत नाटकों की प्राचीनता सिद्ध होती है। संस्कृत नाट्य साहित्य प्राचीनता के साथ गुणात्मक दृष्टि से भी विशेष हैं। परवर्ती संस्कृत साहित्य में तो नाटकों की एक लंबी शृंखला देखी जा सकती है। संस्कृत के कुछ नाटक तो विश्वसाहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान बना चुके हैं।

साहित्य में नाटक सर्वाधिक लोकप्रिय विधा के रूप में प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि साहित्य की अन्य विधाएँ तो केवल पठन-पाठन और श्रवण के विषय हैं, जबकि नाटकों में पठन और श्रवण के साथ दर्शन की भी विशेषता है। नाटकों के माध्यम से काव्य का रस, साहित्य की जिज्ञासा और नृत्य आदि का आनंद एक साथ मिलता है। इसलिए संस्कृत के विद्वानों में 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' उक्ति प्रसिद्ध है। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र की प्रशस्ति में यहाँ तक कहा है :

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।
न स योगी न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥

(सिवादत्ता, 1894, 1/82, पृ.7)

अर्थात् ऐसा कोई शास्त्र, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला नहीं है, जिसका प्रतिनिधित्व नाट्यशास्त्र में न हो। नाटक में ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म सबका यथास्थान समावेश होता है, इसलिए विद्वानों ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है।

संस्कृत नाट्य साहित्य में 'रामचरित मानस' को आधार मानकर लिखे गए नाटकों का अपना विशिष्ट स्थान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय नाटककारों ने अपने कथानक के लिए आदर्श चरित्रों को ग्रहण किया है और राम का चरित्र मानव जीवन की व्यापक परिस्थितियों से पूर्ण होने के कारण नाटककारों को विभिन्न रसों का उद्रेक करने एवं जीवन के विविध पक्षों का दृश्यांकन करने के सहज अवसर उपलब्ध कराता है। राम को अभिनय का आधार बनाने का एक कारण यह भी रहा है कि राम का प्रभाव भारतीय जन मानस में पूर्ण रूप से है। राम को जो लोकप्रियता प्राप्त

[1]सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, पी.जी.डी.ए.वी महाविद्यालय, दिल्ली विश्विद्यालय, ईमेल : mishrashruti603@gmail.com

हुई है, वह कृष्ण को छोड़कर इस देश में अन्य किसी चरित्र को प्राप्त नहीं हो सकी।

राम कथा पर आधारित नाटकों की परंपरा ईसा पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। उपलब्ध नाटकों में महाकवि भास के 'प्रतिमा' और 'अभिषेक' नाटक को प्रथम स्थान दिया जा सकता है। भास का समय ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व माना जाता है। तब से लेकर रामचरितात्मक नाटकों की रचना का क्रम अनवरत चलता रहा है। नाटककारों ने मूल कथानक तो आदिकाव्य से ही ग्रहण किया है, पर उसमें अभिनय की दृष्टि से तथा नाटकीय परंपराओं के अनुसार स्वेच्छा से आवश्यक परिवर्तन कर लिए हैं। यह अवश्य है कि कहीं भी कवि स्वातंत्र्य ने राम चरित्र के प्रतिष्ठित आदर्शों का अवमूल्यन नहीं होने दिया है। राम कथापरक नाटकों में कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं :

- आदिकाव्य की आधिकारिक कथा को आधार रूप में ग्रहण करते हुए भी उसे अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है।
- अधिकतर नाटकों में वर्णन और संवादों को पर्याप्त विस्तार दिया गया है।
- आदर्शवाद की प्रतिष्ठा हेतु कथानक में पर्याप्त परिवर्तन किए गए हैं। यथा—महावीर चरितम्, अनर्घराघवम् एवं महानाटक में घटनाओं को अनेक स्थानों पर परिवर्तित किया गया है तथा प्रतिमा नाटक और बाल रामायण सहित उक्त सभी नाटकों में कैकेयी को दोषमुक्त दिखाने का प्रयत्न किया गया है।
- नाटकों को सुखांत दिखाने का प्रयास किया गया है।
- कुछ नाटकों में अद्भुत रस को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है।
- नाटकों में राम को किसी विशिष्ट मर्यादा में न बाँधकर उनके संयोग और वियोग के चित्र भी अंकित किए गए हैं।
- प्राय: सभी नाटकों में राम का मानवीय रूप ही ग्रहण किया गया है। यद्यपि उनके विष्णुत्व और ब्रम्हत्व से प्राय: सभी कवि परिचित हैं।

शोध उद्देश्य एवं प्रविधि

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य राम के जीवन तथा उनके स्वरूप से परिचित होना है। राम के जिस पावन चरित्र को संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के ही नहीं, अपितु अनेक देशों के साहित्यकारों ने भाँति-भाँति बयान किया है; वे राम, जिनका नाम सहस्रों वर्षों से प्रेरणा, श्रद्धा, चिंतन और आदर्श का आधार बना हुआ है, जो भारतीय संस्कृति, मर्यादा, परंपराओं, नैतिकता, शील, संस्कार और शक्ति के प्रतीक हैं; ऐसे भारतीय जनमानस में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के अलग-अलग प्रसंगों को संस्कृत के प्रमुख नाटककारों ने किस रूप में वर्णित किया है, इसे प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से संक्षेप में समझने का प्रयत्न किया गया है। शोध हेतु गुणात्मक डाटा द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किया गया है।

प्रतिमा नाटकम्

ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व के सुप्रसिद्ध नाटककार महाकवि भास की उपलब्ध नाट्य रचनाओं में दो नाटक रामकथा पर आधारित हैं। इनके नाम क्रमशः 'प्रतिमा नाटक' एवं 'अभिषेक नाटक' हैं। 'प्रतिमा नाटक' सात अंकों का है, जिसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर रावण वध के पश्चात् जनस्थान में ही राम के अभिषेक एवं पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या गमन तक की घटनाओं का समावेश है। इसके अंतर्गत राम वनगमन और सीता हरण का विस्तृत वर्णन किया गया है। नाटक के नामकरण का आधार अयोध्या का एक प्रतिमा गृह है, जिसमें इक्ष्वाकुवंशीय दिवंगत राजाओं की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की जाती हैं। ननिहाल से आते हुए भरत मार्ग में पड़ने वाले इस मंदिर में पिता दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान कर लेते हैं। इसलिए इस नाटक का नाम 'प्रतिमा नाटक' रखा गया है। प्रतिमा नाटक में राम का रूप पितृभक्त एवं योग्य राजकुमार का है। एक और वे विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, तो दूसरी ओर उनकी शक्ति हिमालय को भी अनुकूल करने की क्षमता रखती है। भास ने राम के चरित्र में कहीं भी लौकिकता से हटकर अलौकिक घटनाओं का समावेश न करके स्वाभाविक मानवीय चरित्र का ही विकास किया है, इसलिए 'प्रतिमा नाटक' के राम मानवीय गुणों से पूर्ण हैं।

राम एक आदर्श महामानव के रूप में नाटक में वर्णित हैं। पारिवारिक और सामाजिक परिधि में उनका जीवन मर्यादा से बँधा है। शासन के क्षेत्र में वे सजग और धर्मपरायण प्रशासक हैं। राम के गुणों का अनुभव दशरथ को है, इसलिए वे राम को प्राणतुल्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में राम सर्वगुणसंपन्न राजकुमार हैं। दशरथ राम के वन गमन पर व्याकुल अवस्था में उनके गुणों का स्मरण करते हुए विलाप करते हैं :

सत्य सन्ध! जित क्रोध! विमत्सर! जगत्प्रिय।
गुरु शुश्रूषणे युक्त! प्रतिवाक्यं प्रयच्छ मे।।

(ओझा, एन.डी, 2/6, पृ.-70)

नाटककार ने कैकेयी के चरित्र में लगे कलंक को विस्मृत करने हेतु नूतन कल्पना करते हुए राम के प्रति कैकेयी के असीम प्रेम का अभिव्यक्तीकरण किया है। कैकेयी वनवास का एकमात्र निमित्त बनती हैं, पर उनके हृदय में राम के प्रति अनिष्ट की कोई भावना नहीं है। वे दशरथ को शापमुक्त करने हेतु ही वनवास के कलंक को सहन करती हैं। यहाँ राम के प्रति माताओं के निश्छल स्नेह को स्मरण किया गया है। भाइयों में राम इतने प्रिय हैं कि लक्ष्मण राम वनवास के अवसर पर पिता से भी विद्रोह करने को तत्पर हो जाते हैं। वे राम के मना करने पर भी वन में राम के साथ जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भरत तो वनवास का समाचार सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। उनका कहना है 'नयोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघव:। अर्थात् राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रही। राम जहाँ, अयोध्या वहाँ।

लोक में राम कितने प्रिय हैं, यह उनके वन गमन के उपरांत ज्ञात होता है। इस अवसर पर राजा की आज्ञा का ज्ञान होने पर सेवक गण भी राजा को धिक्कारते फिरते हैं। अयोध्या के निवासी जाते हुए राम के मार्ग को अवरुद्ध कर लेते हैं। राम के जाने पर संपूर्ण अयोध्या सूनी लगने लगती है। उनके वियोग से न केवल वहाँ के नर-नारी, अपितु पशु-पक्षी भी पीड़ित एवं प्रभावित हैं। राम जहाँ जाते हैं अपनी छाप अवश्य छोड़ जाते हैं। जनस्थान के तपस्वी राम से इतने प्रभावित हैं कि राम के प्रत्यागमन के अवसर पर उनके स्वागत का भव्य आयोजन करते हैं। इतना ही नहीं, उनका प्रबल शत्रु रावण भी राम के सौंदर्य और शक्ति की प्रशंसा करता है। वह कहता है, 'राम इन थोड़े से अक्षरों से ही मानो पूरा-का-पूरा संसार व्याप्त हो रहा है।'

अहोबल महोवीर्य महोत्सव महोजव:।
राम इत्यक्षरैरत्यै स्थाने व्याप्तमिदं जगत्।।

(ओझा, एन.डी, 5/14, पृ.-155)

राम का आचरण उच्च आदर्श का प्रतीक है। राज्याभिषेक का संवाद राम को जितना कष्ट देता है, वनवास का संवाद उनके लिए उतना ही सुखद है। भरत से जनस्थान में मिलने पर राम के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। वे अतिथि का पूर्ण सम्मान करते हैं। राम को जितना अपने तप पर विश्वास है, उतना ही अपनी शक्ति पर भी उन्हें विश्वास है। तभी तो स्वर्ण मृग की दुर्लभता बताए जाने पर वे पूर्ण निश्चय के साथ कहते हैं—या तो स्वयं हिमालय स्वर्ण मृग उपस्थित करेगा अथवा क्रोंच पर्वत की दशा को प्राप्त होगा। इस कथन में किसी अभिमानी राजा का दंभ न होकर एक दृढ़वती राजा का आत्मबल दिखाई देता है।

राम शासन व्यवस्था के प्रति अत्यंत जागरूक हैं। भरत जनस्थान में राम को मनाने आए हैं, पर राम को चिंता है कि बिना राजा के प्रजा की दशा क्या होगी? वे भरत को अविलंब लौट जाने का निर्देश देते हुए कहते हैं कि 'राज्यं नाम मुहूर्तमपि नोपेक्षणीयम्' अर्थात् राज्य की ओर से एक क्षण की भी असावधानी अपेक्षित नहीं है। रावण विजय के पश्चात् जनस्थान में ही राम का अभिषेक होने पर वे एक राजा के रूप में धर्मपूर्वक लोकरक्षण की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार 'प्रतिमा नाटक' के राम एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं, जो धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हैं। शासक के रूप में वे अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने की क्षमता वाले हैं। उनमें अपार शक्ति के साथ आचरण की महानता है, जिसके कारण संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। राम का चरित्र प्रस्तुत नाटक में पूर्ण लौकिक है, पर गुणों के आधार पर वे महामानव से भी महान् हैं।

अभिषेक नाटक

'प्रतिमा नाटक' के रचयिता महाकवि भास का ही रामकथा पर आधारित दूसरा नाटक 'अभिषेक' है। इस नाटक में 6 अंक हैं तथा बालि वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का कथानक नाटक में दिया गया है। 'प्रतिमा नाटक' में सभी घटनाएँ लौकिक धरातल पर प्रस्तुत की गई हैं, पर 'अभिषेक नाटक' में कहीं-कहीं अलौकिकता भी दिखाई देती है। राम का प्रभाव मानव समाज से भी आगे बढ़कर प्रकृति और देवों तक दिखाया गया है। 'अभिषेक' के राम राजकुमार होते हुए भी विष्णु के अवतार हैं। बालि वध के समय राम की ही कृपा से बालि को गंगा आदि महानदियों, उर्वशी आदि अप्सराओं एवं हंसयुक्त विमान आदि के दर्शन होते हैं। राम अपनी सेना समेत समुद्र पार उतरना चाहते हैं, पर समुद्र मार्ग नहीं देता। विभीषण के परामर्श से राम जब समुद्र पर धनुष बाण का प्रयोग करने को उद्यत होते हैं तो उनके क्रोध को न सहन कर सकने वाला समुद्र शीघ्र ही बीच से दो भागों में विभाजित होकर स्वयं मार्ग दे देता है। विभीषण कहते हैं : 'देव! साम्प्रतं द्विधाभूत इव दृश्यते जलनिधिः'।

राम के चरित्र की महानता का कितना व्यापक प्रभाव और प्रचार है, इसका प्रमाण विभीषण द्वारा प्राप्त होता है। विभीषण बिना दर्शन या परिचय के ही रावण के समक्ष राम का गुणगान करते हैं, रावण उसे इस अपराध के लिए दरबार से निकाल देता है, पर वे राम का पक्ष अंत तक लेते रहते हैं और लंका का हित विचार कर राम की शरण में पहुँच जाते हैं। रावण वध के पश्चात् स्वयं अग्निदेव राम का अभिषेक करते हैं। इस नाटक में राम अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करते दिखाए गए हैं। रावण का वध करने के लिए राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो रावण को मारने के बाद स्वतः राम के समीप वापस आ जाता है।

रघुवर भुजवेग विप्रमुक्तं ज्वलनदिवाकर युक्त तीक्ष्ण धारम्।
रजनिचर वरं निहत्य संख्ये पुनरभिगच्छती राममेव शीघ्रम।।
(शास्त्री, 1913, 6/17, पृ.-67)

राम की शरणागत वत्सलता का उदाहरण विभीषण प्रसंग है। विभीषण शत्रुपक्ष से आया है और शत्रु का भाई है, यह जानते हुए एवं सुग्रीव के द्वारा संशय उठाए जाने पर भी हनुमान की संस्तुति पर विभीषण को राम शरण में ले लेते हैं। तथा महत्त्वपूर्ण समस्याओं में उनसे परामर्श भी करते हैं। इस प्रकार 'अभिषेक नाटक' में राम दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों और विशेषताओं से संबंधित व्यक्तित्व के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। एक ओर वे प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करते दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर वे वानर जाति और राक्षसों के बीच अधर्मियों और दुराचारियों को दंड देने हेतु उपस्थित होते हैं। इतना होने पर भी राम का चरित्र प्रमुख रूप से लौकिक है। वे आदर्श, मर्यादित एवं शक्ति से संपन्न राजकुमार हैं।

महावीरचरितम्

'महावीरचरितम्' भवभूति द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, जो राम के पूर्वार्ध जीवन पर आधारित है। यह नाटक राम के जीवन की राज्य अभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें सात अंकों में विश्वामित्र आश्रम गमन से राम के राज्याभिषेक तक का कथानक लिया गया है। नाटक में राम का चरित्र एक आदर्श राजा का है। राम एक मर्यादा पालक क्षत्रिय हैं। माता-पिता के प्रति आस्था रखने वाले हैं। अपने भाइयों के प्रति अत्यंत उदार हैं, स्त्रियों के प्रति उनके हृदय में सम्मान की भावना है। महावीरचरितम् में राम भावुक व्यक्ति के रूप में हैं, वे सीता को देखकर उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। अपनी इस भावना को वे लक्ष्मण से व्यक्त करते हुए कहते हैं :

उत्सर्देवयजनाब्रह्मवादी नृपः पिता।
सुप्रसन्नोज्वला मूर्तिरस्यां स्नेहं करोति मे।।
(अय्यर एवं रंगाचार्य, शके 1823, 1/21, पृ.-19)

'महावीरचरितम्' नाटक में राम के शौर्य का पूर्ण वर्णन हुआ है। वे परशुराम, बालि और रावण से युद्ध करते हैं तथा विजय प्राप्त करते हैं। परशुराम अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे, बालि अपने क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिसंपन्न शासक था और रावण विश्व प्रसिद्ध मायावी राक्षस था। राम ने इन सभी पर विजय पाई, क्योंकि राम में शक्ति के साथ आचरण का बल था। इसीलिए राम की विजय धर्म और नैतिकता की विजय मानी जाती है। राम अपने शत्रु के गुणों के प्रशंसक भी हैं, फिर चाहे वह बालि हो या रावण। इस नाटक में राम के चरित्र में कर्तव्य के साथ सहिष्णुता, सत्यता और बुद्धिमत्ता का भी वर्णन किया गया है।

उत्तररामचरितम्

'उत्तररामचरितम्' संस्कृत नाट्य साहित्य के श्रेष्ठ नाटकों में से एक है। इसमें सात अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। इसमें भवभूति ने राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन किया है। यह एक करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें प्रमुख रूप से सीता त्याग और दांपत्य प्रणय के आदर्श रूप का वर्णन है। 'महावीरचरितम्' में राम के राज्याभिषेक से पूर्व की कथा का वर्णन है तथा 'उत्तररामचरितम्' राम के जीवन के उतरार्द्ध का ज्ञान है। दोनों नाटकों के माध्यम से भवभूति ने राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। इस नाटक के माध्यम से भवभूति ने एक ओर सीता के प्रति

राम के प्रेम का तथा दूसरी ओर जनादेश की रक्षा के लिए सीता त्याग के बाद विरही राम की दशा का वर्णन किया है। यद्यपि राम को सीता पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन प्रजा के आराधनार्थ राम सीता त्याग का निर्णय लेते हैं।

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकस्य मुन्चतो नास्ति मे व्यथा
(झा, 1963, 1/12, पृ.-54)।

इस नाटक में राम के वियोगी रूप को अधिक महत्त्व दिया गया है। सीता त्याग कर्तव्य की प्रेरणा से हुआ था, किंतु एक प्रेमी के रूप में राम इस आघात को सह पाने में असमर्थ हैं। भवभूति ने राम को वज्र से कठोर और पुष्प से भी कोमल कहा है। राम के लिए प्रजा का हित सर्वोपरि है, इसके लिए वे सर्वस्व त्याग को भी स्वीकार करते हैं। भवभूति के राम प्रेरणा का स्रोत हैं, मानव जीवन के आदर्श हैं। वे महामानव हैं, जो अपनी प्रतिभा तथा आचरण और शक्ति के बल पर दिव्यत्व की कोटि में पहुँचते प्रतीत होते हैं।

अनर्घराघवम्

'अनर्घराघवम्' नाटक कवि मुरारी की रचना है। यह नाटक भगवान राम से संबंधित है, जिसमें विश्वामित्र के दशरथ के दरबार में आगमन से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का कथानक वर्णित है। नाटक में अनेक स्थानों पर राम को विष्णु के रूप में कल्पित किया गया है। नाटक के प्रारंभ में ही राम को गरुणध्वज कहा है :

अपि कथमसौ रक्षोराजस्तताप जगत्रयी
मपि कथमभूदिकक्ष्वाकूणां कुले गरुडध्वज:
(दुर्गाप्रसाद, 1887, 1/7, पृ.-14)।

नाटक में राम का चरित्र एक वीर योद्धा के रूप में है। विश्वामित्र से अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग की शिक्षा ग्रहण कर वे राक्षसों को परास्त करने एवं वध करने में पूर्ण सक्षम हैं। लक्ष्मण से यह जान कर कि आश्रम में राक्षस आ सकते हैं, वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आज राक्षस आएँगे तो मेरा धनुष उन्हें नष्ट कर देगा। नाटक में राम का साहस परशुराम के समक्ष दिखाई पड़ता है। जब परशुराम राम के विनम्र रहने पर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते, तब राम कहते हैं, 'आपकी बाईसवीं विजय की चेष्टा में मैं चापकौशल देखूँगा, क्योंकि शिव धनुष भंग करने से मुझे संतोष नहीं हुआ है' (दुर्गाप्रसाद, 1887, 4.51)।

राम वीरत्व के साथ मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं। वे कर्तव्यनिष्ठ एवं उदार हैं। शत्रु के प्रति भी कभी द्वेष भाव नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि सैन्य शिविर में रावण के गुप्तचर को पहचान कर भी उसको क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार राम कहीं अपने सौंदर्य से, कहीं आचरण से और कहीं शक्ति से सभी को अपने अधीन कर लेते हैं। संपूर्ण नाटक में राम एक राजनीति-प्रधान शासक, मर्यादा पालक और शक्तिवान योद्धा के रूप में हमारे समक्ष आते हैं।

प्रसन्नराघवम्

तेरहवीं शताब्दी में महाकवि जयदेव द्वारा रचित नाटक 'प्रसन्नराघवम्' नाट्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इस नाटक का आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। 'प्रसन्नराघवम्' नाटक ने हिन्दी कवियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। महाकवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में पुष्पवाटिका प्रसंग, लक्ष्मण-परशुराम संवाद, सीता-रावण संवाद आदि इसी नाटक से ग्रहण किए हैं। नाटक में 7 अंक हैं, जिसमें सीता स्वयंवर से लेकर लंका विजय और अयोध्या आगमन तक का कथानक है। जयदेव यद्यपि राम के विष्णु रूप से परिचित हैं, किंतु नाटक में उन्होंने राम को प्रायः लौकिक रूप में प्रस्तुत किया है। नाटककार जयदेव ने राम के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है।

स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयताम्।
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः।।
(परांजपे, & पेनसे, 1894, 1/12, पृ.-34)

नाटक में राम के मिथिला आगमन, सीता विवाह तथा परशुराम से उनकी भेंट का वर्णन है। परशुराम, राम को देखकर उनमें दिव्यत्व का दर्शन करते हैं। नाटक में राम रावण को पराजित करके भी उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। नाटक में सीताहरण के पश्चात् राम की स्थिति और सीता के वियोग में उनकी व्याकुलता का वर्णन है। जयदेव ने राम के आचरण में मानव जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रसन्नराघवम् के राम वीर पुरुष हैं, आदर्श राजकुमार हैं, मर्यादापुरुषोत्तम हैं। यह नाटक माधुर्य गुण से पूर्ण है।

बाल रामायण नाटक

राम कथा पर आधारित यह नाटक महाकवि राजशेखर की रचना है। राजशेखर ने राम के चरित्र को आदर्श की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। इस नाटक के दस अंक हैं, जिसमें सीता स्वयंवर से लेकर अयोध्या लौटने तक की राम कथा का वर्णन है। इस नाटक में राम वनवास के विषय में एक नई कल्पना की गई है। यहाँ कैकेयी या दशरथ राम को वनगमन की आज्ञा नहीं देते, अपितु छद्मवेशी मायामय और शूर्पणखा क्रमशः दशरथ और कैकेयी का रूप धारण कर राम को वनवास का आदेश देते हैं। बाल रामायण के राम गुणों का समन्वय हैं। वे विनम्र, क्षमाशील, संस्कारित, परम मित्र तथा दुष्टों के दमनकर्ता के रूप में हैं। इस नाटक में परशुराम की उग्रता के बाद भी राम की विनम्रता और शालीनता का वर्णन है। राम इतने विनम्र हैं कि परशुराम के क्रोधित होने पर राम अपना शीश परशुराम के सामने कर देते हैं :

स्वायत्तेन कुठारेण स्वाधीने राममूर्धनि ।
यथेष्टं चेष्टतामार्यस्त्वदाज्ञां को निषेधति॥
(राय, 1984, 4/62, पृ.-129)

नाटक में सेतुबंध के अवसर पर परंपरा से हटकर नाटककार ने राम द्वारा समुद्र पर प्रहार कराया है। राम के बाण से आहत समुद्र औषधि लगाए गंगा-यमुना के साथ राम के सामने प्रकट होता है और स्वयं सेतु के लिए स्थान और नल-नील की शक्ति के बारे में राम को अवगत कराता है।

निष्कर्ष

संस्कृत नाटकों में राम के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत के प्रमुख नाटककारों ने राम के अलौकिक रूप को स्वीकार करते हुए अपनी अनुरक्ति उनके लौकिक रूप में ही प्रदर्शित की है। नाटककारों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार राम के चरित्र में आने वाले विभिन्न प्रसंगों को अपनी रचनाओं में विशेष महत्त्व प्रदान किया है। नाटकों के राम अधिक यथार्थ जीवन व्यतीत करने वाले हैं। संस्कृत नाटककारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राम को विष्णु का अवतार माना है।

राम के व्यक्तित्व का प्रभाव मानव मात्र पर ही नहीं, पशु, पक्षी, देवता और गंधर्व आदि पर भी समान रूप से है। राम के चरित्र का यह प्रभाव है कि राम से मिलने पर उनका मित्र या शत्रु ही नहीं, अपरिचित व्यक्ति भी मन से उनका प्रशंसक बन जाता है। पुत्र, शिष्य, पति, भाई, मित्र और शासक के रूप में राम आदर्श का प्रतीक हैं। माता-पिता के लिए राम वनवास स्वीकार करते हैं। भाई के लिए वे राज्य का त्याग करते हैं। पत्नी के लिए रावण जैसे प्रबल शत्रु से संघर्ष करते हैं। मित्र के लिए जीता हुआ राज्य छोड़ देते हैं और भक्त के लिए उसके चखे हुए जूठे बेरों को भी प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं। शासक के रूप में राम धर्मपालक और अत्याचारियों का दमन करने वाले हैं। इसी आधार पर वे बालि और रावण का वध करते हैं। राम की शक्ति सामान्य मानव सीमा से परे है, लेकिन आत्मिक धरातल पर वे सामान्य मानव से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार संस्कृत के नाटकों में राम का चरित्र आदर्श एवं लौकिक है, जो देवत्व से पूर्ण है। राम के इस स्वरूप का प्रभाव केवल संस्कृत नाटकों तक ही नहीं, अपितु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी पड़ा है।

संदर्भ

अय्यर, टी. आर. रत्नम., रंगाचार्य, एम. (शके 1823). *श्रीमहाकवि-श्रीभवभूतिप्रणीतं महावीरचरितम्*, बंबई : निर्णय सागर यन्त्रालय. अध्याय/श्लोक 1/21. पृ.-19 https://ia601804.us.archive.org/10/items/dli.ernet.242372/242372-Mahavira%20Charitam_text.pdf से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

ओझा, एस. (एन.डी.). *महाकवि भास विर्चित्तम प्रतिमानाटकम्*. जयपुर : आदर्श प्रकाशन. अध्याय/श्लोक 2/6, पृ.-70. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.442420/पृष्ठ /n1/mode/2up से दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

ओझा, एस. (एन.डी.). *महाकवि भास विर्चित्तम प्रतिमानाटकम्*. जयपुर : आदर्श प्रकाशन. अध्याय/श्लोक 5/14, पृ.-155 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.442420/पृष्ठ /n1/mode/2up से दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

झा, टी. (1963). *श्रीमहाकविश्रीभवभूतिप्रणीतं उत्तररामचरितम्*. इलाहाबाद : रामनारायणलाल बेनीप्रसाद. अध्याय/श्लोक 1/12, पृ.-54. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.403218/पृष्ठ /n59/mode/2up?view=theater से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

दुर्गाप्रसाद, पी. (1887). *श्रीमुरारीविरचितं अनर्घराघवम्*. बंबई : द निर्णय सागर प्रेस. अध्याय/श्लोक 1/7, पृ.-14. https://archive.org/details/anargha-raghava-murari-tika-ruchipati-ed.-durga-prasada-nirnaya-sagar-press-km-5-1887/पृष्ठ /n3/mode/2up?view=theater से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

परांजपे, एस. एम. & पेनसे, एन.एस. (सं). (1894). *प्रसन्नराघ्वम्-जयदेव*. पूना : शिरलकार & कंपनी. अध्याय/श्लोक 1/12, पृ.-34. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.326059/पृष्ठ/n33/mode/2up?view=theater से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

राय, जी.एस. (1984). महाकविराजशेखरविरचितं बाल रामायण. वाराणसी : चौखंबा सुरभारती प्रकाशन. अध्याय/श्लोक 4/62, पृ.-129.https://archive.org/details/OjLN_bal-ramayan-of-rajashekhar-by-gangasagar-ray-series-no.-69-chaukhambha-surabharati-granthamala/mode/2up?view=theater से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त.

शास्त्री, टी.जी. (1913). *महाकविभास अभिषेकनाटकम्*. त्रिवेंद्रम : त्रिवेंद्रम गवर्नमेंट प्रेस. अध्याय/श्लोक 6/17, पृ.-67 https://archive.org/details/RamayanaPlay/Abhishekanatakam/पृष्ठ /n69/mode/2up४ से दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को पुनःप्राप्त

सिवादत्ता, पी. (सं). (1894). द *नाट्यशास्त्र ऑफ भरत मुनि*. बंबई : तुकाराम जावाजी. अध्याय/श्लोक 1/82, पृ.-7. Natya Shastra : Bharat Muni : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive से दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 51-59, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

गुरु गोबिंद सिंह जी के विद्या दरबार का अध्ययन

डॉ. नरेश कुमार[1] और डॉ. प्रीति सिंह[2]

सारांश

दस गुरु परंपरा द्वारा शुरू से ही साहित्यिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान किया गया। इन गुरुओं का साहित्य के विविध क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे सिक्ख गुरु परंपरा में दसवें गुरु हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विविध विषयों पर उनकी रचनाओं का साहित्य में अनुपम योगदान है। उनके साथ उनके 52 चिंतकों ने साहित्य को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कवियों ने प्रत्येक विषय को आधार बनाकर रचनाएँ कीं। इन्होंने चाणक्य नीति, हितोपदेश और महाभारत के कई पर्वों का भाषानुवाद किया। इसी प्रकार कुछ कवियों ने गुरुजी के जीवन को साहित्य के द्वारा समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया। अधिकतर कवियों की फुटकर रचनाएँ उपलब्ध हैं और कुछ कवियों की रचनाएँ ग्रंथ रूप में उपलब्ध हैं। अणिराय, आलम, अमृतराय, धन्ना, सेनापति जैसे कवियों ने दरबार की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया। उनके द्वारा रचित साहित्य आज के समय में गुरु गोबिंद साहिब के जीवन को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। उनकी अधिकतर रचनाएँ गुरु गोबिंद साहिब की युद्ध रणनीतियों और युद्धों का वर्णन करती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की दरबार की विरासत न केवल सिख संस्कृति को समृद्ध करती है, अपितु भारत के साहित्य में अपना अनुपम योगदान देती है।

संकेत शब्द : श्री गुरु गोबिंद सिंह, आनंदपुर साहिब, विद्याधर, विद्या दरबार, दरबारी कवि, पाँवटा साहिब

प्रस्तावना

श्री गुरु गोबिंद सिंह अनेक प्रतिभाओं से संपन्न महापुरुष हैं। वे योद्धा, सेनानी और संत होने के साथ-साथ साहित्य रचयिता भी थे। उन्होंने विविध भाषाओं में रचना कर साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया। उनकी साहित्यिक विरासत अत्यधिक समृद्ध थी तथा कला-साहित्य के लिए भी उनका अगाध प्रेम था। उनके साहित्य को अधिक समृद्ध बनाने के लिए उनके दरबारी कवियों का महत्त्वपूर्ण प्रदेय रहा है। उनके दरबार में 52 कवि थे, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। विविध विषयों को आधार बनाकर इन बावन कवियों ने साहित्य सृजन कर विद्या दरबार को और अधिक समृद्ध किया। इन कवियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में रहकर उनके जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इन कवियों की रचनाओं में गुरु गोबिंद सिंह के संपूर्ण जीवनवृत्त के साथ उनकी वीरता और युद्धों का सहज और सजीव चित्रण प्राप्त होता है। उन्होंने पंजाबी, फारसी और ब्रज भाषाओं में साहित्य की रचना की और अपने साहित्य को जनमानस तक पहुँचाने का अतुलनीय कार्य किया।

शोध प्रविधि एवं शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवियों के जीवन और रचनाओं का अध्ययन करना है। आज भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के विद्या दरबार और उनके दरबारी कवियों की पर्याप्त जानकारी एक साथ उपलब्ध नहीं है। उनकी रचनाओं के माध्यम से ही उनके दशम गुरु के दरबार में होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ये दरबारी कवि विविध भाषाओं के ज्ञाता थे, जिस कारण इन कवियों की रचनाओं में भाषाई विविधता परिलक्षित होती है। इनकी कुछ रचनाएँ फुटकर रूप में तो कई रचनाएँ ग्रंथ रूप में उपलब्ध हैं। इन रचनाओं का मूलाधार गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन दर्शन, युद्ध और वीरता का वर्णन था। साथ ही तत्कालीन समाज की अनेक स्थितियों का चित्रण भी इन कवियों की रचनाओं में प्राप्त होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर में रहकर अपने 'विद्या दरबार' की स्थापना की, जहाँ कवियों ने अनेक विषयों में अपनी रचनाएँ कीं। उनकी रचनाओं का संकलन कर उस ग्रंथ को 'विद्याधर' नाम दिया गया। अधिकतर कवियों की रचनाओं के उपलब्ध न होने के कारण उन्हें बावन कवियों की श्रेणी में रखना एक विवादास्पद विषय है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन विवादों का ध्यान रखते हुए कुछ कवियों की रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में व्याख्यात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

साहित्य के क्षेत्र में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान के पश्चात् नौ वर्ष की आयु में वह दस गुरु परंपरा के दसवें गुरु बनें। उन्होंने समाज कल्याण में अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया। 'गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लेते ही आज का भारतीय एक अपूर्व गौरव और उल्लास का अनुभव करने लगता है। 'वीर' शब्द के अंदर जितनी भी गरिमा, परंपरा-क्रम से हमारे चित्त में संचित है वह सब साकार हो उठती है। पवित्र चरित्र, अडिग उत्साह, अकुंठ, साहस, अकृत्रिम, सौंदर्य, विद्या और तपस्या का नियत संरक्षण और मनोबल का आश्रय भंडार ही 'वीर' है। गुरु गोबिंद सिंह इन सब गुणों के मूर्तिमान हैं' (द्विवेदी, 2021, पृष्ठ 58)। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। इस भूमि का इतिहास त्याग, समर्पण और साहस से भरा है। उन्होंने अपनी रचना 'विचित्र नाटक' (बचित्तर नाटक) में अपने जन्म स्थान का वर्णन करते हुए लिखा है :

'मुर पित पूरब कियसी पयाना।
भाँति भाँति के तीरथ नाना।

[1] सहायक प्राध्यापक, पंजाबी एवं डोगरी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ईमेल : nareshaman2002@hpcu.ac.in
[2]सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश : ईमेल : drpreetisingh10001@gmail.com

जब ही जात त्रिवेणी भये।
पुन्न दान दिन करत बितये।
तहीं प्रकाश हमारा भयो।
पटना शहर बिखै भव लयो।'

(सिंह, 2002, पृष्ठ 21)

श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अपना आरंभिक समय पटना शहर के हरमंदिर साहिब में बिताया। यहीं से ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही अपनी माता से वीरों की गाथाएँ सुना करते थे। साथ ही पिताजी की शौर्य गाथाओं ने उनके जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। पिता द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी को क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी गई। शस्त्र के साथ-साथ उन्होंने शास्त्र का भी ज्ञान लिया। उन्हें साहित्य का अथाह ज्ञान था, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा भाषाविद थे। उनकी रचनाओं में ब्रज, पंजाबी और फारसी भाषाओं के कई शब्दों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से प्राप्त होता है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर में रहे और कुछ समय पश्चात् वह सिरमौर की पहाड़ियों के पाँवटा नामक स्थान में जा बसे। गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ तीन वर्ष रहे। पाँवटा में रहकर ही उनकी साहित्यिक यात्रा को नई गति एवं दिशा मिली। 'जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने पाँवटा साहिब बसाया तब वहाँ आध्यात्मिक सभाएँ शुरू हो गईं। यहाँ 52 कवियों की रचनाएँ भी हुईं' (सिंह, 2017, पृष्ठ 54)। पाँवटा साहिब में रहकर उन्होंने अनेक रचनाएँ कीं। यहाँ रहकर उन्होंने 'कृष्णावतार' नामक रचना रची, जिसका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं :

सत्रह के चवताल में सावन सुदि बुधवार
नगर पाँवटा मों सु मैं रचियो ग्रंथ सुधार।
फिर 'कृष्णावतार' की समाप्ति पर लिखा :
सत्रह पैताल महि सावन सुदि थिति दीप।
नगर पाँवटा सुभ करण जमना बहै समीप।
दसम कथा भागौत की भाखा करी बनाइ।
अवन वासना नाहि प्रभु धरम जुद्ध को चाइ।।

(सिंह, 2017, पृष्ठ-25)

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े। पाँवटा साहिब से लौटने पर गुरुजी ने 1689 ई. में भंगाणी का युद्ध लड़ा। 'विचित्र नाटक' अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन में हुए युद्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवनकाल में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें 'खालसा पंथ' का निर्माण अद्वितीय है। 13 अप्रैल, 1699 ई. को उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक विशाल सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में सुदूर क्षेत्रों से लोग एकत्रित हुए। उसके पश्चात् उन्होंने 'खालसा' के माध्यम से लोगों के हृदय में ईश्वरीय भक्ति का संचार करने का कार्य किया और एक जयघोष दिया:

'वाहिगुरू जी का खालसा
वाहिगुरू जी की फतेह'

(सिंह, 2017, पृष्ठ 6)

गुरु गोबिंद सिंह जी ने समाज में फैली अराजकता और अशांति को दूर करने के लिए जीवनपर्यंत कार्य किया। ऐसा कहा जा सकता है कि उसका जन्म ही धर्म-रक्षा और समाज कल्याण के उद्देश्य से हुआ था। वह एक महान् योद्धा, क्रांतिकारी, राष्ट्रनिर्माता, संत एवं अलौकिक गुणों से संपन्न युग-पुरुष थे। 'गुरु गोबिंद सिंह जी का आविर्भाव उस समय हुआ, जब अकबर द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण देश में हिंदुओं के अंदर प्रतिरोध का भाव जाग्रत हो रहा था' (सिंह, 2017, पृष्ठ 13)। तत्कालीन समाज दो वर्गों में बँटा हुआ था। एक वर्ग वह, जो शासक थे और दरबारी थे और जो केवल दरबार में रहते थे। उनका जीवन विलासपूर्ण, सुखद और आनंदमय होता था। दूसरी ओर सामान्य जनता थी, जो अपने जीवनयापन के लिए प्रतिदिन परिश्रम करती थी। उस समय के राजा अपने भोग-विलास में रहा करते थे। सामान्य जनता से उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। साहित्य की स्थिति दयनीय थी। दरबारी कवि राजा से धन के लिए उनके झूठे शौर्य का गुणगान करते थे। उस समय अधिकतर कवियों ने शृंगारिक कविताएँ कीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस प्रथा का विरोध कर समाज को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास किया और साहित्य को नया रूप देने का कार्य किया। गुरुजी का समय शांति और स्थिरता का समय नहीं था। यह समय सामाजिक अराजकता और राजनैतिक अस्थिरता का समय दिखाई पड़ता है। मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया।

प्रत्येक व्यक्ति में अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है और वही प्रभाव उनकी कृति पर भी दिखाई पड़ता है। जैसा आचार्य शुक्ल लिखते हैं : 'प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है' (शुक्ल, 2021, पृष्ठ-5)। रचनाकार अपनी रचना के कारण समाज में परिवर्तन लाने का काम करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी संत होने के साथ ही महान् कवि भी थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंजाबी, ब्रजभाषा और फ़ारसी भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। फारसी उस समय की राजभाषा थी और पंजाबी उनकी मातृभाषा थी। इन दोनों भाषाओं का ज्ञान उनको था, परंतु उन्होंने अपनी अधिकतर काव्य रचना ब्रजभाषा में की, जो उस समय की साहित्य की भाषा बन चुकी थी। गुरुजी ने इन्हीं भाषाओं में अपने साहित्य का सृजन किया। उन्होंने भक्ति, ऐतिहासिक और अध्यात्म के साथ-साथ वीर काव्य का निर्माण किया। इनकी अधिकतर रचनाएँ 'श्री दशम ग्रंथ' में संकलित हैं। इनके रचनाकाल के संबंध में महीप सिंह लिखते हैं : 'गुरु गोबिंद सिंह की अधिकतर कृतियों का रचनाकाल सन् 1680 से 1700 के मध्य का ही है। इस समय के बीच में भी उन्हें अनेक युद्ध करने पड़े थे, जिसमें से कुछ का वर्णन अपनी आत्मकथा 'विचित्र नाटक' में किया है' (सिंह, 2002, पृष्ठ 55)। जैसा कहा गया है कि इन्हें पंजाबी भाषा का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपनी रचना 'चंडी दी वार' पंजाबी भाषा में लिखी। इसके साथ 'जफरनामा' और 'हिकायतें' जैसी रचनाओं की भाषा फारसी है। इसके अतिरिक्त 'जापु' उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें आध्यात्मिकता और भक्ति रस पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। इस रचना में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का उल्लेख किया। इसके साथ 'अकाल स्तुति' में भी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर जोर दिया। 'विचित्र नाटक' उनकी आत्मकथा

है, इसमें उन्होंने आनंदपुर के अपने जीवन का एक व्यवस्थित रूप से वर्णन किया। इस प्रकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को शांति का संदेश देने का प्रयास किया। कह सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा जीवन लोक सेवा में व्यतीत कर दिया।

'स्वभाव से वे कवि थे, परिस्थितियों ने उन्हें योद्धा बनाया। हृदय से वे कवि थे, परिस्थितियों ने बादशाह बनाया। उन्होंने शस्त्र धारण किया, साम्राज्य-स्थापन के लिए नहीं, अन्याय और अत्याचार के विध्वंस के लिए। उन्होंने कविताएँ लिखीं। वाग्विलास के लिए नहीं, उपेक्षित और अविमानियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए। वे संत थे, वे कवि थे, वे लोकनायक थे' (द्विवेदी, 2021, पृष्ठ संख्या 67 & 68)। गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित समाज में चेतना, उत्साह और साहस का संचार करने का प्रयास किया। इनके द्वारा रचित साहित्य उदारता और सुंदरता से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है।

गुरु गोबिंद सिंह जी के विद्या दरबार का परिचय

मध्यकाल से ही मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था। अधिकतर समाज भोग विलास में डूबा हुआ था। उस समय गुरुजी ने समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास किया। मुगलों के अत्याचारों के कारण कई कवियों को दरबार से निराश्रित कर दिया गया। जिस कारण कवियों का अन्य दरबारों की ओर पलायन आरंभ हो गया। इन्हीं कवियों में अधिकतर कवियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में आश्रय लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना प्रारंभिक समय आनंदपुर साहिब में व्यतीत किया, जिसके पश्चात् उनके दरबार को मुख्य रूप से 'आनंदपुर दरबार' कहा गया। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने दरबार में शस्त्र के साथ-साथ शास्त्र का भी ज्ञान दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहित्य संसार में उनके दरबारी कवियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दस गुरु परंपरा में गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 दरबारी कवियों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कई भाषाओं में रचनाएँ कीं तथा अपने दरबार को उत्कृष्ट बनाने में मुख्य रूप से योगदान दिया। इन दरबारी कवियों ने प्रत्येक विषय पर सुंदर कविताओं की रचना की, जो 'विद्याधर' नामक ग्रंथ में संकलित हैं।

'इस ग्रंथ में भारतीय दर्शन, पुराण और इतिहास के महान् पंडितों का भाषानुवाद संकलित है। आनंदपुर हमले के समय इसका ज्यादातर भाग नष्ट हो गया था, केवल कुछ भाग ही उपलब्ध है। यह दरबारी कवि हजुरी कवि की संज्ञा से परिभाषित किए गए। इन कवियों के समूह को ही 'विद्या दरबार' कहा गया' (पन्नू, 2019, पृष्ठ 17)। उनके दरबारी कवियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार को प्रतिष्ठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'इन कवियों की एक सूची संतोष सिंह जी की पुस्तक 'गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ' में संकलित है। सूची इस प्रकार है : 'उदयराम, अणीराय, अमृतराय, अल्लू, आसा सिंह, आलम, ईश्वरदास, सुखदेव, सुखासिंह, सुदामा, सेनापति, श्याम, हीर, हुसैन अली, हंसराम, कल्लू, कुवरेश, खानचंद, गुणिया, गुरुदास, गोपाल, चंदन, चंदा, जमाल, टहकन, धर्म सिंह, धन्ना सिंह, ध्यानसिंह, नानू, निश्चलदास, निहालचंद, नंदराम अथवा नंदसिंह, नन्दलाल, पिंडी दास, वल्लभ, बल्लू, विधि चंद, बुलंद, वृष, बृजलाल मथुरा, मदन सिंह, मदन गिरी, भल्लू, मल्लू, माला सिंह, मंगल, राम, रावल, रोशन सिंह, लक्खण राय' (सिंह, 2017, पृष्ठ-5569)।

विद्या दरबारी कवियों के संबंध में विद्वानों का मत

विद्या दरबार के कवियों की एक व्यवस्थित सूची प्रस्तुत करने के बाद भाई वीर सिंह जी ने 'गुरु प्रताप ग्रंथ' की टीका लिखी, जिसके पश्चात् उन्होंने उस क्रम में 52 कवियों के साथ सात नाम शामिल कर दिए, जो इस प्रकार हैं: सुक्खू, सुंदर, सोहन सिंह, दया सिंह, मद्धू, मानचंद, अचल दास' (चौधरी, 1976, पृष्ठ-63)। स्पष्ट है कि दरबारी कवियों की संख्या का विषय विवादास्पद है। अपने-अपने मतों द्वारा अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से कवियों की संख्या को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार जहाँ वीर सिंह जी ने सात कवियों की सूची को शामिल किया, वहीं 'ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने अपने मत के अनुसार नौ कवियों की सूची को शामिल किया और कवियों की संख्या को 61 तक बढ़ा दिया। उन कवियों की सूची इस प्रकार है : मद्धू, रामदास, सेना या सैना, सेखा, रामचंद्र, मानी, सुंदर, ज्ञान, ठाकुर' (चौधरी, 1976 पृष्ठ-63)। परंतु, इन दोनों सूची पर ध्यान देने से पता चलता है कि इनमें 'सुंदर' और 'मधु' नाम समान हैं। इस प्रकार तीनों सूचियों को मिलाकर कवियों की संख्या 66 पहुँच जाती है। इसके साथ ही उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त 'देवेंद्र सिंह विद्यार्थी ने तीन सूचियों के 66 कवियों की सूची में पाँच कवियों के नाम जोड़कर कवियों की संख्या 71 कर दी। उन पाँच कवियों की सूची इस प्रकार है : काशीराम, सुकवि, सरदा (शारदा), भूपति, प्रह्लाद' (चौधरी, 1976 पृष्ठ-63)।

'श्री प्यारासिंह पद्म जी ने गुरु दरबार में कवियों की संख्या 85 बताई है। उन्होंने प्राप्त सूचियों में 71 कवियों की संख्या में केवल 46 कवियों को प्रामाणिक मानकर 39 कवियों की सूची को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है : देवीदास, कृपाराम, वृंद, गिरधरचंद, गिरिधर लाल, तनसुख लाहौरी, कपूरचंद त्रिखा, गुरदास सिंह, दाना, केशवदास, चौपासिंह, मनी सिंह, पंडित नंद लाल, बिहारी, जादोराय, फत्तमल, लाल ख्याली, आढ़ा, भगतू, रायसिंह, महासिंह, भोजराज, जगन्नाथ, भगवान दास निरंजनी, सागर, नंदराम गुणकारी, पंडित रघुनाथ, ब्रह्मभट्ट, मानदास बैरागी, हरिजसराइ, पंडित मिठू, मुशकी ढाढी, शबीला ढाढी, कर्ता प्राचीन वार, कर्ता प्रेम अंबोधि, कर्ता अमरनमा, केसोसिंह भट्ट, देसासिंह भट्ट, नर्वद सिंह भट्ट' (चौधरी, 1976 पृष्ठ-64)।

उपर्युक्त सूची में लेखक ने जिन कवियों के नाम रेखांकित किए हैं, वे कवि गुरुजी के समकालीन नहीं है। उनमें से अधिकतर कवियों का समय गुरुजी के समय से पहले है या बहुत बाद का है। 'आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का समय संवत् 1660 (1603 ई.) माना है' जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से पहले है। इसी प्रकार केशवदास का समय संवत् 1612 (1555 ई.) माना है, जो गुरुजी के समय से बहुत पहले का है' (शुक्ल, 2021, पृष्ठ-183, 218)। इसलिए यह कहना निरर्थक होगा कि ये कवि गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि थे। इसके पश्चात् उन कवियों की सूची देखी जा सकती है, जिनके संबंध में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वे दशम गुरु के दरबार में उपस्थित थे। वह सूची इस प्रकार है : अणीराय, अमृतराय, आलम, ईश्वरदास, सुखदेव, सुदामा, सेनापति, हीर, हुसैन अली, हंसराम, कुबरेश, गुरुदास, गोपाल, चंदन, चंद, टहकन, धर्मसिंह, धन्ना सिंह, ध्यानसिंह, नंदसिंह, बृजलाल, मल्लू, मंगल, लक्खण, रामचंद्र, सुंदर, शारदा, काशीराम, नानू, सैना, आसा सिंह, सुकवि, भूपति। इन कवियों की रचनाएँ पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये कवि गुरु साहिब के दरबारी कवि थे।

विद्या दरबारी कवियों की रचनाओं का अध्ययन

गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवियों ने उनके दरबार को प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जा सकता है कि गुरुजी के दरबार में उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने कई भाषाओं में रचनाएँ कीं। वे अपना अधिकांश समय रचनाओं को लिखने में व्यतीत करते थे, जिसके पश्चात् वे कवि अपनी रचनाओं को पूर्ण कर गुरुजी के समक्ष प्रस्तुत करते थे और परिणामस्वरूप उन्हें उनकी रचनाओं के लिए पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया जाता था। इन कवियों में अधिकतर कवियों को हम गुरु गोबिंद सिंह जी का यशोगान करते हुए पाते हैं। इन दरबारी कवियों ने गुरुजी के अद्वितीय व्यक्तित्व को बड़े ही प्रामाणिक ढंग से उजागर करते हुए अपनी काव्य रचनाओं को सफल बनाया है। अधिकतर कवि गुरु गोबिंद सिंह जी के योद्धा रूप से प्रभावित थे। इसमें से कुछ कवियों ने गुरुजी के गुणों को अपनी कविताओं में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। 'चंद कवि' अपने छंदों के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह के जीवन और उनके दरबार को सुंदर ढंग से वर्णित करते हुए लिखते हैं :

'कलि में भयो एक मरद नानक है, नाम जाको'
ता ते भये नौ एक ज्योति सुहायो है।
खडगधारी होय महल दसवाँ कहायो है,
तेईयन मैं आए बीच पैठे समाए गुरु
दुनिया बसाए जाए पाँवटाप बसायो है।
सत्य गुरु बचन सार मरद गुरु का विचार,
गोबिंद सिंह कृपा ते दास चंद कहि सुनायो है।।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-70)

इन कवियों में अधिकतर कवियों ने गुरु साहिब के दरबार में अनुवाद का कार्य भी किया। अमृतराय, हंसराज, कुबरेश और मंगल कवि ने महाभारत के 18वें अध्याय का सरल भाषा में और सेनापति ने 'चाणक्य नीति' का साधारण भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरु साहिब जी के दरबार में विद्या के अनेक साधन उपलब्ध थे। 'धन्ना सिंह' गुरुजी के सेवादार थे और प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। इनके जीवन के बारे में कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इनके दो सवैये प्रसिद्ध हैं :

'मीन मरे जल के परसे कबहूँ न मरे पर पावक पाए।
हाथी मरे मद के परसे कबहूँ न मरे तन ताप के आए।
तीय मरे पिय के परसे कबहूँ न मरे परदेश सिधाए।
गूढ़ मैं बात कही दिजराज! विचार सके न बिना चित लाए।।
कंबाल मरे रविके परसे कबहूँ न मरे ससि की छबि पाए।
मित्र मरे मीत के मिलिबे कबहूँ न मरे जब दूर सिधाए।
सिंघ मरे जबि मास मिले कबहूँ न मरे जबि हाथ न आए।
गूढ़ में बात कही दिजराज! विचार मरे न चित लाए।।'

(सिंह-2011, पृष्ठ-4467)

'सुंदर कवि' का उल्लेख दशम गुरु के दरबार में मिलता है, परंतु इनके जीवनवृत्त का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनकी फुटकर रचनाएँ उपलब्ध हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल फुटकर छंदों की ही रचना की है। इनका एक छंद निम्नलिखित है :

'बेसन महिं साम सुनौ, सिंधु मिरजादा मेरु,
मंडल महिं मैं, गुरिआई गुण गाए हो।
सरम के सागर सपूतन के सिरमौर,
सुंदर सुधाधर से सुंदर गनाए हो।
रचन में दान बानि बानी हरी चंद की सी,
बिदत बिनय बड़े बंस चलि आए हो।
तेज को तरनि तरवार को परसराम,
गुरनि महि ऐसे गुरु गोबिंद कहाए हो।'

(सिंह, 1935, पृष्ठ-371)

'शारदा' के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके भी कुछ छंद उपलब्ध हैं :

'दिस-दिस देस देस एस दिगपाल केते,
आजै करैं काल्ह केते गुनहु गहत हैं।
प्रबल प्रतापी पातसाह साची सुनीयत,
तेरे सिर भार भू को सारदा कहत हैं।
ओजन के सूर महाभोज सौ घेर मरेयौ
और विचार न कीजै दारिद दहत हैं।
हरी माँगे वर देत माँग गुरु गोबिंद को,
करतार माँगे कर तार दे रहत हैं।'

(सिंह, 2011, पृष्ठ-5723)

किसी भी रचनाकार के होने की प्रामाणिकता उसकी रचना के होने से होती है। अगर किसी रचनाकार के नाम के साथ उसकी रचना का नाम न हो तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना कठिन हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवियों में अधिकतर कवियों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ कवियों की रचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं। जो सूची 'संतोख सिंह' द्वारा दी गई है उसमें निम्नलिखित कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं :

क्र. सं.	कवि का नाम	मौलिक रचनाएँ	भाषा-रूपांतरण
1.	अणी राय	जंगनामा गुरु गोबिंद सिंह	
2.	अमृतराय	फुटकर रचनाएँ	चित्र-विलास, सभा-पर्व (महाभारत)
3.	आसा सिंह	फुटकर रचनाएँ	
4.	आलम	श्यामस्नेही, आलमकेलि, माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित्र, ग्रंथ संजीवन, फुटकर छंद	
5.	ईश्वरदास	फुटकर छंद	
6.	सुखदेव	अध्यात्म प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, गुरु महिमा, सामुद्रिक शास्त्र	
7.	सुदामा	फुटकर छंद	
8.	सेनापति	गुरु शोभा, सुखसैन ग्रंथ	चाणक्य नीति
9.	हीर	फुटकर छंद	
10.	हुसैन अली	फुटकर छंद	

11.	हंसराम	फुटकर छंद	कर्ण-पर्व महाभारत
12.	कुबरेश		द्रोण-पर्व महाभारत
13.	गुरुदास	कथा हीर राँझान की, साखी हीरा घाट की	
14.	गोपाल	अनुभव उल्लास	
15.	चंदन	फुटकर छंद	
16.	चंदा	फुटकर छंद	
17	टहकन	रतनदाम	अश्वमेध-पर्व महाभारत
18.	धर्म सिंह	पंचतंत्र, कोकसार	
19.	धन्ना सिंह	फुटकर छंद	
20.	ध्यान सिंह	फुटकर छंद	
21.	नन्नू	फुटकर छंद	
22.	नंदराम	नंदराम पचीसी, काडखा	
23.	नंदलाल	दीवान-ए-गाथा, जिंदगीनामा, तौ सौ फौसना, जोत विकास, गजनामा (पंजाबी)	
24.	बुलंद	फुटकर छंद	
25.	बृजलाल	फुटकर छंद	
26.	मल्लु	फुटकर छंद	
27.	मंगल	फुटकर छंद	शल्य-पर्व (महाभारत)
28.	लक्खणराय	हितोपदेश	

जब आनंदपुर साहिब पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया, उस समय 52 कवियों में अधिकतर कवियों की रचनाएँ नष्ट हो गईं। जिस कारण वर्तमान में उन कवियों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। संतोख सिंह द्वारा दी गई सूची के अनुसार जिन कवियों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उनकी सूची इस प्रकार है : उदय राय, अल्लु, सुखा सिंह, सुखिया, श्याम, कल्लू, खान चंद, गुणिया, जमाल, निश्चल दास, निहाल चंद, पिंडी दास, वल्लभ, बल्लू, विधि चंद, वृष, मथुरा, मदन सिंह, मदन गिरी, भल्लु, माला सिंह, राम, रावल और रोशनसिंह। गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवियों में अधिकतर ने फुटकर छंदों की रचना की। इसी के साथ देखा जाए तो अन्य कवियों की रचना ग्रंथ रूप में मिलती है। गुरु साहिब जी के दरबारी कवियों ने अनेक विषयों पर कविताओं का सृजन किया। अधिकतर कवियों की रचनाएँ भक्तिपरक कविताएँ थीं, जिसका उदाहरण हमें 'सुदामा कवि' के एक छंद में देखने को मिलता है :

'एक संग पढ़े अवंतिका संदीपन के
सोई सुध आई तो वुलाई भुझी वामा मैं
पुंगीफल होति तौ असीस देतो नाथ जी कौ,
तंदुक ले दीजै बाँध लीजे फटे जामा मैं
दीन दुआर सुनि कै दयार दरबार मिले,
ऐतो कुछ दीनो पाई अगनती सामा मैं,
प्रीत करि जाने गुरु गोबिंद कै मानें
तंती बहै 'सुदामा' मैं ……'

(सिंह, 2015, पृष्ठ-198)

इसके साथ 'चंदन कवि' के छंद हमें शृंगारिक रूप में दिखाई देते हैं :

'नवसात तिये, नवसात किए, नवसात पिए, नवसात पियाए।
नवसात रचे, नवसात वदे, नवसात पया पहि दायक पाए।
जीत कला नवसात की, नवसात के मुख अंचर छाए।
मानहु मेघ के मंडल मैं कवि चंदन चंद कलेबर छाए।'

(सिंह, 2015, पृष्ठ-199)

'आसा सिंह' गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि थे। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके केवल कुछ छंद उपलब्ध हैं :

'मुख करौ मेरौ करै करत न पर उपकार।
तिसकौ फिर मैं करौंगी पलटा इहु दरबार।
फटि छाती दो टूक भइ, रुदन करति लिखि जाति।
परस्वारथ उपकार बिन मोहि न उपजत साँत।
ऐसे कलम कहत सब साथ।
सो गुरु पकराई मुहि हाथ।
गुरु की आन जबह सिख दिनी।
सही न मैं चिट्ठी लिखदीनी।
सर्वलक्षमी जगत तुमारी।
मुंचति है इही सृष्टि सारी।।'

(भाई संतोख सिंह, गुरु-प्रताप-सूर्य ग्रंथ, पृष्ठ 5722)

'नानू अथवा ननुआ' कवि के बारे में कहा जाता है कि वह गुरु तेग बहादुर सिंह के शिष्य थे। इनके बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इनके केवल गेय पदों का उल्लेख मिलता है :

'लोयण निपट लालची मेरे
भूखे धावे तृप्ति न पावे, सदा रहे गुरु मूरति घेरे।
जोड़े हाथ अनाथ सदा यह, अपने ठाकुर केरे चेरे।
हेर ननुआ हैराना, गुरुमूरति विच हरि ही हेरे ।।' (1)
'असाँ साहिब दरस दिखाइया।
खुल्ही वंदी डुल्हदे नैणी
हसदा हसदा आइया।
प्यार आपणा भर भर बुक्कीं।
मन तन साडे पाइया।
ननुए नू होर चित्त न काई
धा सिर चरना ते लाइया'।। (2)

(चौधरी, 1976 पृष्ठ-74)

'सैना अथवा सैणा' भी गुरुजी के दरबारी कवियों में शामिल हैं। यह दरबार में लिखारी का काम किया करते थे। यह इस काम के साथ-साथ कुछ कविताएँ भी रचा करते थे। एक बार लिखारी में किसी प्रकार की भूल हो जाने पर वह घर में जा छिपे, जिसके उपरांत लज्जावश उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के बुलाने पर उन्हें एक छंद लिखकर भेजा, जो इस प्रकार है :

'जब के प्रभु से बीछुरे, कियो कृषि को ठाट।
व्रिषभन संगति हम करी भए जाट के जाट।
अब का मुख प्रभु कउ दिखराहऊँ।

सिमर नाम नित आनंद पाऊँ।
गुरगति अगम जाण नहि जाई।
नारदादि की मति भरमाई।।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-7)

'सुकवि' गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि थे। इनके जीवनवृत्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका एक छंद 'गुरु-प्रताप-सूर्य ग्रंथ' में उद्धृत है :

'जौन देस जइयति नरेसन के पास तहाँ
ठौर-ठौर तुमरो ई जस गाईयति है।
पाइँ गहे तेरे पाइँ गहे पाइयति कहूँ,
और जाइ गरजाइ गरो पाइयति है।
ऐसे गुरु गोबिंद की सुकवि सरन ताको,
पूरन प्रताप जाको जग छाइयति है।
राजी हूजिइत गाजीयत जा के दरबार,
बर बाजी बाँध बाजी लेन आइयति है।।'

(भाई संतोख सिंह, गुरु-प्रताप-सूर्य ग्रंथ, पृष्ठ-5719)

'भूपति' कवि का जीवनवृत्त अज्ञात है। इनका भी केवल एक छंद 'गुरु-प्रताप-सूर्य ग्रंथ' में वर्णित है :

'बाजति निशान के दिशान भूप भहिरति,
हासाडोल परति कुबेर हूँ के घर मैं।
होति है अतंक शंक लंक हूँ मैं मानीयति,
रंक है बिभीखन सो डोलति डहर मैं।
भूमैं गुर गोबिंद सों भूपति कहित ठाडें,
भू मैं हमैं राख जो तुहारे आवै घर मैं।
अरिनि की रानी बिललानी चहैं पानी ते,
बै मोतिन की माल लै निचोवति अधर मैं'।।

(भाई संतोख सिंह, गुरु-प्रताप-सूर्य ग्रंथ, पृष्ठ-5719)

जिन कवियों की रचनाएँ फुटकर हैं, उनके बारे में सामग्री बहुत ही सीमित उपलब्ध है। उन कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। साहित्य में आरंभ से ही अधिकतर कवियों की विशेषता रही है कि वह अपनी रचनाओं से ही समाज को संदेश देने का कार्य करते थे। इसी कारण अधिकतर कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, परंतु उनके विषय में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है।

गुरु साहिब जी के दरबारी कवियों के कुछ छंद ही उपलब्ध हैं, परंतु कुछ कवियों की जानकारी उपलब्ध है। उनकी रचनाएँ ग्रंथ के रूप में मिलती हैं। उन्होंने गुरुजी के जीवन को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। 'अणीराय' की 'जंगनामा' रचना उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने गुरुजी के जीवन तथा उनके और अजीम खाँ के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। 'जंगनामा' 69 छंदों का एक वीर काव्य है, जिसमें गुरुजी के योद्धा व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया गया है। उनका एक छंद निम्नलिखित है :

'खड़े धूहे म्यान ते, बैरी बिलखाने।
जुट्टे दुहूँ मुकाबले, बिज्जू झरलाने।
बाहण मुणसँ घोडेयाँ, घायल घुम्माने।
जुज्झन सौहे सागर दे दरगह परवाने।
मुंड मंडकन मेदनी, एही नेसाने।
जण माली सिट्टे बाड़ियाँ, खरबूजे काने।।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-78)

'अमृतराय' भी दशम गुरुजी के दरबारी कवि माने गए हैं। भाई संतोख सिंह के 'गुरु-प्रताप-सूर्य- ग्रंथ' में एक कवित्त के अनुसार उन्हें दशम गुरुजी के दरबार में भेजा गया था। दरबार का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं :

'जाही ओर जाऊँ, अति आदर तहाँ पाऊँ,
तेरे गुन गन को अगाऊ गने शेश जू।
हीर चीर मुक्ता जे देति दिन प्रति दान
तिन्है देख अभिलाषति घनेश जू
गुनन में गुनी कवि अम्रित पढ़ाया है मेरो,
जब इनै हेरो प्यार कीजे अमरेश जू।
श्री गुरु गोबिंद सिंह छिरनिधि पार भई,
कीरति तिहारी तुमैं कहि के संदेश जू।।'

(सिंह, 2011, पृष्ठ-4463)

गुरु साहिब के दरबारी कवियों में 'आलम' का भी उल्लेख मिलता है। हिंदी साहित्य में 'आलम केलि' के रचयिता आलम के रचनाकाल को लेकर विद्वानों में आपस मतभेद हैं, परंतु समय के अनुसार देखा जाए तो यह रीतिकालीन आलम कवि हैं, उसके अनुसार इनकी रचनाएँ आलम केलि, आलम के कवित्त, सुदामा चरित आदि हैं। 'सुखदेव' कवि की अधिकतर रचनाएँ आध्यात्मिक हैं, जिनमें अध्यात्म प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, गुरु महिमा प्रमुख हैं। ज्ञान प्रकाश और गुरु महिमा की हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध हैं। 'सेनापति' गुरु साहिब जी के दरबार के प्रमुख कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—गुरु शोभा, चाणक्य नीति भाषा, सुखसैन ग्रंथ। 'गुरु शोभा' में उन्होंने गुरुजी के आनंदपुर छोड़ने के पश्चात् के जीवन और निर्वाण काल तक की घटनाओं को चित्रित किया। 'चाणक्य नीति भाषा' ग्रंथ संस्कृत में रचित चाणक्य नीति का भाषा रूपांतरण है। इस ग्रंथ को उन्होंने गुरु दरबार में रहकर लिखा :

'गुरु गोबिंद की सभा महिं लेखक परम सुजान।
चणाकै भाषा करी कवि सेनापति नाम।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ 107)

'हंसराम' कवि भी गुरु साहिब के दरवारी कवि थे। इनकी कुछ मुक्तक रचनाएँ 'गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ' में उद्धृत हैं। इन्होंने गुरु साहिब जी के आदेश पर महाभारत के 'कर्ण पर्व' का भाषा रूपांतर किया था। इन्होंने इसकी रचना संवत् 1752 में शुरू की थी, जिसका वर्णन उन्होंने एक छंद के माध्यम से बताया है :

'संवत् सत्रह सै बरस बाबन बीतनहार।
माग बदि तिथि दूज को दिन मंगलवार ताँ
हंसराज ताँ दिन करयो 'करन परब' आरंभ।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-108)

इस रचना के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें बहुत-सा धन पुरस्कार के रूप में दिया। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी अधिकतर मुक्तक रचनाएँ महाभारत के कर्ण पर्व की हैं। यह पुस्तक आज भी हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। जब उन्होंने अपनी रचना का समापन किया तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें बहुत-सा धन पुरस्कार के

रूप में दिया, जिसका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं :

'प्रथम कृपा करि राख कर, गुरु गोबिंद सिंह उदार
टका करे बकसीस तब, मो को साठी हजार।
ताको आयसु पाइ कै, करण परब मैं किन
भाषा अरथ विचित्र करि, सुनियो सुकवि प्रबीन
जथा अरथ जैसो सुन्यो, करन परब को कानु
गुरु गोबिंद की कृपा ते, सो हम कारयो बषानु।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-108)

'कुबरेश' कवि का नाम दशम गुरु के दरबारी कवियों में उल्लेखनीय है। उन्होंने महाभारत के 'द्रोण पर्व' का भाषा रूपांतरण किया। इस ग्रंथ की रचना संवत् 1752 में की गई, जिसका वर्णन वे एक पंक्ति द्वारा करते हैं :

'संवत् सत्रह सै अधिक बावन बीते और
ता मैं कवि कुबरेश को कियो ग्रंथ को डौर।।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-111)

गुरु साहिब के दरबारी कवियों ने अधिकतर रचनाएँ गुरु साहिब को केंद्र में रख कर की। उसी प्रकार कुबरेश कवि ने 'द्रोण पर्व' में नौ गुरुओं की परंपरा का उल्लेख कर दशम गुरु का परिचय देते हुए अपने गाँव का वर्णन किया।

गुरु गोबिंद नरिन्द हैं तेग बहादुर नन्द।
जिन ते जीवन है सकल भूतल कवि बुध ब्रिंद।
नदी सतुद्रव तीर तहिं शुभ आनंदपुर नाम।
गुरु गोबिंद नरिन्द के राजत सुभग सुधाम।
गंगा जमना बिच में 'बरी' ग्राम को नाम।
तहाँ कवि कुरबेश को, बास करै को धाम।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-111)

'गुरुदास' गुरु साहिब जी के प्रमुख कवि थे। बावन कवियों में इनकी गणना की जाती है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—'कथा हीर राँझा की' और 'सखी हीरा घाट की'। 'कथा हीर राँझा की' प्रेम-कथा है तथा 'सखी हीरा घाट की' रचना गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। इसमें उनके संपूर्ण जीवन का चरित्र-चित्रण है। 'गोपाल राय' भी गुरु साहिब के दरबारी कवियों में शामिल हैं। इस कवि के जीवन-मृत्यु की कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी एकमात्र रचना 'अनुभव उल्लास' उपलब्ध है। यह ग्रंथ 19 रोला छंद का है। इस ग्रंथ के आरंभ में ही वाहेगुरु की स्तुति की गई है :

'नमो सचिदानंद अपन पौ परम अनूपा,
गुरु गोबिंद गणेश सारदा सकल सरूपा।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-116)

कई विद्वानों का मानना है कि गोपाल राय दशम गुरु के दरबारी कवि नहीं थे, परंतु उनकी रचना के आरंभ तथा अंत में गुरु साहिब की स्तुति है, जिस कारण यह कहना सार्थक होगा कि वह गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि थे :

'गुरु गोबिंद प्रताप ते, काटि आहि मम फास।
जन गोपाल विचारकै, कह्यो अनुभव उल्लास।।'

(चौधरी, 1976, पृष्ठ-116)

'टहकन' की गणना भी गुरु साहिब के दरबारी कवियों में की जाती है। 'गुरु-प्रताप-सूर्यग्रंथ' में टहकन कवि का नाम शामिल है। इनकी दो रचनाएँ मिलती हैं—अश्वमेध पर्व का भाषा रूपांतरण और रतनदाम। अपनी रचनाओं के आरंभ में उन्होंने गणेश की वंदना की है। सिख परंपरा में टहकन के गुरु साहिब के दरबारी कवि होने का पता उनकी रचना अश्वमेध पर्व के भाषा-रूपांतरण से लगाया जाता है। उनकी दूसरी रचना 'रतनदाम' अप्रकाशित है तथा हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध है। इनके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु उन्होंने अपने रचनाकाल की जानकारी देते हुए लिखा :

संत सरदस सप्तस्त अधिक बरस खटबिस।
मिति त्रयोदश आषाढ़ वदी बुधवासर शुभ।

(पन्नू, 2019, पृष्ठ-26)

'मंगल' कवि का भी गुरु साहिब के दरबार में उल्लेखनीय स्थान माना जाता है। गुरु साहिब के दरबार में जिन कवियों ने महाभारत का भाषा-रूपांतरण किया, उनमें से मंगल कवि का नाम भी शामिल है। उन्होंने महाभारत के 'शल्य-पर्व' का भाषा रूपांतरण किया। कवि कहते हैं कि गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारा धन उपहार में दिया। 'मंगल' कवि की रचनाएँ हमें ब्रज भाषा में अधिक मिलती हैं :

'ऊपर नरैस हूँ की, होहि सुभ बेस हूँ की,
कासमीर देस हूँ की, भरी आन धामरी
बुनी कारीगर भारी,करी खूब गुलकारी,
पहिरै भिखारी,मोल पावैं लाख दामरी
सीत हूँ को जीत लेति,ऐसी सोभा देह देति,
'मंगल' सुकवि ज्यों कन्हैया जी को कामरी
स्याम, सेत, पीरी, लाल, जरद, सबद रंग,
गुरुजी गोबिंद ऐसी देति मौज पामरी'

(सिंह, 1935, पृष्ठ-370)

उन्होंने पंजाबी में भी रचनाएँ की :

'सौण न देंदी सुखी दुजणा नूँ रात दिन।
नौबत गोबिंद सिंह गुरु पातशाह दी।।'1

(पन्नू, 2019, पृष्ठ-27)

'आनंद दा वाजा नित्त वजदा आनंदपुर
सुण सुण सुध भुलदी ए नरनाह दी
भौ भिया भभिखणे नूँ लंका गढ़ वसणे दा
फिर असवारी आन्वदी ए महावाह दी
बल छड बलि जाई छपेया पताल विच्च
फते दी निशानी जैंदे दबार दरगाह दी
सवणे ना देंदी सुख दुजना नु रात दिन
नौबत गोबिंद सिंह गुर पातशाह दी।'

(बादशाह दरवेश- सोढ़ी कुलदीप सिंह, पृष्ठ 198)

'लक्खन राय' गुरु साहिब के दरबारी कवियों की सूची में शामिल हैं, परंतु उनके जन्म-मृत्यु के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी एकमात्र रचना 'हितोपदेश भाषा' उपलब्ध है। यह रचना दोहा और सोरठा में रचित है। 'काशीराम' दरबारी कवियों में प्रसिद्ध थे। वे औरंगजेब के सूबेदार निजामत खाँ के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी एक रचना 'कनक मंजरी' का उल्लेख किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने काशीराम को हृदयराम की रचना 'हनुमान नाटक' (1623 ई.) के कुछ

अधूरे अंशों को पूरा करने के लिए कहा था। इसके साथ उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में रहकर 'पांडव गीत' नामक रचना को पूर्ण किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ मुक्तक छंदों की रचना की। 'हीर' कवि का नाम दरबारी कवियों में उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में इनका कोई ग्रंथ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके छंद, कवित्त और छप्पर उपलब्ध हैं। 'गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ' में इनका नाम वर्णित है। कहा जाता है कि जब गुरुजी ने आनंदपुर को स्थापित किया था तब हीर गुरुजी की प्रतिभा के गुणगान को सुन आनंदपुर पहुँचा। उसने गुरुजी के अनेक युद्धों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था तथा उनका वर्णन अपनी रचनाओं में किया था। जब वह आनंदपुर आए तो उन्होंने दरबार में गुरु साहिब के लिए एक कवित्त पढ़ा :

'पास ठाढ़ौ झगरत झुकत दरैरै मोहि
बात न करन पाऊँ महाँ बली पीर सों।
ऐसो अरु बिकट निकट बसै निस दिन,
निपट निशंक सठ घैरै फर भीर सौं
दारिद कुपूत। तेरा मरन बान्यो आज,
करि कै सलाम विदा हुजै कवि 'हीर' सों।
नातरु गोबिंद सिंह बिकल करैगे तोहि,
टूक टूक है है गाढ़े दानन के तीर सों।।'

(सिंह, 1935, पृष्ठ-375)

'हीर कवि के कवित्त वीर रस से भरपूर हैं। शैली, वर्णनात्मक विषयवस्तु एवं शाब्दिक प्रयोग की दृष्टि से भूषण कवि से साम्य रखते थे। इनमें दशम गुरु की शूरता का वर्णन है। इन सारे छंदों में दशम गुरु की शूरता का वर्णन है। सारे छंदों में गुरुजी के अस्त्र-शस्त्र और युद्धों का वर्णन है' (पन्नू, 2019, पृष्ठ-29)। इनके छंदों में अधिकतर गुरु साहिब का वर्णन दिखाई पड़ता है। उनके जीवन के बारे में इनके छंदों में कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष

किसी भी समाज या काल को समझने के लिए उस समय का साहित्य सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। कहा गया है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य ही तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने में सहायक है। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके कवियों ने भी तत्कालीन समाज और गुरु दरबार को साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के विलक्षण व्यक्तित्व में कवि, योद्धा और संत का अद्भुत संगम था। मुगलों के अत्याचारों तथा चारों ओर अराजकता के कारण भी उन्होंने धार्मिक और साहित्यिक सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, अपितु साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अलग भूमिका निभाई। उनके साथ उनके 52 कवियों ने भी एक उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। उन कवियों ने अपने साहित्य के ऐसे विषयों का चयन किया, जिसमें भक्ति और वीरता दोनों की अभिव्यक्ति हो सके। इन बावन कवियों का साहित्य उनके जीवन की भाँति विशिष्ट और कला की दृष्टि से समृद्ध था। गुरु गोबिंद सिंह का दरबार, गुरु दरबारों की साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधि था और उनके कवियों ने इस परंपरा को विशिष्ट रूप देने का कार्य किया। इन कवियों ने ब्रज, फारसी और पंजाबी के विविध छंदों का प्रयोग इतनी सहजता से किया कि स्वाभाविक ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। उनका विद्या दरबार इतना समृद्ध था कि आज भारतीय इतिहास में उनकी एक अलग छवि देखी जा सकती है। इन कवियों का साहित्य गुरु साहिब के योगदान को इतिहास में हमेशा अमर रखने का प्रयास करेगा।

संदर्भ

चौधरी, बी. बी. (प्रथम संस्करण-1976). *गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि*. दिल्ली : स्वास्तिक साहित्य सदन, पृष्ठ-63.

चौधरी, बी.बी. (प्रथम संस्करण-1976). *गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि*. दिल्ली : स्वास्तिक साहित्य सदन, पृष्ठ-70.

चौधरी, बी.बी. (प्रथम संस्करण-1976). *गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि*. दिल्ली : स्वास्तिक साहित्य सदन, पृष्ठ-74 .

चौधरी, बी.बी. (प्रथम संस्करण-1976). *गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि*. दिल्ली : स्वास्तिक साहित्य सदन, पृष्ठ-78 .

चौधरी, बी. बी. (प्रथम संस्करण-1976). *गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि*. दिल्ली : स्वास्तिक साहित्य सदन, पृष्ठ-107 .

द्विवेदी, एच. पी. (2021). *सिक्ख गुरुओं का पुण्य स्मरण*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ-58.

द्विवेदी, एच. पी. (2021). *सिक्ख गुरुओं का पुण्य स्मरण*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ-67, 68.

पन्नू, एच.एस. (2019). *पौंटा साहिब से हजूर साहिब तक*. बठिंडा : पंजाब केसरी यूनिवर्सिटी, पृष्ठ-26.

पन्नू, एच. एस. (2019). *पौंटा साहिब से हजूर साहिब तक*. बठिंडा : पंजाब केसरी यूनिवर्सिटी, पृष्ठ-17.

पन्नू, एच. एस. (2019). *पौंटा साहिब से हजूर साहिब तक*. बठिंडा : पंजाब केसरी यूनिवर्सिटी, पृष्ठ-27.

पन्नू, एच. एस. (2019). *पौंटा साहिब से हजूर साहिब तक*. बठिंडा : पंजाब केसरी यूनिवर्सिटी, पृष्ठ-29.

शुक्ल, आर. (2021). *हिंदी साहित्य का इतिहास*. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ -5.

शुक्ल, आर. (2021). *हिंदी साहित्य का इतिहास*. नई दिल्ली. प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ-183, 218.

सिंह, जे. (1935). *श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और अमृत वाणी*. मथुरा : द यूनाइटेड सिक्ख मिशनरी सोसायटी, पृष्ठ-370.

सिंह, जे. (1935). *श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और अमृत वाणी*. मथुरा : द यूनाइटेड सिक्ख मिशनरी सोसायटी, पृष्ठ-375.

सिंह, जे. (1935). *श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और अमृत वाणी*. मथुरा : द यूनाइटेड सिक्ख मिशनरी सोसायटी, पृष्ठ-371.

सिंह, जे. (1935). *श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और अमृत वाणी*. मथुरा : द यूनाइटेड सिक्ख मिशनरी सोसायटी, पृष्ठ-198.

सिंह, एम. (2002). *भारतीय साहित्य के निर्माता : गुरु गोबिंद सिंह*. नई दिल्ली: साहित्य अकादमी, पृष्ठ-22.

सिंह, एम. (2002). *गुरु गोबिंद सिंह*. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी, पृष्ठ-25.

सिंह, एम. (2002). *गुरु गोबिंद सिंह*. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी, पृष्ठ 13.

सिंह, एम. (2002). *गुरु गोबिंद सिंह*. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी, पृष्ठ-55.

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-5569.

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-4467.

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-5723.

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-5722 .

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-5719.

सिंह, एस. (2011). *श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ*. पटियाला : भाषा विभाग, पृष्ठ-4463.

सिंह, एस.जे. (2014). *गुरु गोबिंद सिंह*. नई दिल्ली : के.के. प्रकाशन, पृष्ठ-06.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 60-65, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

गोंडी चित्रकला में जनजातीय जीवन का अध्ययन

मोनिका शर्मा[1]

सारांश

मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने जन्म के साथ ही संचार प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। प्राचीन काल में अपने विचारों, संवेदनाओं तथा मनोभावों को व्यक्त करने हेतु जनजातीय कबीलों तथा समूहों द्वारा गुफाओं और कंदराओं पर रेखाओं व आकृतियों का निर्माण किया जाता था, जिससे आगे चलकर चित्रकला जैसी रचनात्मक विधा का जन्म हुआ। समय के साथ-साथ नई तकनीकों की सहायता से संचार के विभिन्न जनमाध्यमों का आविष्कार होता गया। अमौखिक संचार से आरंभ हुआ यह सिलसिला आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे बढ़ते हुए कृत्रिम बुद्धिमता तक जा पहुँचा है। लेकिन आधुनिकता के इस युग में भी जनजातीय संस्कृति तथा उसकी संचार पद्धति की एक विशिष्ट पहचान कायम है। प्रस्तुत शोध आलेख देश की एक प्रमुख जनजाति 'गोंड' की जीवन-यात्रा पर आधारित है। भारत के मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि क्षेत्रों तक फैली हुई इस जनजाति का अपना एक समृद्ध इतिहास है। यह जनजाति बरसों से अपने चित्रों, गीतों, अनुष्ठानों के माध्यम से जीवन व प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर संचार तथा संवाद स्थापित करने का कार्य अत्यंत कुशलता के साथ कर रही है। प्रस्तुत शोध आलेख के माध्यम से गोंड जनजाति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक नाट्य, लोक कला, लोक संगीत तथा लोक-पर्व में निहित संचार तत्त्वों का अध्ययन तथा विश्लेषण विभिन्न दृष्टिकोणों से करने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द : जनजाति, संचार, चित्रकला, संस्कृति, लोक, लोक नाट्य, लोक कला, लोक संगीत, लोक-पर्व

प्रस्तावना

भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, समुदायों व जनजातियों का निवास है, जिनकी बोली-भाषा, रहन-सहन और कला एक-दूसरे से भिन्न होने के बावजूद वे भारतीयता की भावना से जुड़े हुए हैं। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में जनजातियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनजातियों का 89.97% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और 10.03% शहरी इलाकों में (भारत की जनगणना, 2011)। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो मध्य भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख है। यह भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, जिसका निवास स्थान भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्य रूप से देश के पाँच हिस्सों में फैली हुई है, जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तथा उड़ीसा जैसे नाम सम्मिलित हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र मुगल काल में 'गोंडवाना' के नाम से प्रसिद्ध था।

गोंड शब्द की उत्पत्ति 'कोंड' शब्द से हुई है, जिसका द्रविड़ में अर्थ होता है 'हरे पहाड़'। प्राचीन समय में गोंड खुद को 'कोई' या 'कोइतूरे' नाम से संबोधित करते थे, हरे पहाड़ों में रहने के कारण लोग उन्हें 'गोंड' नाम से बुलाते थे। यह जनजाति दक्षिण में गोदावरी घाटियों से लेकर उत्तर में विंध्य पर्वत के विस्तृत क्षेत्रों तक फैली हुई है। अबुल फजल की रचना 'आइन-ए-अकबरी' में चार गोंड राज्यों का उल्लेख है, जो भारत के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों में स्थित हैं। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार आदि प्रदेशों में गोंड जनजाति का विस्तार मिलता है। जनजातियों के इतिहास में गोंड साम्राज्य शक्ति और संपन्नता का प्रतीक रहा है। गोंड राजाओं के किलों के अवशेष बैतूल और होशंगाबाद जिले में आज भी मौजूद हैं। समाज के अन्य वर्गों की तुलना में जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्ट है। उनके दैनिक जीवन के प्रत्येक हिस्से में उनकी लोक संस्कृति का एक अनोखा स्वरूप झलकता है (महावर, 2018)।

इनकी चित्रकला में सादगी और जीवन से जुड़े सभी पहलू देखने को मिलते हैं। गोंड कलाकृतियों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार क्रियाएँ शामिल होती हैं। सहज ज्ञान और समझदारी से ही इनके जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें इस समुदाय के लोग जीवन के हर एक पड़ाव (जन्म, विवाह, त्योहार, खेती-बाड़ी, प्राकृति ऋतुएँ, पेड़-पौधे, पहाड़-नदी, नृत्य-गायन, मृत्यु) आदि को अपनी चित्रकला में दर्शातें हैं। इनके चित्रों में जीवन की हर एक विधा को बहुत ही सरल आकृतियों में उकेरा हुआ देखा जा सकता है। इनके चित्रों की आकृतियाँ एक-सी नहीं होतीं। ये चित्रों में कभी रेखाओं को पंक्तिबद्ध तरीके से सजाते हैं तो कभी छोटे-छोटे बिंदुओं से या फिर ज्यामितीय आकार से भर देते हैं। ये रंगों का चुनाव भी बहुत आत्मीयता से करते हैं, जो उनके स्वभाव में रंगों के प्रति एक मजबूत भावना को भी दर्शाता है (सगौरी, 2020)।

गोंडों का यह मानना है कि प्रकृति से जुड़ी कोई भी छवि देखने से सौभाग्य बढ़ता है तथा कलाकारों द्वारा कोशिश की जाती है कि सभी चित्रकलाओं में रंग, आकृति का चयन उसको और आकर्षित दिखाए। वे प्रकृति से जुड़े चित्रों के लिए गहरे चटक व नारंगी रंगों का प्रयोग करते हैं, वहीं विवाह व त्योहार के अवसर पर चमकीले (लाल, पीले, हरे, नीले, काले) रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर ये लोग भित्ति चित्र भी बनाते हैं, जिसमें विशेष रूप से खिड़की, दरवाजे व जमीन पर चित्रकारी की

[1]शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल : monikashar13@gmail.com

जाती है। इसमें विशेष कर देवी-देवताओं या फूल-पत्ती के साथ ज्यामिति कलाकृतियों को उकेरा जाता है। प्रकृति से जुड़े चित्रकला में पशु-पक्षी मोर, चिड़िया, तोता, हिरन, भालू, बाघ, साँप महुआ के वृक्ष व मगरमच्छ, मछली आदि को चित्रित किया जाता है। जीवन के सत्य से जुड़कर मनुष्य अपने अंतिम पड़ाव से गुजर, मृत्यु को गले लगाकर एक अनंत यात्रा पर निकल जाता है। उस चरण के दौरान उनकी चित्रकला के रंगों में गेहुँआ, सफेद पृष्ठभूमि के साथ खिले रंगों का प्रयोग किया जाता है। गोंडी मृत्यु के पश्चात् शव को जहाँ दफनाते हैं, वहाँ परिवार के सदस्यों द्वारा मिट्टी के उपर किसी पथरीली वस्तु पर मृतक की जीवन यात्रा से संबंधित एक खास तरह का चिह्न अंकित किया जाता है जो इस समुदाय की चित्रकला का ही हिस्सा होता है (महावर, 2018)।

गोंडी-जीवन : सामाजिक संरचना

प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज व मान्यताएँ होती हैं। भारत की प्रमुख जनजाति गोंड की सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और विविधताओं से परिपूर्ण है। गोंड जनजाति का जीवन और उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, जंगल तथा उससे प्राप्त संसाधनों पर निर्भर है। इनकी सामाजिक संरचना में जाति तथा लैंगिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है। गोंड समाज में 'गोत्र' की संकल्पना है, जहाँ प्रत्येक गोत्र किसी-न-किसी जीव-जंतु या वनस्पति से जुड़ा होता है, जो उनके लिए पूजनीय होता है। ये गोत्र पाँच 'भाईबंद' समूहों में बँटे हुए हैं, जिनका अपना-अपना एक विशेष 'गणचिह्न' होता है। गोंड जनजातियाँ कई शाखाओं में बँटी हुई हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार कुल गोंड भाइयों की संख्या 7 है, जिसमें 'परधान' का जन्म सबसे छोटे भाई से हुआ है। परधान को बड़ादेव के अनुदेश पर पुजारी मान लिया गया, जो अपनी कला और कथा शैली से गोंड जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा को सहेजते आ रहे हैं (मिश्र, 2007)।

जन्म-मृतक संस्कार

जनजातियों का जीवन सरल, सहज और प्रकृति पर आधारित होता है। इनके हर रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार से लेकर जीवन से लेकर मरण तक की प्रत्येक गतिविधियों में प्रकृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। गोंड समुदाय के जीवन में भी प्रकृति का मानवीकरण शामिल होता है, जिससे वे संचार व संवाद स्थापित करते हैं। संस्कृति की संरक्षक कही जाने वाली जनजातियों के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार चलते हैं, जिसमें माँ की कोख में पल रहे बच्चे को सातवें महीने में 'चढ़ाव का पानी देना' से शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा पंच बंधन, नामकरण, छठी तथा कर्ण छेद आदि संस्कार शामिल हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में जनजाति जीवन की संस्कृति झलकती है और हर संस्कार के साथ बच्चा प्रकृति, परिवार व समाज के साथ जुड़कर एक नई जिम्मेदारी का भाव महसूस करता है (नागेश, 2005)। गोंड पुनर्जन्म की संकल्पना में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मृतक की आत्मा बच्चों के जन्म के रूप में पुनः परिवार में आ जाती है। मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा बालाघाट क्षेत्र के गोंड मृतक के शव पर काजल या सिंदूर से कोई चिह्न अंकित कर देते हैं और जब परिवार में किसी शिशु का जन्म होता है, तो वे देखते हैं कि वैसा ही कोई चिह्न उस शिशु के अंगों पर है, तो मान लेते हैं कि मृतक की आत्मा ने उस शिशु के रुप में पुनर्जन्म ले लिया है (महावर, 2018)।

जीवन-संघर्ष

जनजातियों के जीवन-यापन की दृष्टि बहुत ही सरल और प्रकृति पर आधारित है। गोंड जनजाति का जीवन भी जल-जंगल-जमीन पर निर्भर है। इनसे प्राप्त संसाधनों जैसे फल-फूल, सब्जियाँ, माँस व अनाज, लकड़ियाँ, पानी आदि बुनियादी चीजों के लिए प्रकृति का जरूरत भर उपयोग करते हैं। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता वाले क्षेत्र में रहने के बावजूद वे आजीविका के लिए सीमित मात्रा में कृषि करते हुए एक संयमित जीवनशैली का पालन करते हैं ताकि जंगल के साथ-साथ उनके जीवन में भी संपन्नता बनी रहे। वनों में रहने वाले पेड़-पौधे, जीव-जंतु आदि उनके लिए सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं हैं। एक-दूसरे पर आश्रित होने की वजह से गोंड जनजाति के लोग जंगलों के संरक्षण और विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ यह समुदाय आर्थिक स्तर की समस्याओं से जूझता नजर आता है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह जनजाति आज भी संघर्षशील है, लेकिन इन सभी विसंगतियों के बाद भी गोंड जनजाति ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वर्षों से सहेज कर रखा एवं स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का प्रयास किया है (शर्मा, 2016)।

गोंड जनजाति : कला संस्कृति

गोंडवाना क्षेत्र एक विशाल भू-भाग में फैला हुआ है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति होने के कारण गोंड लगभग पचास उपजातियों में बँटे हुए हैं। ये सभी समूह अंतर्विवाही हैं। इन्हीं कारणों से इनके नृत्यों तथा गीतों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। गोंडजनों के साथ-साथ कोरकू, बैगा, कोल, बिंझवार, पंडो, कुमार, कँवर, कोरवा तथा उराँव जैसी अन्य कई जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जिनकी अपनी कला परंपरा है। एक साथ रहने के कारण इन जनजातीय समूहों में कला तथा संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। इसी कारण इन जनजातियों के बीच कुछ पर्व-त्योहार समान रूप में नजर आते हैं और उन्हें वे एक साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गोंड संस्कृति के विविध रंगों को इनके विवाह कार्यक्रम में बखूबी देखा जा सकता है। विवाह की हर छोटी-बड़ी रस्म और विभिन्न आयोजनों के गीत-संगीत भिन्न-भिन्न होते हैं। गोंड समुदाय के गीतों में जीवन के कई संस्मरण और आख्यान शमिल होते हैं, जिन्हें महिलाओं द्वारा उत्साह के साथ गाया जाता है। विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले एक गीत की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं :

'अलियारो मलियारो कनको नुका जोजी अलियारो सांदे जोजी हिमु
अलियार सिंह मालियार सिंह निमार वे के डाकित? अलियारो मलियारो परेवाँ पिटे जोड़ी
अलियारो मलियारो जोड़ी पड़की डाका अलियारो होह मलियारो सिंह वातिर भूमि डाका
अलियारो मलियारो लांजिर भूमि डाका।'

भावार्थ—पेज चावल की कनकी से बना है, अलियारो मालियारो। हमें जल्दी पेज दे दो, अलियारो मालियारो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अलियार सिंह मालियार सिंह? हम दोनों कबूतरों के जोड़े जैसे हैं, अलियारो मालियारो हम दोनों अपने लिए वधू खोजने जा रहे हैं, अलियारो मालियारो

तुम कौन से देश जा रहे हो, अलियार सिंह मालियार सिंह? हम लांजी देश जा रहे हैं, अलियारो मालियारो (महावर, 2018)।

गीत-संगीत की तरह ही गोंड जनजाति में विशेष अवसरों पर कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं :

करमा नृत्य : यह गोंड जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, जिसे समूह में किया जाता है। करमा पर्व के अवसर पर गोंड जनजाति के युवक-युवतियों द्वारा 'मांदर' नामक वाद्ययंत्र की थाप पर पूरी रात इस नृत्य को किया जाता है। इसमें नृत्य के साथ-साथ गायन भी शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में युवक-युवती थोड़े-थोड़े विश्राम के बाद पुनः नृत्य करते हैं। करमा नृत्य का नामकरण वृक्ष के नाम पर रखा गया है। इस वृक्ष का चुनाव एक ही प्रजाति के वृक्षों के आधार पर होता है। गाँव के सभी लोग मिलकर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं तथा कर्म वृक्ष की शाखा को जहाँ नृत्य करने की जगह चुनी जाती है, वहाँ पर स्थापित करते हैं। यह नृत्य कर्म का सम्मान तथा जीवन के उल्लास का प्रतीक है। करमा नृत्य चौदह प्रकार होता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले सभी गीत शृंगारिक होते हैं।

मांदरी नृत्य : यह भी एक प्रकार का समूह नृत्य है, जिसमें मांदरी नामक वाद्ययंत्र बजाते हुए गोलाकार आकृति में नृत्य किया जाता है। इसमें एक युवक नृत्य का नेतृत्व करते हुए मांदरी बजाता है और युवतियाँ चिटकुल बजाते हुए 'रेलो' नामक गीत गाती हैं। समूह के अन्य सदस्य उस गीत और धुन की ताल पर दायें से बायें घूमते हुए तथा आगे-पीछे करते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य की कोई रूपाकार रचना नहीं होती। नर्तक कभी बाएँ से दायें तो कभी दायें से बायें नृत्य करते हैं तो कभी अपने ही स्थान पर घूमते हुए एक साथ गोला बनाकर गोला फैलाते हुए संकुचित होकर झुंड का आकार देते हुए एकता के प्रतीक का परिचय देते हैं। यह सब वादक की हर एक थाप पर निरंतर बदलता रहता है।

चेरतांग पाटा : यह एक प्रकार का पुरुष प्रधान यात्रा नृत्य है, जो समूह में किया जाता है। इसमें समूह में शामिल सभी युवक अपने हाथ में बाँस का एक डंडा रखते हैं, जिसका निचला सिरा फटा होता है। नृत्य के दौरान युवकों की टोली इस डंडे को जमीन पर जोर-जोर से पटकते हुए चलती है। नृत्य से पहले युवकों को पगड़ी और पोशाक से बहुत अच्छे से सजाया व सँवारा जाता है। उनकी पगड़ी और मस्तक को काँच की मोतियों से बनी मालाओं से बाँधा जाता है। ऐसी ही माला, जो आकार में थोड़ी चौड़ी और लंबी होती है, उसे गले में पहनाया जाता है। इन मोतियों की मालाओं का रंग सफेद और गहरा नीला होता है, जिससे युवाओं की छवि और भी आकर्षित लगती है। गाँव के सभी युवक आसपास के गाँव जाकर हर घर के आगे गोला बनाकर नृत्य करते हैं तथा साथ में गीत भी गाते हैं। गाँववाले एकजुट होकर इन सभी युवाओं का दिल खोलकर स्वागत करते हैं तथा उनके ठहरने व भोजन का इंतजाम भी करते हैं (महावर, 2018)।

विवाह के समय पर किए जाने वाले मुख्य नृत्य इस प्रकार हैं :

सैला नृत्य : यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें नर्तक द्वारा अपने शरीर पर मोरपंख सजाकर डंडे, तलवार, फरसा आदि हथियारों का प्रदर्शन करते हुए अर्धवृत्ताकार आकृति में नृत्य किया जाता है। इसमें नृतकों की टोली एक गाँव से दूसरे गाँव तक गीतों को दुहराते हुए और नाचते हुए जाती है, इसलिए इसे 'गिरदा' या 'यात्रा नृत्य' भी कहा जाता है।

भड़ौनी नृत्य : यह नृत्य गोंड जनजातियों के विवाह के अवसर पर मंडप में किया जाता है, जिसमें वधू पक्ष की महिलाएँ वर पक्ष को गालियाँ देते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य की अपनी एक अलग वेश-भूषा होती है, जिसमें पुरुष कमर में लहँगेनुमा घेरेदार घाघरा पहनते हैं तथा सादी कमीज के उपर काले रंग की कोटी के साथ पगड़ी पर मोरपंख लगाते हैं। गले में मूँगा, मोती, पीतल व सिक्कों की बनी मालाओं को पहनते हैं। वहीं महिलाएँ पोषाक में मूँगी लुगरा पहनती हैं। युवतियाँ सभी आभूषणों के साथ-साथ अपने बालों को बहुत खास तरह की चोटी व जूड़े पर फूलों व घास के गुच्छों से सजाती हैं।

साभार : दृष्टिआईएएस डॉट कॉम

कहरवा : यह गोंड समुदाय का एक प्रमुख नृत्य है, जिसमें विवाह-समारोह के संपन्न हो जाने के बाद वर पक्ष की स्त्रियों और पुरुषों द्वारा प्रसन्नता तथा उल्लास व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

सजनी नृत्य : यह नृत्य गोंड जनजातियों के विवाह के बाद विदाई के समय परिवार द्वारा खुशी से किया जाता है। इसमें वर तथा वधू पक्ष के समधिन व समधी नृत्य करते हैं व बन्ना-बन्नी को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाओं का भाव प्रकट करते हैं। इसके साथ ही परिवार के अन्य सभी सदस्यों द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है।

बिरहा : यह विरह यानी विछोह पर आधारित नृत्य शैली है। इसे बरात के रवाना होने के समय किया जाता है। इसके अलावा जब विवाह के संपन्न होने के बाद दुल्हन की विदाई हो रही होती है तब किया जाता है। इस नृत्य में महिला-पुरुष दोनों भाग लेते हैं।

लोक पर्व

गोंड जनजाति के सभी त्योहार फसल चक्र पर आधारित होते हैं। कृषि से मिलने वाली उपज तथा प्रकृति से प्राप्त फलों एवं कंदमूल को वे देवताओं का आशीर्वाद और उपहार मानते हैं, जिसका पहला हिस्सा देवताओं को अर्पित करने के बाद ही उसका उपभोग करते हैं।

हरेली पर्व : हरेली पर्व संपूर्ण गोंडवाना क्षेत्र में मनाया जाता है। श्रावण की अमावस्या के दिन हरेली पर्व आता है। श्रावण की अमावस्या तक प्रकृति हरी-भरी हो जाती है। इस दिन सभी जनजातीय लोग पेड़मा देवता या देवी के समक्ष घी या साल वृक्ष की राल-धूप जलाकर वातावरण को पवित्र करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करते हैं। इस पर्व के संबंध में यह भी माना जाता है कि इस दिन जादू-टोना तथा डायने सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसलिए गोंड इस दिन प्रकृति को बुरी नजर से बचाने की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं।

करमा पर्व : करमा गोंड जनजाति का एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है, जो

भाद्र मास में मनाया जाता है। करमा कर्म का प्रतीक है। गोंड संस्कृति में करमा से संबंधित कई प्रकार के गीत व नृत्य प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कर्मा और धर्मा दो भाई थे, जिसमें धर्मा सवर्ण हिंदुओं के साथ चले गए तथा कर्मा जनजातियों के पास ही रह गए। तब से यह माना जाता है कि कर्मा और जनजातियों का साथ आज भी बना हुआ है।

माटी त्योहार : गोंड समुदाय में धान की बुआई से पहले माटी त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भूमिदेवी की पूजा-अर्चना तथा सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन भू-देवी की पूजा की जाती है तथा खेती करने के उद्देश्य से उसे प्राकृतिक रूप से अनुकूल बनाने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन गाँव के सभी पुरुष, जिसमें युवक और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं और एक साथ माता गुड़ी में जाकर तलुरमैत, जो कि भूदेवी हैं, पर बलि चढ़ाते हैं। गाँव के सभी सदस्य सड़कों पर आने-जाने वाले सभी वाहनों को रुकवा कर माटी त्योहार के अवसर पर उनसे चंदा माँगते हैं और चंदा मिलते ही इस त्योहार में उनकी भागीदारी को मानते हैं।

बिदरी : 'बिदरी' शब्द बादल से बना है। इस पर्व पर बादलों की पूजा की जाती है। बादलों के साथ ही भूदेवी तथा अन्न की भी पूजा की जाती है। इस पूजा का आयोजन ज्येष्ठ मास में किया जाता है, जिसमें पूरा गाँव शामिल होता है। ग्राम प्रमुख के आँगन में पूजा का आयोजन होता है। यहाँ ग्राम का प्रत्येक कृषक कार्यक्रम में शामिल होता है। इस त्योहार की तिथि सुविधाजनक रूप से गाँव के बुजुर्ग व बैगा आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। गाँव के प्रमुख के घर के आँगन में यह पूजा रखी जाती है। इस दिन गाँव का बैगा सूर्योदय के बाद ही स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में पानी भरकर तथा पूजा की सामग्री लेकर ठाकुर देव के स्थान पर पहुँच जाता है। इस पूजा में एक काली मुर्गी, जिसने अभी तक अंडे न दिए हों तथा सफेद व लाल रंग के मुर्गा के साथ महुए की मदिरा चढ़ाए जाते हैं। इसके पश्चात् मुर्गे की बलि देकर उसके रक्त को कृषि हेतु सभी बीजों पर छिड़क दिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से बीजों की उर्वरा को शक्ति मिलती है। इस पर्व में गाँव के सभी व्यक्ति शामिल होकर पूजा की समाप्ति के बाद मदिरा का सेवन करते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हैं।

बकबंधी : इस पर्व को रक्षा कवच के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोंड जनजातियों का मानना है कि यह पर्व सभी विपरीत शक्तियों तथा जादू-टोने के प्रभाव से उनके लोगों व पशुओं की रक्षा करता है। इस दिन समुदाय के सभी लोग पलाश वृक्ष की जड़ को धरती पर पटक-पटक कर उसके सारे रेशे निकल लेते हैं, जिसे बैगा द्वारा प्रत्येक परिवार के युवाओं की कलाई पर बाँधा जाता है तथा कुछ रेशों को मंत्रों के उच्चारण के साथ घर एवं खेतों में गाड़ दिया जाता है, ताकि उनकी जान और संपत्ति की रक्षा होती रहे। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति पर्व रक्षाबंधन जैसा ही होता है।

हरढिली : यह पर्व छत्तीसगढ़ के गोंड तथा अन्य जातियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व को हरेली पर्व का ही रूप माना जाता है। इसमें समुदाय के सभी लोग अपने बैलों को नहला-धुलाकर उन्हें पारंपरिक भोजन व पकवान खिलाते हैं। इस दिन बैलों से किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाता तथा खेती-बाड़ी में उनके सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिन गाँव का बैगा (पुजारी) हर घर के प्रमुख द्वार पर भिलावा के पत्ते तथा जोगीलटी की लताओं के साथ बाँधकर टाँग देता है, ताकि जादू-टोने से उनके घर-परिवार व पशुओं की रक्षा होती रहे।

साभार : वेबसाईट - बालाघाट

पोला : पोला पर्व गोंड जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भाद्र मास की पड़वा को मनाया जाता है। इस दिन धान की खेती को लेकर बैलों के सभी प्रकार के कार्यों को सम्मान अर्पित किया जाता है। इस दिन बैलों को नहला-धुलाकर उन्हें रंगों से सजाया जाता है तथा उनके सींगों पर तेल लगाकर रंगा जाता है। बैलों को खासतौर पर गुड़ और खिचड़ी का भोजन कराया जाता है। इस पर्व के उपरांत कुम्हार बैलों तथा कृषि संस्कृति से संबंधित बच्चों के खिलौने बेचते हैं, जिसमें जाँता, चूल्हा व रसोई के बर्तन इत्यादि शामिल होते हैं। बैलों की कलाकृतियों को लोग खरीद कर अपने घरों में उस दिन इनकी पूजा करते हैं।

भोजली : यह त्योहार गोंड तथा अन्य जनजातियों द्वारा श्रावण मास में मनाया जाता है। इसमें प्रकृति की सभी शक्तियों, भूमि तथा बीजों की आराधना की जाती है। इस पर्व में एक टोकरी में मिट्टी भरकर धान, गेहूँ, चना, मूँग, उड़द समेत सभी बीजों को हल्दी कुमकुम से टिकाकर, धरती में बोए जाने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाला जाता है, जिससे वे दो-तीन दिन में अंकुरित हो उठते हैं। इस दौरान किसानों की बेटियाँ वहाँ रोज दिए जलाकर भोजली गीत गाती हैं। इन गीतों में वर्षा, गंगा नदी, पहाड़, प्रकृति-पर्यावरण से संबंधित गीत गाए जाते हैं। बीज रोपने से लेकर उनमें पत्तियाँ उग जाने तक ये सभी गीत बहुत ही उल्लास के साथ गाए जाते हैं।

नवाखानी : यह त्योहार पूरे मध्यवर्ती भारत तथा उड़ीसा की जनजातियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन सभी गाँव के लोग अपने-अपने घरों की साफ-सफाई करने के बाद जल्दी पकने वाले भोजन जैसे चावल तथा सब्जियों को प्रथम आहार के रूप में देवी-देवताओं व पूर्वजों को चढ़ाते हैं। इस अवसर पर नए धान के चावल की खीर बनाई जाती है और मौसमी सब्जियों को मिलाकर उसकी तरकारी बनाई जाती है, जिसे सभी गाँव वाले आपस में बाँटकर बहुत चाव से खाते हैं (महावर, 2018)।

लोक कला (हस्तशिल्प)

कला एवं शिल्प के क्षेत्र में जनजातियों की समृद्ध विरासत है। गोंड जनजातियों के बीच अलग-अलग समूहों में कला-कौशल तथा शिल्प के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का दायित्व विभाजित होता है। भीमा गोंड का संबंध गायन-वादन से, ओझा गोंड का संबंध गोदना गोदने से तथा अगरिया गोंड का संबंध लोहे एवं कृषि से संबंधित विभिन्न उपकरणों के निर्माण से है। भवन सज्जा तथा भित्ति चित्र के निर्माण में गोंड आदिवासियों की कला का बेहतर स्वरूप उभर कर सामने आता है। चित्रकला के साथ ही लोहा, काँसा, सेलखड़ी तथा पीतल की सहायता से देवी-देवताओं की प्रतिमाओं, खिलौनों, हथियार तथा आभूषणों के साथ-साथ अपने

दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाग्रियों व कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें गोंड संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त काष्ठ स्तंभों पर भी कारीगरी की जाती है। गोंड जनजाति ने अपनी सृजनात्मकता से कला एवं शिल्प को समृद्ध करने में अहम भूमिका अदा की है (महावर, 2018)।

साभार : गाँव कनेक्शन

गोंडी चित्रकला

प्रत्येक चित्र की अपनी एक भाषा होती है, जिसके माध्यम से वह अपने दर्शक से संवाद स्थापित करता है। आदिम काल से ही जनजातीय समूहों द्वारा गुफाओं और कंदराओं में रेखाओं के माध्यम से आकृतियों को उकेरकर अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त किया जाता था, जिससे आगे चलकर चित्रकला जैसी विधा का जन्म हुआ। चित्रकला गोंड जनजाति की जीवनशैली का भी एक अहम हिस्सा रहा है। प्राकृतिक रंगों और सामग्रियों जैसे चारकोल, रंगीन मिट्टी, पौधे का रस, पत्तियों, गाय के गोबर, चूना पत्थर के पाउडर इत्यादि की सहायता से गोंड लोग अपने घर की दीवारों और फर्श पर चित्रकारी करते हुए उसे सजाते हैं। गोंड चित्रकला के विषय और चित्रण में वनस्पतियों और जीवों, देवताओं के साथ शहरी संस्कृति को भी देखा जा सकता है। इनके चित्रों के विषयों में लोक कथाओं और गोंड पौराणिक कथाओं की झलक भी देखने को मिलती है। इसलिए इनकी चित्रकारी में सिर्फ सजावट ही नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं और भक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है (शर्मा, 2015)।

गोंड अपनी चित्रकला में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों को दर्शाते हैं :

- पशु तथा पक्षियों के चित्र
- जंगली वनस्पतियों के चित्र
- गोंड समुदाय में पूजनीय हिंदू तथा स्थानीय देवी-देवताओं के चित्र
- गोंड लोगों के बीच प्रचलित मिथकों, लोक-कथाओं, किंवदंतियों और आख्यानों से संबंधित चित्र
- गोंड जनजाति के दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों पर आधारित चित्र।

वर्तमान में गोंडी चित्रकला के माध्यम से साड़ियों, कुर्तियों, दुपट्टे और स्टोल के साथ-साथ हैंडबैग, ट्रे व बक्से आदि वस्तुओं पर सुंदर कारीगरी की जाती है। 1980 के दशक में, मध्य प्रदेश के भोपाल में 'भारत भवन कला' केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य समकालीन कलाओं का संरक्षण तथा संवर्धन करना था। भारतीय चित्रकार, कवि तथा लेखक जे. स्वामीनाथन ने ग्रामीण और जनजातीय लोक कलाओं की रचनात्मक अभिव्यक्तियों को वैश्विक कला जगत् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लोक कलाकारों की खोज के मिशन का नेतृत्व किया। जे. स्वामीनाथन द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप सत्रह साल की आयु के जनगढ़ सिंह श्याम नामक एक जनजातीय कलाकार की प्रतिभा दुनिया के सामने आई। इस युवा कलाकार ने गोंडी चित्रकला को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनगढ़ सिंह श्याम को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भारत भवन में आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने पहली बार जनजातीय चित्रकला में कैनवास, ऐक्रेलिक, तेल और कलम जैसी नई सामग्रियों और उपकरणों का प्रयोग कर एक नई शैली की स्थापना की, जिसे 'जनगढ़ कलाम' के नाम से जाना गया। उनकी इस कला से प्रेरित होकर भज्जु सिंह श्याम, दुर्गाबाई व्याम जैसे कई गोंड

कलाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।

पारंपरिक अनुष्ठान

विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और परंपराओं के लिए दुनियाभर में विशिष्ट पहचान बनाने वाले भारत में जनजातियों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिकता की अंधी दौड़ के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली जनजातियों ने आज भी अपनी आदिम संस्कृति को सहेज कर रखा है। अन्य जनजातियों की तरह ही गोंड जनजाति में भी अनेक अनुष्ठानों का पालन करने की परंपरा विद्यमान है। इस समुदाय के अधिकतर पर्व-त्योहार विविध प्रकार के अनुष्ठानों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं। गोंड लोग प्रकृति के साथ-साथ परालौकिक शक्तियों तथा जादू-टोने में भी अटूट विश्वास रखते हैं। संतान्नोत्पत्ति यानी प्रजनन से लेकर किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी, फसलों की हानि व मृत्यु तक कई अनुष्ठान उनके सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में शामिल होते हैं। उनके अनुसार जल, जंगल, जमीन, पर्वत, पशु-पक्षियों में किसी-न-किसी देवता का वास है। उदाहरणतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर प्रदेश में रहने वाले गोंड लोगों द्वारा प्रत्येक नए तालाब को बनाने के बाद आकाश के साथ उनका विवाह अनिवार्य रूप से करने की प्रथा है, ताकि उस तालाब में वर्षा का जल आसानी से संग्रहीत हो। इस विवाह के लिए मानव-विवाह की भाँति ही अलग-अलग विधि-विधानों का पालन किया जाता है (मिश्र, 2006)।

निष्कर्ष

भारत की प्रत्येक जनजाति अपनी लोक कला और शिल्प के स्तर पर विशिष्ट, संपन्न और समृद्ध है। मुख्य रूप से कृषि पर आधारित गोंड जनजाति के रीति-रिवाज, परंपरा, धार्मिक अनुष्ठान तथा लोक कलाएँ दूसरी जनजातियों से भिन्न हैं। आजीविका के मुख्य कार्यों से इतर गोंड जनजाति के कई कलाकार अपने समाज के मिथकों, आख्यानों, किंवदंतियों तथा दंतकथाओं से प्रेरित होकर उन्हें अपनी कला में स्थान दे रहे हैं। वे अपनी चित्रकलाओं में जीवन के प्रत्येक पहलू को दर्शाते हैं, जो अपने आप में जीवन-मरण की पूरी यात्रा से आत्मबोध कराता है। यह जनजाति खुद को प्रकृति के सबसे निकट मानती है, जिसका पूरा प्रभाव इनकी जीवनशैली, संस्कृति और कला में साफ देखने को मिलता है। गोंडी अपने परिवेश में उड़ने वाले पक्षियों व साँपों या उगते हुए सूर्य और पेड़-पौधों की सजीव छवि को बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से अपनी चित्रकला में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। इसके अलावा गोंड समुदाय की लोक कलाओं में जीवन के हर्षोल्लास और दुखद परिस्थिति को भी अपनी चित्रकला के माध्यम से किए गए संचार अर्थ तथा भाव की दृष्टि से सरल, सहज और स्पष्ट दिखाते हैं। गोंड कलाकारों की प्रतिभा और सृजनात्मकता को आधुनिक कलाओं के बीच स्थापित करने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने के लिए इन्हें शिक्षण तथा प्रशिक्षण से जोड़ने की आवश्यकता है। आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके प्रभाव को जनजातीय समुदायों के जीवन पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अशिक्षा, बेरोजगारी तथा गरीबी जैसी समस्याओं ने गोंड जनजाति को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आज उनकी पारंपरिक लोक कला, संस्कृति तथा संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वे शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से समृद्ध और सजग होकर समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें।

संदर्भ

चौरसिया, वी. (2006). *आख्यान : गोंड जनजाति के कथा इतिहास का साक्ष्य*. भोपाल : आदिवासी लोक कला अकादमी.

देओगांवकर, एस.जी. (2007). *द गोंड्स ऑफ विदर्भ*. दिल्ली : कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कं.

नागेश, एम. (2005, सितम्बर 25). *गोंड समाज के लोक जीवन पर सिंहावलोकन*. वान्या संदर्भ.

पॉल, ए. (2017). *गोंड : उत्पत्ति, इतिहास तथा संस्कृति*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.

पॉल, ए. (2019). *द गोंड लेजेंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया*. नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट.

महावर, एन. (2018). *समग्र : गोंड जनजातीय सांस्कृतिक अध्ययन*. भोपाल : आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी.

मिश्र, एस. (2006, अक्टूबर 25). *गोंडों की एक कुलीन शाखा राजगोंड*. वान्या संदर्भ.

मिश्र, एस. (2007, जनवरी). *गढ़ गौत्र और देवकुल गोंडों की पुरातन परम्पराएं*. वान्या संदर्भ.

मीणा, एच. (2012). *आदिवासी दुनिया*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.

रावत, एस. (एन.डी.) क्रॉस कल्चरल कम्यूनिकेशन. https://www.businessmanagementideas.com/hi/communication/cross-cultural-communication/3299 से पुनःप्राप्त.

शर्मा, इ. (2015). ट्राइबल फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया. https://www.jiarm.com/JUNE2015/paper23212.pdf से पुनःप्राप्त.

शर्मा, ए. & गुप्ता, आशीष. कुमार. (2016). आदिवासी जीवन संघर्ष का मूल कारण : अशिक्षा. https://m.sahityakunj.net/entries/view/aadivasi-jivan-sangharsh-ka-muul-karan-ashiksha से पुनःप्राप्त.

सागौरी. (2008). भारतीय कला और संस्कृति : गोंडी चित्रकला. https://sagauri.blogspot.com/ से पुनःप्राप्त.

वेबसाइट्स :

https://ignca.gov.in

भारत की जनगणना, 2011

https://www.drishtiias.com/hindi/prelims-facts/prelims-facts-20-january-2020/print/manual

https://balaghat.nic.in/festival/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE/

https://www.gaonconnection.com/desh/tribal-day-craft-art-of-bastar-chhattisgarh-tribal-community-52474

https://tribal.nic.in/downloads/Statistics/3-STinindiaascensus2011_compressed.pdf)

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 66-70, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रकारिता में राष्ट्रचेतना का अध्ययन

पूनम कुमारी[1] और डॉ. अनिल कुमार निगम[2]

सारांश

भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश ने भारतीय पत्रकारिता को एक नया आयाम प्रदान किया। हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता दोनों को विकसित करने तथा उन्हें नई उँचाइयों पर पहुँचाने में उनकी भूमिका अतुलनीय है। हिंदी पत्रकारिता में राष्ट्रचेतना का भाव उत्पन्न करने तथा अपने समकालीन पत्रकारों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करने में उनका योगदान अग्रणी है। भारतेंदु जी ने हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह, सूदखोरी, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों को खत्म करने की कोशिश की। साथ ही स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के प्रति जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश की। महज पैंतीस साल के जीवन में भारतेंदु जी ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक सुधार पर भी बल दिया। इसी कारण उनके समकालीन हिंदी साहित्यकारों और विद्वानों ने 1850 से 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग की संज्ञा दी है। इस युग में भारतेंदु मंडल के नाम से जुझारू पत्रकारों और साहित्यकारों के दल तैयार हुए, जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को राष्ट्रचेतना और समाज सुधार की तरफ मोड़ा। इस युग को नवजागरण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्यकारों के भावों में बदलाव आया तथा हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता अत्यंत उन्नत हुई। हिंदी के प्रति भारतेंदु जी के प्रेम को हम उनकी पत्रिका 'कविवचन सुधा' में प्रकाशित इन पंक्तियों से समझ सकते हैं : 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल।।' मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। हिंदी पत्रकारिता के प्रति भारतेंदु जी का लगाव आजीवन रहा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान विपरीत परिणामों की चिंता किए बगैर लोगों के अंदर तत्कालीन शासकों के अमानवीय शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने एवं राष्ट्र प्रवृत्तियों को जगाने का काम किया। भारतेंदु जी ने अपने लेखन में व्यंग्यात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया, ताकि भारतीय जनता में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के प्रति संवेदना और प्रेम को जगा सकें। साहित्यिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए अपने नाटकों, लेखों एवं कविताओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी उन्होंने खूब प्रयोग किया।

संकेत शब्द : भारतेंदु हरिश्चंद्र, राष्ट्र चेतना, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी साहित्य, व्यंग्यात्मक शैली, मातृभाषा

प्रस्तावना

साहित्य और पत्रकारिता समाज की दशा और दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन दोनों ही विधाओं में अग्रणी थे। उन्होंने जन-मानस में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण अपनी लेखनी के बल पर किया। वे तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभाँति अवगत थे तथा अपने नाटकों, कविताओं और लेखों के माध्यम से जनजागरण करते रहे। काशी में 1850 ईस्वी में जन्मे भारतेंदु जी ने अपनी लेखनी को गंगा का वह प्रवाह बनाया, जो हमेशा समाज कल्याण के लिए प्रवाहित हुई। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अपने समय के अच्छे कवियों में गिने जाते थे और 'गिरधरदास' नाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु जी की कर्मस्थली जीवनपर्यंत बनारस ही रही। उनका जन्म तो काशी सेठ अमीचंद के वंश में हुआ, परंतु उनका जीवन कभी सुखद नहीं रहा। जब वे मात्र पाँच वर्ष के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया और जब दस वर्ष के हुए तो पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। माताजी की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली माँ से भी उन्हें स्नेह नहीं मिल पाया, लेकिन उन अनुभवों ने उन्हें बड़ा होने, चीजों को गंभीरता से लेने और अपेक्षा से पहले संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया था। साहित्य और संस्कार की विरासत उनके अंदर उनके पिताजी से मिली हुई विरासत थी। उन्होंने मात्र पाँच वर्ष की आयु में अपने पिता को एक छंद लिखकर दिखाया था, जो उन्हें बहुत पसंद भी आया था। वह छंद इस प्रकार था :

लै ब्योढ़ा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान।
वाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान।।

भारतेंदु ने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ और साफ परंपरा की तरफ हिंदी साहित्य को नया पड़ाव दिया। शायद यही वजह है कि जब देश अँग्रेजों का गुलाम था और अपनी बात लोगों के सामने रख पाना टेढ़ी खीर हुआ करता था, तब उन्होंने अपनी नाटक, व्यंग्य, कविता और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागृति लाने की ठानी। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को जन-जन से जोड़ने का श्रेय भारतेंदु जी को ही जाता है। उन्होंने समकालीन हिंदी भाषा में आधुनिकता का मिश्रण कर उसे निखारा और बेहतरीन बनाया। भारतेंदु कृष्ण के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी कविताएँ लिखीं। मात्र 35 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य एवं हिंदी पत्रकारिता को प्रसिद्धि दिलाने के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि उन्होंने अँग्रेजों की नौकरी की पेशकश को भी न कह दिया, क्योंकि उन्हें अँग्रेज सरकार और उसके नियम पसंद नहीं थे। चूँकि उन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए भारत सरकार ने 1976 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।

शोध उद्देश्य एवं प्रविधि

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता, साहित्य और समाज

[1]सहायक आचार्य, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आई.एम.एस गाजियाबाद युनिवर्सिटी कौर्सेस कैंपस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ईमेल : punam.kumari@imsuc.ac.in
[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आई.एम.एस गाजियाबाद युनिवर्सिटी कौर्सेस कैंपस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ईमेल : anilkrnigam@gmail.com

सुधार में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को समझना है। शोधपत्र के लिए विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों का संग्रहण विभिन्न पुस्तकों, वेबसाइट, शोधपत्रों और साहित्यिक रचनाओं से किया गया है।

पत्रकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र

एक कुशल पत्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। भारतेंदु जी ने भी भारतीयों के अंदर जन कल्याण और राष्ट्रचेतना की लहर पैदा करने का हर प्रयास किया। भारतेंदु युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका 'कविवचन सुधा' से मानी जाती है। यह एक क्रांतिकारी शुरुआत थी, जिसने नवजागरण के युग की नींव रखी। यह त्रैमासिक पत्रिका बहुत जल्द मासिक और फिर साप्ताहिक हो गई। डॉ. राम विलास शर्मा 'कविवचन सुधा' के बारे में लिखते हैं कि भारतेंदु ने इस पत्रिका के साथ नए युग की शुरुआत की है (शर्मा, 1953)। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान भी 'कविवचन सुधा' में लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र दो ऐतिहासिक युगों के मोड़ पर खड़े थे, इसलिए उनका ध्यान प्राचीन और नवीन दोनों पर था। उन्होंने न तो प्राचीनता की उपेक्षा की और न ही नवीनता के प्रति आसक्त हुए। उन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों के अच्छे पक्षों को अपनी लेखनी में सम्मान दिया।

हिंदी पत्रकारिता के दूसरे युग 1873 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु की पत्रकारिता बहुत लोकप्रिय हुई। भारतेंदु जी ने हिंदी पत्रकारिता को सतही स्तर की समस्याओं और स्थिति से जोड़कर और ऊपर उठाया तथा हिंदी पत्रकारिता की शक्ति चेतना को जाग्रत कर निडर पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतेंदु ने 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चंद्र मैगजीन', 'श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका' और 'बालाबोधिनी' जैसी कई महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएँ आरंभ कीं। उनका लेखन इतना प्रभावशाली था कि सरकारी अधिकारी भी उनसे डरते थे। एक समय काशी के मजिस्ट्रेट भारतेंदु की टिप्पणियों से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उनके पत्र स्वीकार करने ही बंद कर दिए। इससे भारतेंदु डरे नहीं या उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी नए समाचार पत्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों का नामकरण भी किया जैसे 'हिंदी प्रदीप' और 'भारत जीवन'। उनके समय के सभी पत्रकार उनका आदर करते थे और उन्हें अपने साहित्यिक क्षेत्र का नेता मानते थे।

'श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका', जो पहले 'हरिश्चंद्र मैगजीन' नाम से छपती थी, भारतेंदु जी के संपादन में 1873 में शुरू हुई थी। भारतेंदु जी मानते थे कि इस पत्रिका में किसी तरह कि कृत्रिमता नहीं है, बल्कि यह अपने मूलरूप में हिंदी भाषा की नई चाल है, जो अपने भाव प्रकाशन में समर्थ है। इस पत्रिका ने राष्ट्रीयता की भावना को तीव्र करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस के मेडिकल हॉल प्रेस से छपने वाली 28 पृष्टों की इस पत्रिका की कीमत 6/-रुपये थी और इसमें ज्वाला प्रसाद का 'कलीराज की सभा', कार्तिक प्रसाद का 'रेल का टीकेट', तोताराम का 'अद्भुत अपूर्ण स्वप्न' आदि लेख प्रकाशित होते थे। हरिश्चंद्र जी ही थे, जिन्होंने एक विशेष प्रकार की पत्रकारिता की शुरुआत की, जिसे बाल पत्रकारिता कहा जाता है। 1882 में उन्होंने 'बाल दर्पण' नामक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका बच्चों को होशियार बनने में मदद करने और उन्हें हमारे समाज, इतिहास और मिथकों के बारे में महत्त्वपूर्ण बातें सिखाने के लिए थी। इस पत्रिका के माध्यम से बच्चों के अंदर सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का सिंचन कर उन्होंने भविष्य को सुदृढ़ करने की कोशिश की। रत्ना भटनागर के शब्दों में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी न केवल हिंदी साहित्य के पितामह थे, बल्कि वे हिंदी पत्र-संपादन कला के भी पितामह थे (हरिमोहन, 1997)।

सोने की चिड़िया भारतवर्ष की गौरव गाथा को याद करते हुए भारतेंदु अपने नाटक 'भारत दुर्दशा'में लिखते हैं :

'भारत के भुजबल जग रच्छित, भारत विद्या जेहि जन सिंचित।
भारत तेज जगत विस्तारा, भारत-भय कंपित संसारा।।'

भारत की तत्कालीन स्थिति से दुखी होकर भारतेंदु भारत की दुर्दशा पर ईश्वर से भारतीय जनता के दुख को प्रकट करते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। इन वाक्यांशों के साथ 'प्रबोधिनी' कविता में भारतेंदु ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखा है :

गयो राज, धन, तेज, रोष, बल, शान नसाई,
बुद्धि वीरता, श्री, उछाह, सूरत बिलाई।
आलस, कायरपनो, निरुद्यमता अब छाई,
रही मूढ़ता, बैर, परस्पर, कलह लड़ाई।
सब विधि नासी भारत प्रजा, कहूँ न रह्यो अवलंबन अब।
जागो जागो करुनायतन, फेरि जागिहौ, नाथ कब।।

भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'बालाबोधिनी' पत्रिका निकाली। वे चाहते थे कि भारतीय महिलाएँ सीता, अरुंधति और अनुसूइया जैसी विद्यावान, संस्कारी और धर्मपारायण बनें। यह पत्रिका संपूर्ण भाषाओं में पहली महिला पत्रिका थी, जो महिलाओं की दयनीय स्थिति की व्याख्या कर रही थी और साथ-ही-साथ उनकी स्थिति में सुधार की भी बात कर रही थी। इस पत्रिका में भारतेंदु ने लिखा कि स्त्रियाँ पुरुषों की आद्धशक्ति हैं और वे राष्ट्रहित में शक्तिसंपन्न पुरुषों को खड़ा रखने की काबिलियत रखती हैं। 'बालाबोधिनी' का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतेंदु चाहते थे कि स्त्रियाँ इसे पढ़कर अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करें एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। 'बालाबोधिनी' की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :

जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति।
जो नारि सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति।।
सीता, अनसुइया, सती, अरुंधति अनुहारि।
शील लाज विधादि गुण लहौं सफल जन नारि।।

अपनी 'अंधेर नागरी' रचना में भारतेंदु ने समाज में व्याप्त कुरीतियों की निंदा की। इतना ही नहीं, अछूतोद्धार के बारे में भी उन्होंने अपनी कई रचनाओं में लिखा है। समाज कल्याण, मानवता की कद्र उनकी लेखनी में साफ झलकती है। वे धर्म के पक्षधर जरूर थे, पर धार्मिक आडंबरों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 'तदीय समाज' की स्थापना कर वैष्णव भक्ति का प्रचार किया और इतना ही नहीं, 'वैष्णव धर्म प्रधान' एक पत्रिका का संपादन भी किया।

भारतेंदु जी राष्ट्रवादी पत्रकार तो थे ही, साथ-ही-साथ उन्हें समाज सुधारक कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने जनजागरण के लिए भी कई कार्य किए। उन्होंने गरीबी उत्थान और स्त्री शिक्षा के साथ विधवा विवाह, जातिप्रथा और सतीप्रथा जैसे कुरीतियों का भी जिक्र अपनी रचनाओं में किया। उन्होंने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर काफी जोर दिया।

भारतेंदु हमेशा स्त्री-पुरुष समानता के पक्षधर थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के साथ-साथ आर्थिक सुधार की भी बात की है। एक बार बरेली के दादरी मेले में अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि कुरीतियों और अंधविश्वासों के भाव को त्याग कर आपसी एकता के भाव को विकसित करें तथा शिक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दें।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संपर्क में आने के बाद विधवा विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' ग्रंथ में उन्होंने लिखा था : 'नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतौ। पंच स्वायत्सु नारीणां पतिरुयो विधीयते।।' यानी किसी भी स्त्री का पुरुष यदि नष्ट हो जाए, नपुंसक हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, लापता हो जाए या फिर पतित हो जाए तो इन परिस्थितियों में स्त्री फिर से विवाह कर सकती है।

भारतेंदु मंडली भी उनसे प्रभावित होकर उनके देश प्रेम, समाज सुधारक भाव का अनुसरण अपनी रचनाओं में करती थी। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं को नए विषयों से जोड़ा तथा जो कविता बस राजदरबार और एक आभिजात्य वर्ग तक सीमित होकर रह गई थी, उसे सभी वर्गों से जोड़ा। यह एक उत्तम बदलाव था। भारतेंदु जब मात्र सात वर्ष के थे तब देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था। उन्होंने बचपन से ही भारत की शोषित जनता के दर्द को करीब से देखा। उन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। कई बार तो उन्हें अँग्रेजों का कोपभाजन होना पड़ा। जीवनपर्यंत लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी मातृभाषा और देश से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि अँग्रेजों ने हमें कंगाल बना दिया सारा धन विदेशों में भेज कर। उनकी रचना 'भारत दुर्दशा' की कुछ पंक्तियाँ उनके इस भाव को प्रकट करती हैं: 'रोअहुँ सब मिलिकै आवहुँ भारत भाई। हा, हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई।' रामविलास शर्मा उन्हें निर्भीक पत्रकार बताते हुए लिखते हैं : 'देश में रुढ़िवाद का खंडन करना और महंतों और पुरोहितों की लीला प्रकट करना हरिश्चंद्र जैसे निर्भीक पत्रकारों का ही काम है' (तिवारी, 2014)।

रामविलास शर्मा भारतेंदु को लोकतंत्रवादी भी बताते हैं, क्योंकि वे पुरानी और बुरी परंपराओं को खारिज करने में विश्वास रखते हैं और चीजों को बेहतर और आधुनिक बनाने का समर्थन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भारतेंदु जी अत्यंत प्रतिभाशाली थे और उनकी तुलना अतीत और वर्तमान दोनों के प्रसिद्ध लेखकों से की जा सकती है। उनके पास अपने लेखन में पुरानी और नई चीजों को एक साथ लाने का एक विशेष तरीका था और यही बात उनकी कला को बहुत सुंदर बनाती थी (मिश्र, 1998)। भारतेंदु का हिंदी प्रेम उनके द्वारा हंटर कमीशन को कही गई बात में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा न तो शासकों की भाषा है और न ही प्रजा की। हिंदी के प्रति लगाव और सम्मान को देखते हुए काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें 'भारतेंदु' की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ होता है भारत का चंद्रमा।

भारतेंदु ने सूद खाने वाले जमींदारों और महाजनों को भी अपनी रचनाओं में नहीं छोड़ा और उन पर इस प्रकार व्यंग्य किया है :

चूरन अमले जो सब खाते,
दूनी रिश्वत तुरत पचाते।
चूरन सभी महाजन खाते,
जिससे जमा हजम कर जाते। (तिवारी, 2002)

डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित पत्रकारिता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राचीन नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारत में नवप्रवर्तन के अग्रदूत थे (शर्मा, 2022)। अनंत प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिचंद्र का वास्तविक नाम 'हरिश्चंद्र' था और 'भारतेंदु' उन्हें उपाधि मिली हुई थी। भारतेंदु का मतलब 'भारत का चाँद' होता है, जो वाकई में वे थे। भारतेंदु जी ने साहित्य और समाज का हर कोना झाँका और हिंदी साहित्य को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य और नाटक को एक नया स्वरूप दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने छोटे से जीवनकाल में 70 से भी अधिक पुस्तकें, नाटक, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास एवं ग्रंथ लिखे। उनके दोहे, उनकी भाषा, उनका निबंध आदि आज भी युवकों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। भारतेंदु कोई सीखे-सिखाए कवि नहीं थे, बल्कि वे प्रकृत्यः कवि थे।

बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित 'हिंदी प्रदीप' भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जो भारतेंदु से बहुत प्रभावित थी। जहाँ एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'कविवचन सुधा', 'हरिश्चंद्र चंद्रिका', 'बालाबोधिनी' पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की जड़ को मजबूत किया, वहीं बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी प्रदीप' के प्रकाशन से हिंदी वाङ्मय को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग की संज्ञा दी है, क्योंकि इसी युग में हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ तथा भारतेंदु जी से प्रेरित होकर साहित्यकारों की एक जमात तैयार हुई थी, जिसे 'भारतेंदु मंडल' के नाम से जाना जाता था। इस युग के उत्साही कवियों और साहित्यकारों में क्रांति की एक लहर दौड़ी, जो उनकी रचनाओं में देश के प्रति प्रेम और अंधविश्वासों के प्रति आक्रोश के माध्यम से देखने को मिलती हैं। भारतीय नवोत्थान और हिंदी जागरण के इस स्वर्णिम युग की कल्पना करना आज के परिप्रेक्ष्य में महज एक स्वप्न होगा, क्योंकि आज जिस तरह से हिंदी और हिंदी पत्रकारिता अपने अस्तित्व को खोती जा रही है और हिंदी पत्रकारिता में अँग्रेजी शब्दों का मिश्रण होता जा रहा है, ऐसे में भारतेंदु जी जैसे हिंदी भाषा के उद्धारक की अति आवश्यकता है। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार कहना गलत होगा, क्योंकि वे एक युगनेता थे, जिनके पीछे साहित्यप्रेमियों का जमावड़ा होता था। उन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता की नींव डाली तथा साहित्य का रुख समाज कल्याण और राष्ट्रप्रेम की तरफ मोड़ा।

उस दौर में दो तरह की हिंदी शैलियों का बोलबाला था। पहली फारसीनिष्ठ हिंदी और दूसरी संस्कृतनिष्ठ हिंदी। तब भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य का दामन थामा और खड़ी बोली को हथियार बनाकर दोनों शैलियों का मिलाप करवाया। पिता के हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम को देखकर बचपन से ही साहित्य सेवा का भाव मन में जागा था और उन्होंने हिंदी भाषा को संपूर्ण जीवन देने का मन बना लिया था। मात्र अठारह वर्ष की उम्र में उन्होंने 'कविवचन सुधा' नामक पत्रिका प्रकाशित की। सरकार 'कविवचन सुधा' की लगभग 100 कॉपियाँ लेती थी, पर बाद में भारतेंदु की क्रांतिकारी लेखनी से असंतुष्ट होकर लेना बंद कर दिया। भारतेंदु जिस समय यह पत्रिका निकाल रहे थे, उस समय बहुत कम पत्रिकाएँ भारतीय भाषाओं में निकलती थीं। भारतेंदु मानते थे कि लोगों में बदलाव लाने का सबसे अच्छा माध्यम पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना है। 1873 ईस्वी में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' नामक पत्रिका निकालना शुरू किया,

जिसमें कविता, पुरातत्त्व, उपन्यास, ऐतिहासिक, आलोचना, साहित्यिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ और व्यंग्य आदि प्रकाशित हुआ करते थे। उनकी 'बालाबोधिनी' पत्रिका स्त्री शिक्षा और जागरूकता को समर्पित था, जो उनकी दूरदर्शिता को बताता है। भारतेंदु ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया। साथ-ही-साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान भी किया।

भारतेंदु द्वारा रचित कुछ प्रमुख नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, सती प्रताप आदि हैं। भारतेंदु जी को हिंदी के अलावा संस्कृत, अँग्रेजी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती और उर्दू भाषाएँ भी आती थीं। प्रेम फुलवारी, प्रेमप्रलाप, विजयनी विजय, बैजयंती, भारत वीणा, सतसई शृंगार, प्रेमाश्रु वर्णन, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। वे मुख्यतः गद्य में खड़ी बोली और पद्य में ब्रजभाषा का उपयोग करते थे। उनका परिवार वैष्णव संस्कार से प्रभावित था। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और शृंगार की झलक मिलती है, क्योंकि वे भक्तिकाल से पूर्व रीतिकाल की कवियों से प्रेरित थे। राधा और कृष्ण का प्रेम, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, परमात्मा के प्रति प्रेम आदि उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है।

अपनी हर रचना को कृतार्थ करने के लिए भारतेंदु जी चार प्रकार की भाषा शैलियों का उपयोग करते थे। पहली भाषा शैली उद्बोधन शैली है, इसका उपयोग वे प्रायः जन उद्बोधन करने के लिए करते थे। दूसरी शैली अलंकृत शैली है, जो अलंकार यानी कि वाक्य को सजाने के लिए और सुंदर रूप देने के लिए प्रयोग करते थे। तीसरी शैली भावनात्मक है, जिसका उपयोग भाव को दर्शाने के लिए करते थे। चौथी और अंतिम शैली व्यंग्यात्मक है, जो व्यंग्य और मुहावरे के द्वारा समाज को आईना दिखाने के लिए किया जाता है। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु की साहित्य सेवा से अति प्रभावित रहते हैं और अपनी रचना में उन्हें साहित्य निर्माण का श्रेय इस प्रकार देते हैं :

'भारतेंदु कर गए, भारती की वीणा निर्माण।
किया अमर स्पर्शों में, जिसका बहुविधि स्वर संधान।।'

हिंदी साहित्य को धनी बनाने वाले भारतेंदु जी जन्मे तो धनी परिवार में, पर उनके परोपकारी स्वभाव और उदारता ने उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में ऋणग्रस्त कर दिया था और वे क्षय रोग के शिकार हो गए थे। बहुत ही कम आयु में नवयुगीन हिंदी साहित्य के दाता भारतेंदु का 6 जनवरी, 1885 को स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे 'कुछ आप बीती कुछ जगबीती' नामक काव्य लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए और फिर बाद में 'परीक्षा गुरु' के नाम से लाला श्रीनिवास दास ने उसे पूरा किया। उनके हिंदी साहित्य में योगदान को भूलना नामुमकिन है और उनके प्रगतिशील विचार आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। भारतेंदु भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर जो हम आज हिंदी भाषा बोल रहे है, कहीं-न-कहीं इसका श्रेय उन्हें ही जाता है।

निष्कर्ष

एक सफल कवि, उत्तम दर्जे के नाटककार, कुशल संपादक के रूप में भारतेंदु हरिचंद्र भारतीय नवजागरण के अग्रदूत बने। अपने साहित्य के जरिये उन्होंने गरीबी, शोषित और लाचार जनता का चित्रण कर समाज को आईना दिखाया और जागरूक पत्रकारिता का उदहारण प्रस्तुत किया। उन्होंने कई साहित्यक संस्थाएँ भी खड़ी कीं, ताकि हिंदी भाषा का उद्धार हो। उनके अधिकतर पत्र-पत्रिकाएँ राष्ट्र चेतना और राष्ट्र उत्थान की भावना से ओतप्रोत थी। साहित्यकार और विद्यावान भी भारतेंदु जी को पूर्ण रूप से पत्रकार ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने हर सामाजिक मुद्दे को अपनी लेखनी में स्थान दिया। उस दौर में जब स्त्री शिक्षा पर बहुत कम बात होती थी, भारतेंदु ने उन विषयों पर खुलकर बात की। अंतत: हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु ने राष्ट्र चेतना का स्वर छेड़ा था और अपने साथ-साथ पूरे भारतेंदु मंडल को राष्ट्र और देशभक्ति के रंग में भिगोया। सामाजिक पुनर्जागरण तो किया ही, धार्मिक आडंबरों की भी जमकर निंदा की। जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश तो था ही, पर उन्होंने भारतवासियों के अधिकार और सम्मान की बात की। लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान को पैदा करने के लिए स्वयं तो कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, साथ-ही-साथ दूसरों को भी प्रेरित किया पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए। भारतेंदु हिंदी पत्रकारिता के वे क्रांतिकारी नेता हैं, जिन्होंने हिंदी के स्वरूप को न केवल निखारा, बल्कि सही मायने में आम जन से जोड़ा। जो निर्भीकता, कर्मठता, निष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता, सजगता और साहस एक सच्चे पत्रकार के अंदर विद्यमान होने चाहिए, वे सारे गुण भारतेंदु हरिश्चंद्र में थे। संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि भारतेंदु नाटककार, लेखक, कवि, साहित्यकार के साथ-साथ कुशल पत्रकार भी थे, जिन्होंने हिंदी से हिंदुस्तान तक का सफर बखूबी तय किया। उनकी पैनी नजर समाज के बदलते हर परिदृश्य पर रहती थी, जो उनकी लेखनी में झलकती थी। भारतेंदु ने न केवल पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया, बल्कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के जरिये राष्ट्र की दशा और दिशा भी निर्धारित करने में मदद की। आत्मजागृति और आत्मसजगता के साथ राष्ट्रहित को जन-जन से जोड़ने में भारतेंदु की पत्रकारिता को नकारा नहीं जा सकता।

संदर्भ

इक्सप्लेनोट्स डॉट कॉम. (2022). भारतेंदु युग (1843 - 1902 ईस्वी)। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं (explainotes.com)

इन्फो पॉलिसी डॉट कॉम. (2021). भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली - HindiFiles.com

ओरसिनी, एफ. (2002). विश्व साहित्य में बहुभाषी स्थानीय. तुलनात्मक साहित्य, 67 (4): 345 –374.

कविशाला डॉट कॉम. (2020) . निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल - भारतेंदु हरिश्चंद्र ।Kavishala Labs

गुप्ता, एस. (2022). भारतेंदु हरिश्चंद्र : औपनिवेशिक काल में आधुनिक हिंदी के जनक. जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज, 18 (3), 907-916; 2022.

डालमिया, वी. (1996). *हिंदू परंपराओं का राष्ट्रीयकरण: भारतेंदु हरिश्चंद्र और उन्नीसवीं शताब्दी का बनारस*. दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

तिवारी, ए. (2002). *संपूर्ण पत्रकारिता*. इलाहाबाद : विश्वविद्यालय

प्रकाशन.

तिवारी, ए. (2014). *हिदी पत्रकारिता का वृहद् इतिहास*. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.

भानावत, एस. (2021). *पत्रकारिता का इतिहास और जनसंचार माध्यम*. जयपुर : युनिवर्सिटी पब्लिकेशन.

माइ कोचिंग डॉट इन. (2023). भारतेंदु हरिश्चंद्र - जीवन परिचय, कृतियां एवं भाषा शैली (mycoaching.in)

मिश्र, बी. के. (1998). *हिंदी पत्रकारिता*. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.

लाल, वी. (1989). *भारतीय स्वतंत्रता और हिंदी पत्रकारिता*. पटना : बिहार ग्रंथ कुटीर प्रकाशन.

वाकणकर, एम. (2002). भारतीय राष्ट्रवादी विचारों में आलोचना का क्षण : रामचंद्र शुक्ल और एक हिंदी जिम्मेदारी का काव्यशास्त्र. दक्षिण अटलांटिक त्रैमासिक. 101. 10.1215/00382876-101-4-987.

विश्व हिंदीजन डॉट ब्लॉग्स्पॉट डॉट कॉम.(2019). भारतेंदु की हिंदी पत्रकारिता में सामाजिक एवं राष्ट्रवादी विमर्श- संकर्षण परिपूर्णन - विश्वहिंदीजन चौपाल (vishwahindijan.blogspot.com)

विकिपीडिया डॉट ऑर्ग. (2023). भारतेंदु हरिश्चंद्र विकिपीडिया wikipedia.org)

वेब डॉट अर्चिव डॉट ऑर्ग. (2021).Wayback Machine (archive.org)

शर्मा, बी. आर. (2022). *भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

शर्मा, आर. (1953). *भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

शर्मा, आर. (1953). *भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएँ*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

हारिस, सी. (2002). *हरिश्चंद्र की पत्रिका*. इलाहाबाद : हिंदी साहित्य सम्मेलन.

हरिमोहन. (1997). *रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता*. नई दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन.

हिंदवी. ओआरजी. (2011). चूरन अमल बेद का भारी. चूरन अमल बेद का भारी - गीत | हिन्दवी (hindwi.org) से पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 71-79, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

आधुनिक संचार विशेषज्ञों की दृष्टि में दीनदयाल उपाध्याय का संचार कौशल

आकाश दीप जरयाल[1] और प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार[2]

शोध सारांश

एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय के प्रणेता और जनसंघ के शीर्ष नेता रहे दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक चिंतन पर गत कुछ वर्षों के दौरान अकादमिक जगत् में थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ है, परंतु उनके संचारक पक्ष पर नहीं के बराबर चर्चा हुई है। संचारक पक्ष पर उनकी जन्मतिथि अथवा पुण्यतिथि पर कभी-कभार कोई लेख मीडिया में प्रकाशित हो जाता है, परंतु वह भी मुख्यत: 'राष्ट्रधर्म', 'पांचजन्य' और 'स्वदेश' को आरंभ करने में उनके योगदान और उनके स्तंभ 'पॉलिटिकल डायरी' और 'विचार-वीथी' की चर्चा तक सीमित रहता है। दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल को समझने के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा दिए गए भाषणों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्गों में दिए गए बौद्धिकों, विभिन्न लोगों को लिखे गए पत्रों, मीडिया को जारी किए गए प्रेस वक्तव्यों, जनसामान्य और कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत, पुस्तकों आदि का संपूर्णता में अध्ययन किया जाए। दोनों शोधार्थियों ने इस बिंदु पर थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास किया है। उस अध्ययन का निष्कर्ष है कि दीनदयाल उपाध्याय एक प्रभावशाली संचारक थे और उनकी बात सीधे श्रोता अथवा पाठक के हृदय में घर कर जाती थी। प्रस्तुत शोध में मुख्य प्रश्न यह है कि दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल के संबंध में आधुनिक संचार विशेषज्ञ क्या सोचते हैं तथा उनकी दृष्टि में क्या उस संचार कौशल की आज कोई प्रासंगिकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय का संचार कौशल न केवल वर्तमान पत्रकारों, संपादकों और लेखकों, बल्कि राजनीतिज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रासंगिक है। उनके संचार कौशल के विविध पहलुओं पर गहन शोध की आवश्यकता है।

संकेत शब्द : लोक संचार, दीनदयाल उपाध्याय, संचार कौशल, राष्ट्रधर्म, ऑर्गनाइजर, पांचजन्य, पॉलिटिकल डायरी, विचार-वीथी, पराशर, अपना मत, हमारा जीवन दर्शन

प्रस्तावना

सुप्रसिद्ध चिंतक, विचारक, लेखक एवं जननेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे चिंतन पर अकादमिक जगत् में कुछ शोध कार्य गत एक-दो दशकों में हुआ है। मीडिया में भी इन विषयों की चर्चा अक्सर होती रहती है, परंतु उनके जीवन का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है जिस पर सामान्यत: चर्चा नहीं होती। वह पक्ष है उनका संचार कौशल। यह सर्वविदित है कि अपने करीब तीन दशक के सार्वजनिक जीवन में दीनदयाल उपाध्याय ने विभिन्न माध्यमों से देशवासियों के साथ संचार किया। वैसे तो जनसंघ के शीर्ष नेता, संघ कार्यकर्ता, विचारक, लेखक, चिंतक आदि के रूप में उन्होंने अलग-अलग लोगों से विश्वभर में संवाद किया। भारतीय जनसंघ के महासचिव के रूप में उन्होंने अपने दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनसामान्य के साथ-साथ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं तथा सत्ताधारी दल के नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों आदि से भी सतत संवाद किया। एक मित्र के रूप में उन्होंने जनसंघ के अपने समकक्ष नेताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवकों और जन सामान्य से औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद किया। एक विचारक के नाते देश की सनातन चिंतनधारा से जुड़कर उन्होंने देश और समाज की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया और अपने मौलिक चिंतन के आधार पर उन समस्याओं का समाधान लोगों के साथ साझा किया। एक लेखक के रूप में विभिन्न पुस्तकों, लेखों आदि के माध्यम से उन्होंने जन सामान्य से संवाद किया। अँग्रेजी साप्ताहिक 'ऑर्गनाइजर' और हिंदी साप्ताहिक 'पांचजन्य' में उन्होंने अनेक स्तंभ लिखे। 'ऑर्गनाइजर' में उन्होंने 'पॉलिटिकल डायरी' और 'पांचजन्य' में 'विचार-वीथी', 'आपका मत' एवं 'हमारा जीवन दर्शन' आदि स्तंभ लिखे। 'राष्ट्रधर्म' मासिक एवं 'स्वदेश' जैसे पत्रों की शुरुआत में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था ही। चूँकि दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बहुत अधिक परेशानियों में बीता, इसलिए वे एक सामान्य व्यक्ति की संवेदना को गहराई से समझते थे और वह संवेदना उनके लेखों, भाषणों, पत्रों और व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती थी। भाषण के माध्यम से उनके संवाद कौशल के प्रभाव को इस एक तथ्य से समझा जा सकता है कि मुंबई में हुई उनकी भाषण शृंखला एक दर्शन बन गई।

शोध प्रविधि

चूँकि प्रस्तुत शोध केवल दीनदयाल उपाध्याय के संचारक पक्ष पर केंद्रित है, इसलिए तथ्य संकलन हेतु केस स्टडी विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु गुणात्मक डाटा प्राथमिक एवं द्वितीयक, दोनों स्रोतों से प्राप्त किया गया है। शोध संबंधी तथ्यों का संकलन विभिन्न पुस्तकालयों, पुराने समाचार पत्र-पत्रिकाओं के कार्यालयों, दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी गई पुस्तकों, उनके संपर्क में रहे व्यक्तियों/पत्रकारों से भेंट कर संकलित किया गया है। तथ्यों का मुख्य स्रोत दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित सभी पुस्तकों, स्तंभों और उपलब्ध लेखों व भाषणों का संकलन है। इसके अलावा जिन पत्रकारों/लेखकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम किया है, उनसे साक्षात्कार कर उनके अनुभवों को भी रिकॉर्ड किया

[1]शोधार्थी, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ईमेल : jaryalpalampur@gmail.com
[2]प्रोफेसर, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली, ईमेल : drpk.iimc@gmail.com

गया है। ऐसे कुछ लोगों के अनुभव विभिन्न पुस्तकों से भी प्राप्त किए गए हैं।

साहित्यकार दीनदयाल उपाध्याय

समाचार पत्रों के संपादन, मार्गदर्शन और प्रबंधन के अलावा दीनदयाल उपाध्याय एक लेखक थे। उन्होंने 12 पुस्तकें लिखीं। कई पुस्तकें तो उनके निधन के बाद उनके लेखों के संकलन के रूप में प्रकाशित हुईं। दीनदयाल उपाध्याय के लेखन की विशेषता यह थी कि वे जो कुछ लिखते थे, उसे स्थायी वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करके लिखते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा लिखी गई सामग्री आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी उस समय थी। उनकी सबसे पहली पुस्तक 'सम्राट चंद्रगुप्त' 1946 में प्रकाशित हुई, जो बताया जाता है कि उन्होंने एक ही बार में बैठकर 16 घंटे में पूरी कर ली थी। दूसरी पुस्तक 'जगद्गुरु श्री शंकराचार्य' 1947 में प्रकाशित हुई, जो युवाओं के लिए उपयोगी उपन्यास है। संघ संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार के अधिकृत जीवन चरित्र का मराठी से हिंदी में अनुवाद दीनदयाल जी ने ही किया था। उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं—अखंड भारत क्यों? (1952), हमारा कश्मीर (1953), जोडें कश्मीर : मुखर्जी-नेहरू और अब्दुल्ला का पत्र व्यवहार (1953), टैक्स या लूट (1954), बेकारी की समस्या और उसका हल (1954), दो योजनाएँ : वायदे, अनुपालन, आसार (1958), सिद्धांत और नीतियाँ (1964), एकात्म मानववाद (बंबई में दिए गए चार व्याख्यान) (1965), विश्वासघात (1965), वचन भंग : ताशकंद घोषणा की शव परीक्षा (1966), अवमूल्यन : एक बड़ा पतन (1966), पॉलिटिकल डायरी (1968), राष्ट्र जीवन की दिशा (1971) आदि। उनके लेखन का उद्देश्य मुख्य रूप भारत के गौरव की विश्व पटल पर पुनःप्रतिष्ठा था (मिश्र, 2019)।

पॉलिटिकल डायरी

'पॉलिटिकल डायरी' का प्रकाशन मई 1968 में हुआ। यह दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 'ऑर्गनाइजर' में लिखे गए उनके स्तंभ का संकलन है, जो उनके निधन के बाद प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रस्तावना तत्कालीन वरिष्ठ काँग्रेस नेता डॉ. संपूर्णानंद ने लिखी है। प्रस्तावना में डॉ. संपूर्णानंद टिप्पणी करते हैं : 'इस पुस्तक में कुछ लेख ऐसे हैं जो तात्कालिक संदर्भों के हैं; कुछ लेख ऐसे हैं, जो कुछ दूर तक जाने वाले हैं और कुछ लेख ऐसे हैं, जो कालजयी हैं।' मतदाता अपना मत किसको दे, दल कैसा हो, प्रत्याशी कैसा हो, स्वयं मतदाता कैसा हो, इस संदर्भ में उनके आलेखों को डॉ. संपूर्णानंद ने कालजयी कहा है। यह पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय के संचारक पक्ष को समझने के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इस स्तंभ के तहत दीनदयाल जी विभिन्न तात्कालिक मुद्दों पर अपना मत व्यक्त करते थे, जिसकी उस समय भी बहुत चर्चा होती थी। चूँकि दीनदयाल जी का देशभर में प्रवास रहता था, इसलिए उनके पास देशभर की वह जानकारी भी रहती थी, जो सामान्यत: दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं होती थी। वह जानकारी संपूर्ण देश को पता होनी चाहिए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 'ऑर्गनाइजर' के तत्कालीन सहयोगी संपादक श्री लालकृष्ण आडवाणी ने दीनदयाल उपाध्याय को अपने देशभर के प्रवास के अनुभव लिखने का आग्रह किया। उसी आग्रह का परिणाम था दीनदयाल उपाध्याय का 'ऑर्गनाइजर' में प्रकाशित साप्ताहिक स्तंभ 'पोलिटिकल डायरी'। इस संबंध में बात करते हुए आडवाणी जी कहते हैं, 'मेरे आग्रह पर दीनदयाल जी ने यह साप्ताहिक स्तंभ शुरू तो कर दिया, परंतु अपने राजनीतिक जीवन की दूसरी व्यस्तताओं के बीच उन्हें कुछ ही दिनों में अहसास हो गया कि इस स्तंभ को प्रत्येक सप्ताह लिखना बहुत मुश्किल है। इस अनिच्छा का दरअसल एक दूसरा कारण भी था। जब स्तंभ छपना शुरू हुआ तो प्रत्येक सप्ताह उसमें उनका नाम भी प्रकाशित होता था, जो उन्हें पसंद नहीं था। वे सच में प्रसिद्धिपरांगमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। काम करने में आगे रहे, परंतु श्रेय लेने में सबसे पीछे रहने का प्रशिक्षण उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त हुआ था। इसलिए एक दिन वे 'ऑर्गनाइजर' कार्यालय में मेरे पास आए और कहने लगे कि लाल! यह स्तंभ मैं नहीं लिख पाऊँगा। चूँकि स्तंभ को पाठकों ने बहुत पसंद किया था, इसलिए हम इस स्तंभ को किसी भी सूरत में बंद करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि पंडितजी ऐसा मत करिए। बहुत बड़ा नहीं लिख सकते तो छोटा ही लिख दीजिए, परंतु लिखना बंद मत कीजिए। हमारे बार-बार आग्रह के बाद उन्होंने संकोच करते हुए कहा कि ठीक है मैं लिख दूँगा, परंतु इसमें मेरा नाम मत प्रकाशित कीजिए। इस आग्रह को हमने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि स्तंभ चल ही इसलिए रहा था कि उसके लेखक दीनदयाल उपाध्याय थे। हालाँकि, दीनदयाल जी की राजनीतिक व्यस्तता को देखते हुए बाद में तय हुआ कि यह स्तंभ प्रत्येक सप्ताह नहीं, बल्कि जब भी मिलेगा तभी प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह स्तंभ 1959 से 1965 तक 'ऑर्गनाइजर' में प्रकाशित हुआ (आडवाणी, 2019)।

'पॉलिटिकल डायरी' में संकलित कुछ स्तंभ का विवरण इस प्रकार है : चतुर्थ योजना से निराशा (26 अक्टूबर, 1964), आर्थिक प्रगति की समस्याएँ (13 अप्रैल, 1964), मोरारजी का 1963 का बजट (11 मार्च, 1963), भारत सरकार की स्वर्णनीति (18 फरवरी, 1963), तृतीय योजना : एक विश्लेषण (21 अगस्त, 1961), खाद्यान्नों में राज्य व्यापार (25 अप्रैल, 1960), पी.एल. 480 समझौता (16 मई, 1960), सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र (29 जून, 1959), सहकारिता कृषि : किंकर्तव्यविमूढ़ता की कहानी (18 मई, 1959), भारत, पाकिस्तान और अमरीका (30 मार्च, 1964), पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य-सहायता (24 जुलाई, 1961), क्या कश्मीर पर समझौता हितकर होगा? (12 सितंबर, 1960), पश्चिम के बारे में कुछ धारणाएँ (30 दिसंबर, 1963), परराष्ट्र-नीति और प्रतिरक्षा (4 फरवरी, 1963), कांगो और बेरुबाडी, भारत और रानी (6 फरवरी, 1961), राष्ट्रमंडल पर कुछ विचार (23 मई, 1960), भारत, नेपाल और जनतंत्र (26 दिसंबर, 1960), संस्कृतनिष्ठ हिंदी क्यों? (14 सितंबर, 1959), स्वभाषा और सुभाषा (11 मई, 1959), क्या हमने चीनी आक्रमण से शिक्षा ली? (9 सितंबर, 1963), मेनन को हटना ही चाहिए! (4 जुलाई, 1960), क्या हमें गुटबंदी अपनानी चाहिए? (22 फरवरी, 1960), सरकार जनता का विश्वास करे (23 नवंबर, 1959), चीनी आक्रमण और भारत सरकार (19 अक्टूबर, 1959), इंच-इंच या मील-मील (21 सितंबर, 1959), चीनी आपदा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (25 मई, 1959), तिब्बत की स्वतंत्रता और भारत का दाव (27 अप्रैल, 1959), चुनाव-विधान पर कुछ विचार (10 अप्रैल, 1966), राजनीतिक दलों के लिए आचार-संहिता (4 सितंबर, 1961), काँग्रेस और जनतंत्र (10 जुलाई, 1961), जनतंत्र और राजनीतिक दल (27 फरवरी, 1961), विधायिका-पक्ष बनाम संगठन-पक्ष (5 सितंबर, 1960), आपका मत (1) उपयुक्त प्रत्याशी कौन

है? (4 दिसंबर, 1961), आपका मत (2) प्रत्याशी, दल और सिद्धांत, सभी महत्त्वपूर्ण (11 दिसंबर, 1961), आपका मत (3) परिवर्तनेच्छु और अपरिवर्तनेच्छु (11 दिसंबर, 1961), जनसंघ-अधिवेशनों के बारे में (11 जनवरी, 1965), स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ का एकीकरण? (4 जनवरी, 1967), कश्मीर, जनसंघ और स्वंतत्र पार्टी (20 जुलाई, 1964), मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण (20 जुलाई, 1964), कामराज-योजना पर एक दृष्टि (2 सितंबर, 1963), पंजाब और पंजाबी (28 नवंबर, 1960), मध्य प्रदेश की वन्य जातियाँ (21 नवंबर, 1960), फोर्ड फाउंडेशन और गोहत्या (30 नवंबर, 1959), सरकार पर अधिकाधिक निर्भरता (4 अगस्त, 1959)।

December 19, 1960 ORGANISER

POLITICAL DIARY

In Nehru's India Sovereignty Vests not in the people but in Manchester 'GUARDIAN' and American 'TIME'

Writes

Deendayal Upadhyaya

Nehru - Hog Tamasha

डॉ. संपूर्णानंद की टिप्पणी

'पॉलिटिकल डायरी' के संबंध में इस पुस्तक की प्रस्तावना में डॉ. संपूर्णानंद ने जो टिप्पणी की है, वह दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल को इन शब्दों में स्पष्ट करती है : 'इन लेखों को हम तीन विभागों में रख सकते हैं। पहली श्रेणी के लेख मुख्यतः राजनीतिक लेख हैं, जो मुख्यतया अखबारी तर्क-वितर्क की दृष्टि से लिखे गए हैं। इन लेखों में निहित बातों का अपने-आप में कोई महत्त्व नहीं है। एक प्रकार से, वे केवल उसी अवसर के लिए उद्दिष्ट थे, जिस समय वे लिखे गए। वे घात-प्रतिघात की भावना से, जो राजनीतिक संघर्षों, विशेषकर चुनाव संघर्षों का वैशिष्ट्य है, इससे ओतप्रोत हैं। वे भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस संग्रह में उनके सम्मिलित किए जाने का यही औचित्य है, ताकि इनसे बाद के युग के पाठकों को वही मनोवैज्ञानिक उत्तेजना मिल सकेगी, जो उन पुराने दिनों में भाग लेने वालों के मनों में उद्भूत हुई थी। किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक आधार के बिना उन दिनों की घटनाएँ पढ़ने में नीरस लग सकती हैं।

'दूसरी श्रेणी में उन लेखों का समावेश है, जो पहली श्रेणी के लेखों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, परंतु उनसे विस्तृत, गंभीर चिंतनयुक्त एवं काफी विचारोत्तेजक हैं। ऐसे लेख ऐसे किसी के लिए भी अमूल्य सिद्ध होंगे, जो (मान लीजिए) एक दशक, शताब्दी या उसके बाद उन दिनों के इतिहास का अध्ययन करना चाहेंगे। उन्हें ऐसे लेखों से न केवल यह समझने में सहायता मिलेगी कि क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्हें इसके बारे में भी समुचित कल्पना आ सकेगी कि कुछ विशेष व्यक्ति और नारे जन-मन को आकर्षित करने में क्यों सक्षम हो सके? वे यह भी समझ सकेंगे कि विभिन्न दलों द्वारा जारी किए गए वक्तव्यों में तर्क का कौन-सा 'रोल' रहा? संक्षेप में, इन लेखों में वे सब मसाले विद्यमान हैं, जिनके बिना निकट अतीत का कोई भी इतिहास सुसंबद्ध और ग्राह्य नहीं हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार निकट अतीत के रूप-निर्धारण में हाथ बँटाया है। हम सबने उसके उस रूप निर्माण में और उससे उस वर्तमान का विकास करने में, जिसमें हम रहते हैं, अपना योगदान किया है, भले ही वह योगदान तुच्छतम क्यों न हो। यही वह निकट अतीत है। वह अतीत, जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पैदा हुआ, जो उस भविष्य की सीढ़ी बनने जा रहा है, जिसका हम सब भिन्न-भिन्न तरीके से स्वप्न देखते हैं। यह आवश्यक है कि हम लोग विशेष रूप से अब, जब गर्द और गरमी कुछ शांत हो गई है, उदारतापूर्वक उस अतीत को समझने का प्रयत्न करें। उसे गलत समझकर या तर्क का स्थान भावना को देकर हम कुछ ऐसे भविष्य का निर्माण कर देंगे, जो बिलकुल अवांछनीय सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसी भी व्यक्ति को, जो इस विषय में कुछ कहना चाहता है, पूरा अवसर दें। हम हर कल्पना को, स्वातंत्र्य एवं खुले विचार-विमर्श को, जनता के सामने आने देने का पूरा अवसर प्रदान करें। यही वह कारण है, जिससे मैंने यह अनुभव किया कि यदि स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पूर्ण प्रकाश में लाने में सहायता करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दूँ, तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊँगा। और यह स्मरण रखना चाहिए कि ये विचार किसी ऐरे-गैरे के विचार नहीं हैं। ये विचार हमारे समय के अत्यंत महत्त्वपूर्ण नेताओं में से एक नेता की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, जो अपने देश के सर्वश्रेष्ठ हित-संपादन के लिए अपने को अर्पित कर चुका था, जो निर्मल चरित्रवाला था और जो एक ऐसा नेता था, जिसके वजनदार शब्द हजारों-हजार शिक्षित व्यक्तियों को भावाभिभूत कर देते थे। यदि हम उनसे सहमत नहीं हैं, तो भी हमें उनका उचित आदर करना चाहिए और हमें उनकी विवेचना करनी चाहिए। वे चुनाव तथा अस्थायी महत्त्व की अन्य घटनाएँ बीत चुकी हैं, पर देश कायम है। वह देश, जिसके नाम पर वे सारी गतिविधियाँ हुई थीं। पुराने योद्धाओं से, जो हाथ में तलवार लिए धराशायी हो गए, हम जो कुछ भी प्रकाश पा सकते हैं, उसे ग्रहण कर हमें देश के लिए अभी भी कार्य करना है। जो सफाई से लड़े और जिनके हृदयों में कोई दुर्भावना नहीं थी, वे लोग किस दल के थे, इसका कोई महत्त्व नहीं है। वे एक-दूसरे की सज्जनता को पहचानते और कभी किसी क्षण उनमें से कोई अस्थायी रूप से किसी मानवी दुर्बलता का शिकार भी हो गया हो, तो हमें रामचंद्रजी द्वारा विभीषण को उपदिष्ट इन शब्दों को याद रखना चाहिए—मरणात्तुनिर्वैराणि।

'तीसरी श्रेणी के उन लेखों की भी चर्चा करना आवश्यक है, जिनकी संख्या दुर्भाग्य से बहुत कम है। इस श्रेणी के लेख वर्तमान समय की सीमा

से बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, यद्यपि वे अस्थायी रूप से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर लिखे गए थे। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या स्वयं उपाध्याय जी ने उनको अनुभव किया था, या क्या उनका अनुभव करने के लिए उनके पास समय था। मैं उदाहरण के लिए केवल एक की चर्चा करूँगा। 'आपका मत' शीर्षक से लेख वर्तमान मतदाताओं को लक्ष्य कर लिखे गए हैं, किंतु प्रासंगिक रूप से उन विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो राजनीति विज्ञान की महत्त्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित हैं। इन समस्याओं की समुचित जानकारी पर ही समाज की वैज्ञानिक व्यवस्था आधारित है। राजनीति शास्त्र के न केवल वर्तमान काल के, अपितु उदाहरण के लिए भीष्म के समान प्राचीन काल के कुछ महान् लेखकों ने भी उन समस्याओं की चर्चा की है। महात्मा गांधी तथा डॉ. भगवानदास जैसे आधुनिक युग के पुरुषों ने भी उनकी चर्चा की है। मत देने के योग्य कौन है, और मत पाने के योग्य कौन है, ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। 'मत प्राप्त करना' (Get a Vote) वाक्यांश महत्त्वपूर्ण है, और इसमें अनेक गुत्थियाँ जुड़ी हुई हैं। मेरा विश्वास है कि उपाध्याय जी के कुछ प्रशंसक इस प्रश्न को हाथ में लेंगे और इस लेख में निहित गंभीर गुत्थियों को समझने-सुलझाने का प्रयत्न करेंगे' (शर्मा, 2011, पृष्ठ 11-14)।

मूलगामी विचारों के अभ्यासक

17 मई, 1968 को मुंबई में 'पॉलिटिकल डायरी' का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता पर इन शब्दों में टिप्पणी की थी : 'आज के इस कार्यक्रम का प्रबंध करने वाले एक महानुभाव ने इस लेख संग्रह की कच्ची प्रतिलिपि मुझे दी थी। यह सोचकर कि बुद्धि में अंधकार रखकर खड़े होना योग्य नहीं, मैंने यहाँ से राजकोट जाते समय और वहाँ से विमान में यहाँ आते समय पूरी पुस्तक पढ़ ली। पुस्तक में अनेक विषय तो तात्कालिक ही हैं, परंतु हमारे दीनदयाल जी की एक विशेषता यह थी कि तात्कालिक विषय को भी एक स्थायी सैद्धांतिक अधिष्ठान देकर वे लिखा करते थे, बोला करते थे। केवल तात्कालिक बात कहकर उसे छोड़ देना उनका स्वभाव नहीं था। कई वर्षों तक निकट सहकारी के नाते मैं उन्हें जानता रहा हूँ। मुझे पता है कि वे मूलगामी विचारों के अभ्यासक थे। तात्कालिक समस्या पर बोलते या लिखते समय भी, उसके पीछे कोई-न-कोई चिरंतन सिद्धांत है, इसका विचार कर उसके अधिष्ठान पर ही वे शब्द प्रयोग किया करते। यह ठीक है कि राजनीतिक विरोधी दल के कार्यकर्ता, नेता के नाते शासनारूढ़ दल के अनेक कार्यों पर, उनकी नीतियों पर उन्होंने टीका-टिप्पणी की है। कभी-कभार कुछ व्यक्तियों के संबंध में भी कोई बात न आई हो, ऐसा भी नहीं, परंतु उनके लेखों को हम सहृदयता से देखेंगे, तो दिखाई देगा कि टीका-टिप्पणी करते समय भी उनके समूचे हृदय में किसी दल और किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार के अनादर की, दूरता की भावना नहीं थी। जो कुछ लिखा है, वह आत्मीयता से लिखा है। आत्मीयता इसलिए कि कोई भी दल हो, अपने ही यहाँ का क्यों न हो, यदि अनिष्ट मार्ग से चलता है, तो दल का जो भला-बुरा होने वाला हो, वह तो होगा ही, परंतु अंततोगत्वा देश का ही नुकसान होता है। विभिन्न दलों में काँग्रेस कहें, सोशलिस्ट-प्रजा सोशलिस्ट कहें, जनसंघ, हिंदूसभा या रामराज्य परिषद् कहें, सभी दलों में लोग तो अपने ही हैं। अपने लोग यदि कोई त्रुटि, कोई भूल करते हैं, अनिष्ट नीतियाँ अपनाते हैं, कोई कृति करते हैं, जो देश के लिए लाभकारी न हो, तो उसके संबंध में बोलना, सचेत करना देश की भलाई के लिए आवश्यक ही रहता है' (शर्मा, 2011, पृष्ठ 17-19)।

'...पं. दीनदयाल जी एक विरोधी दल के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका तो यह कर्तव्य ही था कि जो अनिष्ट दिखे, जो-जो कुछ त्रुटिपूर्ण दिखाई दे, उसके विषय में अपने मत वे असंदिग्ध शब्दों में प्रकट करें। उन्होंने यही किया, परंतु उनके सब लेखों को देखें, तो हमें दिखाई देगा कि उनके हृदय के अंदर कोई कटुता नहीं थी। शब्दों में भी कटुता नहीं थी। बड़े प्रेम से बोला करते। मेरा तो बहुत संबंध था। कभी किसी पर जरा भी नाराज नहीं हुए। बहुत खराबी होने पर भी खराबी करनेवाले के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। वे युधिष्ठिर के समान थे। दुर्योधन में दुराक्षर था, इसलिए वे दुर्योधन नहीं 'सुयोधन' कहा करते थे। दीनदयाल जी भी इसी परंपरा के थे। इसलिए उनमें कटुता दिखाई नहीं दी। शब्दों में नहीं, हृदय के अंदर नहीं, वाणी में भी नहीं। इस पुस्तक में हमें उसका प्रत्यय मिलेगा' (शर्मा, 2011, पृष्ठ 21)।

'पांचजन्य' में प्रकाशित विचार-वीथी

हिंदी साप्ताहिक 'पांचजन्य' में विचार-वीथी स्तंभ के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय की विभिन विषयों पर एक लेखमाला प्रकाशित हुई। यह शृंखला 4 जुलाई, 1955; 11 जुलाई, 1955; 18 जुलाई, 1955; 25 जुलाई, 1955; 1 अगस्त, 1955, 29 अगस्त, 1955; 10 अक्टूबर, 1955; 24 अक्टूबर, 1955; 31 अक्टूबर, 1955; 28 नवंबर, 1955; 19 दिसंबर, 1955; 2 जनवरी, 1956; 23 जनवरी, 1956; 30 जनवरी, 1956; 13

विचार-वीथी

(श्री 'पराशर')

KING OF DESIGNS

74 AMINABAD PARK, LUCKNOW

फरवरी, 1956; 20 फरवरी, 1956; 5 मार्च, 1956; 26 मार्च, 1956, 9 अप्रैल, 1956; 16 अप्रैल, 1956; 7 मई, 1956; 14 मई, 1956; 21 मई, 1956; 4 जून, 1956; 11 जून, 1956; 18 जून, 1956; 2 जुलाई, 1956; 9 जुलाई, 1956; 23 जुलाई, 1956; 30 जुलाई, 1956; 20 अगस्त, 1956; 27 अगस्त, 1956; 10 सितंबर, 1956; 17 सितंबर, 1956; 28 सितंबर, 1956; 1 अक्टूबर, 1956; 15 अक्टूबर, 1956; 5 नवंबर, 1956; 26 नवंबर, 1956; 3 दिसंबर, 1956; 17 दिसंबर, 1956 के अंकों में मिलती है। इन स्तंभों को पढ़कर दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन, चिंतन व कार्य को भलीभाँति समझा सकता है। इन स्तंभों के माध्यम से दीनदयाल जी देश की तात्कालिक समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते थे और वे समाधान भविष्य के लिए चिरकालिक हो गए। विचार-वीथी स्तंभ को पाठकों ने बहुत पसंद किया।

'हमारा जीवन दर्शन' और 'आपका मत'

'पांचजन्य' में नौ आलेखों की एक और शृंखला 'हमारा जीवन दर्शन' नाम से वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारत अपना गंतव्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है। जब तक यह गंतव्य निर्धारित नहीं होता, तब तक हमारी प्रगति अवरुद्ध रहेगी। अतः राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगे हुए लोगों को सर्वप्रथम यह गंतव्य निर्धारित करना होगा। यह गंतव्य क्या हो इस गंभीर विषय पर ये नौ लेख तैयार किए गए। इन नौ लेखों के शीर्षक इस प्रकार हैं : परकीय प्रेरणा स्रोत देश में स्वावलंबन की प्रेरणा नहीं जगा सकता; देश में दुर्व्यवस्था तथा जीवन में अनिश्चितता पैदा करने वाले मूल कारण; परानुकरण से राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो रही है; भारतीय जीवन पद्धति आज भी मार्गदर्शन कर सकती है; हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें स्वतंत्र एवं स्वयंभू इकाइयाँ रही हैं; यह मेरा नहीं सबका है और इसलिए राष्ट्र का है, आदि।

इसके अतिरिक्त 'आपका मत' नाम से भी दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखी गई एक अन्य लेखमाला नौ भागों में वर्ष 1962 में प्रकाशित हुई। उन लेखों के शीर्षक हैं: मताधिकार कागज का टुकड़ा नहीं, लोकाज्ञा है; मतदाता समय की चुनौती का उत्तर देंगे? दक्षिणपंथ व वामपंथ के आधार पर दलों का विभाजन अनुचित; राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाए; अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की संज्ञाएँ घातक हैं; उद्देश्य में समानता परंतु साधनों में विचलन; योजनाओं के प्रति भारतीय जनसंघ का दृष्टिकोण व्यावहारिक; दल और किसान; सरकार की ओर से कृषि और किसानों की उपेक्षा जारी; हर मतदाता को निभानी है भूमिका।

प्रमुख भाषण

दीनदयाल उपाध्याय के संचारक पक्ष को समझने के लिए उनके द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में उनके द्वारा लिखे गए लेखों के अलावा उनके द्वारा समय-समय पर दिए गए सार्वजनिक भाषणों का भी गहन अध्ययन आवश्यक है। ये भाषण उन्होंने जनसंघ के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते देशभर में दिए। इनमें व्यक्ति, व्यक्ति-निर्माण, समाज, समाज-निर्माण, राष्ट्र एवं राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक कुरीतियों, हमारी परंपराओं, संस्कार और शिक्षा आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर जानकारी है। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद वर्ष 1971 में 'राष्ट्र जीवन की दिशा' नाम से प्रकाशित पुस्तक में उनके ऐसे ही बीस भाषणों का संग्रह किया गया है। पुस्तक में शामिल प्रमुख भाषण हैं : परम सुख का मार्ग; राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति; राष्ट्र और राज्य; राष्ट्र का स्वरूप-चिति; राष्ट्रः प्रकृति और विकृति; परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्; संगठन का आधारः राष्ट्रवाद; व्यक्ति और समाज का संबंध; सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था; दोउन राह न पाई; हमारा राष्ट्रध्वज; विजय-आकांक्षा; लोकमत-परिष्कार; 'त्रिभाषा फार्मूला' नहीं 'द्विभाषा सूत्र' चाहिए; पश्चिमी वादों से मुक्त एक नए आर्थिक दर्शन की खोज; साधन को साध्य न बना लें; हमारे राष्ट्र की प्रकृति; अपना दृष्टिकोण बदलें; पश्चिम और हम; कश्मीर के लिए जो शहीद हुए उन्हें न भूलें। इस पुस्तक में दीनदयाल जी के वे मूलगामी विचार तत्त्व हैं जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के परिपूर्ण और समग्र चिंतन की आधारशिला बनकर नवनिर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस पुस्तक में भारत की एकात्म चिंतन-धारा के सूत्र संगृहीत हैं।

पत्रों के माध्यम से संवाद

जन-सामान्य, रिश्तेदारों, मित्रों, समकक्ष नेताओं और जनसंघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से संवाद हेतु दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में असंख्य पत्र लिखे। जो पत्र आज उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़कर लगता है कि दीनदयाल जी पत्रों के माध्यम से कितना गंभीर संवाद करते थे। प्रत्येक पत्र कुछ-न-कुछ संदेश देता है। वर्ष 1968 में उनके निधन के पश्चात् नानाजी देशमुख के प्रयासों से उनके द्वारा अलग-अलग लोगों को लिखे गए ऐसे पत्रों का संकलन किया गया था। उनके प्रकाशन की प्रक्रिया आरंभ ही होने वाली थी कि देश में अचानक आपातकाल लागू हो गया और आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि वे सभी पत्र गायब कर दिए गए अथवा नष्ट कर दिए गए। जिस व्यक्ति की 1968 में हत्या कर दी गई थी, आखिर उनके पत्रों से इसी को क्या खतरा हो सकता था? उन पत्रों का नष्ट होना एक अपूरणीय क्षति है। आज दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखे हुए बहुत थोड़े पत्र उपलब्ध हैं। उनमें प्रमुख हैं दीनदयाल जी द्वारा अपने मामा को लिखा गया पत्र, अपने भाई बनवारी को लिखा गया पत्र, अपने रिश्तेदार गुल्लन को लिखा गया पत्र, जनसंघ के वरिष्ठ नेता श्री केदारनाथ साहनी को लिखा गया पत्र, पंडित बचनेश त्रिपाठी को लिखा गया पत्र, आदि।

आधुनिक संचार विशेषज्ञों की राय

दीनदयाल उपाध्याय 1938 में संघ के कार्यकर्ता बने और 11 फरवरी, 1968 को 52 वर्ष की आयु में उनकी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि दीनदयाल उपाध्याय का संचार कौशल 50-60 वर्ष पूर्व प्रासंगिक रहा होगा, लेकिन क्या आज के पत्रकार, आज की मीडिया, आज के राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता एवं नेता आदि उनके संचार कौशल से कुछ सीख सकते हैं? इसका निर्णय तो आधुनिक संचार विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल की वर्तमान प्रासंगिकता को समझने के लिए देश के शीर्ष संपादकों, मीडिया प्रशिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों, मीडिया विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की राय ली गई।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रो. बल्देव भाई शर्मा कहते हैं : 'दीनदयाल उपाध्याय ने जिस पत्रकारिता की शुरुआत की, जैसा लेखन उन्होंने किया,

वह आज भी और आने वाले समय में भी एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, ताकि हम पत्रकारिता को लोकहितकारी बना सकें, लोक जागरण का माध्यम बना सकें। यह बहुत जरूरी है, अन्यथा पत्रकारिता सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम बन जाएगी। नीरा राडिया टेप कांड में जब बड़े-बड़े धुरंधर पत्रकारों की सरकार बनाने और मंत्री, उनके विभाग का गणित बिठाने की बातचीत सामने आई तो यह पत्रकारिता के लिए शर्मनाक मंजर था। आज फेक न्यूज और पेड न्यूज के कारण भी पत्रकारिता का विश्वास क्षरण हो रहा है। सोशल मीडिया विद्वेषकारी भाषा के प्रयोग, चरित्र हनन करने और व्यक्तिगत कुंठाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन गया है, जबकि सोशल मीडिया पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। उसका समाज हित में सही उपयोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता और लेखन को हम ध्यान में रखेंगे तो भारत में पत्रकारिता का जो गौरव रहा है, वह निश्चित रूप से सही अर्थों में फिर से हमारे सामने आएगा और पत्रकारिता की नई प्रतिष्ठा स्थापित होगी।' वे आगे कहते हैं : 'दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता हमें स्मरण कराती है कि समाज सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक जागरण के लिए कलम को कैसे एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रहित और समाज हित केंद्रित उनकी पत्रकारिता आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। दीनदयाल उपाध्याय का लेखन अत्यंत विशद और लोकहितकारी था। वे सामाजिक समस्याओं को न केवल उकेरते थे, बल्कि उनका समाधान भी बताते थे। 'ऑर्गनाइजर' में उनका साप्ताहिक स्तंभ आता था। बाद में उन सब लेखों का संकलन 'पॉलिटिकल डायरी' पुस्तक के रूप में किया गया। उन लेखों को हम यदि आज पढ़ते हैं तो लगता है जैसे ये सब बातें आज हमारे लिए ही हैं। केवल आज ही नहीं, वे भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन हैं। पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन अथवा संप्रेषण भर नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ है समाज की समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत करना और एक लोक संचारक के रूप में समाज की बात सत्ता तक पहुँचाना तथा उसको समाधान भी देना। ...दीनदयाल उपाध्याय ने उस समय जो राजनीतिक लेख लिखे, वे आज भी महत्त्वपूर्ण हैं। देशहित के लिए, जनता के हितों के लिए, लोक कल्याण के लिए राजनीति कैसी होनी चाहिए, यह पूरी दृष्टि उन्होंने भारतीय जनसंघ में विकसित की। जनसंघ के सम्मेलनों और सभाओं में जो उनके भाषण होते थे उनको हम पढ़ें तो पता चलता है कि कैसी पवित्र राजनीतिक दृष्टि उन्होंने दी। एक लेख में उन्होंने लिखा कि यदि पार्टी नेतृत्व किसी विवशता के कारण, चुनाव के समय किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देता है जो अयोग्य है, जिसकी छवि अच्छी नहीं है, तो मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि उसको हराया जाए। आप देखिए, यह कितनी बड़ी दृष्टि उन्होंने दी! मतदाता कितना जागरूक होना चाहिए! पार्टी हितों की नहीं, हमें देशहित की चिंता करनी है। राजनीति देशहित के लिए हो, पार्टी हित के लिए नहीं। यह बताना भी उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य था' (शर्मा, 2023)।

सुप्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ, लेखक एवं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पूर्व कुलपति प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री कहते हैं : 'दीनदयाल उपाध्याय एक चिंतक थे। चिंतक की भाषा और शैली 'पब्लिक स्पीकर' से अलग होती है, क्योंकि उसे गहरी बात कहनी होती है। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवदर्शन के दस्तावेज तैयार किए थे, जिन पर आज भाष्य लिखे जा रहे हैं। जाहिर है, लोक संचार के लिए उनकी भाषा सरल लेकिन अर्थवाहिका थी—सतसैया के दोहों की तरह। दीनदयाल उपाध्याय जब संचारक के रूप में सामने आते हैं तो उनकी भाषा और वाणी की प्रामाणिकता का प्रश्न भी आएगा। कोई भी लोक संचारक तभी सफल संचारक कहा जा सकता है यदि उसकी वाणी और शब्द यानी लेखन प्रामाणिक है। तभी वह श्रोता या पाठक पर प्रभाव डाल सकता है। लोक संचार तभी सफल माना जाएगा, यदि वह श्रोता या पाठक को प्रभावित भी कर सके। कम-से-कम आपके कहे और लिखे के बाद उसे उस दिशा में सोचने के लिए विवश कर दे। इस लिहाज से दीनदयाल उपाध्याय जी एक सफल लोक संचारक कहे जा सकते हैं और आज के राजनेता उनके उदाहरण से सीख सकते हैं' (अग्निहोत्री, 2023)।

'ऑर्गनाइजर' के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर कहते हैं : 'दीनदयाल जी के संचार कौशल की जो विशेषताएँ थीं उनमें तीन-चार बातें हमें साफ-साफ दिखाई देती हैं। पहली बात यह है कि वह भारत के विचार और दर्शन को भारतीय भाषा में रखने का प्रयास करते थे, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता उससे सीधे जुड़ जाता था और उससे सीधा संवाद होता था। संचार कौशल में यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात होती है कि आप जिससे संवाद कर रहे हैं, उसके साथ आप कितना 'कनेक्ट' कर पा रहे हैं। साथ ही जिस दर्शन पर उनका विश्वास था, उस पर वे जो भी बात करते थे पूर्ण विश्वास के साथ करते थे। विचारों के साथ प्रतिबद्धता होने के कारण उनके शब्दों में जो भाव आता था, वह भाव सुनने वाले तक पूरी तरह पहुँचता था। ...भारत को भारत की भाषा में संवाद करना, पूरे भारतीय भाव के साथ करना, जो बोल रहे हैं उन विचारों की प्रतिबद्धता के साथ करना और उसमें भी 'मैं' न आते हुए लोक शिक्षण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाना। यह दीनदयाल जी के संचार कौशल के विशेष पहलू हैं। पंडितजी की संवाद शैली आज भी महत्त्वपूर्ण है जो हमें स्मरण करती है कि संवाद में हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें, कैसी भाषा का प्रयोग करें, कितने संयम के साथ करें और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखें। इन तीन बिंदुओं की आज भी प्रासंगिकता है और आने वाले समय में भी रहेगी। हम संवाद के जितने नए-नए माध्यम बदलते जाएँगे हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वे केवल माध्यम हैं, उसके पीछे का विचार, उसके पीछे के शब्द ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दीनदयाल जी का संचार कौशल प्रासंगिक था और प्रासंगिक रहेगा' (केतकर, 2023)।

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं 'दैनिक जागरण' के पूर्व सहयोगी संपादक डॉ. रवींद्र अग्रवाल दीनदयाल जी के संचार कौशल को इस नजरिये से देखते हैं : 'दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल को समझने के लिए आवश्यक है कि उनका मूल साहित्य पढ़ा जाए न कि केवल व्याख्या। किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उसका मूल लेखन पढ़ना चाहिए। व्याख्या हर व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से करता है। कोर्ट में कानून तो एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्या अलग-अलग होती है। पाँच जजों की पीठ कई बार अलग-अलग मत व्यक्त करती है। दीनदयाल जी की मूल पुस्तकों में दो पुस्तकें 'सम्राट चंद्रगुप्त' और 'जगद्गुरु श्री शंकराचार्य' जरूर पढ़नी चाहिए। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से पता चलेगा कि उनकी वैचारिक आधारभूमि क्या थी। 'सम्राट चंद्रगुप्त' में पृष्ठ 24 पर दीनदयाल जी लिखते हैं कि 'राजा राष्ट्र के लिए है न कि राष्ट्र राजा के लिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि इंदिरा है तो भारत है या जवाहरलाल नेहरू है तो भारत है। भारत है तो जवाहरलाल है और भारत है तो इंदिरा है। राष्ट्र हमेशा बड़ा

रहेगा। यह बात 'सम्राट चंद्रगुप्त' में कही गई है। दूसरी पुस्तक 'जगद्गुरु श्री शंकराचार्य' में भी ऐसी बहुत-सी बातें कही गई हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर समझ में आता है कि वे बाल उपन्यास के माध्यम से भी कितना प्रभावी संवाद करते हैं! उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। आज का समाज उनसे क्या सीख सकता है? जैसे हम तुलसीदास जी, दयानंद जी, विवेकानंद जी, वाल्मीकि जी से सीखते हैं, वैसे ही दीनदयाल जी का संचार कौशल प्रेरणा देता है। जो संगठनकर्ता अपनी बात समाज को नहीं समझा पाता लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। दीनदयाल जी की सादगी आज के पत्रकारों और नेताओं के लिए सीखने की बात है। साथ ही जन सामान्य और कार्यकर्ताओं के मन से जुड़ाव भी बड़ी बात है। वे प्रवास करते थे तो होटल में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के घर पर ठहरते थे। इससे पूरे परिवार से विचार और संगठन का जुड़ाव होता था। उनका अध्ययन बेमिसाल था' (अग्रवाल, 2023)।

दीनदयाल जी अपनी सादगी और सरलता से साथी कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे, इससे जुड़ी एक घटना वरिष्ठ पत्रकार श्री मनमोहन शर्मा इस प्रकार बताते हैं, 'एक बार मैं और दीनदयाल जी लखनऊ से दिल्ली के लिए रेल में सहयात्री थे। उन दिनों कड़की के दिन थे, इसलिए 'हिंदुस्थान समाचार' हो या जनसंघ या फिर संघ सभी के कार्यकर्ता रेलवे की तीसरी श्रेणी के डिब्बे में ही यात्रा किया करते थे। इस यात्रा के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि पंडितजी एक क्षण भी जाया नहीं करते। सारी यात्रा के दौरान वे कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त पत्रों के उत्तर लिखते रहे या पुस्तक का अध्ययन करते रहे। जब हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँची तो पंडितजी ने मुझसे पूछा, 'आप कहाँ जाओगे?' मैंने कहा कि मेरा विचार शाहदरा में अपने मामाजी के पास जाने का है। पंडितजी ने कुछ क्षण सोचा और उसके बाद कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जब हम दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो संघ के एक प्रमुख नेता लाला हंसराज जी की कार बाहर पंडितजी की प्रतीक्षा कर रही थी। ड्राइवर पंडित जी को जानता था। इसलिए पंडितजी को नमस्कार करने के बाद अपने साथ चलने का आग्रह किया। दीनदयाल जी ने उत्तर दिया, 'भइया! मैं अभी शाहदरा जा रहा हूँ और वहीं रुकूँगा।' इसके बाद मैं और पंडितजी पैदल फुव्वारे की ओर चले जहाँ से शाहदरा जाने की फटफटियाँ चलती थीं। उन दिनों शाहदरा का किराया एक आना था। हम दोनों फटफटी में बैठ गए। मेरे पूछने पर दीनदयाल जी ने बताया कि वह संघ के कर्मठ कार्यकर्ता पंडित परमेश्वरीदास से मिलने शाहदरा जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वरीदास जी इन दिनों बीमार चल रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी फटफटी शाहदरा पहुँच गई और हम दोनों उससे नीचे उतर गए। मैं दीनदयाल जी के साथ भगवानपुरा की ओर पैदल चल पड़ा। पंडित परमेश्वरी जी वहीं एक झोंपड़ी में रहा करते थे। जब हम उनकी झोंपड़ी में पहुँचे तो परमेश्वरीदास जी दीनदयाल जी को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद ये दोनों कार्यकर्ता आपसी बातचीत में खो गए। जब पंडित ने परमेश्वरीदास जी को बताया कि वे दो दिन उनके साथ प्रवास करेंगे तो परमेश्वरीदास जी संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कोई चारपाई नहीं थी और वे फर्श पर ही सोते हैं। दीनदयाल ने उनके संकोच को भाँप लिया और कहा, 'अरे आप क्यों परेशान होते हैं। मुझे फर्श पर सोने में ही आनंद आता है।' ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें महलों के बजाय झोंपड़ी ज्यादा पसंद थी' (शर्मा, 2021)।

वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय का मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय मौलिक दृष्टि वाले संचारक थे, जो चाहते थे कि भारतीयता हमारी भावी योजनाओं का आधार होनी चाहिए। वे सजग और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी विशेषता यह है कि वे सवाल उठाते अवश्य हैं, लेकिन उसमें उलझते नहीं हैं। सवाल को हल करते हैं। इसी तरीके से वे वह बात कह जाते हैं, जो समाधान के रूप में ग्रहण की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय के लेखों को पढ़ने और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संविधान-संबंधी विचार की एक झलक देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जो मंत्र दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, उसे नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं (राय, 2023)।

दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता का विश्लेषण करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री अच्युतानंद मिश्र जी कहते हैं : 'लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी की तरह दीनदयाल जी भी चाहते थे कि देश में ऐसी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो, जिसमें राजनीति भी आदर्श हो और नैतिकता का उदय हो। इसी उद्देश्य को लेकर पंडितजी ने राजनीति की और लेखन किया। मैं समझता हूँ कि संपादकों के संपादक पंडितजी उस श्रेणी के संपादक थे, जिस श्रेणी के लोकमान्य तिलक 'केसरी' और 'मराठा' निकालते थे; महात्मा गांधी ने 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' का प्रकाशन किया और श्री अरविंद ने 'वंदेमातरम' का संपादन किया। पत्रकारिता उनका पेशा नहीं था। समाजसेवा से जुड़े होने के कारण उनका मानना था कि लोक जागरण और लोक शिक्षण का काम दो ही वर्ग कर सकते हैं—राजनीतिक दल और मीडिया। इसलिए लोक जागरण के लिए मीडिया के महत्त्व को पूरी दुनिया में स्वीकारा जा रहा था। पंडितजी भी उसके समर्थक थे। वे चाहते थे कि लोक जागरण के रूप में मीडिया की प्रतिष्ठा बनी रहे' (मिश्र, 2020)। वर्ष 2023 में एक बातचीत में श्री अच्युतानंद मिश्र कहते हैं कि नई पीढ़ी के पत्रकारों को लोक जागरण और पत्रकारिता में अंतर समझना चाहिए। दीनदयाल जी चाहते थे कि पत्रकार निर्भीकता के साथ अपने विचार रखें। उसका परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दें। दीनदयाल जी पत्रकारिता में भारत की बात करने के पक्षधर थे, लेकिन आज की मीडिया भारत की कम 'इंडिया' की बात अधिक करती है। आज मीडिया में भारत उपेक्षित है। गाँव, गरीब, किसान मजदूर या हाशिये पर रहने वाले लोग मीडिया में उपेक्षित हो गए हैं। इसी प्रकार दीनदयाल जी पत्रकारिता में शिष्ट भाषा का प्रयोग करने के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि सरल और सहज शब्दों में कठोर आलोचना की जानी चाहिए। आज की पत्रकारिता में भाषा उस स्तर से नीचे है। मीडिया की आज की पीढ़ी को ये सब गुण दीनदयाल उपाध्याय से सीखने चाहिए (मिश्र, 2023)।

प्रख्यात स्वदेशी चिंतक, विचारक एवं जनसंघ में दीनदयाल उपाध्याय के सहयोगी रहे श्री के.एन. गोविंदाचार्य दीनदयाल उपाध्याय के संचार कौशल पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं : 'दीनदयाल जी का लेखन देश और समाज की बेहतरी के लिए था। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं था। उनके लिए देश सर्वोपरि था, इसलिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं को वे आंदोलन आदि के समय भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुँचाने का स्पष्ट निर्देश देते थे। यहाँ तक कि विरोधी पक्ष के नेताओं के लिए भी वे अशिष्ट भाषा प्रयोग नहीं करते थे और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देते थे। यह संस्कार मीडिया और राजनीतिक दलों दोनों को सीखना चाहिए। उनका लेखन ऐसा था, जो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाता था। 'राष्ट्रजीवन की दिशा' हो या 'पॉलिटिकल डायरी' या

फिर 'भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा' सबमें यही पाएँगे कि उनकी भाषा, शैली बहुत सरल थी। उनके उदाहरण भी समान्य जनजीवन से संबंध रखने वाले हैं। यह गुण एक 'मास कम्युनिकेटर' के लिए भी आवश्यक है। उनका प्रस्तुतीकरण बहुत सरल था' (गोविंदाचार्य, 2023)। जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार कहते हैं कि दीनदयाल जी की भाषा सरल और सहज होती थी। उनके लेखन की एक और खूबी थी—वे जो कहते थे वही करते थे। दीनदयाल जी की पत्रकारिता से आज का मीडिया, लेखक और साहित्यकार यह सीख सकते हैं कि जो लिखो, वही करो (कुमार, 2021)।

महामना मालवीय पत्रकारिता संस्थान, काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश सिंह कहते हैं : 'दीनदयाल जी से आज के पत्रकारों को पहली सीख तो जीवन मूल्यों की लेनी चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर और सृष्टि के अंश हैं, इस समभाव को लेकर चलना है। हम समाज में अच्छाई ही देखें बुराई न देखें और अच्छाई को बढ़ावा दें। उनका संदेश है आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्' जो हमारे प्रतिकूल है वह ईश्वर आदि के भी प्रतिकूल है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। दीनदयाल जी के संचार कौशल से हम सभी यही सीख सकते हैं कि जो भारतीय मूल्य हैं उनका सम्मान करें। आज के राजनेता और सामान्य व्यक्ति भारतीय मूल्यों पर चलें, भारतीय प्रतीकों और परंपराओं के अनुसार व्यवहार करें, अपनी लोकभाषा और लोक प्रतीकों में संप्रेषण करें यह आवश्यक है। यह भी आवश्यक है हम सत्य के पथ को अपनाएँ' (सिंह, 2023)।

वरिष्ठ पत्रकार एवं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रो. कृपाशकर चौबे कहते हैं : 'आज के पत्रकार, लेखक, राजनेता और आम जनमानस दीनदयाल जी से यह सीख ले सकते हैं कि आज के जो भी प्रासंगिक प्रश्न हैं, उन पर सुचिंतित विचार करना चाहिए। दूसरी सीख यह लेनी चाहिए कि स्तंभ लिखते समय बहुत निर्मम और तटस्थ होकर परिस्थितियों का वर्णन करना चाहिए। दीनदयाल जी के संचार का दायरा बहुत बड़ा था। वे पत्रों से, भाषणों से, संगठन की बैठकों में, अनौपचारिक बातचीत में संचार करते थे। 'सम्राट चंद्रगुप्त' और 'जगद्गुरु श्री शंकराचार्य' बहुत ही संप्रेषणीय कृतियाँ हैं। उनके चार भाषण दर्शन बन गए। आज के राजनेताओं को उनका 'विधायिका पक्ष बनाम संगठन पक्ष' लेख अवश्य पढ़ना चाहिए। उनका एक लेख और पढना चाहिए—'प्रत्याशी कौन? एक और लेख है 'प्रत्याशी, दल और सिद्धांत सभी महत्त्वपूर्ण'। इनसे पता चलता है कि वह आदमी अपने जीवन में और चिंतन में कितना पाक-साफ था। उनके विचारों में कहीं द्वेत नहीं था' (चौबे, 2023)।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं उत्तर प्रदेश में दीनदयाल जी के सान्निध्य में काम करने वाले श्री हृदयनारायण दीक्षित दीनदयाल जी के संचार कौशल और पत्रकारिता को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं : 'पंडितजी ने शब्द तपस्या के अनुष्ठान में बहुत कुछ लिखा है। उनके लेखन का एक ही हेतु था—विश्व के मानचित्र पर भारत के गौरव की पुनःप्रतिष्ठा। पंडितजी ने भारतीय तत्त्वज्ञान को नए शब्द देने की कोशिश की। जब सारी दुनिया मनुष्य को ही पदार्थ सिद्ध करने में संलग्न थी, पंडितजी मानव की महिमा और गरिमा की पुनःप्रतिष्ठा के लिए ही लिखते रहे। उनके रचना संसार की निष्पति है कि इस भारत ने मनुष्य को पदार्थ मात्र कभी नहीं माना। मनुष्य का जितना हिस्सा पदार्थ है, वह भी शुद्ध चैतन्य ही है। इसी सत्य की अनवरत शोध और आराधना में लगी चेतना का नाम भारत है। भारत देशवाचक ही नहीं, एक सनातन साधना की संज्ञा भी है। पंडितजी इसी भारतभूमि की चिरंतन प्रतिष्ठा की खातिर लिखते थे' (शर्मा, 2011)।

'धर्मयुग' के संपादक डॉ. धर्मवीर भारती दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और संचार कौशल इस इस प्रकार विश्लेषण करते हैं : 'पहली बार मुझे सुखद आश्चर्य हुआ सन् 1965 में। भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने धमकी दी थी, वह भारत को अन्न का अनुदान बंद कर देगा और अखबारों में एक ज्वलंत तेजस्वी वक्तव्य दीनदयाल जी का आया। बिना किसी रियायत के उन्होंने अमेरिका की कायरतापूर्ण भारत विरोधी हरकत की निंदा की थी और राष्ट्रीय स्वाभिमान के योग्य अन्न ही नहीं, वरन् हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही थी। वह एक वक्तव्य था, जिसमें राजनीतिक नारेबाजी नहीं थी, थोथी देशभक्ति का मुखौटा नहीं था, सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी, देश की नियति के प्रति गहरी आबद्धता थी और सतही धरातल को तोड़कर समस्याओं को बुनियादी घरातल कर पुनः जाँचने का गहरा प्रयास था। लगा जनसंघ और रा. स्व. संघ की सीमाओं का अतिक्रमण कर वे किसी नए बिंदु पर सोच रहे हैं, गहरा विचार-मंथन कर रहे हैं। उनकी बात टाली जाने योग्य नहीं है। स्वीकार करूँ या नहीं, उसे गुनना जरूरी है। उसके बाद भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राष्ट्रीय संकट के बारे में उनके अनेक लेख और वक्तव्य पढ़े। धारणा दृढ़ होती गई कि वे एक सत्तालोभी राजनीतिक नेता या अनुशासित दलगत सैनिक नहीं हैं, उनमें एक गहरे चिंतक के बीज हैं और उनमें पुरानी या नई रूढ़ियों से मुक्त होकर कुछ नया समाधान खोजने की छटपटाहट है (गोयनका, 2017, पृष्ठ 80-82)।

निष्कर्ष

तथ्यों से स्पष्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय का संचार कौशल आज भी पत्रकारों और संपादकों के लिए ही नहीं, बल्कि मीडिया में काम करने वाले अन्य लोगों और स्तंभ लेखकों के लिए भी प्रासंगिक है। इसके अलावा वर्तमान राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी उनका चिंतन और संचार कौशल प्रासंगिक है। पत्रकारिता की दृष्टि से बात करें तो उनके लिए पत्रकारिता अर्थोपार्जन का जरिया नहीं, बल्कि राष्ट्र जागरण एवं राष्ट्रीय विचारों के प्रचार-प्रसार का माध्यम थी। यदि उन्होंने पत्रकारिता को थोड़ा और अधिक समय दिया होता, तो भारत में पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप संभवत: कुछ और ही होता। जन सरोकारों से कटकर पत्रकारिता कितनी नुकसानदेह हो सकती है, यह आज की मुख्यधारा की पत्रकारिता को देखकर समझ में आता है। मीडिया का एक वर्ग आज अपने लाभ के लिए देश विरोधी शक्तियों से भी समझौता करने में संकोच नहीं करता। राजनीतिक दलों तथा कुछ छिपी हुई वैश्विक ताकतों को लाभ पहुँचाने के लिए झूठी खबरें छापने का चलन भी जोरों पर है। 'पेड न्यूज' का मुद्दा करीब दो दशक से चर्चा में है। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक और न्यूज चैनल की पहली खबर से लेकर अंतिम खबर तक नकारात्मकता ही छाई रहती है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और न्यूज चैनलों एवं वेब पोर्टलों को देखकर लगता है कि आज देश में सिर्फ नकारात्मक घटनाएँ ही घट रही हैं और समाज में कुछ भी सकारात्मक और रचनात्मक नहीं हो रहा है। समाज की उजली तसवीर मीडिया से गायब है। ऐसे समय में दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता

और उनके द्वारा रचित साहित्य नई दिशा प्रदान करता है। दीनदयाल जी ने सार्वजनिक जीवन के प्रति सचेत, सुरुचिपूर्ण एवं संस्कारक्षम संचार को कार्यकर्ताओं व समाचार पत्रों के माध्यम से विकसित करने का प्रयत्न किया। भाषा की शिष्टता, समाचार में भारत की अभिव्यक्ति, समाज को रचनात्मक दिशा देने के लिए लेखन आदि ऐसे मूल्य हैं, जो दीनदयाल जी के संचार कौशल से सीखे जा सकते हैं।

अपने लेखों, भाषणों, पत्रों ही नहीं, व्यंग्यचित्रों में भी दीनदयाल जी एक मर्यादा का पालन करने के पक्षधर थे। इस संबंध में अपने संपर्क में आए पत्रकारों और संपादकों को लगातार टोकते रहते थे। वे ऐसे लोक संचारक हैं, जो अपने दैनंदिन आचरण से भी दूसरों को संदेश देते थे और वे जो लिखते थे वह करते भी थे। उनका आग्रह था कि पत्रकारों और मीडिया की निष्ठा देश तथा जनता के व्यापक हितों के प्रति होनी चाहिए और भारत के मीडिया में भारत की बात होनी चाहिए। वे कहते थे कि भारत के लोगों को भारत की भाषाओं में अधिक संवाद करना चाहिए। मीडिया और राजनीतिक दल देश या समाज से बड़े नहीं हैं। सभी के लिए देशहित सदैव सर्वोपरि होना चाहिए। पत्रकार को सत्य और केवल सत्य लिखना चाहिए और कटु सत्य को भी प्रिय रूप में लिखना चाहिए। संचार में एक भी शब्द ऐसा प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, जो लोकहित के प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता हो। किसी भी विषय पर लिखने से पहले समस्त पहलुओं का गहन अध्ययन और अन्वेषण करना उनके स्वभाव का अंतर्निहित अंग था। इसलिए यथार्थ के पैमाने पर उनके विरोधी भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाते थे। दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही सटीक ढंग से और नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कहते थे। उनके लेखन में बड़े-बड़े विवादों पर गंभीर चिंतन होता था। शब्द तो उनके सीधे-सादे होते, लेकिन अपने तर्कों से वे विपक्षियों को सहज निरुत्तर कर देते थे।

संदर्भ

अग्रवाल, आर. (2023). वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक जागरण के पूर्व सहयोगी संपादक. दिनांक 2 दिसंबर, 2023 को दूरभाष पर साक्षात्कार.

कुमार, एस. (2020). जनसंघ के वरिष्ठ नेता जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. 1 जुलाई, 2020 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उनके आवास पर साक्षात्कार.

गोविंदाचार्य, के. एन. (2023). प्रख्यात स्वदेशी चिंतक, लेखक, विचारक एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक. नई दिल्ली में दिनांक 13 जून, 2023 को विशेष साक्षात्कार.

चौबे, के. एस. (2023). वरिष्ठ पत्रकार एवं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष. दिनांक 30 नवंबर, 2023 को दूरभाष पर बातचीत.

मिश्र, ए.एन. (2021). वरिष्ठ पत्रकार, दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को दूरभाष पर साक्षात्कार.

मिश्र, ए. डी. (2019). *दीनदयाल उपाध्याय : एक अध्ययन*. नई दिल्ली : कांसेप्ट पब्लिशिंग कं.प्रा. लिमिटेड.

राय, आर. बी. (2023). वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष. नई दिल्ली में बातचीत.

शर्मा, एम.सी. (सं.). (2011). *पत्रकारिता और दीनदयाल उपाध्याय*. नई दिल्ली : दीनदयाल समग्र, भारतीय जनता पार्टी.

सिंह, ओ.पी. (2023). महामना मालवीय पत्रकारिता संस्थान, काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष. दिनांक 30 नवंबर, 2023 को दूरभाष पर बातचीत.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 80-86, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतीय टेलीविजन : निजीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और संचार के विकास में कॉमेडी कला का योगदान

अरुण पटेल[1]

सारांश

उन्नीस सौ नब्बे के दशक की शुरुआत में उदारीकरण (लिब्रलाइजेशन), निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन) और भूमंडलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) की नई आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के बाद कॉमेडी व्यापारिक शैली के रूप में उभरने लगी। इन नीतियों को आमतौर पर उनके अँग्रेजी संक्षेपित 'एलपीजी' के रूप में जाना जाता है। भारत में एलपीजी के कारण वह विशाल सांस्कृतिक परिवर्तन आया, जिसे मार्शल म्कलूहान ने 1960 के दशक में 'वैश्विक गाँव' (ग्लोबल विलेज) की संज्ञा दी थी। 1990 के दशक में, इनफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, और इनफोटेनमेंट का प्रवाह भारत में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश पूरे विश्व के संपर्क में आ गया। अचानक तकनीकी यंत्रों के फैलाव ने आधुनिक दुनिया में समय और स्थान की दूरी को समाप्त कर दिया। जैसा कि म्कलूहान का मानना था कि 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समाज के समय और स्थान की समझ को बदल कर रख दिया है'। बीसवीं सदी की शुरुआत में एक तरफ जहाजों, विमानों और तेज गति वाली मोटरगाड़ियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, वहीं इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं रिकॉर्डिंग से संबंधित टेलीग्राफी, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल इनफॉर्मेशन ने सही मायने में दुनिया को पटल पर लाकर रख दिया। भारतीय संदर्भ में इन्हीं तकनीकी और सांस्कृतिक बदलावों के असर को समझने के लिए प्रस्तुत शोध पत्र कॉमेडी विधा के बदलते स्वरूप का वर्णन करता है।

संकेत शब्द : निजीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, तकनीकी बदलाव, संचार, कॉमेडी

प्रस्तावना

भारत में सूचना के प्रसारण में एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेडियो को अपने नियंत्रण में लिया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने सूचना, प्रसारण, प्रेस और सिनेमा के मामलों को देखने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का गठन कर सरदार वल्लभभाई पटेल को इसका प्रथम मंत्री नियुक्त किया। डॉक्यूमेंटरी फिल्मों के निर्माण में सरकार का एकाधिकार स्थापित करने के लिए 1948 में सरदार पटेल ने 'राष्ट्र निर्माण' के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रचार यंत्र के रूप में विख्यात 'इनफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया' को 'फिल्म्स डिवीजन' में बदल दिया (डिवीजन, 2020)। इसके बाद रंगमंच, साहित्यिक और दृश्य कलाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए क्रमशः संगीत नाटक अकादमी (1953), साहित्य अकादमी (1954), और ललित कला अकादमी (1954) जैसे अन्य संस्थानों का गठन किया गया। इसके बावजूद संस्कृति और संचार के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आई वह थी, स्थलीय (टेरेस्ट्रियल) टेलीविजन, जिसका प्रसारण प्रायोगिक तौर पर 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत शुरू हुआ (दूरदर्शन, एनडी)। इस एंटिना वाले टीवी ने न केवल एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि एक नए प्रकार के बदलाव की शुरुआत की। अपने छह साल के स्थलीय प्रयोग के बाद 1965 में भारतीय टेलीविजन ने दैनिक समाचार प्रसारित करना शुरू किया और 'चंदा रिपोर्ट' के परिणामस्वरूप 1967 में किसानों पर केंद्रित 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम शुरू किया (चंदा, 1966 और चैटर्जी, 1987)। हालाँकि उस समय केवल संपन्न एवं उच्च मध्यम वर्ग ही टेलीविजन सेट खरीदने में सक्षम थे। एड्रियन अथीक अपनी पुस्तक 'इंडियन मीडिया' में लिखते हैं कि 'विवादास्पद रूप से, टेलीविजन किसी भी तकनीक या संस्कृति की तुलना में, एक माध्यम के रूप में वैश्विक रूप से मध्यम वर्ग को परिभाषित करने में सक्षम रहा है' (अथीक, 2012, पृष्ठ 20)। इसलिए अगले तीन दशकों में 1990 तक प्रयास किया गया कि यह उपकरण उच्च-मध्यवर्गीय भारतीय ड्राइंग रूम की शानो-सज्जा से बाहर निकलकर आम भारतीय परिवारों तक पहुँच जाए।

1970 का दशक : तकनीकी उन्नति और आपातकाल

राष्ट्रीय एकता को आकार देने और देश के विकास के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए 1970 के दशक में टीवी के नए क्षेत्रीय स्टेशनों का गठन किया गया। इन्हीं प्रयासों की वजह से आपातकाल में दूरदर्शन को आकाशवाणी से स्वतंत्रता मिली। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपात्काल की घोषणा की थी, जिसकी वजह से प्रेस और न्यायपालिका ने कभी न सोची जा सकने वाली सेंसरशिप का सामना किया। हालाँकि 1975 में देश में आपातकाल था, पर तकनीकी विकास में वह साल अद्वितीय साबित हुआ, क्योंकि इसी वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमरीकी स्पेस एजेंसी 'नेशनल एयरोनॉटिक एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन' (नासा) के एटीएस-छह उपग्रह की मदद से अपनी स्वयं की प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना, 'सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट' (साइट) को लॉन्च किया (मिलर, 1975)। यह उस समय की बात है जब पूरी दुनिया पूँजीवाद और समाजवाद के दो मुख्य हिस्सों में बँट गई थी। ऐसे समय में भारत की किसी भी समूह का हिस्सा न होने की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति (मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो 1980 के दशक तक कायम रही) ने देश को सोवियत

[1]शोधार्थी, थिएटर एंड परफॉरमेंस स्टडीज, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110 067, ईमेल : arun12_saa@jnu.ac.in

रूस और पूँजीवादी अमरीका, दोनों ही देशों से मदद प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इसलिए आपातकाल के उस दौर में भी सोवियत उपग्रह टीवी प्रणाली और अमेरिकी तकनीक की मदद से भारत ने चार भाषाओं में देशभर के 2400 गाँवों में बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों (1.5 घंटे सुबह के कार्यक्रम) और वयस्कों के लिए निर्देशात्मक कार्यक्रमों (2.5 घंटे शाम के कार्यक्रम) का प्रसारण शुरू किया। इन कार्यक्रमों में स्वच्छता, पोषण, परिवार नियोजन और कृषि तकनीक जैसे अन्य विषयों को प्रस्तुत किया जाता था, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और बड़े पैमाने पर अशिक्षित दर्शकों को आकर्षित करना था (अथीक, 2012, पृष्ठ 41 और मिलर, 1975)।

उल्लेखनीय है कि एक साल तक चलने वाला यह प्रयोग आपातकाल के दौरान किया गया, इसलिए राज्य की नीतियों को लेकर ज्यादा कुछ कहना मुमकिन न था। इसके बावजूद इस प्रयोग ने 1983 में भारत के अपने उपग्रह कार्यक्रम, 'इनसैट-वन बी' को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई और टीवी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 1976 में दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया। 1978 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के बाद, भारत की पहली गैर-काँग्रेसी सरकार ने रेडियो और टीवी को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए 'प्रसार भारती' विधेयक पेश किया। हालाँकि, इसे केवल 19 साल बाद, 1997 में, एलपीजी के बाद के भारत में काँग्रेस काल के दौरान ही अधिनियमित किया जा सका (प्रसार भारती, एनडी)। इस प्रकार 'प्रसार भारती' दूरदर्शन को सरकार से मुक्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने टीवी को अधिक स्वायत्तता जरूर प्रदान की।

1980 का दशक : दूरदर्शन के लिए कुछ नहीं से सब कुछ तक का सफर

1982 का साल भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अनुपम है। उस समय देश का घरेलू संचार उपग्रह 'इनसैट-वन ए' अस्तित्व में आया। इसने न सिर्फ स्थलीय कवरेज द्वारा दिल्ली और अन्य ट्रांसमीटरों के बीच 'लिंक' प्रदान किया, बल्कि 1982 में देश में आयोजित एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण को भी संभव बनाया (अथीक, 2012, पृष्ठ 42)। 1983 में पूरे देश में सीधा टेलीविजन संचार स्थापित करने के लिए फोर्ड एयरोस्पेस ने इसरो द्वारा लॉञ्च किए जाने वाले 'इनसैट-वन बी' का निर्माण इस शर्त के साथ किया कि सरकार अपनी मीडिया नीति को बदल दे और दूरदर्शन को निजी विज्ञापनों के लिए खोल दे। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए 1984 में शहरी दर्शकों के लिए दूसरा चैनल, 'डीडी2 लॉञ्च किया गया और मौजूदा पहले चैनल (दूरदर्शन) का नाम बदलकर 'डीडी1' कर दिया गया। शर्त को ध्यान में रखते हुए उसी वर्ष डीडी1 ने प्रायोजित मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ शुक्रवार को एनडीटीवी का समाचार संबंधी कार्यक्रम 'द वर्ल्ड दिस वीक' (1984-1995) के प्रसारण की भी शुरुआत की, जबकि इस कड़ी में 15 जुलाई, 1884 को लॉञ्च होने वाला 'हम लोग' पहला प्रायोजित मनोरंजन कार्यक्रम था (आईएमडीबी, 1984)। इसके बाद 1980 के दशक में कई ऐसे मनोरंजक प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जो जनता, सरकार और बाजार तीनों की माँगों पूरा करते थे। इनमें से कुछ बहुचर्चित कार्यक्रमों के नाम हैं : ये जो है जिंदगी (1984), विक्रम और बेताल (1985), बुनियाद (1986), मालगुडी डेज (1986), नुक्कड़ (1986-87), रामायण (1987-88), भारत एक खोज (1988), महाभारत (1988-90), मिर्जा गालिब (1988), वागले की दुनिया (1988-90), मिस्टर योगी (1989), फ्लॉप शो (1989), मुँगेरी लाल के हसीन सपने (1989-90) आदि।

विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत ने दर्शकों की संख्या में किस तरह का बदलाव लाया, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1984 के अंत तक देशभर में 28 प्रतिशत लोगों तक टीवी की पहुँच थी, जो 1985 में बढ़कर 53 प्रतिशत और 1987 में 62 प्रतिशत तक पहुँच गई (सिंघल और रोजर्स, 1988)। 1984 में टीवी सेट रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली, जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था, को समाप्त कर देना भी इसका एक बड़ा कारण था, जिसे 1991 में एलपीजी के कार्यान्वयन के बाद पूरी तरह से खत्म कर किया गया।

1990 का दशक : एलपीजी और टीवी

भारत ने 1990 में एलपीजी के कार्यान्वयन से ठीक पहले 'इनसैट-वन बी' उपग्रह को बदलने के लिए 'इनसैट-वन डी' लॉञ्च किया। इसलिए जब 1992 में केबल टीवी के नए युग ने दूरदर्शन के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया तब 'इनसैट-वन डी' ने 1993 और 1997 के बीच दूरदर्शन को दस नए 'जातीय' भाषाई चैनल शुरू करने में सक्षम बनाया (अथीक, 2012, पृष्ठ 57 और 60)। इसके बावजूद एलपीजी के आर्थिक और राजनीतिक बदलावों ने अमेरिकी मास मीडिया उत्पादन कंपनियों के माध्यम से लोगों के जीवन में आधारभूत सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की शुरुआत की। इनमें से ज्यादातर मीडिया कंपनियों पर 'रूपर्ट मर्डोक' का स्वामित्व था, जैसे एएक्सएन, एचबीओ और स्टार चैनल शृंखला : स्टार टीवी, स्टार मूवीज, स्टार स्पोर्ट्स व अन्य।

रूपर्ट मर्डोक को व्यापक रूप से मीडिया जगत् का सम्राट माना जाता है। मर्डोक ने 49.9 प्रतिशत शेयरों के साथ कुछ अन्य चैनलों को भी खरीद लिया था, जैसे कि जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज और अन्य। संदीप भूषण लिखते हैं, 'चूँकि भारतीय कानून इसकी इजाजत नहीं देते, इसलिए उन्होंने (मर्डोक) जी नेटवर्क में 49.9% हिस्सेदारी ले ली (भूषण, 2016)। वर्तमान में भी मर्डोक का मीडिया साम्राज्य लगातार विस्तृत हो रहा है। मार्च 2018 में, फोर्ब्स ने दुनिया की वार्षिक अरबपतियों की सूची में मर्डोक को 15.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 94वें नंबर पर सूचीबद्ध किया था (फोर्ब्स, एनडी)। जबकि मार्च 2022 में, 20.8 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ मर्डोक को वार्षिक सूची में 76वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया (फोर्ब्स बिलेनियर्स, एनडी)। 1992 में मर्डोक द्वारा स्टार टीवी की खरीद मीडिया वैश्वीकरण के एक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें यह माना गया था कि विभिन्न देशों और भाषाओं के लोग एक ही टीवी कार्यक्रम देखेंगे... स्टार टीवी की मूल योजना यथासंभव कम प्रयास के साथ एशियाई दर्शकों के लिए लोकप्रिय अमेरिकी शो प्रसारित करना था। हालाँकि, योजना असफल रही और स्टार टीवी को स्थानीय शो बनाने के लिए स्थानीय शाखाओं पर निवेश करना पड़ा (शियाओ, 2008)।

नवउदारवाद के बाद आए अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट मीडिया का एक निजी उद्यम के रूप में हमारे भोजन, कपड़े और मनोरंजन की आदतों पर अधिक से अधिक अमेरिकी प्रभाव पड़ा। तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिकी संस्कृति के व्यापक प्रभाव को समझने के लिए जॉर्ज रित्जर ने अपनी पुस्तक 'द मैकडॉनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी' (1993) में मैकडॉनल्डाइजेशन का नाम दिया (रित्जर, 1993)। जबकि भूमंडलीकरण की इन्हीं नीतियों का जापान के संबंध में अध्ययन करते हुए ब्रिटिश

समाजशास्त्री रोनाल्ड रॉबर्टसन ने 'अमेरिकीकरण' थीसिस को चुनौती दी। रॉबर्टसन ने अमरीकी लोकप्रिय संस्कृति के साथ जापानी जुड़ाव का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अमेरिकी संस्कृति पूरी तरह से किसी भी देश की संस्कृति को खत्म करने में अक्षम रही और उस देश की स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल बिठाकर विकसित हुई। रॉबर्टसन इस प्रक्रिया को 'ग्लोकलाइज' कहते हैं, जो जापानी शब्द 'दोचाकुका' से लिया गया है, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है 'वैश्विक स्थानीयकरण' (रॉबर्ट्सन, 1992, पृष्ठ 173)। इस प्रकार रॉबर्टसन मार्शल म्कलूहान के 'वैश्विक गाँव' (ग्लोब्ल विलेज) को एक नया अर्थ देते हैं, जिसमें वे एक उत्तर-आधुनिक यात्री का उल्लेख करते हैं 'जिसे विदेश जाने की चाह है पर घर छोड़ना नहीं चाहता' (रॉबर्ट्सन, 1992, पृष्ठ 174)।

आर्थिक सुधारों के बाद, लोगों को विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव अपने ही सामाजिक जीवन में साफ दिखाई देने लगा। यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह उपनिवेशवाद ने दुनिया को सामाजिक, राजनीतिक रूप से यूरोपीय ढाँचा प्रदान किया, उसी तरह उदारीकरण ने दुनिया को अमेरिकी जामा पहनाया, पर ये दोनों ही घटनाएँ लोगों की संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकीं। एड्रियन एथिक के मुताबिक इसका मुख्य कारण है, स्थानीय लोगों का अपने स्वदेशी दृष्टिकोण के अनुकूल बाहरी मूल संस्करण में अपनी शर्तों के मुताबिक बदलाव लाना और एक 'हाइब्रिड उत्पाद' ('ग्लोकलाइज्ड' जिसमें वैश्विक (ग्लोबल) और स्थानीय (लोकल) दोनों का समावेश हो) का उत्पादन करना (अथीक, 2012, पृष्ठ-9)। इसके उदाहरणों में आज हम डेली शोप ओपेरा की बात करें तो दूरदर्शन का बहुचर्चित धारावाहिक 'शक्तिमान' (1997- 2005) अमेरिका के 1950 के दशक के टीवी शो 'एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन' से प्रभावित तो था, पर उसका नायक भारतीय यौगिक शक्तियों के बल पर दुनिया में व्याप्त पाप से लड़ने के लिए अवतरित हुआ था। इसी तरह निजी चैनल की बात की जाए तो 'स्टार वन' का बहुचर्चित स्टैंडअप कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' (2005- 2008) अमरीकी कॉमेडी शो 'लास्ट कॉमिक स्टैडिंग' (2003) से प्रभावित था (आईएमडीबी, 2003)। इसके बावजूद इसका व्यंग्य और हास्य पूरी तरह से भारतीय परंपराओं जैसे हास्य कवि, नौटंकी, भाँड, चकल्लस जैसी परंपराओं पर आधारित था। इसी तरह सूचना के क्षेत्र में 24x7 घंटे प्रसारित होने वाले अमेरिकी न्यूज चैनल देश में आए तो जरूर पर वहाँ भी पश्चिमी कपड़ों और टीवी सेट के अलावा सब कुछ भारतीय ही रहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि अँग्रेजी भाषा में शुरू हुए समाचार चैनलों को भारतीयता से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अँग्रेजी भाषा वैश्वीकरण से लगभग 250 साल पहले उपनिवेशीकरण के दैरान ही भारत में प्रवेश कर चुकी थी।

हालाँकि ग्लोकलाइजेशन के संबंध में इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आखिर क्यों उदारीकरण का प्रभाव ग्लोबल से ग्लोकलाइज में केवल एकतरफा प्रभाव (अमेरिका का भारत के ऊपर) में सिमट कर रह गया? आखिर क्यों 'ग्लोबल विलेज' के परस्पर निर्माण के बजाय ग्लोबल साउथ के विकासशील देश, पश्चिमी देशों की नकल करने को मजबूर हो गए? इसका मुख्य कारण है बीसवीं सदी के तकनीकी उपकरण और मनोरंजन के विषय दोनों के द्वारा पश्चिमी देश अपनी सांस्कृतिक सत्ता को स्थापित करने में सफल रहे। नवउदारवाद का यह असर केवल टीवी पर ही नहीं, इसके बाद विकसित होने वाले सभी तकनीकी उपकरणों पर भी पड़ा, जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग (वीसीआर), कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और डिजीटिल वीडियो डिस्क (डीवीडी) का विस्तृत प्रसार। इन उपकरणों ने न सिर्फ शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक में हॉलीवुड फिल्मों को अनुवादित भाषाओं में डब करके एशियाई दर्शकों के बीच प्रसारित किया, जबकि एशियाई फिल्मों और कार्यक्रमों को पश्चिमी विकसित देशों व उनके दर्शकों के बीच में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला।

वर्तमान स्ट्रीमिंग युग में भी ज्यादातर भारतीय भाषाओं की फिल्मों व कार्यक्रमों को केवल उपशीर्षक प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में उत्पादित करने के बावजूद भारत की फिल्में पश्चिम में केवल एशियाई प्रवासियों तक ही सीमित हैं। इसी वजह से पश्चिम के भूमंडलीकरण द्वारा पूर्व को प्रभावित करने की तुलना 'संस्कृतीकरण' से की जा सकती है। भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास अपनी पुस्तक 'रिलीजन एंड सोसाएटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ एशिया' (1952) में संस्कृतीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें किसी निम्न जाति या सामाजिक रूप से प्रतिबंधित समूह अपने से उच्च जाति या संपन्न सामाजिक वर्ग के रीति-रिवाज, धर्म, भाषा, और जीवनशैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है (श्रीनिवास, 1952, पृ. 38)। क्या भूमंडलीकरण संस्कृतीकरण की तरह है, जहाँ पश्चिम प्रभुत्वशाली या उच्च जाति की संस्कृति का प्रतीक है और ग्लोबल साउथ के विकासशील देश पश्चिम की तुलना में उससे निम्न हैं, जिनका विकास केवल पश्चिम की भाषा, वेशभूषा, भोजन, मनोरंजन व जीवनशैली की नकल करके ही हो सकता है? या फिर इसे 'ग्लोकलाइजेशन' के रूप में ही समझा जा सकता है? रॉबर्टसन और एथिक के अनुसार ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत तो ब्रिटिश और अमरीकी प्रभाव (मैक्डोनॉल्जाइजेशन) के रूप में ही हुई थी, पर स्थानीय एशियाई लोगों तक पहुँचने के लिए विदेशी निजी चैनलों को अपना स्वरूप बदलना पड़ा। उदाहरण के लिए भारतीय 'सब टीवी' और जापानी 'सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन' (एसईटी) का उभार। 1990 के आर्थिक परिवर्तन के बाद इन्हीं तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तिनों को समझने के लिए टीवी कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। इस संदर्भ में हास्य विधा से संबंधित धारावाहिकों को केस स्टडी के रूप में लिया गया है।

भारतीय हास्य परंपरा और वैश्विक मीडिया

भारत में हास्य प्रदर्शन के उद्भव को देखने के संबंध में भारतीय शिक्षाविद् अक्षय कुमार अपने लेख 'लाफ्टर एंड लिबरलाइजेशन' (2014) में बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के खुलने और प्रौद्योगिकी के आगमन ने 90 के दशक के बाद के भारत के बढ़ते मध्यवर्ग के सामने स्थानीय हास्य परंपराओं को उभरने के लिए नई पारिस्थितिकी प्रदान की। मीडिया पूर्व युग की मूल हास्य परंपरा के बारे में कुमार लिखते हैं, 'सत्ता के प्रवचन में फँसे, गैर-साहित्यिक उप-संस्कृतियों के चुटकुले, पहेलियाँ, कहावतें और लोकगीत पुरुष-ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम करते थे। इन विधाओं में निचली जातियों के लोग और आमतौर पर महिलाएँ उपहास का मुख्य निशाना बनती थीं' (कुमार, 2014, पृष्ठ 196)। वाल्टर जे. ओंग का अनुकरण करते हुए कुमार टेलीविजन पर चुटकुले सुनाने को 'द्वितीयक मौखिकता' (सेकेंड्री ओरैल्टी) के रूप में देखते हैं, क्योंकि 'प्राथमिक मौखिकता' (प्राइमरी ओरैल्टी) रिकॉर्डिंग तकनीक से पहले के युग में

एक चुटकुले की सजीव प्रस्तुति (लाइव ओरेशन) का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, 'द्वितीयक मौखिकता' रिकॉर्ड किए गए अथवा तकनीक के माध्यम से प्रसारित किए गए संस्करण को संदर्भित करती है। कुमार लिखते हैं, 'द्वितीयक मौखिकता' के युग में हास्य का पूर्वाभ्यास किया जा सकता है, उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और अनंत बार उन संदर्भों के बाहर सुना एवं देखा जा सकता है, जिसमें यह बनाया गया है। इस प्रकार यह अपनी बोलचाल की सहजता और सामयिकता खो देता है (कुमार, 2014, पृष्ठ 208)। हालाँकि कई विद्वान् उनसे असहमत हैं, क्योंकि वह रिकॉर्ड किए गए प्रदर्शन को टेलीविजन तक सीमित रखते हैं और इसे सभी प्रकार की कॉमेडी का प्रतिनिधित्व करने के रूप में पेश करते हैं। सबसे बढ़कर, वे यह समझने में विफल रहते हैं कि अगर रिकॉर्ड किया गया प्रदर्शन अपनी 'बोलचाल की सहजता और सामयिकता' सच में खो देता है तो फिर इस प्रक्रिया में हास्य नया क्या बनाता है?

निजी चैनलों के आगमन ने भारतीय हास्य परंपरा पर क्या प्रभाव डाला, इसे हास्य परंपराओं से संबंधित कई टीवी धारावाहिकों का अध्ययन करके समझा जा सकता है, जैसे 'देख भाई देख' (1993-97), 'श्रीमान श्रीमती' (1995), 'तू तू मैं मैं' (1995-96) 'मूवर्स एंड शेकर्स' (1998), 'जी मंत्रीजी' (2001), 'ऑफिस ऑफिस' (2001) व अन्य।

वैश्वीकरण के संदर्भ में 'मूवर्स एंड शेकर्स' पहला टेलीविजन लेट-नाइट कॉमेडी टॉक शो था, जिसकी शुरुआत 1998 की पूर्व संध्या पर जापानी चैनल, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुई थी (एसईटी इंडिया, 2020, समय 18:33-18:42)। 'मूवर्स एंड शेकर्स' मुख्य रूप से एक कॉमेडी परफॉर्मेंस था, जिसमें मेजबान शेखर सुमन एक मंच पर कॉमेडी परफॉर्म करते थे, जबकि संगीतकार गिटार और तबला जैसे मिश्रित (पश्चिमी एवं भारतीय) वाद्ययंत्रों के साथ लाइव परफॉर्मेंस में हिस्सा लेते थे। हालाँकि, शो में केवल यूरोपीय वाद्ययंत्र ही पश्चिमी शैली की कॉमेडी का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि कॉमेडी के विषय, पंचलाइन की शैली, स्थानीय बोलचाल की भाषा एवं मिमिक्री विधा का उपयोग भारतीय हास्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें लोगों को हँसाने के लिए शक्तिशाली पुरुषों को लक्षित करने की प्रक्रिया में सुमन अंतत: महिलाओं को ही अपमानित कर दिया करते थे। उदाहरण के लिए कार्यक्रम का निम्नलिखित चुटकुला साल 1997 का विश्लेषण करता है। 'वैसे 1997 में कमाल था लॉ एंड ऑर्डर, इतना कि लालू खा गए भैंसों का फॉडर (चारा)। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मंदिर में गणपति दूध पी रहे थे। अब खबर आई है कि एक नेताजी का स्टेच्यू घूस खा रहा है। सीमेंट और स्टील खा रहा है। यहाँ तक कि गाय का चारा भी खा गया। वैसे भी गाय चारा खाकर दूध ही देती ना! ये तो राबड़ी दे गया (लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करते हुए)' (एसईटी इंडिया, 2020, समय 02:34-02:60)।

चुटकुले के हास्य में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर इसलिए तंज कसा जाता है, क्योंकि उन्हें 25 जुलाई, 1997 को बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्यादातर कार्यक्रमों में इसी तरह के चुटकुले साफ तौर पर भारतीय हास्य परंपरा का अनुसरण करते थे, जिसमें हाशिये पर रहने वाले, यानी दलितों, महिलाओं व अन्य कमजोर वर्गों को ही निशाना बनाया जाता था; जबकि 'मूवर्स एंड शेकर्स' समसामयिक मामलों, मशहूर हस्तियों और दैनिक जीवन की स्थितियों पर हास्य उत्पन्न करने की घटनाओं पर आधारित था। इसमें एक मंच पर दर्शकों के बिना कैमरे के सामने, संगीत के साथ फिल्म और टेलीविजन हस्तियों के साक्षात्कार, लाइव रिकॉर्ड किए जाते थे। इस तरह रिकॉर्ड करने के बाद कार्यक्रम 2001 तक टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। प्रोडक्शन हाउस, 'रनवे प्रोडक्शंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के अनुसार 'यह शो हिट रहा और इसने शेखर सुमन (शो के होस्ट) को स्टारडम तक पहुँचा दिया और उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय टीवी अभिनेताओं में से एक बना दिया' (रनवे प्रोडक्शंस, 2013)।

यह कार्यक्रम अमरीकी शैली के टॉक शो 'द टुनाइट शो' से काफी प्रभावित था, लेकिन इसे एक जापानी उद्यम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (एसईटी) पर लॉन्च किया गया, जिसमें पश्चिमी संगीत के साथ भारतीय हास्य परंपराओं का पुट था। 2015 में राज्यसभा टीवी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सुमन ने शो में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए खुद को एक व्यंग्यकार (न कि कॉमेडियन) बताया। आजादी के पचास वर्षों के दौरान आम आदमी के गुस्से का प्रतिनिधित्व करने के अपने प्रयासों पर जोर देते उन्होंने कहा : 'जब मैंने हरिशंकर परसाई, शरद जोशी को पढ़ा और आर. के. लक्ष्मण के कॉमन मैन (आम आदमी के कार्टून) को देखा, जो कि एक मूकदर्शक था, मुझे लगा अगर इसे आवाज मिल जाए और यह कुछ कहने लगे तो क्या होगा? इसलिए, जब मैंने उसे आवाज दी, तो 'मूवर्स एंड शेकर्स' का जन्म हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जो एक आम आदमी की सोच है वही मेरी सोच है और शायद इसीलिए लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि उनको लगा कि 'अरे ये तो मैं भी सोच रहा था'। आम आदमी में जो एक एक आक्रोश होता है, एक गुस्सा होता है, उसे कहाँ निकालें? तो उनको भी एक माध्यम की जरूरत थी और मैं वह माध्यम बना' (संसद टीवी, 2015, समय. 23:26- 25:20)।

जिस प्रकार सुमन स्वयं को हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे व्यंग्यकारों और कार्टूनिस्ट हास्यकार आर.के. लक्ष्मण से जोड़कर देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीयों के बीच हास्य परंपराओं की बुनियादी अनुपस्थिति नहीं थी, पर क्योंकि 1990 से पूर्व के मीडिया युग में आर्थिक और तकनीकी पारिस्थितिकी की कमी थी, इसलिए 'मूवर्स एंड शेकर्स' जैसा शो आजादी के पचास साल बाद एलपीजी के युग में ही संभव हो सका, उससे पहले नहीं। अत: 'मूवर्स एंड शेकर्स' टेलीविजन पर भारतीय कॉमेडी परफॉर्मेंस परंपराओं का सबसे पहला प्रदर्शन माना जा सकता है और इस प्रकार कार्यक्रम का भारतीय अंदाज और अमेरिकी तकनीक का समावेश, ग्लोकलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है न कि मैकडॉनल्डाइजेशन का। हालाँकि, नवउदारवाद का भारी प्रभाव तकनीक से परे मंच, संगीत वाद्ययंत्रों, कलाकारों की पोशाकों के साथ, शो के प्रतिभागी मशहूर हस्तियों पर भी देखा जा सकता था।

भारतीय चैनल 'सब टीवी' ने 2001 की शुरुआत में इसी प्रभाव के चलते, जापानी चैनल 'सोनी' के 'मूवर्स एंड शेकर्स' की व्यंग्य परंपरा का अनुसरण करते हुए, अमेरिकी सिटकॉम पर आधारित अपना संस्करण 'ऑफिस ऑफिस' प्रसारित किया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय लालफीताशाही था, जिसमें अभिनेता पंकज कपूर ने सार्वजनिक क्षेत्र से उत्पीड़ित एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति मुसद्दीलाल का किरदार निभाया और दर्शकों को सरकारी कर्मचारियों की दक्षता, व्यावसायिकता, क्षमताओं और योग्यता पर सवाल उठाकर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के चक्र को खत्म करने की इच्छा जताई। भ्रष्टाचार और लालफीताशाही (जो

आज भी चलन में है) को जड़ से समाप्त करने के निष्कर्ष में, परोक्ष रूप से धारावाहिक के व्यंग्य ने नवउदारवाद के समर्थन में जनमत का प्रचार किया और निजीकरण (नव-उदारवाद) को सार्वजनिक क्षेत्र की बाधाओं के निवारण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि निजीकरण से पूर्व दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जैसे, ये जो है जिंदगी (1984), रजनी (1985), फ्लॉप शो (1989) व अन्य धारावाहिक सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लोकाचार से उत्पन्न हुई विषमताओं को सुधार की इच्छा के साथ प्रस्तुत करते थे, जबकि 1995 के बाद के धारावाहिकों के विषय घर के निजी स्थान की आंतरिकता को तोड़कर बाहर तो जरूर आए, पर उनमें ज्यादातर बढ़ते निजी क्षेत्र और अप्रत्यक्ष रूप से सिकुड़ते सार्वजनिक क्षेत्र की सराहना की जाती (कुमार, 2014, पृष्ठ 199)। अगले भाग में हम समझेंगे कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के दौरान इसमें क्या बदलाव आए।

Figure 1:1 फरवरी 1986 को विप्रो का मिनीकंप्यूटर विज्ञापन, स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया और itihaasa.com.

2000 का दशक : भारतीय धारावाहिकों में व्यक्तिगत, परिवारिक और सामाजिक बदलाव

ब्रॉडकास्टिंग में निजीकरण के शुरुआती बदलाव जिन विषयों को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर लेकर आए, वे एक दशक बाद वापस घर के अंदर चले गए; जैसे, कहानी घर घर की (2000), क्योंकि सास भी कभी बहू थी (2000), कसौटी जिंदगी की (2001), कुसुम (2001) एवं अन्य। वहीं सिटकॉम शैली में भी इसका नकारात्मक असर साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत से ही व्यंग्य की जगह व्यक्तिगत निंदा और समृद्ध परिवारों में अहंकार की लड़ाइयों (ईगो फाट्स) ने ले ली; जैसे, साराभाई वर्सेस साराभाई (2004-06), तारक मेहता का उल्टा चश्मा (2008-वर्तमान), भाभी जी घर पर हैं (2015-वर्तमान) एवं अन्य। इन सब में तारक मेहता का उल्टा चश्मा (2008-वर्तमान) एक ऐसा कार्यक्रम है, जो निजीकरण के बाद बदलते समाज और हास्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह शो विषय को एक या दो-परिवार के सेटअप से बहु-परिवार के सेटअप में लाता है, और इसे शहरी कॉलोनी के अंदर तक सीमित कर देता है। कार्यक्रम नवउदारवाद के बाद के भारत के बदलते परिदृश्य को दर्शाता है, जहाँ देश के विभिन्न हिस्सों के परिवार मुंबई के गोरेगाँव स्थित एक गेटेड कॉलोनी (गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाएटी) में एक साथ रहते हैं। कार्यक्रम महानगर की मिश्रित संस्कृति को प्रस्तुत करने का दावा करता है, जिसके केंद्र में आठ परिवार हैं, दो परिवार गुजराती हैं, एक पंजाब से, एक परिवार मध्य प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से, एक जोड़ा जहाँ पति तमिलनाडु से और उसकी पत्नी पश्चिम बंगाल से है, जबकि एक परिवार को अपनी पृष्ठभूमि ही नहीं पता है (सोनी सब, 2017)।

2010 का दशक : इंटरनेट का आगमन और भारतीय हास्य कलाओं का उभार

उदारीकरण से पूर्व देश में कंप्यूटर तकनीक का विकास तो हो चुका था, पर उसकी सीमितता को 1 फरवरी, 1986 के नीचे दिए गए मिनी कंप्यूटर (पीसी) के विज्ञापन से समझा जा सकता है, जिसमें अजीम प्रेम जी के स्वामित्व वाली भारतीय निजी कंपनी विप्रो अपने कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ 48,000 रुपये (2023 में 6,33,600 रुपये) में बेच रही है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 1986)।

1990 के दशक में मनोरंजन और सूचना के एक प्रमुख माध्यम के रूप में टेलीविजन पर सारा ध्यान केंद्रित होने से निवेश कंप्यूटर उद्योग से दूर रहा था, पर नवउदारवाद के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को इक्कीसवीं सदी में हुए, इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास से स्पष्टत: समझा जा सकता है, जब कंप्यूटर धीरे-धीरे टेलीविजन के स्थान पर स्वयं को मध्यवर्गीय प्रतीक के रूप में प्रतिस्थापित करने लगा। इस परिवर्तन ने भारतीय हास्य कलाओं में कभी न सोचे जा सकने वाला बदलाव लाया। जब 2008 में हाई-स्पीड इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो ओपन माइक परफॉर्मर्स (यूट्यूबर) ने इंटरनेट (यूट्यूब) पर अपनी लाइव परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग को यूट्युबाइज करना शुरू कर दिया। इसके दर्शकों के पास वे सभी जरूरी संसाधन थे; जैसे, मल्टीमीडिया फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट, जो इसके उपभोग के लिए जरूरी थे। इससे स्पष्ट है कि ये दर्शक समाज के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित थे, जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी थी। अत: वे यूट्यूब पर चुटकुले, कॉमेडी, शो और फिल्में देखने वाले पहले व्यक्ति थे। निर्णायक रूप से शुरुआती यूट्यूब कॉमेडी परफॉर्मेंस, टीवी की तुलना में भिन्न थी। इसके बावजूद यह कॉमेडी एक सीमित सामाजिक समूह द्वारा योजनाबद्ध, निर्मित और परफॉर्म किए जाने के कारण एक संभ्रांत वर्ग की कहानी ही कहती थी।

इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित यूट्यूब कॉमेडियनों और यूट्यूब चैनलों की सूची है, जिसमें वे वर्ष भी शामिल है, जिनमें वे यूट्यूब पर शामिल हुए। उदाहरण के लिए, तन्मय भट्ट (भट्ट, 2006), अबिश मैथ्यू (मैथ्यू, 2007), केनी सेबेस्टियन (सेबास्टियन, 2007), बिस्व कल्याण रथ (रथ, 2008), कानन गिल (गिल, 2008), आशीष चंचलानी वाइंस (चंचलानी, 2009), द वायरल फीवर (द वायरल फीवर, 2011), विपुल गोयल (गोयल, 2011), एसएनजी कॉमेडी (एसएनजी कॉमेडी, 2011), ईस्ट इंडिया कॉमेडी (ईस्ट इंडिया कॉमेडी, 2012), ऑल इंडिया बकचोद (एआईबी, 2012), कॉमेडी सेंट्रल इंडिया ऑरिजिनल्स (कॉमेडी सेंट्रल इंडिया ऑरिजिनल्स, 2014) और अन्य। इन सभी को आज सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूब कॉमेडियन और ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जो 2010 की शुरुआत के सामाजिक अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस नए सांस्कृतिक व्यापार का हिस्सा बनने में इसलिए सक्षम हो पाए, क्योंकि उनकी पहुँच कंप्यूटर, इंटरनेट, कॉमेडी और ओपन माइक संस्कृति तक थी।

धीरे-धीरे टेलीविजन दर्शकों के एक वर्ग (मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित स्थानीय भाषा बोलने वाला वह वर्ग, जो 2000 के दशक में चीनी मल्टीमीडिया फोन व उसके चिप स्टोरेज का उपयोग गाने सुनने व फिल्में देखने के लिए करने लगा) ने 2010 के मध्य तक सस्ती कीमतों पर इंटरनेट से सुसज्जित उपकरणों की उपलब्धता के कारण, इंटरनेट का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालाँकि, बड़े पैमाने पर बदलाव तब शुरू हुआ, जब 2016 में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो मोबाइल नेटवर्क अस्तित्व में आया। इसने देश के ग्रामीण हिस्सों में इंटरनेट की पहुँच को सुनिश्चित किया और स्थानीय भाषा के कलाकारों को प्रकाश में लाया, जैसे कॉमेडी सोनोटेक (कॉमेडी सोनोटेक, 2016), शाहिद अल्वी (अलवी, 2017), मेक जोक ऑफ (मेक जोक ऑफ, 2017) व अन्य; जबकि इसी दौरान विशिष्ट दर्शकों के लिए कुछ अन्य मनोरंजन कंपनियाँ स्ट्रीमिंग साइट और मोबाइल ऐप, दोनों ही रूप में उभरीं, जैसे नेटफ्लिक्स (2016), अमेजन प्राइम (2016), एप्पल टीवी+ (2019) और अन्य। स्ट्रीमिंग साइटों के रूप में इंटरनेट के उभार और कॉमेडी कला में उसके योगदान को इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर 2023 में भारतीय हास्य कलाकार वीर दास को कॉमेडी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अत: तकनीक और कॉमेडी, दोनों का विकास भारत में लगातार हो रहा है।

निष्कर्ष

नई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप निजी चैनलों के सांस्कृतिक बदलावों ने ही कॉमेडी विधा को 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' (2005-08) जैसे धारावाहिक के साथ स्थापित किया, जबकि इसका नकारात्मक पहलू यह था कि इस तरह के कार्यक्रमों, विषयों और कलाकारों के संबंध में निजी कॉर्पोरेट चैनलों का आधिपत्य था। यह आधिपत्य पश्चिमी और अमेरिकी देशों की संस्कृति के होने के बावजूद स्थानीय भारतीय संस्कृति के समावेश में ही आगे विस्तृत हुआ। इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट के विस्तार और उसके व्यापक प्रयोग ने न सिर्फ कॉमेडी विधा को एक नया स्वरूप दिया, बल्कि रूपर्ट मर्डोक, मासारू इबुका और अकीओ मोरीता जैसे बड़े उद्योगपतियों व उनके चैनलों के आधिपत्य को भी चुनौती दी। अत: निष्कर्ष में एक ग्लोकलाइज संस्कृति का प्रसार हो रहा है, जिसमें कुछ नवनिर्मित करने के लिए विकासशील देश पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण (संस्कृतीकरण) करते हैं, पर वे जो नया बनाते हैं, वह पूरी तरह से न तो पश्चिम और न ही स्थानीय संस्कृति का शुद्ध रूप होता है। इसके उदाहरण में वीर दास की 'एमी पुरस्कार' पाने वाली नेटफ्लिक्स परफॉर्मेंस, 'वीर दास : लैंडिंग' को लिया जा सकता है, जिसमें दास कहते हैं, 'आई एम टू इंडियन फॉर द वैस्ट एंड टू वैस्टर्न फॉर द इंडियन' (मैं भारतीयों के लिए हद से ज्यादा पश्चिमी हूँ और पश्चिम में आकर कुछ हद से ज्यादा भारतीय) (नेटफ्लिक्स, 2022, समय.12:30-12:40)। अगर तकनीकी विकास के रूप में देखा जाए तो टीवी बीसवीं सदी और इंटरनेट इक्कीसवीं सदी का अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी विकास रहा है। देश के अंदर तकनीकी बदलावों का विश्लेषण किया जाए तो बहुसंख्यक लोग संसाधन और शिक्षा के अभाव में संचार और तकनीक में बहुत पीछे हैं और एक समृद्ध वर्ग, जो शहरी और अधिकतर उच्च जाति से आता है, इसका लाभ उठाता है। टीवी और इंटरनेट के बाद आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। ऑग्मेंटेड रिअलिटी (एआर) और वर्चुअल रिअलिटी (वीआर) के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ टीवी और स्ट्रीमिंग साइटों का स्वरूप बदलेगा, बल्कि यह हमारी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को आधारभूत रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए इन बदलावों के निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है और यह अध्ययन उसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ

अतीक, ए. (2012). इंडियन मीडिया (ग्लोबल मीडिया एंड कम्युनिकेशन). पॉलिटी प्रेस.

अलवी, एस. (2017). शाहिद अलवी-यूट्यूब. दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/channel/UC4MhtzPlSuhGUnyUs2sDqRw/about से पुन:प्राप्त.

आईएमडीबी. (1984). 'हम लोग (टीवी सिरीज 1984–1985) - आईएमडीबी.' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.imdb.com/title/tt0363341/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_Hum%2520Log से पुन:प्राप्त.

आईएमडीबी. (2003). 'लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग (टीवी सीरीज 2003–2015) - आईएमडीबी.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.imdb.com/title/tt0364829/ से पुन:प्राप्त.

ऑफिस ऑफिस. (2021). 'ऑफिस ऑफिस ऐपिसोड 1' दिनांक 21 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=G-Q5DHBsyTc से पुन:प्राप्त.

ईस्ट इंडिया कॉमेडी. (2012). 'ईस्ट इंडिया कॉमेडी - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/EastIndiaComedy/about से पुन:प्राप्त.

एआईबी. (2012). 'ऑल इंडिया बकचोद - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/allindiabakchod/about से पुन:प्राप्त.

एंड टीवी. (2016). 'भाभी जी घर पर हैं- एपिसोड 1-इंडियन रोमैंटिक कॉमेडी सीरियल-अंगूरी भाभी- एंड टीवी' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=Ygib4QF3B3I से पुन:प्राप्त.

एसईटी इंडिया. (2020). 'द न्यू इयर रेजोल्यूशन्स - फुल एपिसोड 1 - मूवर्स एंड शेकर्स' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=NGhCmNs-d4Y से पुन:प्राप्त.

एसएनजी कॉमेडी. (2011). 'एसएनजी कॉमेडी - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/bollywoodgandu/about से पुन:प्राप्त.

कुमार, ए. (2014). 'लाफ्टर एंड लिब्रलाइजेशन: कल्चरल इकॉनमी ऑफ टीवी ह्युमर इन इंडिया.' साउथ एशियन रिव्यु 35(2) : 195–212.

कॉमेडी सेंट्रल इंडिया ऑरिजिनल्स. (2014). 'कॉमेडी सेंट्रल इंडिया ऑरिजिनल्स - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/ccindiaoriginals/about से पुन:प्राप्त.

कॉमेडी सोनोटेक. (2016). 'कॉमेडी सोनोटेक - यूट्यूब.' दिनांक 20

नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/channel/UCMwSNIgU8BWx87MI9pYLfqA/about से पुन:प्राप्त.

गिलकनन. (2008). 'कनन गिल - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/knngill/about से पुन:प्राप्त.

गोयल, वी. (2011). 'विपुल गोयल- यूट्यूब' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=jyxHcVgUYOY से पुन:प्राप्त.

चंचलानी, ए. (2009). 'आशीष चंचलानी वाइंस - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/ashchanchlani/about से पुन:प्राप्त.

चंदा, ए. के. (1966). रेडियो एंड टेलिविजन : रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इनफॉर्मेशन मीडिया. मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली.

चैटर्जी, पी.सी. (1987). *ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया*. नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन.

टाइम्स ऑफ इंडिया. (1986). 'टाइम्स ऑफ इंडिया.' नवंबर 19, 2023 को https://itihaasa.com/public/pdfjs/web/viewer.html?file=../../data/001/001/0831/TOI_61.pdf से पुन:प्राप्त.

द वायरल फीवर. (2011). 'द वायरल फीवर - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/TheViralFeverVideos/featured से पुन:प्राप्त.

दूरदर्शन. (एन.डी.) 'दूरदर्शन | प्रसार भारती.' दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को https://prasarbharati.gov.in/about-doordarshan/ से पुन:प्राप्त.

नेटफ्लिक्स. (2022). 'वीर दास : लैंडिंग.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.netflix.com/search?q=vir%20das%20landing&jbv=81629989 से पुन:प्राप्त.

प्रसार भारती. (एन.डी.) 'प्रीवियस चेअरमेन| प्रसार भारती.' दिनांक 14 नवंबर, 2022 को https://prasarbharati.gov.in/previous-chairmen/ से पुन:प्राप्त.

फिल्म्स डिवीजन. (2020). 'आवर कॉन्स्टीट्यूशन' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://vimeo.com/482633607 से पुन:प्राप्त.

फोर्ब्स. (एन.डी.) 'रूपर्ट मर्डोक एंड फैमिली.' फोर्ब्स. दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.forbes.com/profile/rupert-murdoch/ से पुन:प्राप्त.

फोर्ब्स बिलेनियर्स. (एन.डी.) 'फोर्ब्स बिलेनियर्स 2022: द रिचेस्ट पिपल इन द वर्ल्ड.' फोर्ब्स. दिनांक 17 सितंबर, 2022 को https://www.forbes.com/billionaires/ से पुन:प्राप्त.

भट, टी. (2006). 'तनमय भट - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/@TanmayBhatYT से पुन: प्राप्त.

भूषण, एस. (2016). 'द ऑरिजनल 'न्यूज ट्रेडर': द इर्रिजिस्टिबल राइज ऑफ सुभाष चंद्रा.' द वायर. दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://thewire.in/books/the-original-news-trader-the-irresistible-rise-of-subhash-chandra से पुन:प्राप्त.

मिलरजॉन, ई. (1975). 'एटीएस-6 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरिमेंट.' आईईईई ट्रांजेक्शंस ऑन एयरोस्पेस एंड इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम्स (6) :1033–37.

मेक जोक ऑफ. (2017). 'मेक जोक ऑफ - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/channel/UCvgteBQjoaxE0bhFkpu8qAw/about से पुन:प्राप्त.

मैक्लुहान, एम. (1963). *द गुटनबर्ग गैलेक्सी*. टोरंटो : यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो.

मैक्लुहान, एम. (1964). *मार्शल मैक्लुहान : अंडर्स्टैंडिंग मीडिया : द ऐक्सटैंशंस ऑफ मैन*. न्यूयॉर्क : एमआईटी प्रेस.

मैथ्यु ए. (2007). 'सन ऑफ अबिश - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/agm777/about से पुन:प्राप्त.

रथ, बी.के. (2008). 'बिस्व कल्याण रथ - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/yokalyanyo/about से पुन:प्राप्त.

रनवे प्रोडक्शंस इन. (2013). 'मूवर्स एंड शेकर्स' दिनांक 19 सितंबर, 2022 को https://www.youtube.com/watch?v=DEvmJpHqdl0 से पुन:प्राप्त.

रित्जर, जी. (1993). *द मैक्डोनाइजेशन ऑफ सोसाएटी : एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ कनटेंपरेरी सोशल लाइफ*. न्यूबरी पार्क, कलिफ : पाइन फॉर्ज प्रैस.

रॉबर्टसन, आर. (1992). 'ग्लोबलाइजेशन : सोशल थियोरी एंड ग्लोबल कल्चर.' ग्लोबलाइजेशन 1–224.

शियाओ, एच. सी. (2008). ऐनीमेटिंग द क्यूट, द मीन एंड ब्युटीफुल : द प्रोडक्सन एंड कंजंप्शन ऑफ ऐनिमेशन : ताईवान्'स स्ट्रगल्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वीडीएम पब्लिशिंग.

संसद टीवी. (2015). 'गुफ्तगू विद शेखर सुमन' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=adBeOGdOkEs से पुन:प्राप्त.

सिंघल, ए. और रोजर्स, ए. एम. (1988). 'टेलीविजन सोप ओपेराज फॉर डेवेलपमेंट इन इंडिया.' गैजेट (लीडन, नीदरलैंड्स) 41(2) :109–26. डीओआई :10.1177/001654928804100203.

सेबास्टियनकेनी. (2007). 'केनी सेबास्टियन - यूट्यूब.' दिनांक 20 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/user/kennethseb/about से पुन:प्राप्त.

सोनी सब. (2017). 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा - एपिसोड 01' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=rJE5jzi4q2Y से पुन:प्राप्त.

सोनी सब. (2023). 'न्यू! तारक मेहता का उल्टा चश्मा | एपिसोड 3898 | 10 अक्टूबर, 2023 टीजर' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=fgEYv78BlIc से पुन:प्राप्त.

स्टार इंडिया स्टार. (2023). 'फुल एपिसोड 1 || साराभाई वर्सस साराभाई || मिलिए साराभाई परिवार से' दिनांक 19 नवंबर, 2023 को https://www.youtube.com/watch?v=CPyFe0JkmN4 से पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 87-94, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल फोन का प्रभाव (उत्तराखंड से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

सुमित जोशी[1], डॉ. चेतन भट्ट[2] और डॉ. राकेश चंद्र रयाल[3]

शोध सारांश

भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट दोनों का आगमन 1995 में मात्र पंद्रह दिनों के अंतराल में हुआ था। संचार के इन दोनों माध्यमों को लगभग तीन दशक पूरे होने को हैं। मोबाइल और इंटरनेट अब जनसामान्य की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालाँकि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय मीडिया संस्थानों ने इस निरंतर समृद्ध होती तकनीक और दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तार से मीडिया जगत् में इंटरनेट और मोबाइल के प्रयोग में बढ़ोत्तरी की है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों को केंद्र में रखकर उनमें कार्यरत पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल फोन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में मोबाइल फोन से तात्पर्य वर्तमान समय के स्मार्टफोन से है, जिसमें इंटरनेट और कैमरे के साथ विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। साथ ही पत्रकारों की कार्यशैली में बदलाव का तात्पर्य समाचार प्राप्त करने के तरीके, मोबाइल फोन पर पत्रकारीय कार्य हेतु उपयोग होने वाले एप्लिकेशन, कार्यक्षेत्र में पत्रकारों की गतिविधि और उनके समक्ष उत्पन्न समस्याओं से है। अध्ययन में पाया गया है कि हिंदी समाचार पत्रों के पत्रकारों का कार्य मोबाइल केंद्रित हुआ है। वे पत्रकारीय कार्य में सर्वाधिक व्हाट्सएप मोबाइल एप्लिकेशन की मदद ले रहे हैं और व्हाट्सएप पर उन्हें सर्वाधिक प्रेस नोट और बयान आदि टंकित रूप में प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही समाचार पत्रों के संवाददाता फोटो भी स्वयं ही लेने लगे हैं। प्रिंट मीडिया संस्थानों ने संवाददाताओं को मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराए हैं और वे इसके प्रयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। हालाँकि, उत्तराखंड राज्य में मोबाइल नेटवर्क का प्रभावित हो जाना पत्रकारों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। भविष्य में समाचार पत्र संस्थान अपने पत्रकारों से मोबाइल फोन के माध्यम से ही समाचार लेखन करवाएँ, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही संवाददाताओं का स्वयं फोटो लेना प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफरों के रोजगार के समक्ष संकट का संकेत है।

संकेत शब्द : प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, पत्रकार, संचार शोध

प्रस्तावना

'संचार प्रौद्योगिकी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी शृंखला में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनसंचार माध्यमों में भी तीव्र गति से तकनीकी विकास देखने को मिल रहा है। विगत दो दशकों में समूचे संचार जगत् में अविश्वसनीय विकास हुआ है' (झिंगरन, 2021)। वर्ष 1973 में आविष्कृत और वर्ष 1983 में प्रयोग हेतु निर्मित मोबाइल फोन तकनीक ने संचार तथा जनसंचार क्षेत्र को भी परिवर्तित किया है। मोबाइल फोन का भारत में विधिवत् आगमन मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी द्वारा 31 जुलाई, 1995 को हुआ। साथ ही 15 अगस्त, 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट सेवा को आरंभ किया। समय के साथ मोबाइल और इंटरनेट तकनीक, दोनों ही विकसित एवं समृद्ध हुए। मोबाइल फोन में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होने से विभिन्न तकनीकी परिवर्तन देखने को मिले, जिनमें संदेश भेजने, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के साथ-साथ कैमरा और संगीत जैसी सुविधाएँ भी मिलने लगीं। वर्ष 2009 में '3-जी', 2012 में '4-जी' इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई (भास्कर, 2020)। इससे देश में एक नई संचार क्रांति का उदय हुआ। इसी क्रम में 01 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीव्र गति वाली '5-जी' सेवा को आरंभ किया। वर्ष 2023 में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत में अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य 1142.93 मिलियन उपभोक्ता मोबाइल और 865.90 मिलियन उपभोक्ता इंटरनेट का प्रयोग करते हैं।' इसके द्वारा मोबाइल तथा इंटरनेट तकनीक की आमजन तक पहुँच का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं, इस विकास से पत्रकारिता और पत्रकार भी अछूते नहीं रहे। इंटरनेट ने सूचना और समाचारों को गति प्रदान की है, तो मोबाइल फोन ने पत्रकारों के काम को पहले की अपेक्षा बहुत आसान बना दिया है (मिश्र, 2020)। भारत में 90 के दशक में मोबाइल और इंटरनेट के आगमन से मीडिया संस्थानों ने इसकी शक्ति का अनुमान लगाते हुए, नवीन संचार तकनीक आने के साथ ही डिजिटल माध्यमों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया था। 'सबसे पहले अँग्रेजी समाचार पत्र 'द हिंदू' ने अपना ऑनलाइन संस्करण 1995 में शुरू किया। इसके बाद 'हिंदुस्तान टाइम्स' और 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने 1996, हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' ने 1997 और 'अमर उजाला' ने 1998 में अपने डिजिटल संस्करण शुरू कर संचार के आधुनिक युग में प्रवेश किया' (कुमार संजय, 2010)। साथ ही 'वेब 2.0 आने के बाद समाचार पत्र संस्थानों की वेब समर्पित साइटें बनने लगीं' (पार्थसारथी और श्रीनिवास, 2013)। एक शोध के अनुसार प्रिंट मीडिया ने 21वीं सदी के प्रथम दशक के अंत तक वेबसाइटों के माध्यम से वीडियो प्रसारित करना भी आरंभ कर दिया।

पत्रकारिता की अन्य विधाओं के साथ-साथ समाचार पत्रों से संबंधित पत्रकारों को कभी-भी और कहीं से भी न्यूजरूम तक समाचार भेजने की सुविधा मिली है। एक छोटे से उपकरण में फोटो-वीडियो बनाने सहित नोटपैड जैसी सुविधाएँ मिलने से संवाददाता के लिए कार्य आसान हो गया है। जिन दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचना संभव नहीं हो पाता, उन क्षेत्रों में घटित

[1]शोधार्थी, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड लिबरल आर्ट्स, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, ईमेल : sumitjoshi481@gmail.com
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एँड लिबरल आर्ट्स, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, ईमेल : drcbhatt1986@gmail.com
[3]एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड, ईमेल : rrayal@uou.ac.in

होने वाली घटनाओं के बारे में भी मोबाइल पर ही सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। संवाददाता के साथ-साथ संपादकों के लिए भी अपनी टीम को संयुक्त रूप से निर्देशित करने के लिए मोबाइल एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इसके लिए पत्रकार और समाचार संस्थान मोबाइल फोन पर विभिन्न सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। 'जब नई प्रौद्योगिकी आती है तो उसका क्रियान्वयन करने से पहले तकनीकी रूप में दक्ष होने की दरकार होती है। ऐसे में मीडिया संस्थानों द्वारा अपने पत्रकारों के मोबाइल ऑपरेटिंग प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है, ताकि वे पत्रकारिता कार्य को मोबाइल उपकरणों की सहायता से कर सकें' (वेंगर, ओवेंस और थॉमसन, 2014)। ऐसे में मोबाइल फोन का पत्रकारिता में प्रयोग और पत्रकारों की कार्यशैली में होने वाले परिवर्तनों को जानना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही भारत के मीडिया उद्योग में हिंदीभाषी समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बहुत अधिक है। आँकड़ों को यदि देखें तो भारत में विविध भाषाओं के समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 44.33 प्रतिशत है (एबीसी, अप्रैल 2023)। ऐसे में प्रस्तुत शोध पत्र में हिंदी समाचार पत्रों को केंद्र में रखकर मोबाइल फोन के प्रभाव से पत्रकारों की कार्यशैली में होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही सूचना तथा समाचार प्राप्त करने की विधि में हुए परिवर्तनों के लिए मोबाइल पर इंटरनेट चलित प्लेटफार्म से संबंधित बिंदुओं के पता लगाने का प्रयास किया गया है।

साहित्य समीक्षा

मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब माध्यमों में सभी का काम सूचनाएँ पहुँचाना तो है, लेकिन इनकी कार्यशैली में भिन्नताएँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विजुअल और रेडियो में ऑडियो की आवश्यकता होती है, तो वहीं समाचार पत्र के पत्रकारों को घटना को मौके पर कवर करने के बाद कार्यालय जाकर लिखना होता है। इस काम में समय प्रबंधन भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन मोबाइल फोन तकनीक के समृद्ध होने से 'एक स्मार्टफोन में अच्छे इंटरनेट के साथ ही बेहतर गुणवत्ता के कैमरे की सुविधा भी मिली है। साथ ही समाचारों को कवर करने, प्रकाशन स्थल तक पहुँचने के पारंपरिक तरीके की तुलना में कम समय लगता है' (मोहम्मद सलीह, 2017)। ऐसे में 'पेशेवर पत्रकारों को समाचार लिखने और प्रकाशित करने के लिए एक स्मार्ट मोबाइल फोन से अधिक की जरूरत नहीं है' (गौजार्ड, 2016)। पत्रकारिता शैली में परिवर्तनों को देखते हुए 'पत्रकारों को जानकारी एकत्र करने के लिए अब कलम और डायरी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे मोबाइल फोन पर ही जानकारी नोट कर समाचार को तेजी से प्रसारित-प्रकाशित भी कर सकते हैं' (त्विजेयुमुइज, म्बेरिया & नबुजले, 2018)। साथ ही 'मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग, संपादन और लाइव प्रसारण की सुविधा मिलने से समय पर समाचार प्रकाशित करने के लिए पत्रकार को न्यूनतम तैयारी की आवश्यकता होती है, ऐसे में यह उपकरण समय और स्थान की बाधा को भी दूर करता है' (रोबैनो, 2012)। वहीं, 'समाचार पत्र के पत्रकारों के लिए पहले समय सीमा पर काम पूरा करना तनावपूर्ण होता था, लेकिन मोबाइल फोन ने पत्रकारों को इस समस्या का समाधान दिया है और वह किसी भी स्थान से समाचार भेज सकते हैं' (त्विजेयुमुइज, म्बेरिया & नबुजले, 2018)। अब समाचार पत्र संस्थानों ने विशेष परिस्थितियों में मैसेजिंग मोबाइल एप्लिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएँ भेजने की सुविधा संवाददाताओं को प्रदान की है। दैनिक हिंदुस्तान ने वर्ष 2020 में कोविड महामारी के समय लोगों से संवाद पर आधारित सूचनाओं को 'व्हाट्सएप संवाद' के नाम से प्रकाशित किया। वहीं अब, दैनिक जागरण में न्यूज स्टोरी के साथ वेब लिंक भी प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही समाचार सामग्री के साथ वीडियो कंटेंट पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में पत्रकारों की कार्यशैली में हुए परिवर्तनों तथा उनके प्रभावित होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मोबाइल की विकास यात्रा : एक सामान्य फोन से स्मार्टफोन तक

मोबाइल फोन वर्तमान में हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉलिंग ही नहीं, जीवन के विशेष अवसरों को सँजोने के साथ ही बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाएँ इस छोटे से उपकरण द्वारा प्राप्त हो रही हैं। यह सब इंटरनेट की सुविधा से संभव हो सका है। जनसंचार जगत् में इसकी शुरुआत लगभग 50 वर्ष पूर्व मानी जाती है। 'मोटरोला कंपनी में कार्यरत इं. मार्टिन कूपर ने वर्ष 1973 में मोबाइल का आविष्कार किया, लेकिन इस प्रयोग को समृद्ध होने में 10 वर्षों का समय लगा और 1983 में मार्टिन कूपर और उनके सहयोगियों ने इस उपकरण को उपयोग हेतु निर्मित किया। विश्व के पहले मोबाइल का नाम डायनाटैक 8000 एक्स रखा गया' (झिंगरन, 2021)। डायनाटैक का संक्षिप्तीकरण 'डायनामिक अडेपटिव टोटल एरिया कवरेज' है। 16 अगस्त, 1994 को आईबीएम कंपनी ने पहला स्मार्टफोन लॉञ्च किया। इसकी कीमत 800 डॉलर थी। इस फोन ने मोबाइल की परिभाषा को बदल दिया था, क्योंकि एक टचस्क्रीन फोन होने के साथ ही मोबाइल पर पेजर, फैक्स मशीन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि कई आधुनिक विशेषताएँ प्रदान की गई' (गिजबोट, 2022)। 'इस तकनीकी विकास के दौरान वर्ष 1999 में मोबाइल फोन उपकरण में कैमरे की सुविधा प्राप्त हुई। जापानी कंपनी क्योसेरा ने अपने वीपी-210 मोबाइल फोन में पहली बार कैमरे का प्रयोग किया। साथ ही इसे पहला रंगीन फोन भी माना जाता है' (दैनिक भास्कर, 2020)। वहीं 23 जून, 2009 को ताइवान की कंपनी एचटीसी ने भारत में पहला स्मार्टफोन फोन लॉञ्च किया। इसकी कीमत रु. 30,000 थी और यह गूगल के ओपन सोर्स एंड्रॉयड सिस्टम पर आधारित था' (इकॉनोमिक टाइम्स, 2009)। इसके बाद से ही भारत में ड्यूअल सिम, बैक-फ्रंट कैमरा आदि जैसे नई तकनीक से युक्त फोन निरंतर बाजार में उपलब्ध होते रहे हैं। ऐसे में मोबाइल फोन एक ऑल इन वन डिवाइस बन गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ में 'पत्रकारिता जगत् में मोबाइल के उपयोग की शुरुआत अमेरिका से हुई। यहाँ फ्लोरिडा में 'गनेट' समाचार पत्र के संवाददाताओं ने मोबाइल फोन पर समाचार एकत्र करना शुरू किया' (बस्तवी, 2022)। इधर, भारत की बात करें तो यहाँ 'एनडीटीवी समाचार चैनल ने पत्रकारिता में मोबाइल का प्रयोग शुरू किया।' हालाँकि, अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान मोबाइल फोन का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों ने छोटे संस्थानों में कार्यरत कैमरामैनों को बेरोजगार कर नियमित संवाददाताओं को उच्च गुणवत्ता वाले कैमरा फोन भी प्रदान किए हैं।

शोध समस्या का निर्माण

मोबाइल फोन का आविष्कार हुए तकरीबन 50 वर्ष हो गए हैं और स्मार्टफोन लगभग तीन दशक पहले ही लॉञ्च हुआ है। समय के साथ विकसित होती मोबाइल फोन तकनीक आज इतनी समृद्ध हो चुकी है कि इसके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक लेन-देन तक संभव हो चुका है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से लोगों की भौतिक दूरियाँ भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल फोन उपयोगी सिद्ध हुआ है तो पत्रकारिता क्षेत्र भी अछूता नहीं है। पत्रकारिता में समाचार पत्र-पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों और रेडियो जैसे माध्यमों के सूचना संग्रह और कवरेज की प्रक्रियाओं में भिन्नताएँ हैं। न्यूज चैनलों के संवाददाता मोबाइल पर विजुअल प्राप्त करने के साथ-साथ स्क्रिप्ट भी न्यूज रूम में भेज सकते हैं तो वहीं रेडियो में ऑडियो की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रिंट मीडिया के संवाददाताओं को किसी घटना या आयोजन की कवरेज कर उसे विस्तार और रोचकता प्रदान करते हुए पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें समय प्रबंधन भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की कार्यशैली थोड़ी भिन्न है। मोबाइल फोन ने समाचार पत्रों के पत्रकारों की कार्यशैली को किस प्रकार प्रभावित किया है यह जानना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही प्रिंट मीडिया संस्थान मोबाइल फोन द्वारा समाचार लेखन के लिए पत्रकारों को किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं, यह भी रोचक विषय है। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह शोध कार्य किया गया है।

शोध प्रश्न

- स्मार्टफोन तकनीक विकसित होने से समाचार पत्रों से संबंधित पत्रकारों की कार्यशैली में क्या बदलाव आए हैं?
- क्या समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकारों की कार्यशैली मोबाइल फोन केंद्रित हुई है?
- पत्रकार मोबाइल पर किसी सोशल मीडिया एवं मैसेंजिंग एप का उपयोग तो नहीं करते, यदि हाँ तो वह एप्लिकेशन कौन-सी है?
- क्या प्रिंट मीडिया संस्थान स्वयं समाचार लेखन के लिए पत्रकारों को मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध करा रहे हैं?
- क्या मोबाइल फोन द्वारा समाचार कवरेज और कार्यक्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है?

शोध उद्देश्य

- स्मार्टफोन तकनीक समृद्ध होने से समाचार पत्रों के पत्रकारों की कार्यशैली में हुए परिवर्तनों को जानना।
- समाचार पत्रों के पत्रकारों की मोबाइल फोन पर निर्भरता का अध्ययन करना।
- समाचार पत्रों के पत्रकारों द्वारा मोबाइल पर उपयोग किए जा रहे एप्लिकेशन का अध्ययन करना।
- प्रिंट मीडिया संस्थानों द्वारा समाचार लेखन के लिए पत्रकारों को उपलब्ध कराये जा रहे मोबाइल एप्लिकेशन का अध्ययन करना।
- मोबाइल एवं सोशल मीडिया द्वारा समाचारों की कवरेज में आए परिवर्तन को जानना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन समाचार पत्रों के पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल फोन के प्रभावों को जानने हेतु किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत उत्तराखंड से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों को निदर्शन पद्धति द्वारा चयनित किया गया। अध्ययन हेतु किए गए सर्वेक्षण द्वारा आँकड़ों का संग्रह करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। शोध समस्या के समाधान के लिए प्रश्नावली में कुल 16 प्रश्नों को सम्मिलित कर गूगल फॉर्म के माध्यम से उत्तरदाता के रूप में चयनित उत्तराखंड के 100 पत्रकारों को प्रश्नावली प्रेषित की गई। प्रत्युत्तर में कुल 70 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रश्नावली द्वारा तथ्य संकलन कार्य को पूर्ण कर उन्हें प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषण हेतु सम्मिलित किया गया।

संकलित आँकड़ों का विश्लेषण :

1. क्या आपके समाचार पत्र संबंधी कार्य पूर्ण रूप से मोबाइल पर केंद्रित हो गए हैं?

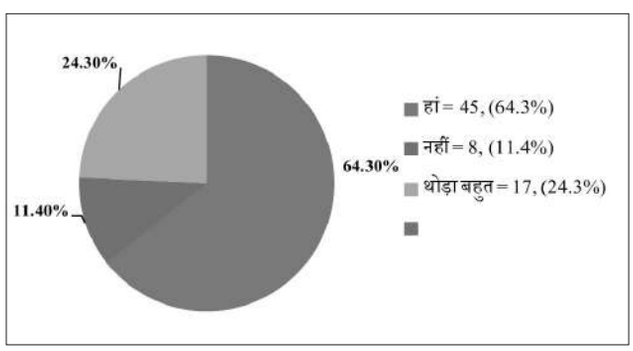

विश्लेषण : प्रस्तुत अध्ययन में पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल के प्रभाव को जानने के लिए उत्तरदाताओं से सर्वप्रथम उनके समाचार पत्र संबंधित कार्य को लेकर प्रश्न पूछा गया था। कुल उत्तरदाताओं में से लगभग 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि उनका कार्य मोबाइल केंद्रित हुआ है, जबकि लगभग 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनका कार्य थोड़ा-बहुत मोबाइल केंद्रित हुआ है, वहीं मात्र 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका काम मोबाइल केंद्रित नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि हिंदी समाचार पत्रों के पत्रकारों की कार्यशैली मोबाइल फोन केंद्रित हुई है।

2. समाचार पत्र संबंधित कार्य के लिए आप मोबाइल पर सबसे अधिक किस मेलिंग/मैसेंजिंग या सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं?

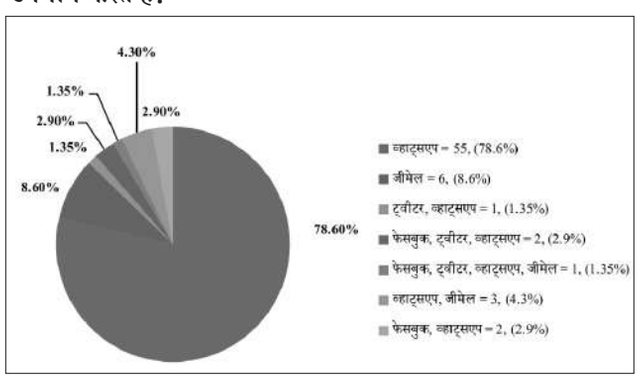

विश्लेषण : वर्तमान में यह भी एक अहम पहलू है, इसे लेकर

उत्तरदाताओं से पूछे गए प्रश्न में सर्वाधिक 78.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे मोबाइल पर समाचार पत्र संबंधी कार्य के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। जबकि, 8.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जी-मेल, लगभग 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्हाट्सएप और जी-मेल दोनों, लगभग 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फेसबुक और व्हाट्सएप और इतने ही उत्तरदाताओं ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का समान रूप से उपयोग करने की बात कही। साथ ही प्रतिभागी उत्तरदाताओं में से 1.3 प्रतिशत ने ट्विटर और व्हाट्सएप और इतने ही उत्तरदाताओं ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर और जी-मेल का उपयोग करना स्वीकारा। प्राप्त प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि समाचार पत्रों से संबंधित सर्वाधिक कार्य अन्य मोबाइल एप्लिकेशनों की अपेक्षा व्हाट्सएप के माध्यम से ही किए जा रहे हैं।

3. क्या आपको सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के प्रेस नोट, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ एवं बयान आदि मोबाइल पर ही प्राप्त होने लगे हैं, यदि हाँ तो प्रतिदिन कितनी संख्या में?

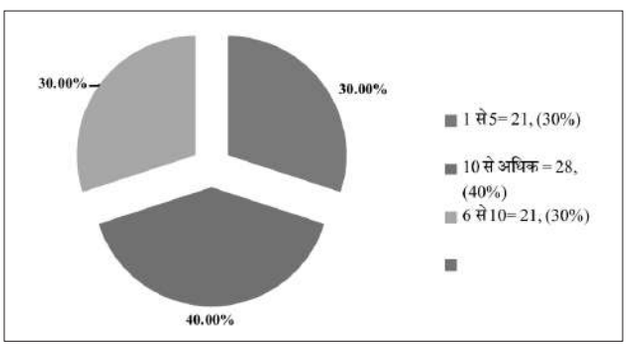

विश्लेषण : एक पत्रकार की दैनिक कार्यशैली में प्रेस नोट अहम होते हैं। पूर्व में सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के प्रेस नोट और राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ एवं बयान प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों के कार्यालयों में लिखकर भेजे जाते थे। स्मार्ट मोबाइल फोन के दौर में इस व्यवस्था पर अधिकतर उत्तरदाताओं का मत है कि उन्हें प्रेस नोट और प्रतिक्रियाएँ अब मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। इनमें से 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन 10 से अधिक कार्यक्रमों के प्रेस नोट मोबाइल के माध्यम से मिलते हैं; जबकि, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन 6 से 10 और इतने ही प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि 1 से 5 प्रेस नोट और बयान प्रतिदिन मोबाइल पर ही मिलते हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाएँ दर्शाती हैं कि मोबाइल फोन की तकनीक और पहुँच उन्नत होने से समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनाएँ अब मोबाइल पर ही भेजना पसंद कर रहे हैं।

4. सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के प्रेस नोट, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ एवं बयान आदि किस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं?

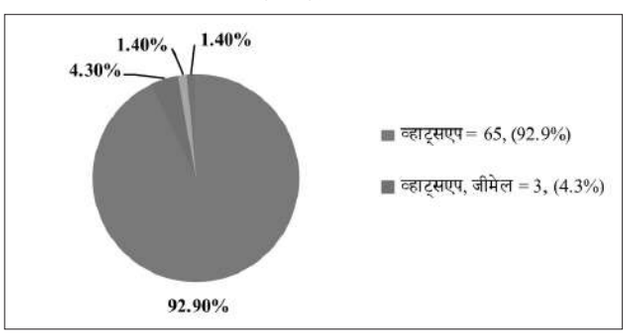

विश्लेषण : सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यक्रमों के प्रेस नोट और राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं के प्रकाशन हेतु किस मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग सर्वाधिक किया जा रहा है, इसके प्रत्युत्तर में लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उन्हें सभी तरह की प्रतिक्रियाएँ मैसेजिंग एप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं; जबकि, 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्हाट्सएप और जी-मेल दोनों माध्यमों से प्राप्त होने का विकल्प चुना। मात्र 1.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्हाट्सएप, फेसबुक तथा ट्वीटर जैसे माध्यमों का विकल्प चुना। इन प्रतिक्रियाओं से ज्ञात होता है कि समाचार पत्रों के कार्यालयों में प्रेस नोट देकर आने की अपेक्षा मैसेजिंग एप्लिकेशन द्वारा भेजने का चलन बढ़ने से होने वाले परिर्वतन का भी आकलन किया जा सकता है।

5. आपको सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के प्रेस नोट, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ एवं बयान आदि मोबाइल पर किस रूप में सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं?

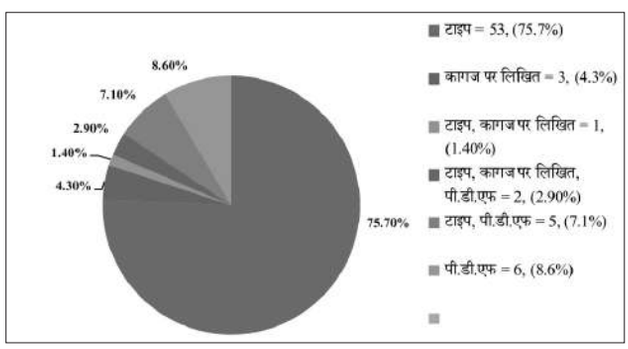

विश्लेषण : समाचार प्रकाशित कराने के लिए पहले लिखित सामग्री समाचार पत्र कार्यालयों में पहुँचती थी, लेकिन मोबाइल फोन तकनीक विकसित होने के बाद जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें 76.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उन्हें प्रेस नोट और बयान टंकित रूप में प्राप्त हो रहे हैं। जबकि, 8.6 प्रतिशत ने पीडीएफ रूप में और 4.3 प्रतिशत ने अब लिखित रूप में प्रेस नोट प्राप्त होने की बात स्वीकारी। इसके इतर 7.1 प्रतिशत ने टंकित और पीडीएफ, 2.9 प्रतिशत ने लिखित तथा 1.4 प्रतिशत ने टंकित और लिखित समाचार प्राप्त होने की बात स्वीकारी। अत: कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों के दफ्तरों में पेपर पर लिखित प्रेस नोट का मिलना कम हो गया है और मोबाइल पर टंकित रूप में प्रेस नोट उलपब्ध हो रहे हैं। इससे पत्रकारों को मिलने वाली राहत का अनुमान लगाया जा सकता है।

6. क्या कार्यक्रमों के प्रेस नोट के साथ संबंधित का फोटो भी मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाता है?

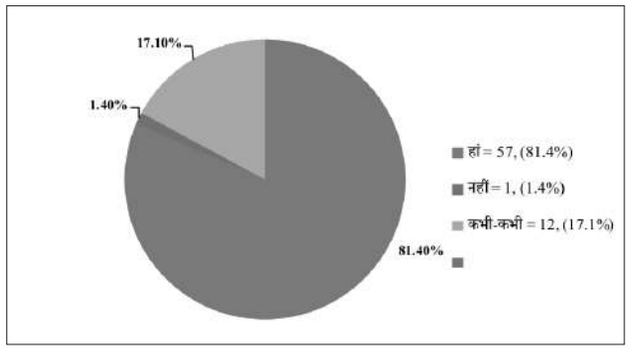

विश्लेषण : स्मार्टफोन में उच्च गुणवत्ता का कैमरा उपलब्ध होने से समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए क्या फोटो (छायाचित्र) भी उसी पर उपलब्ध होने लगे हैं, इसके प्रत्युत्तर में 81.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उन्हें कार्यक्रमों के प्रेस नोट के साथ फोटो भी मोबाइल फोन पर ही प्राप्त हो रहे हैं; जबकि, सिर्फ 1.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसा होने से मना कर दिया वहीं 17.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कभी-कभी ही मोबाइल पर फोटो प्राप्त होते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन के माध्यम से हो रहे परिर्वतनों का अनुमान लगाया जा सकता है, जहाँ पहले कार्यक्रमों में फोटोग्राफर को अनिवार्य रूप से भेजकर फोटो प्राप्त किए जाते थे, वहीं अब स्वयं ही फोटो खींचकर पत्रकारों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

7. क्या लघु कार्यक्रमों के प्रेस नोट मोबाइल पर प्राप्त होने से आप उन्हें कवर करने कार्यक्रम स्थल पर जाते हैं?

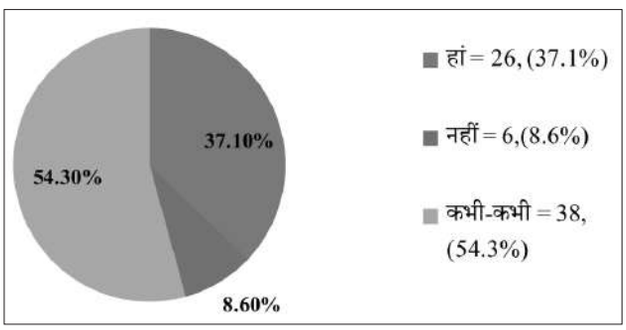

विश्लेषण : पहले छोटे या बड़े कार्यक्रमों को कवर करने के लिए समाचार पत्र के पत्रकार व फोटोग्राफर आयोजनों में शामिल होते थे। वर्तमान में स्थिति यह है कि 54.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि मोबाइल पर प्रेस नोट मिलने से अब वह लघु कार्यक्रमों में कभी-कभी ही जा पाते हैं, जबकि 37.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यक्रम कवरेज के लिए कार्यक्रम स्थल पर जाने की बात कही। 8.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वे कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाते हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कार्यक्रम कवरेज करने के लिए पत्रकारों के कार्यक्रम स्थल पर जाने में कमी आई है।

8. क्या संवाददाता के रूप में किसी घटनाक्रम या कार्यक्रम की कवरेज के समय आप फोटो भी अपने मोबाइल फोन द्वारा ही लेते हैं?

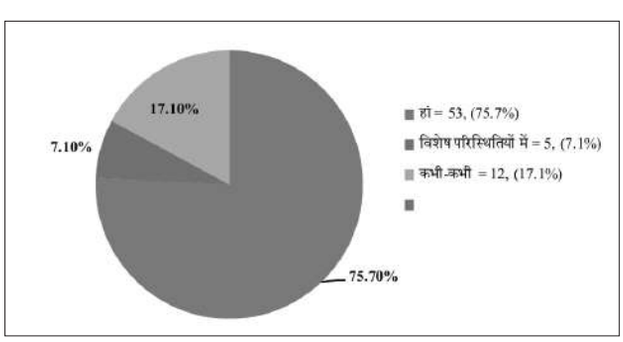

विश्लेषण : वर्तमान समय में मोबाइल फोन कई प्रकार के एडवांस फीचरों से युक्त हैं। एक छोटे से यंत्र में कैमरा फीचर मिलने से इसकी उपयोगिता का भी विस्तार हुआ है। 75.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वे किसी घटनाक्रम या कार्यक्रम की कवरेज के समय फोटो भी अपने मोबाइल फोन द्वारा ही लेते हैं, जबकि 17.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी-कभी और 7.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विशेष परिस्थितियों में मोबाइल फोन से फोटो लेने की बात को स्वीकारा है। ऐसे में माना जा सकता है कि समाचार पत्रों में अधिकतर फोटो मोबाइल द्वारा ही छप रहे हैं। साथ ही यह फोटोग्राफरों की महत्ता को कम कर रहा है।

9. क्या आपको दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हुई घटनाओं की जानकारी मोबाइल द्वारा ही प्राप्त हो जाती है?

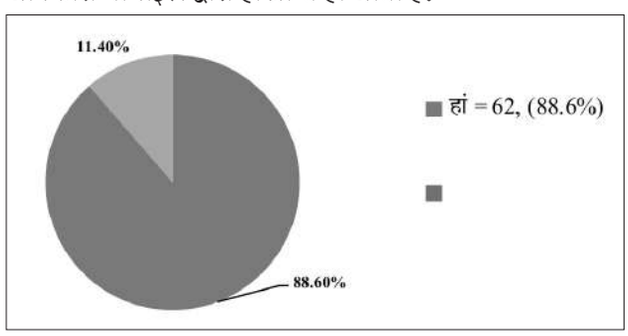

विश्लेषण : एक समय था जब दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घटित घटनाओं की सूचना प्राप्त होने और उनके समाचार बनने में समय लगता था, कई बार पत्रकारों को घटना स्थल पर दौड़ना पड़ता था। वर्तमान में 88.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई घटनाओं के बारे में उन्हें मोबाइल पर ही पता चलता है। 11.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी-कभी मोबाइल पर ही सूचना मिलने की बात कही। ऐसे में आकलन किया जा सकता है कि मोबाइल फोन के आने से सूचना तंत्र कितना तीव्र हुआ है। इससे पत्रकारों की असमय होने वाली भागमभाग भी कम हुई है।

10. क्या आपको क्षेत्र में हुई घटनाओं की सूचना न्यूज पोर्टलों के माध्यम से मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाती है?

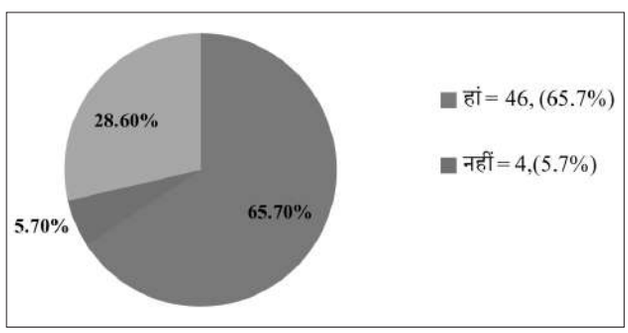

विश्लेषण : मोबाइल पर संचालित सोशल मीडिया माध्यमों की मदद से समाचार पोर्टलों के लिंक सर्वाधिक साझा किए जाते हैं, समाचार पोर्टल बड़ी संख्या में सूचनाएँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में 65.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें घटनाक्रमों की जानकारी समाचार पोर्टलों से ही मिलती है। 28.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी-कभी तथा 5.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसा नहीं होने की बात कही। ऐसे में कहा जा सकता है कि पत्रकारों के लिए समाचार पोर्टल भी 'सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन' बन रहे हैं।

11. क्या घटनाक्रमों की सूचना वेब न्यूज पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त होने पर तथ्यों को पुष्ट करने या डिफरेंशिएट करने का समय मिल जाता है?

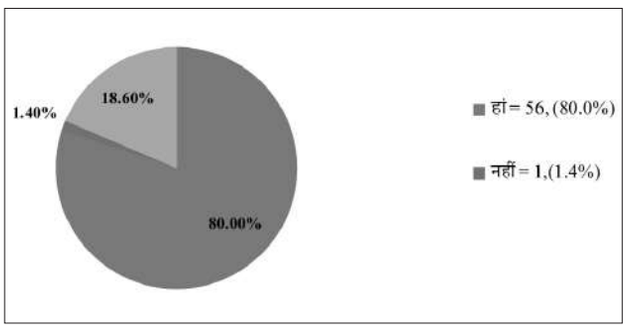

विश्लेषण : क्षेत्र में हुई घटना का पता चलने और उसे विस्तार से लिखने के लिए उससे संबंधित जानकारियाँ एकत्र करने में समाचार पत्र से जुड़े संवाददाताओं को समय लगता है। समाचार पोर्टलों में घटनाओं का प्रचार-प्रसार भी उपयोगी हो सकता है। कुल 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि न्यूज पोर्टलों से घटनाक्रम की सूचना मिलने पर उसकी पुष्टि करने के साथ-साथ समाचार को डिफरेंशिएट करने का समय मिल जाता है, जबकि 18.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी-कभी और 1.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसा नहीं होने की बात कही। इससे पता चलता है कि मोबाइल और इंटरनेट माध्यमों से पत्रकारों को कार्य करने में आसानी हुई है।

12. क्या मोबाइल पर सूचनाएँ और समाचार प्राप्त होने से आपका कार्य क्षेत्र में जाना पहले की अपेक्षा कम हो गया है?

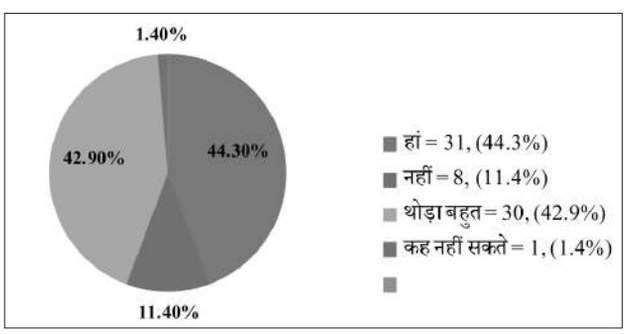

विश्लेषण : पत्रकारों की फील्ड मूवमेंट को जानना भी अहम हो जाता है। 44.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि मोबाइल पर सूचनाएँ मिलने से उनका घटना क्षेत्र में जाना कम हुआ है। 42.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने थोड़ा-बहुत प्रभावित होने की बात स्वीकारी, जबकि 11.4 प्रतिशत ने कोई असर न होने की बात कही है।

13. मोबाइल तकनीक के विकसित होने से पहले आप न्यूज कवरेज के लिए कार्य क्षेत्र में कितना समय बिताते थे?

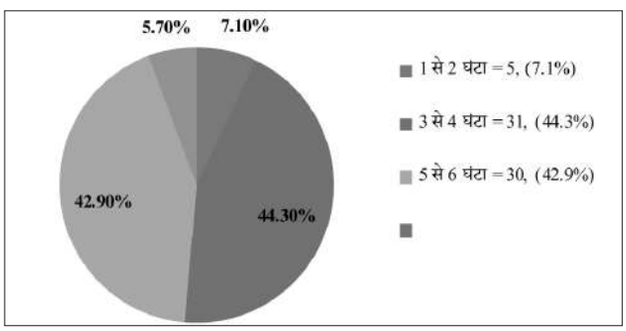

विश्लेषण : मोबाइल फोन तकनीक के विकसित होने से पहले 42.9 प्रतिशत उत्तरदाता 5 से 6 घंटे, 44.3 प्रतिशत उत्तरदाता 3 से 4 घंटे कार्य क्षेत्र में बिताते थे। मात्र 5.7 प्रतिशत उत्तरदाता ही 7 घंटे से अधिक कार्यक्षेत्र में रहते थे, जबकि 7.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पहले 1 से 2 घंटे कार्यक्षेत्र में रहने की बात कही थी।

14. वर्तमान समय में मोबाइल तकनीक द्वारा आसान हुई गतिविधियों के चलते कार्य क्षेत्र में आपका मूवमेंट कितना हो गया है?

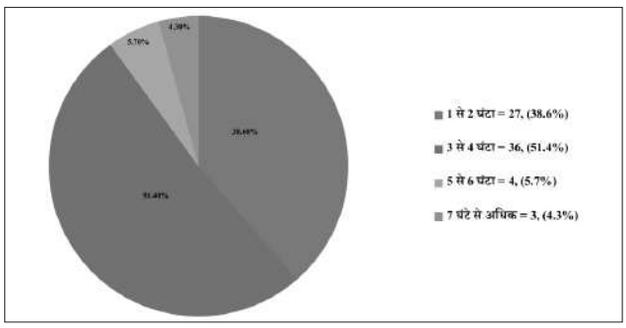

विश्लेषण : मोबाइल फोन तकनीक के विकसित होने के बाद से 5.7 प्रतिशत उत्तरदाता 5 से 6 घंटे तथा 51.4 प्रतिशत उत्तरदाता 3 से 4 घंटे कार्य क्षेत्र में बिताने लगे हैं। मात्र 38.6 प्रतिशत उत्तरदाता ही 1 से 2 घंटे कार्यक्षेत्र में रहते हैं, जबकि 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 6 घंटे से अधिक कार्यक्षेत्र में रहने की बात स्वीकारी।

15. क्या आपको मोबाइल के माध्यम से सूचनाएँ, समाचार और फोटो जुटाते समय किसी प्रकार की समस्या आती है, यदि हाँ तो वे क्या और किस रूप में हैं?

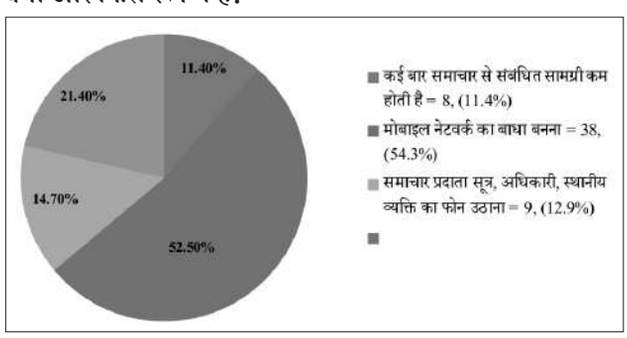

विश्लेषण : मोबाइल फोन के बढ़ते चलने के बीच कुछ समस्याएँ भी होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 54.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने की बात को स्वीकार किया, जबकि 21.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मोबाइल से घटना के पूरे तथ्य नहीं मिल पाते हैं, वहीं 12.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सूत्र से संपर्क नहीं होने की बात को स्वीकार किया है। यह अध्ययन कार्य उत्तराखंड क्षेत्र में किया गया था। प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है।

16. क्या आपका मीडिया संस्थान न्यूज लिखने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराता है?

विश्लेषण : स्मार्टफोन आने से मीडिया संस्थानों ने समाचार सामग्री प्राप्त करने के लिए संवाददाताओं को कौन-सी नई सुविधाएँ प्रदान की हैं, इससे संबंधित प्रत्युत्तर में 67.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका संस्थान समाचार लिखने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध करा रहा है। 31.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस मत को अस्वीकार कर दिया और 1.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी-कभी के विकल्प का चयन किया। ऐसे में

अनुमान है कि अधिकतर समाचार पत्र संस्थान अपने संवाददाताओं को मोबाइल एप्लिकेशन से न्यूज लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और संवाददाता भी बगैर न्यूजरूम आए कहीं से भी समाचार लिखकर सीधा न्यूज डेस्क को उपलब्ध करा रहे हैं।

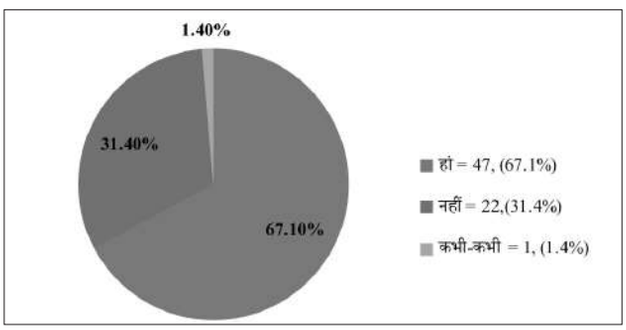

परिणाम व निष्कर्ष

मोबाइल फोन और इंटरनेट के विकास से संचार क्षेत्र में एक नई आधुनिकता का उदय हुआ है। स्मार्टफोन से दैनिक दिनचर्या से संबंधित छोटे-बड़े कार्य आसान हुए हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्र के पत्रकारों की कार्यशैली पर मोबाइल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके अधिकतर पत्रकारीय कार्य मोबाइल केंद्रित हो गए हैं। एक समय में समाचार संकलन के लिए प्रिंट मीडिया के संवाददाता जगह-जगह जाते थे और शाम को कार्यालय पहुँच कर उसे निर्धारित समय सीमा पर न्यूज डेस्क को उपलब्ध कराते थे। घटनाक्रम को कवर करने और समाचार सामग्री डेस्क को उपलब्ध कराने के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्त्वपूर्ण लगता था, लेकिन मोबाइल फोन तकनीक विकसित होने से समाचार पत्रों के मीडियाकर्मियों का घटनास्थल पर पहुँचना तथा कार्यालयों में प्रेस नोट का आना भी कम हुआ है। सर्वाधिक कार्य मोबाइल फोन पर मैसेजिंग एप्लिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से ही हो रहे हैं। कार्यक्रमों के प्रेस नोट और नेताओं के बयान पत्रकारों को सबसे अधिक उनके व्हाट्सएप नंबर पर ही प्राप्त हो रहे हैं।

अध्ययन से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए समाचार समाग्री पत्रकार तक टंकित रूप में पहुँचने से पत्रकारों के समय की बचत हो रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में हुई घटनाओं की जानकारी और फोटो भी मोबाइल फोन पर ही प्राप्त हो रहे हैं। यह पत्रकारों के साथ-साथ संस्थानों के लिए भी लाभकारी है। इतना ही नहीं, स्थानीय घटनाएँ भी पत्रकारों को मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा मिलने से उन्हें समाचारों को विस्तार और नई दिशा देने का समय मिल जाता है। ऐसे में एक बात सामने आती है कि समाचार पत्रों के पत्रकारों के कार्य मोबाइल केंद्रित होने के साथ ही व्हाट्सएप पर अधिक केंद्रित हो गए हैं।

वहीं, मोबाइल फोन तकनीक अधिक समृद्ध और सुविधाजनक होने व स्मार्टफोन में उच्च गुणवत्ता के कैमरे उपलब्ध होने से समाचार पत्र के पत्रकार स्वयं ही घटनाक्रम की कवरेज के समय फोटो भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय में समाचार पत्रों के फोटोग्राफरों के रोजगार पर संकट बना हुआ है, यहाँ तक कि कई वरिष्ठ फोटोग्राफर निकाले भी जा चुके हैं। जब संवाददाता ही अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने में सक्षम हैं तो फोटो पत्रकारों के भविष्य पर संकट तय है। तकनीक का उपयोग करते हुए मीडिया संस्थानों ने संवाददाताओं को विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराए हैं, जिनके सहयोग से संवाददाता कहीं से भी समाचार सामग्री न्यूज डेस्क तक भेजने में सक्षम हो गए हैं। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि भविष्य में समाचार पत्रों का कार्य मोबाइल केंद्रित होगा और पत्रकारजन कार्यालय आए बिना ही समाचार डेस्क को भेजेंगे। कोरोना काल के समय मीडिया संस्थानों ने 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू करते हुए इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। यह अध्ययन उत्तराखंड क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के मध्य किया गया था, जिसमें सामने आया कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या बहुत अधिक है। ऐसे में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को मोबाइल के माध्यम से कार्य करने में निरंतर समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। संभवत: प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से ऐसी कई समस्याओं पर प्रकाश पड़े और उनके समाधान को उजागर करने हेतु कोई सफल प्रयास प्रारंभ हो।

संदर्भ

एबीसी. (अप्रैल 2023). लैंग्वेज वाइज सर्टिफाइड सर्कुलेशन फॉर द ऑडिट पीरियड. (जुलाई–दिसंबर 2022 & जनवरी-जून 2022). https://www.auditbureau.org/.pdf से दिनांक 10 जुलाई, 2023 को दोपहर 11:30 बजे पुन:प्राप्त.

कुमार, एस. (2010). वेब पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है, वेब पत्रकारिता 53-56. दिल्ली : श्री नटराजन प्रकाशन.

गौजार्ड, सी. (2016) 'मोबाइल जर्नलिज्म : डिफाइनिंग अ न्यू स्टोरीटेलिंग लैंग्वेज'. https://goo.gl/1KS3A8 से दिनांक 12 जुलाई, 2023 को पुन:प्राप्त.

जायसवाल, पी. (2022, अगस्त 23). मोबाइल फोन जर्नी. नवभारत टाइम्स डॉट कॉम. https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/mobile-phone-journey-in-india-know-the-story-from-launch-of-mobile-phone-service-to-5g/articleshow/93733053.cms से दिनांक 14 जुलाई, 2023 को दोपहर 11.40 बजे पुन:प्राप्त.

झिंगरन, पी. (2021). *मोबाइल पत्रकारिता अवधारणा, संभावनायें और तकनीक*. वाराणसी : भारती प्रकाशन.

ट्राई : (मई 2023). द इंडिक टेलिकॉम सर्विसेज परफॉरमेंस इंडीकेटर्स. (अक्टूबर-दिसंबर 2022). https://www.trai.gov.in/sites/default/files/QPIR_31052023_0.pdf से दिनांक 25 जुलाई, 2023 को दोपहर 11:23 बजे पुन:प्राप्त.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस, इंडिया. https://dot.gov.in/data-services/2574 से दिनांक 27 जून, 2023 को दोपहर 1:30 बजे पुन:प्राप्त.

त्विजेयुमुकिजा, ए., म्बेरिया, एच & नाबुजले, सी. (2018). इनफ्लुएंस ऑफ मोनिले फोन यूसेज ओं जर्नलिज्म प्रैक्टिसेज इन रवांडा. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 1566-1570. Dio: 10.21275/ART20182556 से दिनांक 16 जून, 2023 को सायंकाल 3.40 बजे पुन:प्राप्त.

पार्थसारथी, वी, & आलम, एस. (2013). मैपिंग डिजिटल इंडिया: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digitalmedia-india-20130326.pdf से दिनांक 25

जुलाई, 2023 को दोपहर 2:45 बजे पुन:प्राप्त.

बस्तवी, अशरफ. (2022, जनवरी 07). मोबाइल पत्रकारिता (MOJO) के बारे में महत्त्वपूर्ण बातें, जो आपको जानना चाहिए. https://www.youthkiawaaz.com/2022/01/important-things-you-must-know-about-mobile-journalism-mojo-hindi-article/ से दिनांक 19 अगस्त, 2023 को सायंकाल 6.55 बजे पुन:प्राप्त.

भास्कर. (2020, अगस्त 02). जर्मनी ऑफ मोबाइल फोन. दैनिक भास्कर. https://dainik-b.in/h0ELOzocC8 से दिनांक 11 जून, 2023 को रात्रि 9.45 बजे पुन:प्राप्त.

मिश्र, यू.एस. (2020). इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी समाचार पत्रों के स्वरूप का अध्ययन. संचार माध्यम, 32(2), 60-68.

मोहम्मदसलीह, एस. (2017). मोबाइल जर्नलिज्म यूजिंग स्मार्टफोन इन जर्नलिस्टिक वर्क. https://www.researchgate.net/publication /342546973 से दिनांक 18 जून, 2023 को दोपहर 11.15 बजे पुन:प्राप्त.

राधाकृष्णन, ए. (2009). फर्स्ट एंड्रॉयड फोन इन इंडिया लॉञ्च्ड टुडे. द इकॉनोमिक फोन. Retrieved from https://m-economictimes-com.translate.goog/tech/hardware/first-android-phone-in-india-launched-today/articleshow/4689118.cms? दिनांक 8 अगस्त, 2023 को दोपहर 12:45 बजे पुन:प्राप्त.

राम, आर. (2022, अप्रैल 2023). यह था दुनिया का पहला स्मार्टफोन जो लॉञ्च हुआ था 27 साल पहले, दिखता था ऐसा. https://hindi.gizbot.com/news/which-was-the-world-s-first-smartphone-and-when-was-it-launched-022172.html से दिनांक 24 अगस्त, 2023 को दोपहर 11.30 बजे पुन:प्राप्त.

वेंगेर, डी., ओवेन्स, एल., & थोम्पसन, पी. (2014). हेल्प वांटेड : मोबाइल जर्नलिज्म स्किल्स रिक्वायर्ड बी टॉप यू.एस. न्यूज कंपनीज. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज, 8(2), 138-149.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 95-98, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

डिजिटल संचार माध्यमों के दौर में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा : राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

प्रो. सुबोध कुमार[1] और डॉ. आलोक चौहान[2]

सारांश

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी का शिक्षक एवं संस्थान से भौतिक संपर्क अनिवार्य नहीं होता है। विद्यार्थी एक-दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित दूरस्थ शिक्षण संस्थान एवं 'स्वयं' के कार्यक्रम (पाठ्यक्रम) से संबंधित सूचनाओं एवं गतिविधियों के लिए अधिकतर विद्यार्थी सोशल मीडिया वेबसाइटों एवं प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं। दूरस्थ शिक्षा में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के मध्य सूचना प्रसार एवं विचार-विमर्श का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण माध्यम है। प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी किन शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं एवं क्या कारण हैं, जिनकी वजह से वे इन माध्यमों से जुड़ते हैं। शोध में यह पाया गया कि दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम को पूर्ण करने में सोशल मीडिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन माध्यमों से जुड़ना बिना किसी आर्थिक बोझ के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है।

संकेत शब्द : दूरस्थ शिक्षा, सोशल मीडिया, मुक्त विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम, राजस्थान

प्रस्तावना

सोशल मीडिया उन उपकरणों को संदर्भित करता है, जो लोगों के बीच आभासी समुदायों (वर्चुअल कम्युनिटी) में बातचीत के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिसमें वे जानकारी, सूचना एवं विचारों का आदान-प्रदान करते हैं (चिश्ती एट आल, 2014)। तकनीकी विकास का एक रूप सोशल मीडिया का उद्भव है (मोघानिबाशी, 2020)। आज सोशल मीडिया का उपयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं, युवा से लेकर वृद्ध तक हर कोई सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया को अकसर समय बिताने या मित्रों एवं परिवार से जुड़े रहने का जरिया मात्र माना जाता है। हालाँकि, इसका उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है (फेरिमन, 2013)।

दूरस्थ शिक्षा सीखने का एक ऐसा रूप है, जहाँ शिक्षक और छात्र एक स्थान पर नहीं होते हैं एवं इसके क्रियान्वयन में सहायक उपकरणों जैसे सेलफोन एवं इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों का महत्त्व अधिक होता है (रनाल एट आल, 2023)। सोशल मीडिया का प्रयोग अब दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में शिक्षण को शिक्षक एवं विद्यार्थियों, दोनों के लिए अधिक विश्लेषणात्मक, लचीला, इंटरैक्टिव और सहयोगात्मक बनाने के लिए किया जा रहा है। अधिकतर छात्र अब सीखने को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सूचना साझा और व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया साइटों का उपयोग करते हैं (गुप्ता, सिंह, और मारवाहा, 2013)। अधिकतर विद्यार्थी सीखने में सोशल मीडिया से प्रेरित होते हैं थे, क्योंकि उन्हें यह रुचिकर लगता है, क्योंकि वे अपने ज्ञान एवं अपनी स्वयं की सामग्री को दूसरों के साथ साझा कर पाते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह होता है कि यह प्रेरणा एवं भागीदारी को काफी बढ़ा सकता है (डेलेलो एट आल, 2015)।

विद्यार्थियों का मानना है कि सोशल मीडिया दूरस्थ शिक्षा को मजबूत कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी यह भी मानते हैं कि अकादमिक कार्यों को पूरा करने और सूचना एकत्र करने में सोशल मीडिया सहायता प्रदान करता है। सोशल मीडिया दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में कई अवसरों को लेकर आती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी आत्म-केंद्रित शिक्षा में पारंगत होते हैं, समय का सदुपयोग होता है एवं कार्य शीघ्रता से कुशलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करना सीख जाते हैं तो विद्यार्थी इसका उपयोग अपने सीखने के कौशल को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग एवं उसके महत्त्व का अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग का पता लगाना।
- दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न अकादमिक गतिविधियों की सूचना एवं क्रियान्वयन में सोशल मीडिया की भूमिका को जानना।
- दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पूर्णतः प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। सर्वेक्षण हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान का एकमात्र राजकीय खुला विश्वविद्यालय) के सातों (अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर) क्षेत्रीय केंद्रों में से प्रत्येक से 100 विद्यार्थियों से सूचना प्राप्त की गई। इस प्रकार 700 कुल विद्यार्थियों के सैंपल से व्यक्तिगत अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

परिणाम एवं विश्लेषण

विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का उपयोग दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के लिए किया गया। विभिन्न माध्यमों

[1] प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एवं निदेशक सतत शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान. ईमेल : skumar@vmou.ac.in
[2] सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, ईमेल : achahan@vmou.ac.in

के प्रतिशत के अनुसार उपयोग तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1 : उपयोग में लिया गया सोशल मीडिया का माध्यम		
क्रं. सं.	**सोशल मीडिया माध्यम**	**प्रतिशत***
1	वॉट्सऐप	94%
2	X (ट्विटर)	Nil
3	फेसबुक पेज	27%
4	यू-ट्यूब चैनल	48%
5	टेलीग्राम समूह	29%
6	टेलीग्राम चैनल	68%
7	अन्य कोई वेब पोर्टल/प्लेटफॉर्म	2%

**विद्यार्थी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसलिए प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है।*

कई विद्यार्थियों ने एक से अधिक माध्यमों का उपयोग एक साथ किया है। तालिका-1 के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने वॉट्सऐप का उपयोग किया, जबकि 68 प्रतिशत ने टेलीग्राम चैनल का उपयोग किया। विश्वविद्यालय के यू-ट्यूब चैनल पर सभी विषयों के व्याख्यान उपलब्ध हैं। अतः 48 प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस माध्यम का उपयोग किया। विश्वविद्यालय द्वारा टेलीग्राम चैनल भी संचालित किया जा रहा है एवं विद्यार्थी खुद के स्तर पर भी टेलीग्राम समूह संचालित करते हैं। इसलिए इस माध्यम का उपयोग भी अधिकतर विद्यार्थियों ने किया। लगभग 27 प्रतिशत विद्यार्थी फेसबुक पेज से जुड़े, जबकि X (पूर्ववर्ती ट्विटर) का उपयोग किसी भी विद्यार्थी ने नहीं किया।

विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) विशेषताएँ सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों तक पहुँच, उपलब्धता और सामर्थ्य (एफोर्डेबिल्टी) में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत शोध में यह पता लगाया गया कि पृष्ठभूमि विशेषताओं ने दूरस्थ शिक्षा में मीडिया के उपयोग और अपनाने को किस प्रकार प्रभावित किया है। तालिका-2 के अनुसार ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों द्वारा नगरीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की तुलना में सोशल मीडिया के माध्यमों का कम उपयोग किया गया।

तालिका-2 : पृष्ठभूमि (बेकग्राउंड) विशेषताओं के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग			
उपयोग किया	**कुल**	**हाँ**	**नहीं**
निवास स्थान			
ग्रामीण	498	204 (40.96)	294 (59.03)
नगरीय	202	141 (69.80)	61 (30.19)
लिंग			
पुरुष	364	254 (69.78)	110(30.21)
महिला	336	198 (58.92)	138(41.07)
आयु-वर्ग (वर्ष)			
18-25	218	198(90.82)	20(9.17)
26-40	482	367(76.14)	115(23.85)
सामाजिक समूह			
सामान्य	96	61(63.54)	35(36.45)
अन्य पिछड़ा वर्ग	267	201(75.28)	66(24.71)
अनुसूचित जाति	183	124(67.75)	59(32.24)
अनुसूचित जनजाति	154	103(66.88)	51(33.11)
शैक्षिक योग्यता			
स्नातक से कम	197	179(90.86)	18(9.13)
स्नातक एवं उच्च	503	348(69.18)	155(30.81)
रोजगार स्थिति			
रोजगार सहित	432	407(94.21)	25(5.78)
रोजगार रहित	268	205(76.49)	63(23.50)

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल प्रतिशत दर्शा रहे हैं।

लगभग सत्तर फीसदी पुरुष विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया, जबकि महिलाओं का प्रतिशत लगभग साठ है! इससे पता लगता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों एवं ग्रामीण की तुलना में नगरीय विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का अधिक उपयोग किया। संचार साधनों की व्यक्तिगत उपलब्धता एवं अनभिज्ञता इस कम उपयोग के प्रमुख कारण हैं। 18-25 आयु वर्ग के नब्बे प्रतिशत विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया, जबकि 26-40 आयु वर्ग में लगभग तीन-चौथाई विद्यार्थियों ने इसका उपयोग किया। इससे यह ज्ञात होता है कि कम आयु के युवा सोशल मीडिया के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं एवं अपने प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग भी अधिक करते हैं। सामाजिक समूह के अनुसार चर्चा करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग तीन-चौथाई विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग साठ फीसदी विद्यार्थियों ने इसका उपयोग किया। इससे ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया के उपयोग में सामाजिक समूह अनुसार कोई विशेष विभेदन नहीं है। शिक्षित एवं रोजगारयुक्त विद्यार्थियों की संचार माध्यमों तक पहुँच अधिक होती है। इसी का परिणाम है कि नब्बे प्रतिशत से अधिक रोजगारयुक्त विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का उनके सोशल मीडिया उपयोग करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

दूरस्थ शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के सोशल मीडिया से जुड़ने के विभिन्न कारण रहे (तालिका-3)।

तालिका-3 : सोशल मीडिया से जुड़ने का कारण		
क्रं. सं.	**कारण**	**प्रतिशत***
1	सहज सूचना हेतु	94%
2	समयबद्ध सूचना हेतु	83%
3	विश्वविद्यालय से सूचना अप्राप्त	54%
4	व्यक्तिगत रुचि (पहले से जुड़े)	72%
5	कोई निर्णायक कारण नहीं	23%
6	अन्य माध्यमों से सूचना का अभाव	54%
7	सूचना प्राप्त करने का अन्य माध्यम ज्ञात नहीं होना	34%
8	सूचना प्राप्त करने के अन्य माध्यम तक पहुँच नहीं होना	27%
9	समूह में सीखने जानने की इच्छा	43%
10	दूरस्थ शिक्षा में इसकी आवश्यकता महसूस होने के कारण	62%

11	परिचितों/साथियों द्वारा ग्रुप में जोड़ना	19%
12	विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना	15%
13	वीडियो व्याख्यान हेतु	29%
14	शिक्षक से चर्चा हेतु	17%

**विद्यार्थी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसलिए प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है।*

सबसे अधिक विद्यार्थी सूचनाओं की सहज प्राप्ति हेतु इससे जुड़े, जबकि 83 प्रतिशत विद्यार्थी समयबद्ध सूचना प्राप्ति हेतु सोशल मीडिया से जुड़े। लगभग साठ फीसदी विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा में इसकी आवश्यकता महसूस होने के कारण इससे जुड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया दूरस्थ शिक्षा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी समूह सूचनाओं की प्राप्ति हेतु सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। इस कारण विद्याथियों का सोशल मीडिया से अधिक जुड़ाव होता है। लगभग आधे विद्यार्थी विश्वविद्यालय से सूचना असमय/अप्राप्त होने के कारण सोशल मीडिया से जुड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सूचनाएँ प्रत्यक्षतः विद्यार्थियों तक नहीं पहुँच रही हैं। यह संतोषजनक है कि लगभग तीस प्रतिशत विद्यार्थी वीडियो व्याख्यान के लिए सोशल मीडिया माध्यमों से जुड़े। इससे यह निष्कर्ष निकाला का सकता है कि विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा तकनीकी आधारित हो रही है।

लगभग नब्बे फीसदी विद्यार्थियों ने अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त कीं (तालिका-4)।

तालिका-4 : सोशल मीडिया से प्राप्त सूचना

क्रं. सं.	सूचना का प्रकार	प्रतिशत*
1	प्रवेश सूचना	92%
2	प्रवेश प्रक्रिया	84%
3	असाइनमेंट	73%
4	पाठ्य सामग्री	28%
5	परामर्श कक्षाएँ	24%
6	प्रायोगिक शिविर	32%
7	परीक्षा समय सारणी	76%
8	परीक्षा प्रवेश पत्र	15%
9	परिणाम घोषणा	82%
10	वीडियो व्याख्यान	21%
11	(प्रमोटी) अगली कक्षा में प्रवेश	44%
12	डिफाल्टर परीक्षा फॉर्म	68%

**विद्यार्थी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसलिए प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है।*

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा उच्च शिक्षा में डिजिटल एवं तकनीक के उपयोग को दर्शाता है। प्रवेश एवं परिणाम दो महत्त्वपूर्ण बिंदु रहे, जिनके बारे में विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त की। असाइनमेंट एवं पाठ्य-सामग्री दूरस्थ शिक्षा के अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं। इन दोनों से संबंधित सूचनाएँ भी विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया से प्राप्त कीं। तालिका-4 के अवलोकन के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा से संबंधित लगभग हर सूचना हेतु विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया। राज्य में डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा के विकास की संभावनाओं हेतु यह अच्छा सूचक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह ज्ञात होता है कि प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा के विकास, प्रचार-प्रसार में संचार माध्यम एवं सोशल मीडिया के विभिन्न मंच अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ संचार के अन्य माध्यम दूरस्थ शिक्षा एवं उससे जुड़े लाभों को सामान्य विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचा पाते, वहाँ सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा के विकास एवं विद्यार्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय को उत्तम रूप से सोशल मीडिया मंच का प्रबंधन करना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में लिए जा रहे सोशल मीडिया मंच में विद्यार्थियों के फीडबैक अनुसार समय-समय पर परिवर्तन भी करने चाहिए। वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि दूरस्थ शिक्षा के शिक्षक और शिक्षार्थी के दिमाग में पारंपरिक सोच को कम किया जाना चाहिए और आधुनिक सोच को विकसित किया जाना चाहिए। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। ऐसे में दूरस्थ शिक्षा का लाभ देश के सभी हिस्सों, मुख्य रूप से आबादी की पहुँच से बाहर के वर्गों तक पहुँचाने के लिए संचार माध्यमों के विकास एवं उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। संचार की पारंपरिक अवधारणाओं से हटकर हम डिजिटल दुनिया का नया रूप देख रहे हैं, जो लगातार विकसित होता जा रहा है। शोध अध्ययन इस बात को रेखांकित कर रहा है कि अब शैक्षिक संचार के लिए हमें अपनी पारंपरिक लीक बदलनी होगी और आज के विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच बनाने के लिए नए-नए तकनीकी तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से संचार माध्यमों के विकास की नई कड़ी ही नए रूप में नए तरीकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक भूख को मिटा सकेगी। इसके लिए तकनीकी पंडितों को नए तरीकों पर विचार करना होगा।

संदर्भ

गुप्ता, पी., सिंह, बी., और मारवाह, टी. (2013). रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड एकेडमिक परफोर्मेंस इन डिस्टेन्स एजुकेशन. यूनिवर्सल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च.185-190.

चिश्ती, टी.ए., शफी, के.एम., और अयूब, एम. (2014). एक्सपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम : सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव. द कम्यूनिकेशंस, 22(1), 11-16.

डेलेलो, जे.ए., मैकव्हॉर्टर, आर.आर., और कैंप, के.एम. (2015). यूजिंग सोशल मीडिया एज ए टूल फॉर लर्निंग : ए मल्टी डिस्सीप्लिनरी स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑन ई-लर्निंग, 14(2), 163-180.

फेरिमैन, जे. (2013). ग्रोइंग यूज ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन. [ब्लॉग पोस्ट]. http://www.learndash.com/growing-use-of-socialmedia-in-education/ से पुन:प्राप्त.

भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

मोघानिबाशी, एम., ए. (2020). असेसिंग द एनजाईटी लेवल ऑफ ईरानियन जनरल पोपुलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 आउट ब्रेक. एशियन जर्नल ऑफ साईक्रेटी, 51.

रनाल, ए., हुस्नियाह, एच., फिएंटी, वाई., पुत्री, एस.ए., लेनिन, एफ., मुस्निका, एम., डायना, डी., और जिन, डी. (2023). फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग एजुकेशन फॉर द एल्डरली एट नर्सिंग होम्स. पेंगाब्डियन : जर्नल अब्दिमास, 1(1), 14-19.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 99-104, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तैयार करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन

डॉ. मयंक गौड़[1]

सारांश

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता एवं उसके प्रभाव ने शिक्षा क्षेत्र में एक नए शैक्षिक प्रारूप को विकसित किया है। इसमें न्यू मीडिया ने हर वर्ग को आपस में जुड़ने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया है। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपने शिक्षार्थियों तक आसान पहुँच बनाकर उनको गुणवक्तायुक्त शिक्षा बिना समय और स्थान की पाबंदियों के न्यू मीडिया के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है। मुक्त विश्वविद्यालयों में न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तैयार करने में आ रही बाधाओं का अध्ययन एवं उनके निराकरण को जानना प्रस्तुत शोध का उद्धेश्य है। अध्ययन हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं डीडी न्यूज के वीडियो निर्माताओं को गुणात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत सोद्देश्य प्रतिचयन का उपयोग करके चुना गया। वीडियो निर्माण से संबंधित भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में कुछ बाधाओं की पहचान—बजट की कमी, इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मानव संसाधन की कमी, शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम प्रारूप निर्धारित करने में असमर्थता, पेशेवर प्रस्तुतकर्ता, सह-विशेषज्ञ का अभाव आदि—के रूप में की गई। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों को वीडियो व्याख्यान प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विशेष बजट का प्रावधान रखना होगा। इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के साथ-साथ संबंधित उपकरणों के लिए बजट देना होगा। वीडियो व्याख्यान निर्माण टीम का चयन करना होगा और साथ ही तय करना होगा कि शैक्षणिक वीडियो अध्ययन कार्यक्रम का प्रारूप वीडियो व्याख्यान के रूप में रखना होगा, जो पैनल चर्चा से अधिक प्रभावी और किफायती होगा। वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुतकर्ता को (जो विषय विशेषज्ञ भी होता है) वीडियो निर्माण से पूर्व संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा।

संकेत शब्द : भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय, न्यू मीडिया, वीडियो व्याख्यान, दूरस्थ शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकतम छात्रों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शैक्षणिक निर्देश देने के लिए कई प्रारूप अपनाए हैं। ई-लर्निंग तकनीक ने शिक्षक और छात्र के बीच शिक्षा के अविरल संचरण हेतु नवीन तकनीकी सेतु का निर्माण किया है, खासतौर से दूरस्थ शिक्षा के लिए। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय भी अपने छात्रों को यह तकनीकी सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय ई-लर्निंग सुविधा के उन्नयन पर भी कार्य कर रहे हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से वीडियो व्याख्यान शिक्षण और प्रशिक्षण का एक मजबूत माध्यम बन रहा है। यह एक शैक्षिक मार्ग प्रदान करता है, जिसकी व्यापक पहुँच है। न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म ई-लर्निंग के लिए एक क्रांतिकारी तंत्र बन गए हैं। वर्तमान परिदृश्य में, कुछ भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रसारण और वेबकास्ट के माध्यम से ई-लर्निंग की सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के पास वीडियो व्याख्यान तैयार करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए न्यू मीडिया तकनीक का उपयोग बहुत लाभदायक हो सकता है, बशर्ते भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा इसे सशक्त रूप से उपयोग में लाया जाए (गौड़, 2020)। वीडियो व्याख्यान और इसका वितरण मोड प्रभावी होगा तो ई-लर्निंग के आयाम भी प्रगतिशील होंगे, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी बना सकते है (गौड़ व बोहरा, 2019)। न्यू मीडिया के पास मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए कई प्लेटफार्म हैं। यह लागत में प्रभावी है और प्रत्येक छात्र के लिए इसका उपयोग आसान है। इसमें अंतरराष्ट्रीय एवं बहुसंवेदी दृष्टिकोण है। यह ई-लर्निंग के लिए लाइव ऑनलाइन सत्र जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है जो परिणामों के साथ तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने की सुविधा भी देता है। न्यू मीडिया प्रौद्योगिकी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के छात्रों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है (गौड़ व बोहरा, 2017)। ई-लर्निंग दूरसंचार तकनीक के माध्यम से सीखने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। विद्यार्थी इससे किसी भी समय और कहीं भी जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ ले सकते हैं (चौऊ & पाई, 2015)। न्यू मीडिया के माध्यम से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को उच्च गुणवक्तापूर्ण विषय सामग्री वीडियो व्याख्यान के रूप में प्रदान करना एक क्रांतिकारी कदम है। यह सुनिश्चित करना भी कि तकनीक के माध्यम से जो अध्ययन सामग्री शिक्षार्थियों तक पहुचाएँगे, उसे प्रभावी रूप से तैयार करना भी आवश्यक है। न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान का लाभ अधिक से अधिक शिक्षार्थी उठा सकें, तो उसके लिए भारत के सभी मुक्त और दूरस्थ विश्वविद्यालयों को पर्याप्त संख्या में गुणवक्तायुक्त वीडियो व्याख्यानों का निर्माण करना आवश्यक होगा। इस हेतु यह जानना आवश्यक होगा कि भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा वीडियो व्याख्यान तैयार करने में किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन बाधाओं

[1]वीडियो प्रोड्यूसर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान. ईमेल : mayank.wv@gmail.com

का समाधान खोजना आवश्यक है। यह अध्ययन भी मुक्त विश्वविद्यालयों में न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तैयार करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करके उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है।

शोध उद्देश्य एवं प्रविधि

अनुसंधान का उद्देश्य भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तैयार करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने पर केंद्रित है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं डीडी न्यूज के वीडियो निर्माताओं को गुणात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत सोद्देश्य प्रतिचयन का उपयोग करके चुना गया। सोद्देश्य प्रतिचयन एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में विश्लेषण के लिए व्यक्तियों या इकाइयों के एक विशिष्ट समूह का चयन करने के लिए किया जाता है। प्रतिभागियों को 'उद्देश्य पर' चुना जाता है। नमूनों के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दस वीडियो निर्माताओं एवं सहायक वीडियो निर्माताओं का चयन किया गया और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से एक निर्माता का चयन किया गया। डीडी न्यूज से दस वीडियो निर्माताओं एवं सहायक वीडियो निर्माताओं का चयन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है और उसके पास वीडियो निर्माण सामग्री एवं उससे संबंधित विशेषज्ञों की पर्याप्त रूप से उपलब्धता है। डीडी न्यूज एक राष्ट्रीय चैनल है, जिसकी वीडियो निर्माण से संबंधित कार्यप्रणाली अन्य विश्वविद्यालयों से कुछ समान है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय एक राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय है और वीडियो निर्माण सामग्री एवं उससे संबंधित विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार का उपयोग किया गया। एक निर्माता संपूर्ण वीडियो निर्माण प्रक्रिया में शामिल रहता है और एक वीडियो निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। विश्वविद्यालयों और डीडी न्यूज में वीडियो निर्माताओं की संख्या अलग-अलग थी और इसलिए नमूने के चयन की संख्या अलग-अलग रखी गई।

एक वीडियो निर्माण प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है—प्री-प्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। निर्माता प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व करता है और टीम की मदद से वीडियो निर्माण के तीनों चरणों का आयोजन करता है। इस उद्देश्य के लिए एक साक्षात्कार कार्यक्रम तैयार किया गया था। चूँकि साक्षात्कार में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछना और उनसे उत्तर प्राप्त करना शामिल है, इसलिए जब किसी को गुणात्मक डाटा की आवश्यकता होती है तो यह एक अच्छा साधन है। साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत, आमने-सामने साक्षात्कार और आमने-सामने समूह साक्षात्कार शामिल हैं। साक्षात्कार व्यक्तियों के बीच एक संबंध स्थापित करता है और आपके पास एक प्रारंभिक प्रश्न होना चाहिए। व्यक्तियों को हर समय परस्पर बात करते रहना चाहिए। उनसे किसी भी अस्पष्ट विषय को स्पष्ट करने के लिए कहें और अंत में साक्षात्कारकर्ताओं को विषय समाप्त करने के लिए आमंत्रित करें। अर्ध-संरचित साक्षात्कार विशिष्ट रूप से एक लचीली विषय मार्गदर्शिका पर आधारित है, जो अनुभवों और दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए खुले प्रश्नों की एक लचीली संरचना प्रदान करता है। इसमें अत्यधिक लचीलेपन का लाभ है, जिससे शोधकर्ता को नए क्षेत्रों में प्रवेश करने और समृद्ध डेटा तैयार करने में सुविधा मिलती है। इनका उपयोग आमतौर पर लोगों द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, समझ और अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए एक उपकरण के रूप में एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची विकसित की गई। अनुसूची में दोनों प्रकार के प्रश्न—ओपन-एंड और क्लोज-एंड—शामिल किए गए थे। प्रश्न वीडियो निर्माण के दौरान आने वाली समस्याओं पर केंद्रित थे। प्रश्न प्री-प्रोडक्शन से पोस्ट-प्रोडक्शन तक वीडियो निर्माण प्रक्रिया, सामग्री और वीडियो गुणवत्ता, विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वीडियो व्याख्यान के प्रस्तुति प्रारूप और वीडियो निर्माण टीम के साथ न्यूनतम आवश्यक इनफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित थे। इस उद्देश्य के लिए एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम विकसित किया गया था। इन साक्षात्कारों के डेटा को ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से संधारित किया गया। साक्षात्कारकर्ताओं के रूप में वीडियो निर्माताओं का चयन किया गया। साक्षात्कार आमने-सामने प्रारूप में आयोजित किए गए थे और डेटा को ऑडियो प्रारूप में सहेजा गया था। विशेषज्ञों ने वीडियो निर्माण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनका वीडियो व्याख्यान के निर्माण के दौरान सामना करना पड़ा। साक्षात्कारकर्ताओं ने मुद्दों के संबंध में प्रासंगिक उत्तर दिए हैं। सभी साक्षात्कार केवल वीडियो निर्माण बाधाओं पर केंद्रित थे और इन बाधाओं को दूर करने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे।

विश्लेषण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय और डीडी न्यूज को डेटा संग्रह के लिए चुना गया था। इस उद्देश्य के हितधारक संबंधित संस्था के वीडियो निर्माता एवं सह निर्माता थे। एक वीडियो प्रोडक्शन में तीन चरण होते हैं—प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। वीडियो निर्माण प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक प्रोडक्शन टीम की आवश्यकता होती है। विभिन्न चरणों के लिए विभिन्न निर्माण सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रस्तुतकर्ता, सह-विशेषज्ञ, शोधकर्ता, पटकथा लेखक और स्टोरीबोर्ड लेखक प्री-प्रोडक्शन चरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोडक्शन चरण में कैमरामैन, सहायक कैमरामैन, लाइटिंग मैन, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, साउंड इंजीनियर और साउंड रिकॉर्डिस्ट जैसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। पोस्ट-प्रोडक्शन वीडियो प्रोडक्शन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर, एनिमेटर, ग्राफिक आर्टिस्ट और आईटी विशेषज्ञों की मदद से पूरा किया जाता है। संपूर्ण शैक्षिक वीडियो निर्माण के दौरान निर्माता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, वह न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों या बाधाओं को उजागर कर सकता है। एक साक्षात्कार कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें न्यू-मीडिया प्रौद्योगिकियों से संबंधित ओपन-एंडेड प्रश्न शामिल थे। प्रत्येक प्रश्न पर वीडियो निर्माताओं की प्रतिक्रिया दर्ज की गई। ये सभी प्रश्न वीडियो प्रोडक्शन से संबंधित थे। शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम निर्माण में, निर्माता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है और निर्माता अपनी प्रोडक्शन टीम से काम करवाता है। ये साक्षात्कार उन बाधाओं पर केंद्रित थे, जिनका वीडियो निर्माण के दौरान निर्माता को सामना करना पड़ा।

निर्माताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि किस वीडियो प्रोग्राम प्रारूप का निर्माण करना आसान है। निर्माताओं से पूछा गया कि

वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को वीडियो कार्यक्रम प्रशिक्षण देना कितना महत्त्वपूर्ण है। निर्माताओं से यह जानना था कि वीडियो निर्माण के लिए कितने पेशेवरों की आवश्यकता है और भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में इसकी स्थिति क्या है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि ओडीएल सिस्टम के लिए वीडियो व्याख्यान निर्माण कितना महत्त्वपूर्ण है। निर्माताओं से वीडियो निर्माण तकनीक के भविष्य के बारे में पूछा गया। निर्माण तकनीक या तो वेब-आधारित वीडियो व्याख्यान या टीवी-आधारित वीडियो व्याख्यान हो सकती है। इन साक्षात्कारों में निर्माताओं से वीडियो निर्माण के प्रारूपों के बारे में पूछा गया। निर्माताओं से पूछा गया कि वीडियो निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कौन-सा वीडियो प्रारूप आसान है—वीडियो व्याख्यान, पैनल और समूह चर्चा वीडियो कार्यक्रम। इग्नू, वीएमओयू और डीडी न्यूज के निर्माताओं में से लगभग सभी ने निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वीडियो व्याख्यान को आसान माना। निर्माताओं के अनुसार वीडियो व्याख्यान तैयार करना आसान है। इस प्रारूप के लिए बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर इसे संबंधित इनफ्रास्ट्रक्चर सहित केवल एक प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ के साथ पूरा किया जा सकता है। निर्माताओं ने संक्षेप में बताया कि इसमें प्रस्तुतकर्ता पीपीटी के माध्यम से संबंधित विषय पर व्याख्यान देता है। यह पीपीटी संबंधित विषय पर आधारित होती है और व्याख्यान को सटीक और ज्ञानवर्धक बनाने में सहायक होती है। इसकी अवधि सीमित है और इसमें खर्च भी कम है। लगभग सभी निर्माताओं ने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए वीडियो व्याख्यान निर्माण प्रक्रिया को सबसे सस्ता और सबसे सटीक माना। निर्माताओं ने यह भी खुलासा किया कि वास्तव में तकनीकी रूप से वीडियो व्याख्यान निर्माण अधिक सुगम है। उन्होंने संक्षेप में बताया कि वीडियो व्याख्यान निर्माण की तुलना में पैनल और समूह चर्चा का निर्माण थोड़ा जटिल है। इसमें आमतौर पर प्रस्तुतकर्ता के साथ दो से तीन अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं। कार्यक्रम पूर्णतः चर्चा पर आधारित है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ विषय से संबंधित चर्चा करते हैं और अपना ज्ञान साझा करते हैं। इसे बनाने के लिए मल्टी-कैमरा सेटअप की आवश्यकता होती है। वीडियो व्याख्यान निर्माण की तुलना में लाइट सेटअप भी अलग होता है। निर्माताओं ने स्वीकार किया कि इस वीडियो कार्यक्रम की अवधि भी वीडियो व्याख्यान से अधिक होती है। शूटिंग बाहर के साथ-साथ स्टूडियो में भी की जा सकती है, परंतु इस प्रक्रिया में वित्तीय लागत भी बढ़ जाती है।

निर्माताओं के साथ इन साक्षात्कारों के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि एक शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम निर्माण में कौन से पेशेवरों की आवश्यकता है। अधिकतर वीडियो निर्माता इस बात से सहमत थे कि विश्वविद्यालयों के पास एक वीडियो निर्माण टीम होनी चाहिए। उनके अनुसार शैक्षिक वीडियो निर्माण प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। इन तीन चरणों में काम के लिए अलग-अलग पेशेवरों की आवश्यकता होती है, जिनके बिना निर्माण संभव नहीं है। निर्माताओं के अनुसार तीन चरण इस प्रकार हैं : प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन।

प्री-प्रोडक्शन : निर्माताओं ने कहा कि वीडियो प्रोडक्शन का पहला चरण प्री-प्रोडक्शन है। इसके अंतर्गत विचार की अवधारणा को विकसित करना और उपचार को अंतिम रूप देना महत्त्वपूर्ण है। इसके बाद तय किए गए विषय पर शोध करना भी जरूरी है। इसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जिसके आधार पर वीडियो शूटिंग के लिए स्टोरीबोर्ड तैयार किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि निर्माता के साथ-साथ विषय से संबंधित विशेषज्ञ, शोधकर्ता और पटकथा लेखक को इस प्री-प्रोडक्शन चरण को पूरा करना आवश्यक है।

प्रोडक्शन : निर्माताओं का मानना था कि वीडियो प्रोग्राम निर्माण प्रक्रिया में प्रोडक्शन चरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वीडियो प्रोग्राम की पूरी शूटिंग प्रोडक्शन स्टेज में की जाती है, जिसके लिए कम-से-कम एक कैमरामैन की आवश्यकता होती है। निर्माताओं के मुताबिक, वीडियो प्रोग्राम के ट्रीटमेंट के आधार पर यह तय किया जाता है कि शूटिंग मल्टी-कैमरा सेटअप में की जाएगी या सिंगल-कैमरा सेटअप में। मल्टी-कैमरा सेटअप में कैमरों की संख्या के अनुसार कैमरामैन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यदि शूटिंग आउटडोर है, तो लाइट की व्यवस्था करने के लिए लाइट इंजीनियर के साथ-साथ लाइट सहायक की भी आवश्यकता होती है। ज्यादातर निर्माता इस बात पर सहमत थे कि आउटडोर शूटिंग के दौरान कैमरा असिस्टेंट की भी जरूरत होती है। इसके अलावा वीडियो शूटिंग के दौरान एक साउंड इंजीनियर का होना भी जरूरी है, जो साउंड रिकॉर्डिंग को मैनेज करता हो। निर्माण प्रक्रिया के लिए कम-से-कम एक कैमरा मैन के साथ-साथ एक कैमरा सहायक, एक लाइटिंग इंजीनियर, एक साउंड इंजीनियर और एक निर्माता की आवश्यकता होती है।

पोस्ट-प्रोडक्शन : सभी निर्माताओं की राय के अनुसार वीडियो प्रोडक्शन चरणों में पोस्ट-प्रोडक्शन सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के बिना कोई भी वीडियो निर्माण पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें जो वीडियो शूट किया गया है, उसे वीडियो एडिटर द्वारा एडिट किया जाता है। इस शोध में शामिल सभी निर्माताओं की राय थी कि किसी भी वीडियो प्रोग्राम को संकलित करने के लिए कम-से-कम एक वीडियो एडिटर की आवश्यकता होती है, जो वीडियो को सही ढंग से संपादित कर सके। कुछ निर्माताओं का मानना था कि एक वीडियो एडिटर के साथ-साथ एक ग्राफिक और एनीमेशन डिजाइनर भी होना चाहिए। लेकिन कुछ निर्माताओं की राय अलग थी। उनके अनुसार वीडियो एडिटर एक पेशेवर है और उसे ग्राफिक और एनीमेशन कौशल भी आता है। उन्होंने वीडियो एडिटर के मल्टीटास्किंग के बारे में बात की, जो साउंड एडिटिंग भी कर सकता है। इससे निष्कर्ष निकला कि लगभग सभी निर्माता मुक्त विश्वविद्यालय के वीडियो निर्माण के लिए एक वीडियो टीम की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। निर्माताओं के अनुसार किसी मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षिक वीडियो प्रोग्राम बनाने के लिए एक वीडियो प्रोडक्शन टीम का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है : निर्माता, सहायक निर्माता, पटकथा लेखक, कैमरामैन, कैमरा सहायक, लाइट इंजीनियर, लाइट सहायक, साउंड इंजीनियर सह साउंड रिकॉर्डिस्ट, वीडियो संपादक, ग्राफिक डिजाइनर, प्रसारण इंजीनियर या आईटी (न्यू मीडिया) विशेषज्ञ। निर्माताओं के अनुसार यदि किसी वीडियो कार्यक्रम को टीवी पर प्रसारित करना है, तो उसके लिए एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की आवश्यकता होगी। न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो प्रोग्राम अपलोड करने के लिए एक आईटी इंजीनियर (विशेषज्ञ) की आवश्यकता होगी।

साक्षात्कार के दौरान यह जानने के लिए प्रश्न पूछे गए कि वीडियो व्याख्यान कार्यक्रम के निर्माण के दौरान निर्माताओं को प्रस्तुति और प्रस्तुति सामग्री में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा।

अधिकतर निर्माता इस बात से सहमत थे कि निर्माण के दौरान पेशेवर प्रस्तुतकर्ताओं की कमी एक अच्छे वीडियो कार्यक्रम के निर्माण में बाधा बनती है। निर्माताओं का मानना था कि यदि वीडियो कार्यक्रम एक वीडियो व्याख्यान है, तो प्रस्तुतकर्ता की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है और पूरे वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुतकर्ता ही एकमात्र जीवंत वस्तु है। केवल विषय विशेषज्ञ ही उस वीडियो व्याख्यान का प्रस्तुतकर्ता हो सकता है। निर्माताओं का मानना था कि अधिकतर प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ कैमरे के अनुकूल नहीं थे और उन्हें शूटिंग के दौरान कैमरे का सामना करने में कठिनाई होती थी। हालाँकि वीडियो व्याख्यान एक प्रस्तुतकर्ता आधारित कार्यक्रम है, निर्माताओं ने बताया कि प्रस्तुतकर्ताओं को भाषा और उच्चारण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्माताओं ने माना कि ज्यादातर विशेषज्ञ कैमरे के सामने आते ही घबरा जाते हैं और ठीक से व्याख्यान नहीं दे पाते। निर्माताओं ने कहा कि अधिकतर वीडियो प्रस्तुतियों में प्रस्तुति-संबंधी समस्याएँ बार-बार आती हैं और यह आवश्यक है कि वीडियो व्याख्यान की शूटिंग से पहले प्रस्तुतकर्ता को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे प्रस्तुतकर्ता में एक अच्छा वीडियो व्याख्यान देने के लिए आत्मविश्वास पैदा होगा। निर्माताओं ने कहा कि वीडियो व्याख्यान की शूटिंग के दौरान प्रस्तुतकर्ता द्वारा उपयोग की गई प्रस्तुति की सामग्री अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होती। पीपीटी में सिर्फ लिखित सामग्री को शामिल किया जाता है, और इसमें न तो चित्र होते हैं और न ही कोई एनीमेशन या ग्राफिक, जो प्रस्तुतकर्ता के साथ-साथ छात्र के लिए भी उबाऊ होते हैं। निर्माताओं ने सुझाव दिया कि वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते समय यह बताना जरूरी है कि सामग्री को बिंदुओं में लिखा जाना चाहिए न कि वाक्यों में। और इसे संबंधित चित्रों और ग्राफिक्स के साथ सम्मलित किया जाना चाहिए।

यह जानने का प्रयास किया गया कि दूरस्थ एवं मुक्त प्रणाली में शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम निर्माण के दौरान आने वाली समस्याएँ सामान्य वीडियो कार्यक्रम निर्माण की समस्याओं से कैसे भिन्न हैं। निर्माताओं ने बताया कि सामान्य वीडियो निर्माण और मुक्त और दूरस्थ विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाने के बीच बहुत अंतर है। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाने में कई सीमाएँ हैं। समस्याएँ बजट, बुनियादी ढाँचे, तकनीकी और जनशक्ति से संबंधित हो सकती हैं, जो सामान्य वीडियो निर्माण में बहुत कम देखी जाती हैं।

निर्माताओं ने कहा कि मुक्त और दूरस्थ विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाने में सबसे जरूरी चीज बजट है। विश्वविद्यालयों के पास शिक्षा वीडियो कार्यक्रम बनाने के लिए सीमित बजट होता है या यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालयों में जो भी बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है, उसका उपयोग करके शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाना पड़ता है। बजट या तो बहुत कम है या उपलब्ध नहीं है। निर्माताओं ने कहा कि हर विश्वविद्यालय शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहता है, लेकिन विश्वविद्यालय बजट नहीं जुटा पा रहे हैं। सामान्य वीडियो प्रोडक्शन में शुरुआत में बजट तय होता है और वीडियो प्रोडक्शन का ट्रीटमेंट भी उसी पर आधारित होता है।

निर्माताओं ने बताया कि एक शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में अधिकतर भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों के पास अपने स्वयं के स्टूडियो हैं या स्टूडियो किराये पर लेते हैं। निर्माताओं का मानना था कि भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में वीडियो कार्यक्रमों में बहुत कम या कोई पेशेवर भागीदारी नहीं होती है, जबकि सामान्य वीडियो निर्माण में एक पूरी वीडियो निर्माण टीम होती है, जो वीडियो निर्माण करती है।

निर्माताओं ने यह महसूस किया कि सभी भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम बनाना चाहते थे, लेकिन तकनीकी सहायता शून्य थी। इसके कारण शैक्षणिक वीडियो निर्माण करने में दिक्कत आ रही है, जबकि सामान्य वीडियो निर्माण में तकनीकी सहायता पूरी तरह से प्राप्त की जाती है, वे वीडियो कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए बाहर से तकनीकी सहायता भी लेते हैं। प्रोड्यूसर से यह जानने की कोशिश की गई कि उनके मुताबिक कौन-सा वीडियो क्वालिटी फॉर्मेट बेहतर है—हाई डेफिनिशन (एचडी) या स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी)। निर्माताओं ने बताया कि अब हाई डेफिनिशन वीडियो गुणवत्ता में स्टैंडर्ड डेफिनिशन से बेहतर है। सभी वीडियो प्रोग्राम हाई डेफिनिशन (एचडी) में शूट और निर्मित किए जाने चाहिए। निर्माताओं के अनुसार हाई डेफिनिशन वीडियो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में है।

निर्माताओं से बेहतर शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम प्लेटफार्म के बारे में जानने का प्रयास किया गया। निर्माताओं के मुताबिक बदलते आईटी के इस दौर में न्यू मीडिया आधारित प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रभावी होगा। प्रसारण आधारित प्लेटफॉर्म अब अतीत की बात हो गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में छात्र न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास टीवी के सामने बैठकर वीडियो लेक्चर का इंतजार करने का समय नहीं है। मोबाइल क्रांति ने सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध करा दिया है और छात्र मोबाइल पर यूट्यूब एवं अन्य न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो व्याख्यान देख सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। कुछ निर्माताओं ने इसे सच नहीं माना। उन्होंने कहा कि शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों के लिए प्रसारण तकनीक अभी भी विश्वसनीय और मजबूत माध्यम है। लेकिन ज्यादातर निर्माताओं का मानना था कि आने वाले समय में न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म ही प्रमुख माध्यम है। विश्वविद्यालय को इसके माध्यम से छात्रों को शिक्षा वीडियो कार्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए।

बजट की कमी : वीडियो निर्माण के लिए बजट सबसे महत्त्वपूर्ण है और भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह सबसे बड़ी बाधा भी है। संबंधित इनफ्रास्ट्रक्चर की माँग तभी पूरी हो सकती है जब बजट पर्याप्त होगा। बजट के अनुसार ही वीडियो निर्माण विशेषज्ञों का पदों का सृजन किया जाएगा, जो यह तय करता है कि आपका वीडियो निर्माण कितना गुणात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण होगा। इस शोध में यह पाया गया कि भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास वीडियो निर्माण के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। अधिकतर भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त बुनियादी ढाँचा भी नहीं है। इस शोध में यह भी पाया गया कि शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रमों में वीडियो व्याख्यान के निर्माण के लिए कम बजट की आवश्यकता होती है, जबकि समूह चर्चा वीडियो निर्माण के लिए वीडियो व्याख्यान की तुलना में अधिक बजट की आवश्यकता होती है। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों को वीडियो व्याख्यान प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विशेष बजट का

प्रावधान रखना होगा। विश्वविद्यालयों को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक रूपरेखा बनानी चाहिए, जिसके आधार पर वे बजट की व्यवस्था कर सकें। वीडियो निर्माण से संबंधित बाधाओं को तभी दूर किया जा सकता है जब पर्याप्त मात्रा में बजट आवंटित किया जाए।

इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी : इस अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकतर भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास वीडियो निर्माण से संबंधित पर्याप्त इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अध्ययन में इनफ्रास्ट्रक्चर को वीडियो निर्माण में एक प्रमुख बाधा माना गया। साउंड प्रूफ स्टूडियो की शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम के निर्माण में महती भूमिका होती है, जो अधिकतर भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण वीडियो कार्यक्रम के निर्माण के लिए स्टूडियो के साथ-साथ वीडियो निर्माण उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। शैक्षिक वीडियो निर्माण आउटडोर या इनडोर किया जा सकता है। इस शोध में एक महत्त्वपूर्ण बात सामने आई कि शैक्षिक वीडियो निर्माण को प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—शैक्षिक वीडियो व्याख्यान और शैक्षिक वीडियो पैनल चर्चा। वीडियो व्याख्यान निर्माण एक इनडोर आधारित कार्यक्रम है और इसमें व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इनडोर वीडियो व्याख्यान निर्माण के लिए साउंडप्रूफ स्टूडियो की आवश्यकता होगी, इसलिए विश्वविद्यालयों को स्टूडियो विकास के बारे में सोचना होगा। वीडियो व्याख्यान निर्माण एक प्रभावी और रचनात्मक प्रारूप है।

स्टूडियो में वीडियो निर्माण के दौरान निम्नलिखित इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी।

1. साउंडप्रूफ स्टूडियो
2. प्रोफेशनल लाइट
3. मेमोरी कार्ड के साथ प्रोफेशनल एचडी कैमरा
4. टेलीप्रांप्टर या मॉनिटर
5. विजन मिक्सर और रिकॉर्डर के साथ माइक्रोफोन
6. पूर्वावलोकन मॉनिटर
7. उच्च तकनीक युक्त वीडियो एडिटिंग मशीन के साथ प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर

अध्ययन में पाया गया कि शैक्षिक वीडियो व्याख्यान तैयार करने के लिए उपर्युक्त चीजों की आवश्यकता होती है। इस संपूर्ण इनफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता तभी संभव है, जब इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया जाए।

साउंडप्रूफ स्टूडियो : एक बेहतर वीडियो प्रोग्राम तैयार करने के लिए एयरकंडीशन युक्त साउंडप्रूफ स्टूडियो की आवश्यकता होती है। यह वीडियो निर्माण के दौरान बाहर के शोर को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है और शोरमुक्त ऑडियो रिकॉर्ड करने में मदद करता है। बाहर से आने वाली ध्वनि प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ का ध्यान भटका सकती है, जिससे वीडियो निर्माण में बाधा आ सकती है और उससे वीडियो व्याख्यान को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए एक साउंडप्रूफ स्टूडियो एक वीडियो व्याख्यान तैयार करने की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। वीडियो निर्माण में विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे उपकरण गर्म हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें सामान्य तापमान में लाने में एयरकंडीशन की भी भूमिका विशेष हो जाती है।

प्रोफेशनल लाइट : स्टूडियो में एक वीडियो लेक्चर को शूट करने के लिए व्यावसायिक लाइट की आवश्यकता होती है और लाइट के बिना निर्माण पूरा नहीं किया जा सकता है। स्टूडियो में उपयोग के लिए एलईडी सही विकल्प हो सकता है। यह लागत प्रभावी है और अन्य लाइट की तुलना में बिजली की खपत कम करती है। वीडियो निर्माण के लिए रोशनी आवश्यक है। यदि उचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है, तो वीडियो निर्माण की गुणवत्ता सीधे प्रभावित होगी। यदि रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो वीडियो लेक्चर में गुणवत्तापूर्ण शूट नहीं होगा और अगर लाइटिंग बेहतर होगी तो वीडियो लेक्चर की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। स्टूडियो लाइटिंग सेटअप के कई प्रारूप हैं, जैसे 3 पॉइंट लाइटिंग और 5 पॉइंट लाइटिंग, जिनका उपयोग वीडियो निर्माण की माँग के अनुसार किया जा सकता है।

कैमरा : वीडियो निर्माण का प्राथमिक उपकरण वीडियो कैमरा है और इसके बिना वीडियो निर्माण संभव नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि कैमरे के हाई डेफिनिशन प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। हाई डेफिनिशन कैमरा फुटेज गुणवत्ता के मामले में भी अच्छा होता है। मौजूदा तकनीक की बात करें तो कैमरे की रिकॉर्डिंग वीडियो कैसेट की जगह मेमोरी कार्ड ने ले ली है। वीडियो व्याख्यान के निर्माण में सिंगल कैमरा शूटिंग या मल्टी-कैमरा शूटिंग भी संभव है। मल्टी-कैमरा शूटिंग के लिए एक से अधिक कैमरे की आवश्यकता होगी, जिससे बजट व्यय भी बढ़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्री-व्यू आउटपुट के साथ माइक इनपुट के विकल्प के साथ कैमरा प्रोफेशनल होना चाहिए।

टेलीप्रांप्टर/मोनिटर : टेलीप्रांप्टर वीडियो व्याख्यान निर्माण में आवश्यक है। प्रस्तुतकर्ता वीडियो व्याख्यान के दौरान टेलीप्रांप्टर को देखकर स्लाइड या पीपीटी का प्रदर्शन करता है। पीपीटी स्लाइड टेलीप्रांप्टर पर दिखाई देती हैं और प्रस्तुतकर्ता वीडियो शूटिंग के दौरान पीपीटी स्लाइडों को पढ़कर व्याख्यान देता है।

मिक्सर और रिकॉर्डर के साथ माइक्रोफोन : वीडियो व्याख्यान निर्माण के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। प्रस्तुतकर्ता का ऑडियो माइक्रोफोन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे बाद में ऑडियो मिक्सर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल कैमरा शूट में ऑडियो को माइक के माध्यम से कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन मल्टी-कैमरा शूट में ऑडियो को ऑडियो मिक्सर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑडियो मिक्सर में कई माइक्रोफोन इनपुट और आउटपुट विकल्प भी होते हैं। बाहरी माइक्रोफोन स्पष्ट और संतुलित ऑडियो प्रदान करता है, जो कैमरे का इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं कर सकता। वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुतकर्ताओं का ऑडियो स्पष्ट होना चाहिए और यदि ऑडियो स्पष्ट नहीं है, तो वीडियो व्याख्यान प्रभावी नहीं हो सकता है।

प्री-व्यू मॉनिटर : प्रस्तुतकर्ता की स्थिति, कैमरा फ्रेम, लाइट का विवरण वीडियो शूट शुरू करने से पहले प्री-व्यू मॉनिटर के माध्यम से देखा जाता है और शूटिंग प्रक्रिया के दौरान भी आउटपुट की निगरानी की जा सकती है। प्री-व्यू मॉनिटर शूटिंग के दौरान वीडियो व्याख्यान के सभी पहलुओं की जाँच करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। प्रस्तुतकर्ता की शारीरिक भाषा, उच्चारण, लाइट, पोशाक और सेटअप की पृष्ठभूमि, सभी पूर्वावलोकन मॉनिटर में देखे जा सकते हैं।

वीडियो संपादन सेटअप : वीडियो शूट करने के बाद पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया शुरू होती है। पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया को वीडियो संपादन के

माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है। वीडियो एडिटिंग सेटअप के लिए हाई कॉनफिगरेशन वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही ऑडियो-वीडियो एडिटिंग के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ग्राफिक और एनिमेशन के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर की सहायता से वीडियो लेक्चर संपादित किए जाते हैं। ये सभी चीजें इनफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, जो एक वीडियो व्याख्यान निर्माण के लिए आवश्यक है और मुक्त विश्वविद्यालयों को इसके लिए अच्छे बजट की आवश्यकता होगी।

मानव संसाधन की कमी : शोध से पता चला कि पेशेवर मानव संसाधनों की कम उपलब्धता मुक्त विश्वविद्यालयों में वीडियो निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। इग्नू को छोड़कर किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय के पास वीडियो व्याख्यान निर्माण के लिए पर्याप्त पेशेवर नहीं है। एक वीडियो निर्माण प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके आधार पर पेशेवर का चयन किया जा सकता है : 1. प्री प्रोडक्शन 2. प्रोडक्शन और 3. पोस्ट प्रोडक्शन।

पेशेवर प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ की कमी : निर्माताओं ने बताया कि प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ कैमरे के अनुकूल नहीं हैं और ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता कैमरे के सामने व्याख्यान देते समय झिझकते हैं। वे वीडियो व्याख्यान के निर्माण के दौरान सहज महसूस नहीं करते हैं। निर्माताओं ने सुझाव दिया कि शूटिंग शुरू करने से पहले प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ के लिए अल्पकालिक वीडियो निर्माण प्रशिक्षण आवश्यक है। अल्पावधि प्रशिक्षण की अवधि भी निश्चित की जानी चाहिए।

शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम प्रारूप निर्धारित करने में असमर्थता : अध्ययन से ज्ञात हुआ कि भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास वीडियो व्याख्यान के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश और प्रारूप नहीं है। यह वीडियो व्याख्यान तैयार करने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। एक विशेष प्रारूप के अभाव के कारण बजट और इनफ्रास्ट्रक्चर को अंतिम रूप देना कठिन हो जाता है। वीडियो निर्माण की योजना बनाते समय, इस पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि वीडियो किस प्रारूप में बनाए गए हैं और उन्हें मोबाइल उपकरण के साथ देखने के लिए सक्षम किया जाए, बाद में वीडियो प्रारूप बदलना एक काफी श्रमसाध्य और महँगी प्रक्रिया हो सकता है (माइलीमकी, 2014)। वीडियो कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास एक विशिष्ट दिशानिर्देश और प्रारूप होना चाहिए।

एक अच्छा व्याख्यान प्रेरक और रोमांचक दोनों हो सकता है और व्याख्याताओं को शिक्षार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक रोल मॉडल बनने का मौका देता है। व्याख्यान का विषय कोई भी हो, जब वह सम्मोहक ढंग से दिया जाता है और दर्शकों और व्याख्याता के बीच उच्च स्तर का जुड़ाव हो तो वह आसानी से भुलाया नहीं जा सकता (डोमिंजो, 2008)। अच्छे व्याख्यानों का निर्माण वीडियो व्याख्यान के प्रारूप में तैयार करके उसे न्यू मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए इस शोध के परिणामों को अमल में लाना आवश्यक होगा। इससे मुक्त विश्वविद्यालयों को न्यू मीडिया के माध्यम से अध्ययन कराने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष

अध्ययन में भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों एवं डीडी न्यूज के विभिन्न प्रोड्यूसरों के साथ वीडियो निर्माण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की गई। अधिकतर भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास वीडियो निर्माण के लिए पर्याप्त विशिष्ट बजट और इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के पास या तो वीडियो निर्माण विशेषज्ञ नहीं हैं या यदि हैं भी तो वे वीडियो निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सभी भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान तकनीक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वीडियो निर्माण में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधाओं में से एक इसके उपयोग के संबंध में भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में इच्छाशक्ति की कमी है। वीडियो निर्माण से संबंधित भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों में कुछ बाधाओं की पहचान की गई, उनमें प्रमुख थीं—बजट की कमी, इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मानव संसाधन की कमी, शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम प्रारूप निर्धारित करने में असमर्थता, पेशेवर प्रस्तुतकर्ता सह-विशेषज्ञ का अभाव।

संदर्भ

कनिओग्लु, एफ.डी. आदि (2017). फॉस्टरइंग इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजीज इन गैनिंग स्किल्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स. इंटरनेशनल जरनल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, 687-697.

गौड़, एम. (2020). भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के संदर्भ में न्यू मीडिया आधारित वीडियो व्याख्यान के उपयोग में आ रही बाधाओं का अध्ययन. संचार माध्यम, 67-74.

गौड़, एम. & बोहरा, आर. (2019). एफिकेसी ऑफ न्यू मीडिया बेस्ड वीडियो लेक्चर्स इन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. एशियन जनरल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, 144-158.

गौड़, एम. & बोहरा, आर. (2017). न्यू मीडिया इंटरवेंशन एट ओपन युनिवर्सिटीज इन इंडिया. यूरोपियन एकेडेमिक रिसर्च, 3177-3192.

चौऊ, सी. एच. & पाई, एस.एम. (2015). द इफेक्टिवनेस ऑफ फेसबुक ग्रुप फॉर ई लर्निंग. इंटरनेशनल जरनल ऑफ इनफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 477-482.

डोमिजियो, पी. (2008). गिविंग अ गुड लेक्चर. डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलोजी, 284-288.

मायलीमाकी, एम., पेंट्टिला, जे. & हाकाला, ई. (2014). प्रोड्यूसिंग लेक्चर विडियो फ्रॉम फेस टू फेस टीचिंग. इंटरनेशनल जरनल ऑफ इन्फोर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 2014.

संचार माध्यम | खंड 36(1) : 105-116, जनवरी-जून 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता और 'आजकल'

प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार[1]

शोध सारांश

सत्य, धर्म, न्याय, मर्यादा, सौहार्द, सद्भाव, परोपकार, विश्वशांति, विश्वकल्याण जैसे जीवन मूल्य हमें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। ये मूल्य न केवल समाज में व्यवस्था कायम करने में मदद करते हैं, बल्कि जनसामान्य को एक सार्थक जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। इन जीवन मूल्यों को सरल तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का काम पहले श्रुति परंपरा और आधुनिक समय में साहित्यिक पत्रकारिता ने किया है। भारत में साहित्यिक पत्रिकाओं की एक समृद्ध परंपरा है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की 'कवि वचन सुधा' एवं 'बालाबोधिनी', हजारी प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती', मुंशी प्रेमचंद की 'हंस', बाबु गुलाब राय की 'साहित्य संदेश', माखनलाल चतुर्वेदी की 'प्रभा', 'कर्मवीर' और 'प्रताप', चंडीप्रसाद हृदयेश की 'चाँद', प्रतापनारायण मिश्र की 'ब्राह्मण', बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की 'आनंद कादम्बिनी', बालकृष्ण भट्ट की 'हिंदी प्रदीप', बालमुकुंद गुप्त की 'भारतमित्र', हनुमान प्रसाद पोद्दार की 'कल्याण' आदि पत्रिकाओं ने सतत समृद्ध किया है। इन पत्रिकाओं ने साहित्यिक गंगा की धारा के निर्मल प्रवाह को जन-जन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक युग की बात करें तो 'धर्मयुग', 'ज्ञानोदय', 'सारिका', 'हिंदुस्तान साप्ताहिक' और 'साहित्य अमृत' जैसी पत्रिकाओं का योगदान भी साहित्यिक पत्रकारिता में अविस्मरणीय है। ये सभी पत्रिकाएँ निजी स्वामित्व में संचालित हुईं। इन सबके बीच भारत सरकार के स्वामित्व में प्रकाशित पत्रिका 'आजकल' ने एक अलग पहचान बनाई है। मूलरूप से इसकी शुरुआत वर्ष 1941 में अँग्रेज सरकार द्वारा यूनाइटेड पब्लिकेशन (संयुक्त प्रकाशनालय) के तहत 'नन परोन' नाम से हुई। 'नन परोन' पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'आजकल'। 'नन परोन' के कुछ अंक पश्तो और उर्दू दोनों भाषाओं में निकले। 'आजकल' नाम से स्वतंत्र उर्दू पत्रिका की शुरुआत 25 नवंबर, 1942 को हुई। इसी नाम से हिंदी पत्रिका की शुरुआत 1945 में हुई। जोश मलीहाबादी, जगन्नाथ आजाद, बलवंत सिंह, अर्श मल सियानी बालमुकुंद, श्रीशचंद सक्सेना, मोईन जज्बी जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार 'आजकल' उर्दू का संपादन करते थे। हिंदी में देवेंद्र सत्यार्थी जैसे साहित्यकार जुड़े रहे। एक शताब्दी से अधिक समय से साहित्य और पत्रकारिता एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। आज जब दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों से साहित्य लगभग गायब हो चुका है उस समय 'आजकल' साहित्य, संस्कृति और कला पर लेखन की मशाल को सँभाले हुए है। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि यह डिजिटल स्वरूप में भी उपलब्ध है, यानी शुरुआत से लेकर अब तक के सभी अंक प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में निशुल्क उपलब्ध हैं। पत्र-पत्रिकाओं से साहित्य का गायब होना समाज से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का गायब होना है। यदि नई पीढ़ी आज डिजिटल माध्यमों पर अपना अधिक समय गुजार रही है तो उन्हीं माध्यमों पर उन्हें विभिन्न स्वरूपों में साहित्य उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध के लिए गुणात्मक सामग्री प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की गई है। मुख्य स्रोत प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध 'आजकल' के पुराने अंक हैं।

संकेत शब्द : नन परोन, आजकल, प्रकाशन विभाग, यूनाइटेड पब्लिकेशन, संयुक्त प्रकाशनालय, साहित्य

प्रस्तावना

भारत में साहित्यिक पत्रिकाओं का इतिहास एक शताब्दी से अधिक पुराना है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, एकांकी, कविता आदि के माध्यम से साहित्य को पोषित किया गया। हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। उन्होंने सन् 1868 में साहित्यिक पत्रिका 'कवि वचन सुधा' की शुरुआत की। बाद में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन काशी से वर्ष 1893 में बाबू श्यामसुंदर दास के संपादकत्व में हुआ। पहले यह पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशित होती थी, परंतु बाद में मासिक प्रकाशित होने लगी। इसमें हिंदी साहित्य, इतिहास, आलोचना जैसे विषयों पर विचारपूर्ण, गंभीर शोध लेख प्रकाशित होते थे। 'आनंद कादंबिनी' का प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने 1881 में मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) से किया। इसी प्रकार 'सरस्वती' का प्रकाशन 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा काशी से किया गया। सरस्वती का साहित्यिक पत्रकारिता में बड़ा योगदान है। 'सम्मेलन पत्रिका' का प्रकाशन 1913 में प्रयागराज से रामनरेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। इसमें साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विषयों पर आधारित शोध लेख प्रकाशित होते थे। 1930 में काशी से आरंभ 'हंस' का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया। 'हंस' ने साहित्य की पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराओं की स्थापना की। 'राष्ट्र भारती' का हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसका प्रकाशन 1936 में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा किया गया। 'साहित्य संदेश' की शुरुआत बाबू गुलबराय ने 1938 में आगरा से की। इसके अलावा सारिका, संचेतना, निहारिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वाराणसी), आलोचना (दिल्ली), सम्मेलन पत्रिका (इलाहाबाद), कथन (नई दिल्ली), माध्यम (इलाहाबाद), मीरांयन (भोपाल), अक्षरा (भोपाल), गवेषणा (आगरा), हिमप्रस्थ (शिमला), हरिगंधा (हरियाणा), समकालीन भारतीय साहित्य (साहित्य अकादमी, नई दिल्ली), वीणा (इंदौर), मधुमती (राजस्थान साहित्य अकादमी), नया ज्ञानोदय (दिल्ली) आदि साहित्यिक पत्रिकाओं का भी हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता में बड़ा योगदान है (नंदवाना, 2016)। हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं में अनेक साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती रही हैं। ऐसी पत्रिकाओं में एक प्रमुख नाम है 'आजकल', जिसकी शुरुआत 1941 में पश्तो भाषा में हुई। फिर 1942 में उर्दू और बाद

[1]पाठ्यक्रम निदेशक, उर्दू पत्रकारिता, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली. ईमेल : drpk.iimc@gmail.com

में इसका प्रकाशन हिंदी में भी होने लगा। यह भारत सरकार के प्रकाशन विभाग (पूर्व में संयुक्त प्रकाशनालय) द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में अनूदित रचनाओं को भी स्थान दिया जाता रहा है।

प्रकाशन विभाग

भारत सरकार के वर्तमान प्रकाशन विभाग की शुरुआत 1948 में हुई, परंतु इसकी नींव 1940 में यूनाइटेड पब्लिकेशन (संयुक्त प्रकाशनालय) नाम से अँग्रेज सरकार द्वारा डाली गई। उस समय इस विभाग का उद्देश्य अँग्रेज सरकार की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार था। यह सर्वविदित है कि 1 सितंबर, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय अँग्रेज सरकार और उसके मित्र राष्ट्रों के प्रचार के लिए एक अलग विभाग के रूप में यूनाइटेड पब्लिकेशन की स्थापना की गई। कुछ समय बाद इसका नाम 'प्रकाशन विभाग' कर दिया गया। शुरू में इसका कार्यालय 15, राजपुर रोड, दिल्ली था। बाद में यह पुराना सचिवालय में चला गया। उसके बाद पटियाला हाउस बिल्डिंग में। बाद में जब सूचना भवन बना तो वर्ष 2000 से इसका कार्यालय वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। आजादी से पहले इस विभाग का काम अँग्रेज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार था, परंतु बाद में यह राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करनेवाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करने लगा। प्रमुख रूप से इसके तीन उद्देश्य हैं। एक, भारत भूमि और यहाँ के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव-जंतु और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों की महान् हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन करना। दो, भारत के राष्ट्रपतियों/प्रधानमंत्रियों के भाषणों के प्रकाशन से समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना; समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तकें छापना। तीन, बच्चों को जानकारी देने के साथ-साथ उनका मनोरंजन करने, उन्हें देश की धरोहर, संस्कृति तथा समाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं बच्चों में मानवीय जीवन मूल्यों तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के लिए बाल साहित्य (कथा और कथेतर) का प्रकाशन करना (प्रकाशन विभाग वेबसाइट, 2023)। प्रकाशन विभाग ने गांधीवादी विचारधारा पर अँग्रेजी में 100 खंडों में 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का प्रकाशन किया है, जो गांधीजी के लेखन के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक कार्यों में से एक माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के ई-संस्करण की मास्टर कॉपी तैयार की है। इसमें किसी भी विषय को बड़ी आसानी से खोजा जा सकता है।

'योजना' प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1957 से निरंतर हो रहा है। समाज के सभी अंगों के योजनाबद्ध विकास की जानकारी देने वाली यह पत्रिका सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विमर्श का मंच प्रदान करती है। यह 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है। ऐसी ही दूसरी पत्रिका है 'कुरुक्षेत्र', जिसका 1952 से अँग्रेजी और हिंदी में प्रकाशन हो रहा है। ग्रामीण विकास के मुद्दों से जुड़ी यह पत्रिका हिंदी और अँग्रेजी में प्रकाशित होती है। 'बाल भारती' 1948 से निरंतर प्रकाशित बाल पत्रिका है। इसका उद्देश्य कहानियों, कविताओं, चित्रकथाओं और लेखों के जरिये बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और मानवीय मूल्यों के संस्कार देना है। आजकल (हिंदी) 1945 से और आजकल (उर्दू) 1942 से प्रकाशित होने वाली साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिकाएँ हैं। 'इंपलॉयमेंट न्यूज' प्रकाशन विभाग का प्रमुख पाक्षिक पत्र है। रोजगार और कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए 1976 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। अँग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू में भी इसका प्रकाशन होता है।

पश्तो में 'नन परोन'

भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप-बी) के सेवानिवृत्त अधिकारी और 'आजकल' उर्दू के पूर्व संपादक श्री हसन जिया बताते हैं : 'आजकल' की शुरुआत 5 मई, 1941 को पश्तो भाषा की पत्रिका 'नन परोन' के रूप में हुई। 'नन परोन' पश्तो का शब्द है, जिसका अर्थ है 'आजकल'। उस समय इसका लक्षित क्षेत्र अफगानिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा का पश्तो बोलने वाला क्षेत्र था। इससे पूर्व 1939 में आल इंडिया रेडियो की विदेश समाचार सेवा भी पहली बार पश्तो भाषा में ही शुरू हुई थी। इसका एक कारण यह था कि वह क्षेत्र अँग्रेज सरकार के अधीन नहीं था। उस समय के अंकों में विश्व युद्ध से जुड़े हुए समाचार और छायाचित्र प्रकाशित होते थे। उस जमाने में फोटो की बड़ी अहमियत थी। अखबारों में बहुत मुश्किल से कोई फोटो छपता था। फोटो मिलते भी नहीं थे और उन्हें छापना भी बहुत मुश्किल था। साक्षरता दर कम होने की वजह से फोटो सबकी समझ में आ जाता था। विश्व युद्ध का कोई फोटो यदि चार-छह महीने बाद भी आता था तो वह भी खबर होती थी। 'नन परोन' का 1942 से 'आजकल' नाम से उर्दू में भी प्रकाशन शुरू किया गया। हालाँकि उर्दू में जो कुछ छपता था वह पश्तो में प्रकाशित 'सामग्री' का ही अनुवाद होता था। एक ही पत्रिका में पश्तो और उर्दू की सामग्री होती थी। उस समय यह पाक्षिक पत्रिका थी, 'नन परोन' का स्वतंत्र उर्दू संस्करण 'आजकल' नाम से 1 जून, 1942 को शुरू हुआ। उस समय यह भी पाक्षिक पत्रिका ही थी। परंतु इसमें विश्व युद्ध और सरकारी समाचार के साथ कला एवं साहित्य की जानकारी भी आने लगी। इसके आवरण पृष्ठ पर अनेक वर्षों तक ऊपर की तरफ एक ही छायाचित्र छपता रहा और नीचे के हिस्से में कोई-न-कोई नया चित्र छपता था। जब यह उर्दू पत्रिका 'आजकल' नाम से छपने लगी तब भी आवरण पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में वही 'नन परोन' वाला चित्र ही छपता रहा। हालाँकि जनवरी 1943 में उस चित्र में थोड़ा बदलाव किया गया, जो मई 1943 के अंक तक छपा। जून 1943 से आजकल उर्दू अंक के आवरण पृष्ठ पर विश्व का एक मानचित्र छापा जाने लगा। कुछ समय अरबी और फ्रेंच में भी इसका प्रकाशन होता था। अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय के मुश्किल हालात में यह पत्रिका करीब तीन महीने बंद रही। दिसंबर 1947 से इसका प्रकशन पुन: शुरू हो गया। दिसंबर 1949 से इसका प्रकाशन मासिक हो रहा है। जब यह पाक्षिक पत्रिका थी तो इसका प्रकाशन महीने की पाँच और पच्चीस तारीख को होता था। बाद में चार और बीस तारीख को होने लगा। शुरू में इसकी कीमत 'दो आना' थी। 1943 में इसमें एक नोटिस प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि विश्वयुद्ध की वजह से कागज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए कीमत

बढ़ाकर 'चार आना' की जाती है। अब इसका मूल्य 22 रुपये है' (जिया, 2023)।

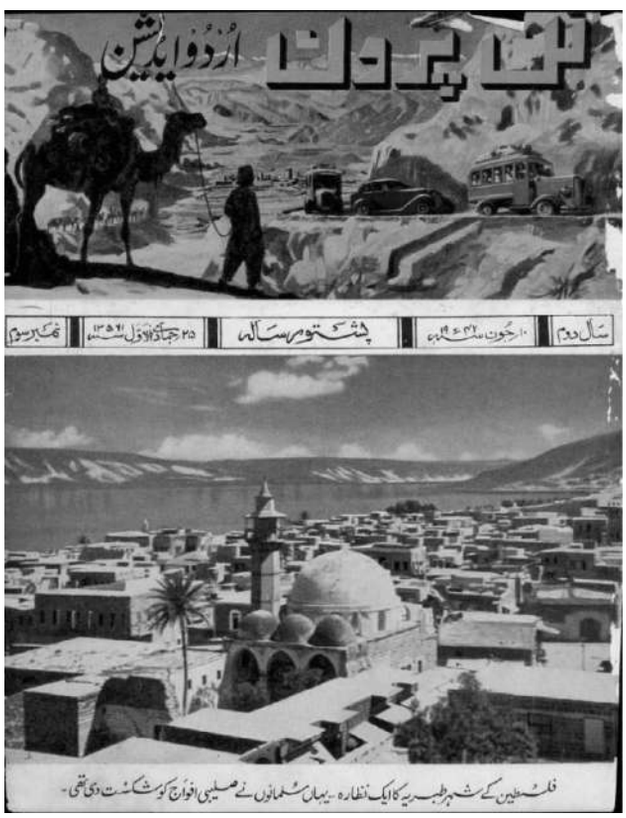

'नन परोन' नाम से 1 जून, 1942 में प्रकाशित 'आजकल' उर्दू का प्रथम अंक

'आजकल' नाम से उर्दू में प्रकाशित 15 नवंबर, 1942 का प्रथम अंक.

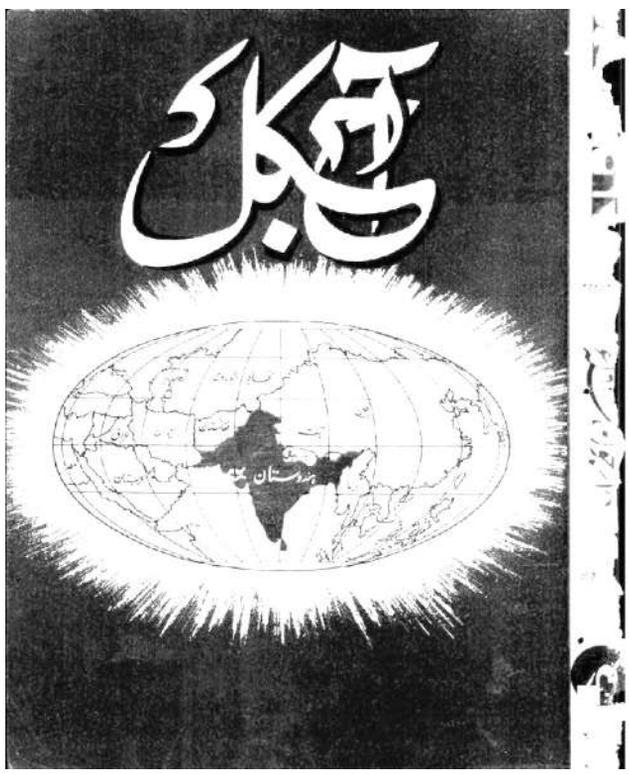

'आजकल' उर्दू के 1 जून, 1943 अंक का आवरण पृष्ठ

'नन परोन' का उर्दू संस्करण आरंभ करते समय 10 जून, 1942 के अंक में अनुक्रमणिका पृष्ठ पर एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि 'नन परोन' लंबे समय से पश्तो जबान और पश्तो साहित्य की बेनजीर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। खुदा का शुक्र है कि इस रिसाले की पहुँच पख्तून कौम के दिल तक है। यह रिसाला पश्तो कौम का सम्मान प्राप्त करने में सफल रहा है। बाज अहबाब/ मित्र लगातार यह ख्वाहिश कर रहे हैं के 'नन परोन' का उर्दू एडिशन भी निकाला जाए। अतः उनकी ख्वाहिश और तर्क से प्रभावित होकर हमने फैसला कर लिया है कि 'नन परोन' का उर्दू एडिशन जारी किया जाए। इसलिए इसका पहला शुमारा/ अंक पाठकों की खिदमत में पेश किया जाता है। उम्मीद की जाती है कि वे अपनी कीमती राय और मशवरों से हमें मशकूर फरमाएँ (आजकल, 10 जून, 1942, पृष्ठ-01)। 'नन परोन' में प्रकाशित इस उद्घोषणा का मूल पाठ देखने के लिए निम्नलिखित चित्र को देखें :

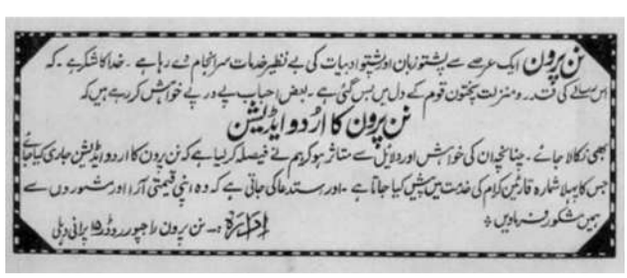

आजकल (उर्दू) के संपादक

आजकल (उर्दू) के संपादन में अनेक मशहूर शख्सियतें शामिल रही हैं। सबसे पहले संपादक आगा मोहम्मद याकूब द्राशी थे, जो संभवत: नार्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके बारे में वर्तमान विभाग के लोगों

को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। बाद में श्रीशचंद सक्सेना और उर्दू शायर मोईन जज्बी ने सह संपादक के रूप में सहयोग किया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जोश मलीहाबादी को इसका संपादक बनाया गया। जोश के कलम में काफी घनगरज थी। उस समय हर बड़े कार्यक्रम में वे देशभक्ति की नज्में सुनाते थे। अँग्रेजी शासन के दौर में भी वे बहुत निडर थे। आजादी की लड़ाई में उनका कलाम जलसों में सुनाया जाया था। वे 1955 तक इसके संपादक रहे।

आजकल (उर्दू) के संपादक

क्र. सं.	संपादक का नाम	कार्यकाल
1.	आगा मोहम्मद याकूब द्राशी	1 जून, 1943-1 अक्टूबर, 1946
2.	सैय्यद वकार अजीम	15 अक्टूबर, 1946-15 अगस्त, 1947
3.	रघुनाथ रैना (प्रभारी संपादक)	दिसंबर 1947-मार्च 1948
4.	जोश मलीहाबादी	अगस्त 1948-दिसंबर 1955
5.	बालमुकुंद अर्श मलसयानी	जनवरी 1956-अक्टूबर 1967
6.	शाहबाज हुसैन	नवम्बर 1967-अप्रैल 1972
7.	मेहदी अब्बास हुसैनी	मई 1972-मार्च 1976
8.	शाहबाज हुसैन	अप्रैल 1976-मार्च 1981
9.	राजनारायण राज	अप्रैल 1981
10.	आर. ठकराल	अगस्त 1983
11.	सैयद जफीर अल हसन	दिसंबर 1986
12.	एम. आर. फारूकी	1990-2003
13.	अबरार रहमानी	2006
14.	हसन जिया	मार्च 2006
15.	खुर्शीद अकरम	अगस्त 2008
16.	अबरार रहमानी	नवम्बर 2010
17.	हसन जिया	नवम्बर 2014
18.	इरशाद अली	सितंबर 2015
19.	अबरार रहमानी	नवम्बर 2016
20.	हसन जिया	फ़रवरी 2019
21.	फरहत परवीन	2021-अभी तक

उस समय 'आजकल' का कार्यालय पुराना सचिवालय भवन में होता था, जहाँ इस समय दिल्ली विधानसभा है। श्री जगन्नाथ आजाद और श्री बलवंत सिंह सहायक संपादक थे। जगन्नाथ आजाद बड़े शायर थे और बलवंत सिंह मशहूर कहानीकार थे। बालमुकुंद अर्श मलसियानी भी सहयोग करते थे। जोश साहब का नाम छपने से 'आजकल' उर्दू में भी नई जान पड़ी। वर्ष 1943 से 1990 तक और भी अनेक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार सहायक संपादक और उप संपादक की भूमिका में आजकल (उर्दू) के साथ जुड़े रहे। ऐसे नामों में शामिल हैं शेषचंद सक्सेना, तालिब देहलवी, शान उल हक हकी, मोईन अहसन जज्बी, राजेंद्र नाथ शिदा, फजल हक कुरैशी, मुशीर अहमद, अजीज अहमद, भगत सरूप खुल्लर, सैय्यद अफाक हुसैन अफाक, रघुनाथ रैना, मुजफ्फर शाह, मेहदी अब्बास हुसैनी, शाहबाज हुसैन, राज नारायण राज, नंदकिशोर विक्रम, शोनाथ सिक्का, मोहम्मद आदिल सिद्दीकी, बाकिर मिर्जा, आबिद अख्तर, खुर्शीद अकरम आदि। जोश साहब का नाम छपने से 'आजकल' उर्दू में भी नई जान पड़ी। जोश साहब के नेतृत्व में इसे पूरे हिंदुस्तान में शोहरत मिली। इसका नजरिया भी राष्ट्रीय हो गया। हिंदुस्तान के हर इलाके, हर फिरके, हर जबान के लोगों को इसमें नुमाइंदगी दी गई। शास्त्रीय और आधुनिक साहित्य की इसमें बात होने लगी। फाइन आर्ट्स, नृत्य, संगीत पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित किए गए। स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं पर भी विशेषांक निकले। 1948 में गांधीजी पर विशेषांक निकला। नाटक विशेषांक, संगीत विशेषांक, आजादी विशेषांक, उर्दू सहाफत विशेषांक, मीर विशेषांक भी निकले।

1947 में जब लालकिले पर झंडा फहराया गया था तो उसका आँखों देखा हाल 'आजकल' में प्रकाशित हुआ था। उर्दू शायर गोपीनाथ अमन ने 15 अगस्त, 1947 का आँखों देखा हाल लिखा। स्वतंत्रता सेनानियों के लेख भी इसमें छपे। नज्में भी छपीं। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गए उनका भी जिक्र इसमें हुआ। 'आजकल' में कला, साहित्य और संस्कृति का ही बोलबाला रहा। इसीलिए साहित्यप्रेमियों की इसमें दिलचस्पी रही। 'आजकल' ने देश को एक 'नॉलेज सोसाइटी' बनाने में अपना योगदान दिया (जिया, 2023)। जोश मलीहाबादी के बाद अर्स मल सियानी बालमुकुंद संपादक बने। फिर शहबाज हुसैन, महबूब रहमान और हसन जिया संपादक रहे। हसन जिया पहले 2006 में कुछ समय के लिए संपादक बने, परंतु 2014 से 2020 तक लगातार संपादक रहे। इस समय हिंदी की संपादक फरहत परवीन के पास उर्दू का भी प्रभार है। जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी के एक शोधार्थी जमील अख्तर ने 'आजकल' (उर्दू) के 1941 से 2000 तक के सभी अंकों का एक 'कैटेलॉग' तैयार किया है। उर्दू अकादमी दिल्ली ने बाद में इसका प्रकाशन किया।

उर्दू साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका

साहित्य से जुड़ी पत्रिकाएँ तो देश में और भी हैं। उन पत्रिकाओं और 'आजकल' में मूलभूत अंतर यह रहा है कि 'आजकल' सरकारी प्रकाशन होकर भी किसी संस्था अथवा आंदोलन का प्रवक्ता नहीं बना। साहित्य की जो अन्य पत्रिकाएँ रही हैं वे किसी-न-किसी आंदोलन अथवा विचार की पक्षधर बन गई। दिल्ली से प्रकाशित गोपाल मित्तल की पत्रिका 'तहरीक' प्रगतिशील नजरिये के खिलाफ लिखती थी। ऐसे ही शमसुर रहमान फारूकी का 'शबखून' आधुनिकता का पक्षधर था। लेकिन इन सबके बीच 'आजकल' ऐसी पत्रिका रही है, जिसमें एक संतुलन हमेशा बना रहा। इसने हर नजरिये को जगह दी, लेकिन किसी नजरिये की पक्षधर नहीं बनी। उससे इसकी एक अलग साख बनी। मैं भी जब इसका संपादक बना तो मुझे लगा कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने

कोशिश की कि इसमें कोई ऐसी चीज न छपे जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। हम स्वस्थ साहित्य लोगों को उपलब्ध करना चाहते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में इस पत्रिका पर शोध हुआ है। इसकी कैटलॉगिंग वर्ष 2000 तक हुई है, उससे आगे का काम करने की जरूरत है। इसके पुराने अंकों पर हम जब नजर डालते हैं तो उनमें लेखों की गुणवत्ता आश्चर्यचकित कर देने वाली है। उनकी कैटलॉगिंग जरूरी है। आजकल उर्दू साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका है। इसमें हिंदुस्तान के बेहतरीन साहित्यकार लिखते रहे हैं (जिया, 2023)।

आजकल (उर्दू) के अहम विशेषांक

क्र.सं	**विशेषांक का विषय**	**प्रकाशन तिथि**
1.	पश्तो भाषा के अंक	15 जून, 1942
2.	लोकतंत्र	फरवरी 1950
3.	कविता	अगस्त 1953
4.	खतूत अंक	अप्रैल 1954
5.	कश्मीर	अगस्त 1955
6.	संगीत	अगस्त 1956
7.	स्वतंत्रता अंक	अगस्त 1957
8.	मौलाना आजाद	अगस्त 1958
9.	मिर्जा गालिब	फरवरी 1959
10.	गजल	अप्रैल 1959
11.	हिंदुस्तानी मस्तारी	अगस्त 1960
12.	मिर्जा गालिब	फरवरी 1960
13.	रबींद्रनाथ टैगोर	मई 1961
14.	जिगर मुरादाबादी	जनवरी 1961
15.	पंडित जवाहरलाल नेहरू	नवंबर 1964
16.	उर्दू रिसर्च	अगस्त 1967
17.	मिर्जा गालिब	फरवरी 1969
18.	फिल्म	अगस्त 1971
19.	आजादी का जश्न	अगस्त 1972
20.	कश्मीर	फरवरी 1972
21.	सज्जाद जहीर	दिसंबर 1973
22.	ताराचंद	जून 1974
23.	इकबाल	नवंबर 1977
24.	मौलाना मोहम्मद अली	दिसंबर 1978
25.	मिर्जा गालिब	फरवरी 1983
26.	आइए जरा सोचें तो	जनवरी 1984
27.	भारत : आजादी के 39 साल	दिसंबर 1986
28.	इकबाल, मौलाना आजाद, अहमद नदीम कासमी	नवंबर 2006
29.	प्रेमचंद	अक्टूबर 2006
30.	प्रेमचंद	जुलाई 2006
31.	आघा अशार	जून 2006
32.	सज्जाद जहीर	मई 2006
33.	मर्सिया	मार्च 2006
34.	ज्ञान चंद जैन	अगस्त 2008
35.	नैयर मसूद	जुलाई 2008
36.	हबीब तनवीर	अक्टूबर 2009
37.	जीनत परमार	अप्रैल 2009
38.	नजीर अकबराबादी	जनवरी 2009
39.	इकबाल और टैगोर	नवंबर 2010
40.	प्रेमचंद	अक्टूबर 2010
41.	तसव्वुफ	सितंबर 2010
42.	सुहैल अजीम आब्दी	जुलाई 2011
43.	मीर	अप्रैल 2011
44.	मिर्जा गालिब	मार्च 2011
45.	मौलाना आजाद	दिसंबर 2013
46.	इब्न ए सफी, इलियास अहमद	सितंबर 2013
47.	जज्बी	अगस्त 2013
48.	टैगोर	जून 2013
49.	भारतीय सिनेमा के 100 बरस	मई 2013
50.	मिर्जा गालिब	फरवरी 2016
51.	मंटो	जनवरी 2013
52.	कृष्ण चंदर	नवंबर 2014
53.	ख्वाजा गुलाम, ख्वाजा अहमद फारूकी	अक्टूबर 2014
54.	जद्दो जहद आजादी (सहाफत)	सितंबर 2014
55.	मुसलमान और उर्दू, सहाफत: माजी और हाल	अगस्त 2014
56.	शमीम कधानी	जून 2014
57.	जाँ निसार अख्तर	फरवरी 2014
58.	राजेंदर सिंह बेदी	सितंबर 2015
59.	इस्मत चुगताई	अगस्त 2015
60.	इकबाल	नवंबर 2016
61.	सर सय्यद अहमद खान, नीर मसूद	अक्टूबर 2016
62.	सहाफत	सितंबर 2016
63.	शकील बदायुनी	अगस्त 2016
64.	आदिल खान	जुलाई 2016
65.	महिला	मार्च 2017
66.	मिर्जा गालिब	फरवरी 2017
67.	पंजाब	दिसंबर 2017
68.	इकबाल	नवंबर 2017
69.	हमारी आजादी	सितंबर 2017
70.	आजकल के 75 साल	जुलाई 2017
71.	पैगाम	अप्रैल 2017
72.	डिजिटल इंडिया	दिसंबर 2018
73.	औरतों को ब-अख्तियर बनाना	अक्टूबर 2018
74.	शहरकारी	दिसंबर 2019
75.	उभरता हिंदुस्तान	सितंबर 2019
76.	दस्तकारी और हिंदुस्तानी टेक्सटाइल	अप्रैल 2019
77.	साहिर लुधियानवी	अक्टूबर 2021
78.	आजादी के 75 साल	अगस्त 2022
79.	नीर मसूद	अप्रैल 2022
80.	उर्दू सहाफत के 200 साल	मार्च 2022
81.	विज्ञान	फरवरी 2022
82.	उर्दू सहाफत	जनवरी 2022

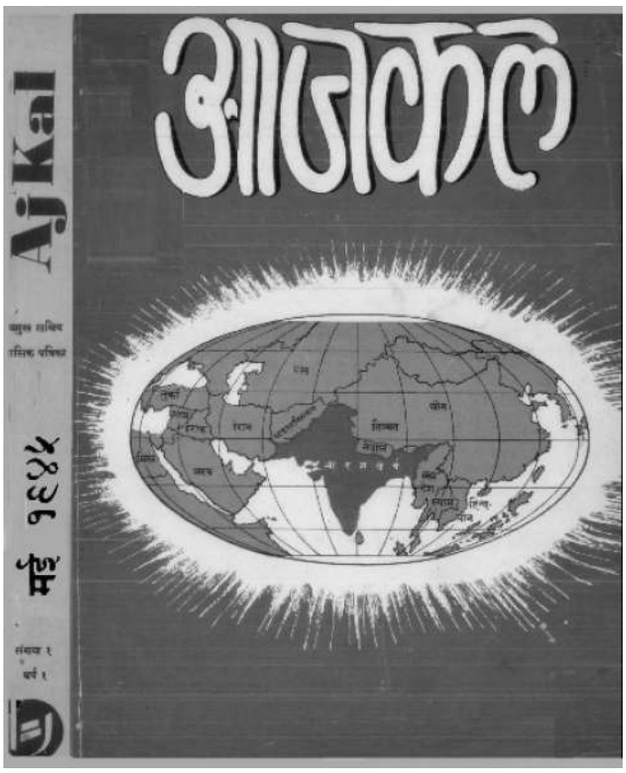

'आजकल' (हिंदी) के मई 1945 में प्रकाशित प्रथम अंक का आवरण पृष्ठ

आजकल (हिंदी)

जैसे आजकल (उर्दू) से जोश मलीहाबादी जुड़े रहे, इसी प्रकार आजकल (हिंदी) से हिंदी के बड़े साहित्यकार जुड़े रहे। देवेंद्र सत्यार्थी इसके संपादक रहे। जोश मलीहाबादी की तुलना में देवेंद्र सत्यार्थी एक साधु मिजाज के आदमी थे। ऐसे लोगों की मौजूदगी से 'आजकल' को बहुत शोहरत मिली। आज भी इस पत्रिका में साहित्य और संस्कृति के बेहतरीन मस्तिष्क लिखते हैं। आजकल (उर्दू) को पाठकों ने बहुत पसंद किया। इसलिए उर्दू के साथ हिंदी पाठकों से भी संवाद करने के लिए इसके हिंदी संस्करण का अँग्रेज सरकार ने निर्णय लिया। हिंदी संस्करण शुरू करने का निर्णय तो 1944 में ही हो गया था, परंतु अंक का प्रकाशन मई 1945 में हो सका। नीचे 'आजकल' के प्रथम आवरण पृष्ठ का चित्र दिया गया है। इस चित्र में विश्व का एक मानचित्र दिया गया है। मजेदार बात यह है कि यही आवरण पृष्ठ अप्रैल 1947 तक हर अंक में प्रयोग किया गया। मई 1947 में जो अंक प्रकाशित हुआ, उसमें अलग आवरण पृष्ठ प्रयोग किया गया। ऐसा संभवत: बहुत कम प्रकाशनों में हुआ होगा कि एक पत्रिका का आवरण पृष्ठ अनेक वर्षों तक बिना किसी बदलाव के ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता रहा। हिंदी ही नहीं, उर्दू संस्करण में भी विश्व के मानचित्र वाला आवरण पृष्ठ ही अगस्त 1947 के अंक तक इस्तेमाल होता रहा। हाँ, रंग कभी नीला होता था तो कभी हरा।

आजकल (हिंदी) प्रवेशांक का संपादकीय

आजकल (हिंदी) के प्रवेशांक का संपादकीय यहाँ प्रस्तुत है : 'आजकल के मासिक संस्करण का परिचय देने से पूर्व प्रथम अंक के प्रकाशन में विलंब के लिए संयुक्त प्रकाशनालय क्षमायाचना करता है। 1943 में उर्दू 'आजकल' की लोकप्रियता पूर्णतः सिद्ध हो गई थी। उस समय से ही हिंदी संस्करण के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस समय हम हिंदी में ऐसी पत्रिका प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें उर्दू 'आजकल' के विभिन्न देशों संबंधी कुछ प्रमुख लेख होंगे और कुछ ऐसे लेख होंगे, जो हिंदी पाठकों की अपनी रुचि के हों। हमारी इस नई पत्रिका का उर्दू 'आजकल' की तरह बढ़ना इसकी लोकप्रियता पर निर्भर होगा।'

'भ्रम निवारण हेतु हम यह आवश्यक समझते हैं कि इस पत्रिका के उद्देश्यों की व्याख्या कर दें। 'आजकल' के समय में किसी प्रकार की भी पत्रिका का निकलना संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक हुआ है कि विषय-सूची की प्रकृति का ध्यान रखे बिना ही ऐसी पत्रिकाओं को 'प्रचार' की श्रेणी में रख दिया गया। 'प्रचार' शब्द के अर्थ के अंतर्गत ऐसी प्रकाशित सामग्री को सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी भी विषय में जनता के ज्ञान की वृद्धि कराना होता है। इसलिए हम यह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि अपने उद्देश्यों से कहाँ विमुख हो रहे हैं।

'हम देशवासियों के सम्मुख दो बातें उपस्थित करना चाहते हैं। एक तो विदेशों का वास्तविक चित्रण, विशेषकर भारत के निकट पड़ोसियों का और दूसरे भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना, जो भारत को युद्धोत्तरकालीन संसार के निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देंगे।

'गत वर्षों में यह बात स्पष्ट हो गई है कि एशिया में भारत राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रमुख देश बनता जा रहा है। भारत एक विशाल प्रायद्वीप है, इसकी विस्तृत उत्तरी सीमा पर सटे हुए भिन्न-भिन्न राज्य हैं, जिनकी संस्कृति बिलकुल भिन्न है और जो आर्थिक तथा सैन्य दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त इसका वृहत् समुद्र तट है, जो इसे दूसरे प्रमुख राष्ट्रों का पड़ोसी बना देता है। जैसा कि एक वर्ष पूर्व 'आजकल' के उर्दू संस्करण में बताया जा चुका है कि जो कुछ भी भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सारभूत हैं उसमें अधिकतर भारत की सीमा के बाहर से आया है। इसके बदले भारत के कई एक जगत्प्रसिद्ध धर्मगुरुओं ने अपने पड़ोसियों की सभ्यता पर अति गहन प्रभाव डाला है। पूर्वकाल में संसार भारत को रेशम तथा गर्म मसालों का देश समझता था और इसके बाद कच्चे माल का भंडार, परंतु आजकल का संसार भारत को एक अपना अंग समझने लगा; उस संसार का एक अंग, जो विज्ञान तथा आर्थिक उन्नति के कारण अखिल विश्व-संघ का रूप धारण कर रहा है।

'भारतीयों के लिए अब यह आवश्यक है कि वे भारत के अपने महत्त्व संबंधी विचारों का विस्तार करें और देखें कि एशिया में उनके देश का क्या स्थान है और अपने पड़ोसियों पर भारत के किस प्रकार राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव डालने की संभावना है। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ के नक्शे पर एक दृष्टि डालने से ही ज्ञात हो जाएगा कि वे पड़ोसी कितने प्रकार के हैं। इनमें से कुछ तो अब तक एक प्रकार से मध्यकालीन 'पृथकत्व' बनाए हुए हैं। दूसरे पुरानी सभ्यता त्याग अपनी उन्नति पाश्चात्य आधारों पर कर रहे हैं। भारत की दूर तक फैली हुई सीमा से कुछ दूर ही सोवियत संघ है, जो शीघ्र ही शायद संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और जिससे भारत को निःस्वार्थ प्रयास, कृषि के नवीन तरीकों तथा समाजशास्त्र के संबंध में बहुत कुछ सीखना है। प्रायः भारत की सीमा पर ही चीन का विस्तृत देश है, जो एक ओर तो कई साल से क्रांति की वेदना से पीड़ित है और दूसरी ओर अत्याचारी और निर्दयी शत्रु से लोहा ले रहा है, जिसने उसका एक बड़ा भू-भाग हस्तगत कर लिया है। सुदूर पूर्व के देशों की भी स्वतंत्रता अल्पकाल के लिए उसी शत्रु ने छीन ली है, परंतु उनकी मुक्ति की घड़ी

निकट दिखाई दे रही है। इन निकट पड़ोसियों के अतिरिक्त और दूसरे देश हैं, जो यातायात के साधनों की गति के कारण भारत के अधिक निकट आ गए हैं। इसके अंतर्गत केवल यूरोप ही नहीं आता, जिनके साथ अनंतकाल से भारत का सांस्कृतिक संबंध रहा है, बल्कि शक्तिशाली अमरीका और आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के विस्तृत प्रदेश भी सम्मिलित हैं।

सम्पादकीय

वर्ष १ संख्या १ मई १९४५

कुछ अपने बारे में

'आजकल' (हिंदी) के मई 1945 में प्रकाशित प्रथम अंक का संपादकीय पृष्ठ

'आजकल' का भावी रूप

'आजकल' हिंदी के मार्च 1948 में प्रकाशित बापू अंक का संपादकीय पृष्ठ

'इन राष्ट्रों तथा प्रदेशों के इतिहास, संस्कृति, राजनैतिक विकास तथा आर्थिक व्यवस्था में भारत के ग्रहण योग्य कितनी ही महत्त्वपूर्ण बातें हैं। हम, इन पृष्ठों में विशेष रूप से इन्हीं विषयों पर लिखने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसा न हो कि इन लेखों से पाठक भारत को शेष संसार से पृथक् मान लें। हम भारत के अपने बारे में उसकी तीव्रगति से उन्नति और अमर संस्कृति संबंधी अनेकानेक लेख भी देंगे। इन तरीकों से संभव है कि हमारे पाठक भारत को संसार के अंग के रूप में देख सकें। ऐसे ऐक्य संसार की ओर सभी सभ्य जातियों को बढ़ना होगा' (आजकल, जनवरी-फरवरी 2020)।

इस संपादकीय से स्पष्ट है कि 'आजकल' का प्रकाशन अँग्रेज सरकार के विमर्श, कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार था। इन पंक्तियों में गौर कीजिए : 'जो कुछ भी भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सारभूत है उसमें अधिकतर भारत की सीमा के बाहर से आया है।' एक और उदाहरण देखिए : '...निकट पड़ोसियों के अतिरिक्त और दूसरे देश हैं, जो यातायात के साधनों की गति के कारण भारत के अधिक निकट आ गए हैं। इनके अंतर्गत केवल यूरोप ही नहीं आता, जिसके साथ अनंतकाल से भारत का सांस्कृतिक संबंध रहा है, बल्कि शक्तिशाली अमरीका और आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के विस्तृत प्रदेश भी सम्मिलित हैं। इन राष्ट्रों तथा प्रदेशों के इतिहास, संस्कृति, राजनैतिक विकास तथा आर्थिक व्यवस्था में भारत के ग्रहण योग्य कितनी ही महत्त्वपूर्ण बातें हैं।' अँग्रेज सरकार के एजेंडे के अनुसार चलना 'आजकल' की मजबूरी समझ में आती है। इसलिए आजादी के बाद मार्च 1948 के 'बापू अंक' में 107 पर पृष्ठ 'आजकल' के उद्देश्य को एक बार फिर स्पष्ट किया गया। 'आजकल का भावी रूप' शीर्षक से लिखे गए उस संपादकीय में कहा गया : ''आजकल' का भावी रूप क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है और वह यह कि 'आजकल' राष्ट्रीय थाती का साथ कभी नहीं छोड़ेगा; वर्तमान इसे सदैव प्रिय रहेगा और भविष्य के वातायन में झाँकने की बात भी वह कभी नहीं भुलाएगा। संस्कृति और कला, पुरातत्त्व और इतिहास, नृशास्त्र और लोकवार्ता, साहित्य और जीवन, सामाजिक जागरण और आर्थिक प्रगति, शस्य श्यामला वसुधा का आशीर्वाद और पावन नदियों का संदेश, राष्ट्र के पशु, पक्षी, पुष्प, वनस्पति और राष्ट्र के अनेक जनपदों की लोक-संस्कृति—यह सब सदैव 'आजकल' को प्रिय रहेंगे। धरती के स्पर्श की कभी अवहेलना नहीं की जाएगी। प्रांतों की पारस्परिक एकता हमारा ध्येय है। इस प्रकार 'आजकल' राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम द्वारा राष्ट्र का संबल सिद्ध हो', यही हमारी कामना है, यही हमारे भावी कार्यक्रमों की सीधी और स्पष्ट रूपरेखा है।' इस संपादकीय का मूल पृष्ठ नीचे दिया गया है।

श्रेष्ठ साहित्यकारों का स्नेह

'आजकल' को इस बात का गौरव हासिल है कि इसे प्रायः सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का स्नेह और सहयोग मिला। वे किसी-न-किसी रूप में पत्रिका से जुड़े रहे और इसे अपना साहित्यिक योगदान देते आए हैं। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही 'आजकल' की गणना श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकाओं में होने लगी थी। इस तरह यह गुजश्ता 80 सालों में हिंदी साहित्य में आए उतार-चढ़ाव, उसकी गतिविधियों, वैचारिक हलचलों का समृद्ध दस्तावेज बन गया है। उस दौर में 'आजकल' राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव, रामधारी सिंह दिनकर और भगवतशरण उपाध्याय जैसे शीर्ष साहित्यकारों की प्रिय पत्रिका बन गई

और उनका भरपूर स्नेह इसे प्राप्त होता रहा। बाद के वर्षों में भी नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, शैलेश मटियानी जैसे शीर्षस्थ रचनाकार इससे नियमित रूप से जुड़े रहे। 'आजकल' के उत्कर्ष की दूसरी वजह हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों का इससे संपादक के रूप में जुड़े रहना। देवेंद्र सत्यार्थी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मन्मथनाथ गुप्त और द्रोणवीर कोहली जैसे साहित्यकार-संपादकों ने इसे उत्कृष्टता पर पहुँचाया। थोड़े अंतराल के बाद वही उत्कर्ष पुनः इसे प्रताप सिंह बिष्ट (पंकज बिष्ट) ने दिलाया। श्री मन्मथनाथ गुप्त अपने समय में जबर्दस्त क्रांतिकारी रहे। सुखदेव, भगतसिंह, राजगुरु जैसे शहीदों के सहयोगी सहकर्मी, काकोरी बमकांड के अभियोग में कठोर कारावास की सजा भुगत चुके थे। इनके लेखों में अँग्रेजों की नीतियों, उनके अत्याचार और नृशंसता की दास्तान पढ़कर मन सिहर जाता। अँग्रेजों की प्रताड़ना के कारण उनकी कमर झुक-सी गई थी। 'आजकल' के संपादकों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए निम्न बॉक्स देखें।

आजकल (हिंदी) के संपादक

क्र. सं	संपादक का नाम	कार्यकाल
1.	कुँवर किशोर सेठ	मई 1945-दिसंबर 1945
2.	अनंत मराल शास्त्री	जनवरी 1946-फरवरी 1948
3.	देवेंद्र सत्यार्थी	मार्च 1948-दिसंबर 1954
4.	चंद्रगुप्त विद्यालंकार	जनवरी 1955-मई 1963
5.	मन्मथनाथ गुप्त	जून 1963-फरवरी 1967
6.	केशव गोपाल निगम	मार्च 1967-अप्रैल 1976
7.	भगीरथ पांडेय	मई 1976-सितंबर 1979
8.	द्रोणवीर कोहली	अक्टूबर 1979-अक्टूबर 1980
9.	वेद प्रकाश अरोड़ा	नवंबर 1980-मई 1982
10.	नरेंद्र सिन्हा	जून 1982-जनवरी 1988
11.	विजय अग्रवाल	मार्च 1988-जून 1988
12.	सुरेश चंद्र शर्मा	जनवरी 1990-मई 1992
13.	प्रवीण उपाध्याय (कार्यवाहक)	जुलाई 1988-दिसंबर 1989 व जून 1992-जुलाई 1993
14.	प्रताप सिंह बिष्ट	अगस्त 1993-जुलाई 1998
15.	सुभाष सेतिया	अगस्त 1998-अक्तूबर 2001
16.	बलदेव सिंह मदान	नवंबर 2001-मई 2003 व जुलाई 2003-जुलाई 2004
17.	योगेंद्र दत्त शर्मा (कार्यवाहक)	जून 2003-जुलाई 2004
18.	प्रवीण उपाध्याय (प्रभारी)	अगस्त 2004-मार्च 2007
19.	योगेंद्र दत्त शर्मा (प्रभारी)	अप्रैल 2007-सितंबर 2010
20.	सीमा ओझा	अक्तूबर 2010-अक्तूबर 2012
21.	कैलाश दहिया	जून 2013-फरवरी 2014
22.	राजेंद्र भट्ट/फरहत परवीन	दिसंबर 2012-फरवरी 2015
23.	राकेश रेणु/फरहत परवीन	अक्तूबर 2015-फरवरी 2017
24.	राकेश रेणु/जयसिंह	मार्च 2017-अक्तूबर 2017
25.	राकेश रेणु/फरहत परवीन	नवंबर 2017 से जारी
26.	कुलश्रेष्ठ कमल/फरहत परवीन	जनवरी 2023 से जारी

आजकल (हिंदी) द्वारा प्रकाशित विशेषांक

साहित्यिक अभिरूचि के सामान्य एवं विशिष्ट दोनों वर्गों के पाठकों को ध्यान में रखकर 'आजकल' समय-समय पर विविध विषयक विशेषांकों का प्रकाशन करती रही है। अधिकतर विशेषांक सामान्य अंकों के आकार में ही होते हैं, बस उनमें प्रकाशित सामग्री संबंधित व्यक्ति या विषय पर केंद्रित होती हैं। हालाँकि कुछ विशेषांक सामान्य अंकों की अपेक्षा अधिक पृष्ठ संख्या से युक्त भी प्रकाशित हुए हैं। उदाहरण के लिए काशी विशेषांक, महादेवी वर्मा जन्मशती विशेषांक, 1857 के स्वतंत्रता-संग्राम पर केंद्रित विशेषांक, दिनकर जन्मशती विशेषांक एवं सिनेमा के सौ वर्ष के नाम लिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रकाशित कुछ विशेषांकों का विवरण निम्नलिखित है :

आजकल (हिंदी) के विशेषांक

क्र.सं	विशेषांक का विषय	प्रकाशन तिथि
1.	बापू अंक	मार्च 1948
2.	स्वतंत्रता अंक	अगस्त 1949
3.	रवींद्र नाथ ठाकुर	मई 1961
4.	भारतीय कहानी विशेषांक	मई 1962
5.	प्रेमचंद जन्मशती	जुलाई 1980
6.	रंगमंच का धर्म : विश्वजीत सत्येंद्र शरत	दिसंबर 1980
7.	बिहार विशेषांक	अक्टूबर 1984
8	पंजाब विशेषांक	अप्रैल 1985
9.	हास्य-व्यंग्य विशेषांक	सितंबर 1985
10.	युवा विशेषांक	दिसंबर 1985
11.	तमिलवाद विशेषांक	अप्रैल 1987
12.	स्वाधीनता दिवस विशेषांक	अगस्त 1989
13.	जवाहरलाल नेहरु जन्म शताब्दी	नवंबर 1989
14.	पंडित देवीदत्त शुक्ल	अप्रैल 1990
15.	रामनरेश त्रिपाठी जन्मशती	अगस्त 1990
16.	गालिब विशेषांक	दिसंबर 1997
17.	देवेंद्र सत्यार्थी	मार्च 1999
18.	छह सौ वर्ष के कबीर	अप्रैल 1999
19.	रामवृक्ष बेनीपुरी जन्मशती	अगस्त 1999
20.	गजल विशेषांक	मार्च 2000
21.	केदारनाथ अग्रवाल	सितंबर 2000
22.	बाल विशेषांक	नवंबर 2000

23.	महिला-लेखन	मई 2001
24.	शैलेश मटियानी	अक्टूबर 2001
25.	रामविलास शर्मा	मई 2002
26.	आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री	अक्टूबर 2002
27.	कथाकार यशपाल	दिसंबर 2002
28.	कथाकार अमरकांत	मई 2003
29.	देवेंद्र सत्यार्थी	मई 2003
30.	हरिवंश राय बच्चन	जून 2003
31.	भगवती चरण वर्मा जन्मशती	अगस्त 2003
32.	हीरक जयंती विशेषांक	मई 2005
33.	काशी विशेषांक	फरवरी 2006
34.	बाल साहित्य	नवंबर 2006
35.	महादेवी वर्मा जन्मशती	मार्च 2007
36.	कमलेश्वर	अप्रैल 2007
37.	1857 का स्वतंत्रता संग्राम	मई 2007
38.	स्वाधीनता के साठ वर्ष	अगस्त 2007
39.	हजारीप्रसाद द्विवेदी	अक्टूबर 2007
40.	बाल साहित्य	नवंबर 2007
41.	स्त्री विमर्श	मार्च 2008
42.	शास्त्रीय संगीत	जुलाई 2008
43.	स्वाधीनता का राग	अगस्त 2008
44.	दिनकर जन्मशती	अक्टूबर 2008
45.	देवेंद्र सत्यार्थी	दिसंबर 2008
46.	विष्णु प्रभाकर	जुलाई 2009
47.	साठ वर्ष गणतंत्र के	जनवरी 2010
48.	जनपद के कवि त्रिलोचन	अप्रैल 2010
49.	उपेंद्रनाथ अश्क	दिसंबर 2010
50.	कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह	जनवरी 2011
51.	फैज जन्मशती	फरवरी 2011
52.	अज्ञेय	अप्रैल 2011
53.	केदारनाथ अग्रवाल	मई 2011
54.	नागार्जुन जन्मशती	जून 2011
55.	भगवतशरण उपाध्याय	जुलाई 2011
56.	असरारुल हक मजाज	अक्टूबर 2011
57.	गोपाल सिंह नेपाली	नवंबर 2011
58.	राधाकृष्ण एवं आरसी प्रसाद सिंह	दिसंबर 2011
59.	श्रीलाल शुक्ल	फरवरी 2012
60.	सआदत हसन मंटो	मई 2012
61.	विष्णु प्रभाकर	जून 2012
62.	रामविलास शर्मा	सितंबर 2012
63.	सिनेमा के सौ वर्ष	अक्टूबर 2012
64.	भीष्म साहनी जन्मशती	नवंबर 2013
65.	स्त्री-लेखन और समाज	मार्च 2014
66.	कृष्ण चंदर जन्मशती	नवंबर 2014
67.	माखनलाल चतुर्वेदी 125वीं जयंती	अप्रैल 2015
68.	भीष्म साहनी जन्मशती	अगस्त 2015
69.	रघुवीर सहाय	दिसंबर 2015
70.	प्रवासी भारतीय साहित्य	जनवरी 2016
71.	नलिन विलोचन शर्मा	फरवरी 2016
72.	फणीश्वरनाथ रेणु	अप्रैल 2016
73.	समकालीन रंगमंच परिदृश्य	मई 2016
74.	सोशल मीडिया और हिंदी साहित्य	जुलाई 2016
75.	अमृतलाल नागर	अगस्त 2016
76.	नब्बे के नामवर	अक्टूबर 2016
77.	पुस्तक संस्कृति और पठनीयता	जनवरी 2017
78.	चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी	अप्रैल 2017
79.	भारतीय नवजागरण और हिंदी	मई 2017
80.	हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना	अगस्त 2017
81.	संकल्प नए भारत का	सितंबर 2017
82.	मुक्तिबोध जन्मशती	नवंबर 2017
83.	सोबती की सोहबत	फरवरी 2018
84.	युवाकथा के मिहिर द्वार	मार्च 2018
85.	राहुल सांकृत्यायन : 125वीं जयंती	अप्रैल 2018
86.	स्त्री और प्रकृति : छायावाद के 100 वर्ष	मई 2018
87.	केदारनाथ सिंह	जून 2018
88.	शिवपूजन सहाय	जुलाई 2018
89.	विश्व हिंदी सम्मलेन व प्रवासी साहित्य	अगस्त 2018
90.	कुँवर नारायण	सितंबर 2018
91.	सिनेमा और समाज	नवंबर, दिसंबर 2018
92.	संगीत : शास्त्रीयता और लोक की जमीन	जनवरी 2019
93.	स्त्री लेखन की नई परिभाषा	मार्च-अप्रैल 2019
94.	मन्नू भंडारी-एक कहानी यह भी	जून 2019
95.	150 वीं गांधी जयंती	अक्टूबर 2019
96.	अमृत जयंती विशेषांक	जनवरी-फरवरी, 2020
97.	हिंदी गजल के सरोकार	अगस्त 2020
98.	नंद किशोर नवल	सितंबर 2020
99.	डिजिटल मंच पर हिंदी साहित्य	दिसंबर 2020
100.	75 के पंकज बिष्ट	फरवरी 2021
101.	बहुआयामी सृजन के कवि नरेश सक्सेना	जनवरी 2022
102.	विनोद कुमार शुक्ल	फरवरी 2022
103.	बिरजू महाराज	अप्रैल 2022
104.	चंद्र किशोर जायसवाल	जुलाई 2022

105.	नब्बे के शेखर जोशी	सितम्बर 2022
106.	कथा की ममता : ममता कालिया	नवंबर 2022
107.	शताब्दी स्मरण: मदन वात्स्यायन	दिसंबर 2022
108.	रांगेय राघव जन्मशती	जनवरी 2023
109.	रामदरश मिश्र शताब्दी	अगस्त 2023
110.	रंगमंच : दशा और दिशा	सितंबर 2023

समृद्ध सामग्री के संग्रहणीय अंक

आजकल (हिंदी) की छह दशक की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सत्येंद्र शरत् कहते हैं : 'यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन 'आजकल' के अंकों में 'यूरोप के पुनर्निर्माण' और भारतीय नेताओं के स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्वतंत्र भारत के भावी निर्माण कार्यों के संबंध में लेख तथा परिचर्चाएँ होती थीं। साथ ही, उस समय के सुप्रसिद्ध कवियों तथा कहानीकारों की रचनाएँ भी होती थीं—डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विश्वंभर नाथ जिज्जा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, 'अंचल', वृंदावनलाल वर्मा, अध्यापक जहूर बक्श, शंभुनाथ 'शेष', देवराज दिनेश, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', 'युगल', सत्यवती मल्लिक, बनारसीरदास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र तिवारी आदि की अनेक रचनाएँ मैंने 'आजकाल' में उस अवधि में पढ़ीं। यदि मेरी स्मृति मुझे धोखा नहीं दे रही है तो उस अवधि में आजकल का संपादन मंडल बहुत विशाल था। प्रमुख संपादक थे श्री अनंत शास्त्री। सहायक थे—श्री केशव गोपाल निगम, शंभुनाथ 'शेष' (शायद मन्मथनाथ गुप्त)। और भी एक-दो सज्जन, जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। चित्रकार थे ब्रह्मदेव शर्मा और (शायद) कोई एक मिलर साहब। ये नाम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी स्मृति के आधार पर लिखा है।

'आरंभ में हिंदी लेखकों के मन में आजकल के प्रति एक मामूली-सा पूर्वग्रह मैंने नोटिस किया। उनका यह मानना था कि वह सरकारी-पत्र है और उस समय की अँग्रेज सरकार ने इसे अपने प्रापेगेंडा के लिए निकाला है। लेकिन आजकल की साहित्यिक और रोचक तथा समसामयिक सामग्री को देखते हुए धीरे-धीरे लेखकों के मन से यह भावना विलुप्त होने लगी और अनेक सुविख्यात लेखकों ने आजकल में अपनी अच्छी रचना भेजनी आरंभ कर दीं। इस प्रकार आजकल एक ऐसा पत्र बन गया, जिसके नए अंक की प्रतीक्षा आतुरता के साथ होने लगी। हंस, माधुरी, सरस्वती, वीणा आदि मासिक-पत्रों की तुलना में आजकल का मूल्य भी बहुत कम था—एक प्रति का केवल आठ आना। हर वर्ष मई में आजकल का एक बहुत शानदार सचित्र वार्षिकांक अनंत मराल शास्त्री के संपादकत्व में निकलता था, जो अपनी समृद्ध सामग्री के कारण सचमुच संग्रहणीय होता था' (शरत, 2005)।

विशेषांकों का जिक्र आया तो ध्यान आ गया कि अनंत मराल शास्त्री के बाद देवेंद्र सत्यार्थी जी के संपादकत्व में भी आजकल के अनेक उत्कृष्ट विशेषांक निकले हैं। कुछ विशेषांक तो इतने महत्त्वपूर्ण थे कि उस अवधि की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका 'कल्पना' (हैदराबाद), 'प्रतीक' (नई दिल्ली), 'नया समाज' (कोलकाता) में उनकी भरपूर प्रशंसा हुई। मुझे इस समय कवल एक-दो विशेषांकों की ही याद आ रही है। एक था 'आजकल' का 'प्रेमचंद अंक' जो शायद 1952 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा या 'लोक कथा विशेषांक'। दोनों अंक सम्हाल कर रखने वाले अंक थे, जिन्हें अँग्रेजी में 'कलेक्टर्स आइटम' कहते हैं। प्रेमचंद अंक में प्रेमचंद जी पर अनेक सुप्रसिद्ध लेखकों (जैसे रघुपति सहाय फिराक, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', शिवदान सिंह चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, हंसराज रहबर) के संस्मरण तो थे ही, प्रेमचंद जी के पच्चीस-तीस पत्र भी थे, जो उन्होंने इम्तियाज अली 'ताज', मुंशी दयानारायण निगम, जैनेंद्र जी आदि लेखकों को लिखे थे। साथ ही उनके कुछ लेखों के भी महत्त्वपूर्ण अंश थे, जो उन्होंने विभिन्न हिंदी-उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में लिखे थे। मैं इस बात का विशेष उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि उस अंक में से एक लेख का एक पैराग्राफ मैंने अपनी डायरी में उतार लिया था और यह मेरे लेखन का मूलमंत्र बन गया है। लाहौर से प्रकाशित होने वाले उर्दू मासिक 'नौरंगे ख्याल' में एक स्थान पर प्रेमचंद जी ने लिखा था : 'कभी-कभी सुनी-सुनाई घटनाएँ ऐसी होती हैं कि उन पर आसानी से कहानी की नींव रखी जा सकती है। कोई घटना महज सुंदर और चुस्त शब्दावली तथा शैली का चमत्कार दिखाकर ही कहानी नहीं बन जाती। मैं उसमें क्लाइमेक्स लाजिमी बीज मानता हूँ—और वह भी मनावैज्ञानिक। यह भी जरूरी है कि कहानी इस क्रम में आगे चले कि क्लाइमेक्स नजदीक आता जाए। जब कभी ऐसा कोई अवसर आ जाता है, जहाँ तबीयत पर जोर डालकर साहित्यिक और कवितामय रंग पैदा किया जा सकता है, तो में उस अवसर से अवश्य फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। यही रंग कहानी की जान है' (शरत, 2005, पृष्ठ 9)।

'आजकल 1950 या 1951 में इतना लोकप्रिय हो गया था कि वह मासिक की जगह अर्द्धमासिक हो गया। यानी महीने में 'आजकल' के दो अंक। उन दिनों पब्लिकेशंस डिवीजन के दूसरे मासिक 'विश्व दर्शन' (संपादक-चंद्रगुप्त विद्यालंकार) को भी आजकल में सम्मिलित कर लिया गया था। आजकल में विभिन्न प्रांतीय भाषाओं—बांग्ला, मराठी, ओड़िया, गुजराती, असमी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की उत्कृष्ट कहानियों, कविताओं के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित होने लगे थे। साथ ही सुप्रसिद्ध कला समीक्षकों (नानालाल चमनलाल मेहता, केवल कृष्ण, मुल्कराज आनंद, बैरिस्टर मुकुंदी लाल) के भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला पर विद्वतापूर्ण लेख भी उस शैली के सुप्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों के फोटोग्राफ्स के साथ छपने लगे थे। मैंने 18-19 शताब्दी के काँगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, राजस्थानी बूँदी शैली के और अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, गगनेंद्र ठाकुर, कृपाल सिंह शेखावत, रामकिंकर, श्यावक्ष चावड़ा की अनेक कालाकृतियों के फोटो आजकल में देखे थे। ये आठ-दस चित्र या तो लेखों के साथ होते थे, या आजकल के बीचोंबीच चार आर्ट पेपर पर' (शरत, 2005, पृष्ठ-8)।

साहित्य के साथ राष्ट्रीय सरोकार

आजकल के प्रथम उप संपादक, जो आठ वर्ष तक संपादक रहकर 1976 में सेवामुक्त हुए, श्री केशव गोपाल निगम शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताते हैं, 'मैंने 5 फरवरी, 1945 को आजकल के उपसंपादक का पद सँभाला। प्रथम अंक में कर्नल व्हीलर ने जो संपादकीय लिखा, उसमें आजकल के उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम काम करते थे। आजकल में प्रारंभ से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था भी थी। उन दिनों बहुत कम हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में पारिश्रमिक दिया जाता था।

गेट-अप में काफी सुधार हुआ और प्रसार संख्या भी बढ़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आजकल की गणना हिंदी के श्रेष्ठ पत्रों में होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रकाशनालय प्रकाशन विभाग बन गया और सरकार ने इसके विस्तार का निर्णय किया। आजकल के संपादक के पद का ग्रेड बढ़ा दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एक बच्चों की पत्रिका और एक विश्व की झाँकी प्रस्तुत करने वाली पत्रिका भी निकाली जाए। प्रकाशन विभाग के उर्दू विभाग में भी इसी प्रकार विस्तार की योजना कार्यान्वित की गई। मन्मथनाथ गुप्त, करुणा शंकर पंड्या, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की नियुक्ति सहायक संपादक के रूप में की गई। शुरू में ऐसा विचार किया गया था कि देवेंद्र सत्यार्थी सभी पत्रों के प्रधान संपादक होंगे और करुणा शंकर पंड्या आजकल का, चंद्रगुप्त विद्यालंकार विश्व दर्शन और मन्मथनाथ गुप्त बाल भारती के प्रकाशन का दायित्व सँभालेंगे, परंतु यह व्यवस्था चल नहीं सकी। चलती भी कैसे? सरकारी पद मिल जाने से क्या होता है। साहित्य जगत् में उसे कौन पूछता! सभी एक-दूसरे के बारे में कुछ यही राय रखते थे। सभी अपने को अन्य सहयोगियों से बड़ा साहित्यकार मानते थे। परिणामतः हिंदी विभाग एक तरह की छोटी-छोटी अमलदारियों में बँट गया, जो एक-दूसरे का मजाक उड़ाने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देते। अंत में यह व्यवस्था हुई कि सत्यार्थी आजकल, विद्यालंकार विश्व दर्शन और मन्मथनाथ गुप्त स्वतंत्र रूप से अपने-अपने पत्र का दायित्व निभाएँगे। करुणा शंकर अन्य प्रकाशनों को देखने लगे। मार्च 1948 से सत्यार्थी जी ने आजकल का भार सँभाला। प्रकाशन विभाग के कला विभाग के विस्तार होने और उसमें सुशील सरकार, बृजमोहन जिज्जा और नगेंद्र भट्टाचार्य के आने और आजकल को अपना सक्रिय योगदान देने से आजकल की साज-सज्जा में बड़ा निखार आया। वैसे भी सत्यार्थी जी गेट-अप पर बड़ी मेहनत करते थे। सत्यार्थी जी ने केवल आजकल के रूप को ही नहीं निखारा, अनेक नए स्तंभ और विषयों की विविधता के कारण आजकल की एक अपनी पहचान बन गई। 1 जनवरी, 1949 से 15 नवंबर, 1949 तक आजकल पाक्षिक रूप में भी निकाला गया' (निगम, 1994, पृष्ठ 27)।

राष्ट्रीय सरकार बन जाने के बाद आजकल निकालने के औचित्य पर बार-बार प्रश्न उठने लगा। सरकार आजकल पर खर्च क्यों करे? स्वतंत्रता पूर्व जो आजकल का उद्देश्य था, वह अब अन्य पत्रिकाएँ पूरा कर रही हैं। आजकल बंद क्यों न कर दिया जाए? इस प्रकार की बातें अनेक बार उठती रहीं, खासतौर पर बजट तैयार करने या सरकारी खर्च में कटौती के समय 'विकास के पदचिह्न', 'भारत की प्रगति पर' ऐसे अनेक स्तंभ शुरू किए जाते रहे, जो अन्य प्रकाशित सामग्री से मेल नहीं खाते थे। '....एक उच्चस्तरीय समिति में प्रस्ताव आया कि आजकल बंद कर दिया जाए। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य को हिंदी जगत् में प्रस्तुत करने का कार्य अब हिंदी के प्रायः सभी पत्र कर रहे हैं। यदि सरकार निकालना ही चाहती है तो उसे द्विभाषी बना दिया जाए। यह प्रस्ताव जब विचारार्थ समिति के सामने आया तो यह बात उभरकर आई कि द्विभाषी पत्रिका के लिए दूसरी कौन-सी भाषा हो और वही एक भाषा क्यों हो। क्या 20-22 ऐसी पत्रिकाएँ निकाली जाएँ? आजकल (हिंदी) का प्रकाशन बंद किया जाए तो फिर आजकल (उर्दू) भी बंद किया जाए, नहीं तो राजनीतिक विवाद खड़ा हो जाएगा। इसके आगे विचार करते हुए जब समिति ने देखा कि मॉरीशस में आजकल (हिंदी) की कई हजार प्रतियाँ बिकती हैं तो फिर यह प्रस्ताव गिर गया' (निगम, 1994, पृष्ठ 28)।

'आजकल' के प्रकाशन उद्देश्य को लेकर देवेंद्र सत्यार्थी (जो 1 मार्च, 1948 को संपादक बने) का अपना आकलन है। आजकल पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, 'मैं समझता हूँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ध्यान हटाकर साहित्य और कला की दुनिया में जनता का ध्यान बँट जाए, यह उद्देश्य सरकार का रहा होगा। आजकल उपनिवेशी ब्रिटिश सरकार के प्रचार विभाग का ही एक हिस्सा है, यह भी छुपाकर रखा जाता था' (ठाकुर, 1994, पृष्ठ 28)। आजकल को नई ऊँचाइयों पर ले जाने और बड़े-बड़े साहित्यकारों को इससे जोड़ने के लिए क्या-क्या किया गया, इस पर टिप्पणी करते हुए सत्यार्थी जी एक साक्षात्कार में कहते हैं, 'मैं चाहता था कि लिखने वालों की बिरादरी इसमें आ जाए। लेखक कोई रचना पैसे की वजह से न दे, बल्कि पत्रिका के 'स्टैंडर्ड' के हिसाब से दे। मैं व्यक्तिगत रूप से साहित्यकारों को लिखा करता था। अंदाज यह रहता था कि संपादक नहीं, बल्कि एक अनन्य भक्त रचना माँग रहा है। किसी से चीज प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है संपादक के लिए। एहसान उसका है जो अपनी चीज आपको देता है। संपादक एहसान नहीं करता (ठाकुर, 1994, पृष्ठ 28 & 29)।

'आजकल' के अंतरराष्ट्रीय पाठक

'आजकल' के अंतरराष्ट्रीय पाठक भी हैं जो ई-संस्करण पढ़ते हैं। इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रकाशन विभाग में कोई भी प्रकाशन निशुल्क नहीं है। कोई भी प्रकाशित पत्रिका पहले छह महीने तक बिक्री काउंटर पर रखी जाती है। उसके बाद ही वह वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, जहाँ उसे निःशुल्क पढ़ा जा सकता है। आजकल (हिंदी) की प्रसार संख्या करीब तीन हजार है, जबकि आजकल (उर्दू) की करीब एक हजार। एक समय आजकल (उर्दू) प्रसार संख्या पंद्रह हजार तक रही। 1984 में जब इसका मीर विशेषांक छपा था तो उसकी 14 हजार प्रतियाँ छपीं थी। कुछ वर्ष पहले तक आजकल (उर्दू) की दो हजार प्रतियाँ छपती थीं, परंतु जब से कीमत दस रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दी गई तब से बहुत से पाठकों ने बढ़ी हुई कीमत के अनुसार पत्रिका खरीदना बंद कर दिया। कुछ एजेंसियों ने भी खरीदना बंद कर दिया है। दूसरे एजेंसी लेने की शर्त भी थोड़ी सख्त कर दी गई। इससे अभिकर्ताओं की संख्या भी घट गई। स्वाभाविक रूप से प्रसार संख्या पर इसका विपरीत असर पड़ा। 2019 में जो नई प्रसार नीति बनी, उसमें प्रावधान किया गया कि 20 प्रतिशत छूट लेने के लिए कम-से-कम 50 प्रतियाँ खरीदनी आवश्यक हैं। इस कारण जो एजेंट 50 से कम प्रतियाँ खरीदते थे, उन्होंने प्रतियाँ खरीदनी बंद कर दीं। यदि इस नीति में कुछ बदलाव होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि 'आजकल' की प्रसार संख्या बढ़ जाए। पत्रिका अभिकर्ताओं के माध्यम से ही पाठक तक सुरक्षित पहुँचती है। व्यक्तिगत ग्राहकों तक वह अनेक कारणों से सुरक्षित नहीं पहुँच पाती। उनकी शिकायत रहती है कि उन्हें डाक प्रति नहीं मिलती। साधारण डाक से सालाना चंदा 230 रुपये है और पंजीकृत डाक से 434 रुपये। ऑनलाइन संस्करण के लिए 'आजकल' का चंदा 200 रुपये है। आजकल में पहले विज्ञापन छपते थे, परंतु अब नहीं छपते। इस कारण संभवत: पत्रिका बोझ लगती होगी। लेखकों को सरकारी नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

नवंबर 2023 से 'आजकल' हिंदी और उर्दू दोनों नये आकार में प्रकाशित हो रही हैं। प्रकाशन विभाग की वर्तमान महानिदेशक डॉ.

अनुपमा भटनागर ने नए पाठकों और लेखकों को पत्रिका से जोड़ने के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं। वे कहती हैं : 'जीवन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में साहित्य की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी की रुचि के अनुसार प्रस्तुतीकरण में बदलाव किया जाए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने आजकल की सामग्री, प्रस्तुतीकरण और आकार में बदलाव किया है। अनेक नए लेखक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो पाठकों की नई पीढ़ी की रुचि के अनुसार लेख लिख रहे हैं। इस बदलाव को पाठकों ने काफी पसंद किया है। प्रिंट के साथ-साथ हमने आजकल और प्रकाशन विभाग के सभी प्रकाशनों को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है, जो पाठकों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध हैं। हालाँकि नए अंक छह माह तक नि:शुल्क उपलब्ध नहीं कराए जाते' (भटनागर, 2024)।

निष्कर्ष

सुसंस्कृत समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका निर्विवाद रूप से स्थापित है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन मूल्यों को पहुँचाने का यह जाँचा, परखा और खरा माध्यम है। इस दृष्टि से बात करें तो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' ने इस भूमिका का गंभीरता से निर्वाह किया है। यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रकाशन द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी भारतीय पाठकों तक पहुँचाने के लिए किया था, परंतु आजादी के बाद इस पत्रिका ने साहित्य के माध्यम से श्रेष्ठ जीवन मूल्य कई पीढ़ियों तक पहुँचाए हैं। आज जब प्रिंट के प्रति पाठकों का रुझान कम होता दिखाई दे रहा है और साहित्यिक पत्रिकाएँ बंद होती जा रही हैं, ऐसे में प्रकाशन विभाग द्वारा पत्रिका का डिजिटल संस्करण पाठकों के लिए उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है। हालाँकि डिजिटल की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रकाशित सामग्री को सोशल मीडिया के माध्यम से 'एग्रीगेट' किया जाए तो उससे आजकल का प्रसार होगा और प्रिंट तथा ऑनलाइन दोनों दृष्टि से पत्रिका की प्रसार संख्या बढ़ेगी। इससे आजकल की वेबसाइट पर भी 'ट्रैफिक' बढ़ेगा। सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से पाठक संपूर्ण विश्व में मिलेंगे। भारत से बाहर पाठकों का एक नया वर्ग है, जो इस पत्रिका के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए प्रकाशन विभाग में एक सोशल मीडिया टीम का गठन किया जा सकता है। वह टीम 'आजकल' के साथ प्रकाशन विभाग के अन्य प्रकाशनों के कंटेंट को भी एग्रीगेट करे। नीतियों के निर्धारण में प्रकाशन विभाग को हमेशा आर्थिक लाभ-हानि को ध्यान में रखकर विचार नहीं करना चाहिए। 'आजकल' में प्रकाशित सद्साहित्य समाज में सात्विक जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। यह समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक निवेश है, जिसे लाभ-हानि की दृष्टि से नहीं आँका जाना चाहिए। पत्रिका के साथ नई पीढ़ी के पाठकों को जोड़ना है तो बेहतर होगा कि उनकी रुचि और शैली के अनुसार लिखने वाले नए लेखकों को इसके साथ जोड़ा जाए। प्रतिष्ठित नाम होने का यह मतलब नहीं है कि पाठक उनके लिखे हुए को पढ़ेंगे ही। नए और युवा लेखक उच्च शिक्षा संस्थानों और और विश्वविद्यालयों में मिल जाएँगे। इसके लिए प्रकाशन विभाग को युवाओं से जुड़ने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए। देशभर के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं से संवाद कर पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री पर उनकी प्रतिपुष्टि प्राप्त करने से पत्रिकाओं की सामग्री को और समृद्ध किया जा सकता है। प्रसार की दृष्टि से प्रकाशन विभाग को उस नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, जिसमें यह नियम बनाया गया है कि 50 से कम प्रतियाँ लेने वाले अभिकर्ताओं को 20 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

संदर्भ

आजकल. (जनवरी-फरवरी, 2020). प्रवेशांक का संपादकीय. आजकल संयुक्तांक. नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.

जिया, एच. (2023). भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के ग्रुप बी अधिकारी, जो वर्ष 2014 से 2020 तक आजकल (उर्दू) के संपादक रहे. नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2023 को विस्तृत साक्षात्कार.

ठाकुर, एस. (1994). 'रचना प्राप्त करना संपादक के लिए बड़ी उपलब्धि है!' आजकल के बहुचर्चित संपादक देवेंद्र सत्यार्थी से संजीव ठाकुर की बातचीत. आजकल स्वर्ण जयंती अंक, 1994. पृष्ठ-28 & 29)

नंदवाना, एन. (2016). साहित्यिक पत्रकारिता : एक अन्तर्यात्रा. राजस्थान साहित्य अकादमी. https://web.archive.org/web/20160309220405/http://rsaudr.org/show_artical.php?&id=2541 से दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को पुन:प्राप्त.

निगम, के.जी. (1994). कल से आज तक. आजकल स्वर्ण-जयंती अंक, 1994, पृष्ठ 27 & 28.

प्रकाशन विभाग. (2023). हमारे बारे में. प्रकाशन विभाग वेबसाइट. https://www.publicationsdivision.nic.in/index.php?route=page/about_us&page_id=8 से दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को पुन:प्राप्त.

भटनागर, ए. (2024). भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी एवं महानिदेशक, प्रकाशन विभाग. शोधार्थी के साथ नई दिल्ली में साक्षात्कार.

शरत, एस. (2005). आजकल के साठ वर्ष. नई दिल्ली : आजकल हीरक जयंती विशेषांक, मई, 2005. पृष्ठ-8.

आईआईएमसी गतिविधियाँ

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग करे

भारतीय जन संचार संस्थान का 55वाँ दीक्षांत समारोह दिनांक 10 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने दीक्षांत भाषण प्रस्तुत किया। मंच पर भारतीय जन संचार संस्थान के अध्यक्ष श्री आर. जगन्नाथन, महानिदेशक डॉ. अनुपमा भटनागर, अपर महानिदेशक डॉ. निमिष रुस्तगी तथा संस्थान के सभी पाठ्यक्रम निदेशक एवं क्षेत्रीय निदेशक भी उपस्थित थे। प्रस्तुत है इस अवसर पर श्री राम नाथ कोविंद द्वारा प्रस्तुत दीक्षांत भाषण :

‘‘आज का दिन आप सभी विद्यार्थियों के जीवन का अहम दिन है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान आईआईएमसी के साथ आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी, आप सभी आज उस यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर हैं। आज जब आप सभी आईआईएमसी से ग्रेजुएट होने पर गर्व का अनुभव कर रहे हैं, तो आप सभी को अपनी इस सफलता में अपने माता-पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर मैं यहाँ मौजूद माता-पिता और शिक्षकों को भी उनके अतुलनीय योगदान के लिए बधाई देता हूँ।

मुझे बताया गया है कि भारतीय जन संचार संस्थान ने अपने गौरवशाली इतिहास के 58 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपनी 58 वर्षों की इस यात्रा में आईआईएमसी ने मीडिया शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो नवाचार किए हैं, वे देश के अन्य मीडिया शिक्षण संस्थानों के लिए एक मिसाल हैं। आईआईएमसी के पूर्व छात्र आज देश के ही नहीं, विदेशों के भी तमाम मीडिया, सूचना और संचार संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिका में हैं।

आप सभी को आईआईएमसी से ग्रेजुएट होने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी इस उपलब्धि के साथ आपके कंधों पर एक बड़ी और महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। अब से, आपको एक पत्रकार और प्रोफेशनल के रूप में आपके कार्य की गुणवत्ता के लिए देखा और माना जाएगा, और इन सबसे ऊपर नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आपसे अपेक्षा की जाएगी। हमेशा याद रखें कि आपकी कलम में बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति का बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से उपयोग करें।

प्यारे विद्यार्थियों, जब हिंदी के पहले समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ का प्रकाशन हुआ, तो उसका ध्येय वाक्य था, ‘हिंदुस्तानियों के हित का

श्री राम नाथ कोविंद दीक्षांत भाषण प्रस्तुत करते हुए

हेत'। इस एक वाक्य में पत्रकारिता का मूल्यबोध स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। पत्रकारिता का उद्देश्य आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है। भारत के विकास का लक्ष्य लेकर भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। अपनी लंबी यात्रा में मीडिया ने इस बात को साबित किया है कि वह सही मायनों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सामाजिक चेतना जाग्रत करने में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। दुनिया का कोई भी देश हो, मीडिया बदलाव और चेतना का वाहक रहा है। किसी भी विषय पर लोगों को जागरूक करने और जनमत तैयार करने में मीडिया की भूमिका होती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु का काम करता है। जनता की समस्याओं और उसकी बातों को शासन तक पहुँचाने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि आज भी लोग मीडिया की ओर उम्मीद से देखते हैं।

'न्यू इंडिया' के संदर्भ में अगर आप देखें, तो मेरा मानना है कि मीडिया अथवा जनसंचार माध्यम किसी भी समाज या देश की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब होते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक फलक पर क्या कुछ घटित हो रहा है, इससे आम नागरिक मीडिया के द्वारा ही परिचित होते हैं। मीडिया की शक्ति का आकलन उसकी व्यापक पहुँच के मद्देनजर किया जा सकता है। इतनी शक्तियों और स्वतंत्रता की वजह से मीडिया की देश और समाज के प्रति महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है।

प्यारे विद्यार्थियो, आप अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल के रूप में उस दौर में कर रहे हैं, जब तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। लेकिन हर बदलाव के साथ नई सकारात्मकताएँ और नई चुनौतियाँ, दोनों सामने आती हैं। इसलिए हम सभी को नई तकनीकों के संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आज पूरा देश और समाज फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं, भ्रामक जानकारी और डीप फेक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

दुनिया में कहीं भी बैठा एक शरारती व्यक्ति डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस में झूठी और बहकाने वाली खबरों को फैला सकता है। जब तक हमें यह एहसास होता है कि यह जानकारी झूठी और दुर्भावनापूर्ण है, तब तक ये जानकारियाँ समाज को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा चुकी होती हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? मेरे लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के अंदर छिपा हुआ है, जो मेरे सामने बैठे हैं। आपको पत्रकार के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को सही जानकारी और समाचार मिले। अपने काम को अच्छी तरह से करके, आपको अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी और लोगों का भरोसा जीतना होगा। मैसेंजर एप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फॉरवर्ड की गई अफवाहों और चैट के बीच, आप और आपके मीडिया संगठन विश्वसनीय जानकारी और समाचार के लिए एक स्वर्णिम मानक के रूप में उभरने चाहिए। ऐसा करके आप समाज और राष्ट्र की महान् सेवा करेंगे।

आज ऊँची टीआरपी प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरों की ओर बढ़ता मीडिया का रुझान एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे और निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल्यों के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के शॉर्टकट से दूर रहें और पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए रखें।

आप सभी युवा, ऊर्जावान और महत्त्वाकांक्षी हैं। निस्संदेह आप सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इससे हम अक्सर यह मतलब निकालते हैं कि आप अपने करियर में उन्नति करें, अच्छी सैलरी कमाएँ और मीडिया के क्षेत्र में प्रॉफिटेबल बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करें। ये सभी अच्छे लक्ष्य हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सबसे अहम लक्ष्य न भूलें और वह है एक सच्चा पत्रकार बनना। इस पेशे के मूल्यों और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करें और सच के सिपाही बनें।

पत्रकारिता का मुख्य काम लोक शिक्षण है, जिसे आज पत्रकार धीरे-धीरे भूल रहे हैं। लोक शिक्षण के लिए आवश्यक है कि मीडिया आत्मशिक्षण भी करें। समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना भी पत्रकारिता का दायित्व है। गांधीजी के अनुसार पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र समाज सेवा ही होना चाहिए। महात्मा गांधी के ये वचन आज भी पत्रकारिता के लिए मूलमंत्र के समान हैं। अगर आप अपने काम से लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो प्रसिद्धि और शानदार करियर जैसे पुरस्कार आपके हिस्से में जरूर आएँगे।

मैं आप सभी को राष्ट्र-निर्माता के रूप में देखता हूँ। एक पत्रकार के रूप में, आपके पास जनमत को आकार देने, नागरिकों को सूचित करने और राष्ट्र के विकास और मानवता के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों का समर्थन करने की शक्ति होगी। मुझे आशा है कि आपमें से कुछ लोग हमारे समय की चुनौतियों को एक आवाज देने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक, लैंगिक और आर्थिक समानता जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 2047 तक हमारे सपनों का विकसित राष्ट्र बनाने की शक्ति आप लोगों के हाथ में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस शक्ति का सदुपयोग भारत को विकसित भारत बनाने में करेंगे।

मैं आपको आज के इस शुभ अवसर पर अनेक शुभकामनाएँ देता हूँ और आप सभी को इस उत्कृष्ट, उद्देश्यपूर्ण, अद्भुत और चुनौतीपूर्ण करियर में सफलता हासिल करने की कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद!''

चेन्नई में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मलेन

चेन्नई में आयोजित क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आईआईएमसी के अपर महानिदेशक डॉ. निमिष रुस्तगी। साथ में मंच पर हैं प्रो. संगीता प्रणवेंद्र, डॉ. जे. प्रकाश, श्री गौरीशंकर केसरवानी एवं प्रो. प्रमोद कुमार

विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर दिनांक 13 और 14 फरवरी, 2024 को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मलेन (दक्षिण) का आयोजन किया गया। सम्मलेन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय जन संचार संस्थान ने संयुक्त रूप से किया। सम्मलेन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीति-दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक ऐसा मंच हैं, जहाँ विषयवस्तु स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित की जाती है। इन स्टेशनों द्वारा स्थानीय मुहावरों में स्थानीय, संदर्भ विशेष मुद्दे उठाए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अपने मंत्र को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सामुदायिक रेडियो के महत्व को समझना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से दिखाया है कि जनता से बात करने और सुनने में रेडियो माध्यम कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थानीय मॉडल का प्रतिबिंब है, जो वर्षों में निर्मित हुआ है। इसमें अनुभवात्मक सीख भी झलकती है। सम्मेलन में दक्षिण भारत के पाँच राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालक शामिल हुए।

विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि सामुदायिक रेडियो एक मार्गदर्शक अवधारणा है और समुदाय की अनसुनी आवाजों को एक मंच प्रदान करता है। ये स्टेशन लोगों तक सीधे पहुँचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं, क्योंकि ये स्टेशन समुदाय के लिए उपयोगी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक कार्यक्रम बनाते हैं। समुदाय तक पहुँचने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के अपेक्षाकृत सस्ते माध्यम से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। देश के इस विशाल परिदृश्य को देखते हुए भारत में कई और सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की बहुत बड़ी संभावना है। डॉ. मुरुगन ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाजों को प्रसारित करने का एक मंच प्रदान करता है। सामुदायिक रेडियो समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिए अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इसके अलावा, इसमें प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होने के कारण लोग इससे तुरंत जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता है। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन भावी पीढ़ी के लिए स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड व संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तीकरण का एक आदर्श उपकरण बनाती है।

सामुदायिक रेडियो, रेडियो प्रसारण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता

है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन वर्ष 2004 में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में किया गया था। फिलहाल, भारत में 481 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और पिछले दो वर्षों में 133 से अधिक नये सीआरएस चालू हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम सहित बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों को रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी थी। इस मामले पर वर्ष 2006 में पुनर्विचार किया गया और सरकार ने विकास एवं सामाजिक बदलाव से संबंधित मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अपने दायरे में लाकर इस नीति को व्यापक बनाने का निर्णय लिया। संशोधित नीति-दिशानिर्देश वर्ष 2006 में जारी किए गए और बाद में वर्ष 2017, 2018 और 2022 में संशोधित किए गए। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की वित्तीय स्थिरता और सामुदायिक रेडियो क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नीति-दिशानिर्देशों में और संशोधन किए हैं। संशोधित नीति-दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं। :

1. कई जिलों में काम कर रहे पात्र संगठन /संस्थान को संचालन के विभिन्न जिलों में अधिकतम छह (6) सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।
2. ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) की प्रारंभिक समय अवधि बढ़ाकर दस (10) वर्ष कर दी गई।
3. सीआरएस के लिए विज्ञापन का समय 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटा कर दिया गया है।
4. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए विज्ञापन की दर 52 रुपये प्रति 10 सेकंड से बढ़ाकर 74 रुपये प्रति 10 सेकंड कर दी गई है।
5. किसी संगठन को जारी आशय पत्र की वैधता एक वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति होने पर आवेदक को तीन महीने का समय (बफर) भी दिया जाएगा।
6. संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा तय है।

इन संशोधित नीति-दिशानिर्देशों से सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कंटेंट निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के प्रावधान, अर्थात् सलाहकार और विषयवस्तु (कंटेंट) समिति में कम-से-कम आधे सदस्यों के तौर पर महिलाओं को रखने का प्रावधान इन संशोधित दिशानिर्देशों में जोड़ा गया है।

सामुदायिक रेडियो समुदाय के लाभ के लिए एक समुदाय के स्वामित्व और प्रबंधन में प्रसारण करता है। सामुदायिक रेडियो का प्रसारण क्षेत्र लगभग 10-15 किमी सीमा में होता है। ये स्टेशन प्राकृतिक आपदा आदि के समय जनसामान्य तक सही जानकरी प्रसारित करने में प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं। सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित सही जानकरी प्रस्तुत करने के साथ-साथ समुदायों के मुद्दों पर स्थानीय आवाज उठाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। भारत जैसे देश में, जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, लोकसंगीत, विशिष्ट संस्कृति और स्थानीय लोक संगीत हैं, ऐसे में सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोकगीतों को प्रचारित, प्रसारित कर भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

उद्घाटन सत्र में भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के अपर महानिदेशक डॉ. निमिष रुस्तगी ने स्वागत संबोधन दिया। विभिन्न सत्रों में अलग-अलग विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए तथा आगामी समय में कैसे सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा मिले, इसे लेकर मंथन किया।

क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करती हुईं प्रो. संगीता प्रणवेंद्र। साथ में हैं सुश्री रुक्मिणी वेमराजू, सुश्री एस्थर कार एवं डॉ. रेवती

दो दिवसीय सम्मलेन कुल सात सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र का मंच संचालन सम्मलेन के सहसंयोजक एवं भारतीय जन संचार संस्थान में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार ने किया। द्वितीय सत्र 'भारत में सामुदायिक रेडियो के बीस वर्ष' विषय पर केंद्रित था। इस सत्र में सोशल मीडिया विशेषज्ञ डॉ. आर. श्रीधर, अन्ना विश्वविद्यालय से डॉ. अरुलचेल्वम तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त निदेशक (सामुदायिक रेडियो सेल) श्री गौरीशंकर केसरवानी ने अपने विचार साझा किए।

तृतीय सत्र में आईआईटी बॉम्बे से प्रो. कन्नन, कदल ओसाई सामुदायिक रेडियो से सुश्री गायत्री उसमान, सुश्री पूजा मुरादा एवं मिस साई सुधा ने प्रतिभागियों से संवाद किया। कार्यक्रम के चतुर्थ सत्र में सामुदायिक रेडियो केंद्रों के प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। सम्मलेन के दूसरे दिन बेसिल के अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने सामुदायिक रेडियो के उपकरणों के रख-रखाव और देखभाल संबंधी तकनीकी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

दूसरे दिन एक सत्र 'सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए प्रसारण सामग्री तैयार करने पर केंद्रित था। इस सत्र में सम्मेलन की संयोजक एवं आईआईएमसी में रेडियो एवं टेलीविजन विभाग की पाठ्यक्रम निदेशक प्रो. (डॉ.) संगीता प्रणवेंद्र ने जानकारी दी। इस सत्र में सुश्री रुक्मिणी वेमराजू एवं सुश्री एस्थर कार ने भी अपने विचार साझा किए।

INDIAN INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION
DEPARTMENT OF PUBLICATIONS

NEW SUBSCRIPTION **RENEWAL FORM**

To
The Head, Department of Publications, Indian Institute of Mass Communication
New JNU Campus, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110 067

Dear Sir/Madam,
I/We would like to subscribe to your research journals/magazines:

1. Sanchar Madhyam (Hindi, Biannual)	**Rs. 200.00 per issue (Rs. 400/- annual price)**
2. Communicator (English, Quarterly)	**Rs. 200.00 per issue (Rs. 800/- annual price)**
3. Rajbhasha Vimarsh (Hindi, Quarterly)	**Rs. 100.00 per issue (Rs. 300/- annual price)**

for the Calendar year (Jan-Dec).....
The Demand Draft/Cheque No./Online Transaction No. .....
Dated.....drawn on.....for
₹.....is enclosed towards the subscription amount.

The journal(s) may be sent to the following address:

Name.....

Address.....

Phone.....

(Signature with Date)

NOTE:
- Demand draft should be made in favour of **Indian Institute of Mass Communication**, payable at Delhi.
- Cheques from the individuals are not accepted; however, cheques from the institutes/universities established firms may be accepted.
- Online Fund Transfer details:

Name of Account Holder	:	**IIMC REVENUE**
Address	:	Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110 067
Bank Name and Branch	:	**State Bank of India**, R K Puram, New Delhi - 110022
IFSC Code	:	**SBIN0001076**
Account No.	:	**40321700410**
Type of Bank	:	SB

SCAN & PAY
UPI ID: 9773601002@SBI

BHIM UPI

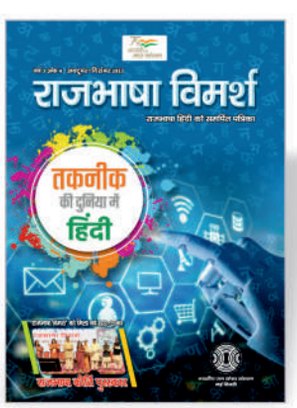

संचार माध्यम

'संचार माध्यम' (ISSN : 2321-2608) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली, की संचार, मीडिया, पत्रकारिता और उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हिंदी में प्रकाशित होने वाली अग्रणी 'पीयर रिव्यूड' और यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 में आरंभ हुआ और आज यह हिंदी भाषा में संचार, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के विचारों, टिप्पणियों, पुस्तक समीक्षा और मौलिक शोध-पत्रों के प्रकाशन का प्रतिष्ठित मंच है। इसमें मीडिया से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर मौलिक अकादमिक शोध और विश्लेषण प्रकाशित किए जाते हैं। अकादमिक शोध के उच्चतर मूल्यों का पालन करते हुए 'संचार माध्यम' में प्रकाशन से पूर्व सभी शोध पत्रों/आलेखों की बहुस्तरीय निष्पक्ष समीक्षा (ब्लाइंड पीयर रिव्यू) कराई जाती है। भारतीय जन संचार संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका का प्रकाशन छमाही हो रहा है।

'संचार माध्यम' में निम्नलिखित श्रेणी के शोध-पत्र प्रकाशित किए जाते हैं:

1. **मौलिक शोध पर आधारित शोध-पत्र:** इस प्रकार के शोध-पत्र की शब्द सीमा 4000 से 5000 शब्द होनी चाहिए। जो डबल स्पेस में टाइप किया गया हो। साथ ही अधिकतम 250 शब्दों में शोध सारांश भी शामिल होना चाहिए। शोध-पत्र सिर्फ यूनिकोड फॉण्ट में ही टाइप होना चाहिए और उसमें संबंधित शोध की पूर्ण तस्वीर दृष्टिगोचर होनी चाहिए। शोध-पत्र से जुड़े छायाचित्र/ग्राफ/टेबल, यदि कोई हों, तो वे भी अपनी मूल प्रति के साथ (एक्सेल फाइल इत्यादि) संलग्न किए जाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि छायाचित्रों का रिजॉल्यूशन उच्च स्तर का हो, ताकि प्रिंटिंग के समय गुणवत्ता प्रभवित न हो। पीडीएफ फाइल में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

2. **लघु शोध आधारित शोध-पत्र:** लघु शोध आधारित आलेख 2000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी लगभग 4-5 पृष्ठ, डबल स्पेस में टाइप किया गया हो। यह भी यूनिकोड फॉण्ट में ही टंकित होना चाहिए। ऐसे शोध-पत्र भी पूर्ण हो चुके शोध/अध्ययनों पर ही आधारित होने चाहिए। इसमें ऐसे तथ्यपूर्ण शोध-पत्र भी शामिल हो सकते हैं, जिनका संबंध किसी नवीन तकनीक के विकास से है। ऐसे शोध-पत्रों का शोध सारांश 80 से 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. **शोध समीक्षा:** इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समीक्षात्मक आलेखों में प्रस्तावना, साहित्य समीक्षा, शोध परिणाम आदि के अलावा संबंधित शोध में मौजूद कमियों और उन कमियों के सुधार हेतु सुझावों का भी समावेश होना चाहिए, ताकि भविष्य में अन्य शोधकर्ता उन कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयास कर सकें।

4. **पुस्तक समीक्षा:** 'संचार माध्यम' में पत्रकारिता और जनसंचार पर प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा (शब्द सीमा: 1500) भी प्रकाशित की जाती है। अन्य विषयों जैसे सामाजिक ज्ञान, सामाजिक कार्य, एंथ्रोपोलोजी, कला आदि पर प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा भी भेजी जा सकती है बशर्ते उनका शीर्षक मीडिया अध्ययन से जुड़ा हो या उनकी सामग्री में कम-से-कम 40 प्रतिशत अध्याय मीडिया, जनसंचार या पत्रकारिता से जुड़े हों। पुस्तक समीक्षाएँ उनके पूर्ण विवरण जैसे प्रकाशक, वर्ष, संस्करण, पृष्ठ संख्या, मूल्य व पुस्तक के छायाचित्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

प्रकाशन नैतिकता और साहित्यिक चोरी

- संचार माध्यम के लिए जो शोध आलेख भेजे जाएँ उन्हें अन्य पत्रिकाओं को नहीं भेजना चाहिए और न ही शोध आलेखों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसी सामग्री के साथ किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेखकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 'संचार माध्यम' में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले आलेख किसी भी रूप में या मिलती-जुलती सामग्री के रूप में पहले प्रकाशित न हुए हों।
- किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आलेख के साथ मूल कार्य का घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसके बिना आलेखों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेखकों को आलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई भी अनैतिक व्यवहार (साहित्यिक चोरी, गलत डेटा आदि) किसी भी स्तर पर (पियर रिव्यू या संपादन स्तर पर भी) आलेख की अस्वीकृति का कारण बन सकता है। किसी भी समय साहित्यिक चोरी और तथ्यों, निष्कर्षों के स्वनिर्मित आदि पाए जाने पर प्रकाशित आलेख वापस लिए जा सकते हैं।

बहुस्तरीय समीक्षा (पियर रिव्यू) प्रक्रिया

'संचार माध्यम' में प्रकाशनार्थ प्राप्त सभी आलेख दोहरी या बहुस्तरीय निष्पक्ष समीक्षा (डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू) प्रक्रिया के अधीन हैं। शोध आलेखों को विशेषज्ञों के पास बिना उनके लेखक/लेखकों का नाम बताए समीक्षा के लिए भेजा जाता है। उनकी टिप्पणी, सुझावों और अनुशंसा के आधार पर ही शोध-पत्रों के प्रकाशन का निर्णय लिया जाता है। संपादन-परिषद् के संतुष्ट होने पर ही शोध-पत्र प्रकाशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 4-6 सप्ताह लगते हैं। समीक्षा प्रक्रिया पाँच चरणों पर आधारित है:-

क) जस के तस स्वीकार करने लायक
ख) मामूली सुधार की आवश्यकता
ग) मध्यम सुधार की आवश्यकता
घ) अधिक सुधार की आवश्यकता
ङ) अस्वीकृत
'संचार माध्यम' तीव्र समीक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं करता है

लेखों का संपादन

यदि प्रकाशन के लिए लेख स्वीकार किया जाता है, तो उसे कम-से-कम दो संपादन चरणों से गुजरना पड़ता है। लेखकों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी स्वीकृत लेख संपादन के किसी भी स्तर पर संपादकों द्वारा आवश्यक संशोधनों व परिवर्तनों के अधीन हैं।

जनवरी-जून 2024, खंड-36, अंक-1
आईएसएसएन : 2321-2608

टाइटल कोड : DELHIN28999
सदस्यता शुल्क : ₹ 200 प्रति अंक
(वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 400)

भारतीय जन संचार संस्थान | भारत का नंबर एक मीडिया संस्थान

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

• अँग्रेजी पत्रकारिता • हिंदी पत्रकारिता • रेडियो और टीवी पत्रकारिता • विज्ञापन एवं जनसंपर्क • उड़िया पत्रकारिता • मलयालम पत्रकारिता • उर्दू पत्रकारिता • मराठी पत्रकारिता • डिजिटल मीडिया

नवीनतम और सुसज्जित सुविधाएँ

• साउंड और टीवी स्टूडियो तथा ऑडियो विजुअल सेटअप • डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कैमरों के साथ टीवी और वीडियो प्रोडक्शन • मल्टी कैमरा स्टूडियो सेटअप • नॉन-लीनियर वीडियो एडिटिंग • एडिटिंग कंसोल • डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग • डीएसएलआर कैमरा • 4K वीडियो कैमरा • प्रोजेक्टर और वातानुकूलित कक्षाएँ • कंप्यूटर लैब • मल्टीमीडिया सिस्टम • वॉयस रिकार्डर, ग्राफिक और लेआउट डिजाइनिंग • अपना रेडियो 96.9 एफएम

छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा

• सीखने के मजबूत और व्यावहारिक तरीके • नवीनतम तकनीक और सॉफ्टवेयर के साथ ज्ञान को बढ़ाना • विशेष बीट रिपोर्टिंग सत्र • मीडिया उद्योग के विशेषज्ञों के व्याख्यान

भारतीय जन संचार संस्थान
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान)

अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू न्यू कैंपस, नई दिल्ली-110067
फोनः 011.26742920/296। वेबसाइटः www.iimc.gov.in । ईमेलः iimc1965@gmail.com

मुद्रक और प्रकाशक प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार भारती, प्रमुख-प्रकाशन विभाग, द्वारा भारतीय जन संचार संस्थान के लिए जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., B-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित तथा भारतीय जन संचार संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, नया जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली-110067 से प्रकाशित । संपादक : प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार